राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] पंचम विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 35वां दिवस [संख्या 8

मंगलवार, दिनांक 6 नवम्बर, 1973

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पीठासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

'सहकारिता, आयुर्वेद, देवस्थान, यातायात, पंचायत, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, विद्युत, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा, सांख्यिकी, सहायता एवं पुनर्वास, सिंचाई एवं विधि विभाग)

(प्रश्न संख्या 147)

श्री अध्यक्ष : श्री वृजेन्द्रपालसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री मीठालाल !

जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश

148. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लेकर केन्द्र सरकार को सिफारिश भेजी है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि निर्णय नहीं लिया तो क्यों ?

विधि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता '।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के अंतिम भाग में यह पूछा है कि यदि निर्णय नहीं लिया तो क्यों ? आप इसका कारण बता दीजिए कि क्यों नहीं निर्णय लिया ? अगर सिफारिश केन्द्र सरकार को नहीं भेजी है तो क्यों नहीं भेजी है ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : आवश्यकता नहीं थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : यह सवाल नहीं है, आप क्यों जवाब दे रहे हैं।

श्री मीठालाल : मैं माननीय मन्त्रीजी से उत्तर पूछ रहा हूँ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप इतने गरम क्यों होना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या आप अभी से माननीय मन्त्री बन गए हैं जो जवाब देना शुरू कर दिया है।

(निरन्तर व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

Page No. 2

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : हाथ से इशारा करना भी मना है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार) : मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : One at a time.

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक यह पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो आपके वायदे हैं, वह हैं और सर्वमान्य हैं और वह वायदे जोधपुर को दिए गए हैं। मेरे खयाल से तथ्य सहित हैं, तथ्यहीन नहीं हैं। लेकिन इसके साथ 2, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सरकार के निर्णय कोई भी ऐसे निर्णय नहीं हैं जो अनिश्चित काल के लिए और हठधर्मी के ऊपर कायम रहें। क्या आपका यह निर्णय राज्य की जनता के लिए हितकारी है। क्या आपका यह निर्णय जयपुर में बसी, एक राजधानी के प्रति सिद्धान्ततः उचित है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अगर उनको अड़चन नहीं हो तो सरकार की नीति के सम्बन्ध में दो शब्द नहीं कहेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ ही मैं निवेदन करदूं कि आपने यह कह दिया कि नहीं, लेकिन फिर आप कागजातों पर नजर डालें। मैं तो निष्पक्ष हूं, न मैं जोधपुर से सम्बन्धित हूं और न जयपुर से सम्बन्धित हूं। लेकिन मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि पेश्तर इसके कि आप ना कहें, अपनी पत्रावलियों को पुनः देखें अन्दर से और गौर से पत्रावलियों को देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां से सिफारिश गई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊंचे लेवल पर, यहां के प्रशासन के ऊंचे लेवल से सिफारिश गई है,....

श्री दीपंकर (लाडनूं) : यह सिफारिश गई तो दबाव से गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिर अगर आप मुलाहिजा फरमायेंगे तो पता चलेगा कि लॉ मिनिस्टर साहब केन्द्र को सिफारिश पहुंची है, वह अलग बात है कि इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पत्रावलियां यहां से चली हैं। इसका एक बार पुनः अवलोकन करें तो मेरे ख्याल से आप गहराई में पहुंच सकेंगे। यह जो "नहीं" आया है यह ऊपर 2 का है, गहराई का नहीं है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : One at a time.

(निरन्तर व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मन्त्री मोहदय से जवाब आने दीजिये। एक भी सप्लीमेन्ट्री का जवाब आया नहीं और मन्त्री महोदय शांत बैठे हुए हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इस संबंध में इस सेशन के गुजिश्ता सेशन के पहले जब यह असेम्बली पहले मिली थी उस बीच में केन्द्र से कोई पत्र व्यवहार हुआ या नहीं हुआ।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
अगर पत्र व्यवहार हुआ था तो वह पत्र व्यवहार इस सदन में रखा जावे । यह कोई सीक्रेट बात नहीं है । यहां जनता की फीलिंग्स का सवाल है। एक बहुत बड़े तबके का सवाल नहीं है । जस्टिस का सवाल है । यह पहले तय हुआ था कि आपके लोग, आपकी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग एक जगह बैठ कर उदयपुर में फैसला लेंगे । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कोई फैसला नहीं लिया गया है । अब जबकि नए चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं जो प्रगतिशील नीतियों के हामी हैं तो उनकी ओर से जवाब मिलना चाहिये । मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह यह बतायें कि ··

श्री दीपंकर : जनता के नाम पर यह सवाल नहीं है····

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या कोई पत्र व्यवहार केन्द्र सरकार से हुआ है और अगर हुआ है तो वह सदन में रखा जावे जिससे हमें पता लग सके कि इसमें केन्द्र की गलती है या आपकी गलती है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

यह दो चार की जो इस प्रकार की बातें हैं ये दुश्मनी का सबूत देती हैं कि ये अपने दिमाग में कैसा न्यूसेंस लिए हुये हैं ···

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, हम भी भाषण देंगे ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसे समूह में कौन कौन लोग हैं जो····

(माननीय सदस्य श्री दीपंकर और श्री मोहम्मद गफ्फार अली एक साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं एक बात अर्ज कर दूं । यह प्रश्न काफी नजाकत लिए हुए है····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : और नफासत भी ।

श्री अध्यक्ष : और इस नजाकत का काफी इजहार भी काफी सदन में हो चुका है । मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो भी पूछना है थोड़े में पूछें जो ज्यादा लोग पूछ सकेंगे ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

Don't disturb. आप ज्यादा भाषण देंगे तो कम लोग सवाल पूछ सकेंगे और कम में पूछेंगे और सीधा सवाल पूछेंगे तो ज्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा । अगर एक आदमी ज्यादा समय लेगा तो कम लोगों को मौका मिलेगा । इसलिए मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ पूछें वह सप्लीमेंट्री हो, तकरीर न हो ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में····

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न खास तौर से यह पूछा गया था कि राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी कोई सिफारिश भारत सरकार को प्रेषित की है या नहीं । मैंने बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि ऐसी कोई सिफारिश राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई है ।

Page No. 4

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कोई पत्र व्यवहार हुआ या नहीं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहले सुन लीजिए। हमारे भी सप्लीमेन्ट्रीज हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे शोरगुल-अश्रव्य)

ये खड़े हो गये तो हम भी खड़े हो जायेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहेंगे····

श्री अध्यक्ष : आप जवाब तो देने दीजिए, let the Minister finish his reply.

(शोरगुल जारी-अश्रव्य)

आप (श्री शिवचरण माथुर से) कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि कोई भी सिफारिश इस सम्बन्ध में भारत सरकार को राज्य सरकार की ओर से नहीं भेजी गई। दूसरे प्रश्न में यह पूछा गया कि उसका ब्यौरा क्या है ? मैंने निवेदन किया कि जब कोई सिफारिश भेजी ही नहीं गई तो ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पत्र व्यवहार हुआ है या नहीं, वह बता दीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय····

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मीठालाल : मैंने यह नहीं पूछा था कि ब्यौरा क्या है, मेरा प्रश्न यह था कि निर्णय नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया। अभी कुछ समय पहले केन्द्र सरकार के विधि मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि राजस्थान में हाई कोर्ट की बेंच कायम करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई सिफारिश नहीं भेजी है इसलिए निर्णय नहीं कर सकते। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रश्न अभी तक विचाराधीन है या समाप्त कर दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय ···

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है ···

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय को पहले फर्मा लेने दीजिये।

मुख्य मन्त्री महोदय !

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, जो फैक्ट्स मन्त्री महोदय ने यहां पर रखे हैं, सरकार के सामने वही फैक्ट्स हैं, इसके सिवाय दूसरे कोई फैक्ट्स नहीं हैं। इसलिये हमारे सामने इसके अलावा दूसरा कोई उत्तर नहीं है—(शोरगुल-व्यवधान होने पर) सुनने की कोशिश कीजिये। एक स्टेज के ऊपर यह फैसला किया गया था कि यूनिफाईड हाई कोर्ट जोधपुर के अन्दर रहनी चाहिये। उसके बाद में जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट की बेन्च स्थापित करने के बारे में मांग की गई, रिप्रजेन्टेशन आये, मेमोरेन्डम आये और दूसरी तरफ से यह कहा गया कि नहीं, अब भी यूनिफाईड हाई कोर्ट जोधपुर में ही रहनी चाहिये। ये सारी चीजें होने के

(श्री हरिदेव जोशी)
बावजूद भी आज की तारीख तक, जिसमें गवर्नमेंन्ट भी बदल गई है, और चीफ मिनिस्टर भी बदल गये हैं, दोनों ही केसेज के अन्दर कोई फैसला नहीं किया गया है। किसी लेविल के ऊपर इनफारम कहीं कोई टाक्स हुई हो, मैं नहीं जानता। मगर फारमल वे में न तो कहीं कोई डिसकशन हुआ है और न कहीं कोई फैसला ही हुआ है। इसलिये इस सदन में आज तक सरकार ने क्या किया है सिवाय इस स्थिति को बताने के और कोई स्थिति में वह नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय,

(शोरगुल, कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है....

श्री मोहनलाल छंगाणी : धोलपुर में खोलिये.......

श्री नत्थीसिह (नदबई) : हाई कोर्ट के बिना जयपुर और पूर्वी क्षेत्र के लोगों को दिक्कत हो रही है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठिये।

धोलपुर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे इस विषय में क्या महसूस करते हैं कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंन्च रहनी चाहिये या नहीं? क्या उनकी राय में जयपुर में हाई कोर्ट की बैंन्च स्थापित होना जरूरी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस नहीं करता कि ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ इसलिए उचित यह होगा कि एक प्रश्न पूछा जाये और हर प्रश्न का उत्तर दूं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि पूरा क्वेश्चन आवर केवल एक हाई कोर्ट के प्रश्न के ऊपर ही लगा दिया जाये या इसको 5 मिनिट में पूरा करें।

माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूं। मेरा निवेदन है कि आज तक राज्य सरकार के सामने जो फैक्ट्स हैं, केवल उन्हीं को रखने की जिम्मेदारी हमारी थी। मेरे मन में क्या है वह सरकार की राय नहीं है। सरकार इसके ऊपर जब भी कोई निर्णय करेगी और अगर प्रश्न फिर किसी समय आया, उसको सदन के समक्ष रखेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय,....

Page No. 6

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमेन्टरी का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : One at a time,

(शोरगुल)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय,.........

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

You don't want to hear him ?

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार इस सवाल को क्लोज समझती है। दूसरी बात यह है कि क्या यह सही है कि पिछले सेशन में जब हाई कोर्ट का प्रश्न उठाया गया था प्राईवेट मेम्बर रिज्योलूशन के जरिये उस समय कांग्रेस पार्टी की एक्जीक्यूटिव में इस पर डिसकशन हुआ था और जयपुर डिविजन के एम. एल.एज. का डेपूटेशन भी मिलने गया था। तब यह कहा गया था कि इस सवाल पर पार्टी की मीटिंग की जाकर तमाम सदस्यों की राय ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आप सबका जवाब एक साथ दे दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : यह प्रिन्सिपल तय कर लेते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं हर प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। जो पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस है।

कांग्रेस पार्टी की एक्जीक्यूटिव में क्या बात तय होती है यह कांग्रेस पार्टी तक सीमित है। यह सदन का प्रश्न नहीं है। जब मैं लीडर के नाते वहां पर बैठूं उस समय इस प्रश्न को आप वहां पर कर सकते हैं। और उस समय मेरा एप्रोच भी जान सकते हैं।

मैं ऐसा मानता हूं कि कोई प्रश्न हमेशा के लिये बन्द नहीं होता है। आवश्यकता पड़ने पर जिनको हम बन्द कर देते हैं उनको भी रि-ओपन कर देते हैं ? जहां तक आज का सवाल है, स्थिति स्पष्ट है कि यूनिफाईड हाई कोर्ट जोधपुर में रहे। यह फैसला जब हो चुका है तो उसको किसी भी समय, किसी भी स्टेज पर रि-ओपन नहीं किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,.........

(शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : यह जोधपुर और जयपुर की बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि.........

श्री मोहनलाल छंगाणी : करौली में हाईकोर्ट होनी चाहिये।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं हर प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।

Page No. 7

(श्री हरिदेव जोशी)
अगर एक एक करके पूछेंगे तो उनका जवाब दूंगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन है कि हाई कोर्ट को मुन्सिफ कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए और शाखाएं धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक खोल दी जायें।.........

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य एक गम्भीर प्रश्न को मजाक में टाल रहे हैं।.........

(शोरगुल)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : पूर्वी क्षेत्र की जनता की भावनाओं के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है।.........

(शोरगुल)

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि स्वर्गीय मुख्य मन्त्री ने एक मीटिंग उदयपुर में इस विषय पर विचार करने के लिये आमन्त्रित की थी और ऐसे समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। हम इस सम्बन्ध में आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई मीटिंग उदयपुर में आमंत्रित की गई थी या नहीं ?...

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल): मेरा प्रश्न यह है कि दो वर्ष के कार्यकाल में केबिनेट की मीटिंग में इस प्रश्न पर कोई विचार विमर्श हुआ है। क्या केन्द्रीय सरकार से आपका इस विषय पर पत्र व्यवहार नहीं हुआ है और आज जो मुख्य मन्त्री को राजस्थान की पूर्वी जनता का और पूर्वी राजस्थान के विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है.........

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूं।

श्री दीपंकर : राजस्थान में एक ही हाई कोर्ट रहनी चाहिए। जनता के नाम पर इस तरह की मांग करना गलत बात है।.........

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण व्यवधान-अश्रव्य)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : भगवान आशुतोष का मौन टूट जाना चाहिए ताकि हम नियन्त्रित हो जायं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह प्रश्न आज से नहीं 68 से चल रहा है। उस समय नॉन-ऑफिशियल रिजोल्यूशन आये और सुखाड़िया जी, जो उस समय मुख्य मंत्री थे... ....

श्री अध्यक्ष : आप इतिहास बता रहे हैं या सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं। इस बीच में तीन मुख्य मंत्री हो गये। सुखाड़िया जो थे उन्होंने घोषणा की और बरकत साहब ने घोषणा की और आज आप मुख्य मंत्री हो गये हैं और यह प्रश्न लगातार 3 सत्रों से उठता चला आ रहा है। प्रश्न यह है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि इस हाउस में....

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप आसन के लेवल से इस प्रश्न को समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज जो हाउस में एजीटेशन चल रहा है......

श्री अध्यक्ष : Silence please. आप बैठिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर): यह मसला कम्युनिस्ट या कांग्रेस पार्टी का नहीं है यह प्रश्न सर्वसाधारण का है......

श्री मोहनलाल छंगाणी : (श्री सोगानी के खड़े होने पर) यह अजमेर का प्रश्न हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चाहे इस तरफ निर्णय लिया जाय, चाहे उस तरफ निर्णय लिया जाय। मैं यह नहीं कहता......

श्री दीपंकर : राजस्थान एक है और राजस्थान में एक ही हाई कोर्ट रहेगा......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Mr. Handa ! Please sit down. Please take your seat. मि. हाण्डा बैठिये।

श्री नत्थासिंह : पूर्वी राजस्थान भी राजस्थान का अंग है और राजस्थान के साथ रहेगा लेकिन हाई कोर्ट की बैन्च यहां पर आकर रहेगी।

श्री अध्यक्ष : Please sit down.

श्री दीपंकर : राजस्थान एक है। इस प्रश्न को बिल्कुल ही बन्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Next question.

(व्यवधान)

Next question. मि. लूणाराम !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हाई कोर्ट की बेंच के प्रश्न पर विचार हो रहा है। उसका जवाब आज आयेगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, भावावेश में यह प्रश्न उठाया जा रहा है। माननीय सदस्यों के इस पक्ष में या उस पक्ष में किसी प्रकार के विचार हों...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या आप इस प्रश्न को अकसीरियत पर छोड़ने को तैयार हैं? अकसीरियत इस बारे में जो तय कर दे वह हमें मंजूर है। आज ही जो तय कर दें वह फैसला हम मानने को तैयार हैं। आजादो से वोट दिलाकर वह फैसला कर लेंगे तो जयपुर वाले उससे पाबन्द होंगे।

श्री अध्यक्ष : This is not the way of giving things.

श्री हरिदेव जोशी : यह उचित नहीं होगा कि आप अपनी ही बात कहते चले जायं और मेरी बात सुनें नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप इस तरह से क्यों करना चाहते हैं? आप इसको चार्ल्स डिकन्स का टेल ऑफ टू सिटीज क्यों बनाना चाहते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उत्तेजना को छोड़ कर रीजन्स पर आयें। अगर वे उत्तेजना को नहीं छोड़ते हैं और लाजिक और रीजन्स पर नहीं आते हैं तो आज तो क्या कभी भी कोई इसका फैसला नहीं हो सकता है। इसको आप लिखकर रख लें।

यह कोई तरीका नहीं होता है कि हम अपनी ही बात कहते चले जायं और दूसरे की बात को न सुनें।

एक माननीय सदस्य : यह न्याय नहीं है, अन्याय है।

श्री हरिदेव जोशी : एक स्थिति को आप साफ समझ लें कि आप एक प्रकार की भावनाएं रखते हैं यह स्पष्ट हो गई और दूसरे लोग दूसरे प्रकार की बात करते हैं....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अकसीरियत किस के साथ में है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं बहुमत की बात नहीं करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तो जनतन्त्र क्या है ? जनतन्त्र क्या चीज है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : यह तानाशाही का प्रकार है। आपको मानना पड़ेगा और मजबूर होकर मानना पड़ेगा।

श्री हरिदेव जोशी : अगर सदन का प्रांगण कुछ मित्रों के लिए ही है और वह मेरे लिए अथवा सरकार के लिए नहीं है तो वाजिब बात नहीं है।

क्वेश्चन आवर फैक्ट्स को मालूम करने के लिए है, क्वेश्चन आवर गवर्नमेंट से डिसीजन लिवाने के लिए नहीं है, क्वेश्चन आवर पालिसी डिसीजन्स को चेन्ज करवाने के लिए नहीं है। आपको पूरा अधिकार है कि इस सदन के प्रांगण का सदुपयोग करके राज्य सरकार को प्रेशराइज करके अपनी बात को मनवाने के लिए कहें। मुझे इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं है। मैं आपके साथ में बैठूंगा। आपके विचार शान्तिपूर्वक सुनूंगा और अगर जरूरत हुई तो आपके विचारों को राज्य सरकार के समक्ष रख करके पक्ष अथवा विपक्ष में उसका फैसला आपको सुनवा दूंगा, मगर कोई फैसला पेशन्स नहीं रखेंगे तो नहीं हो सकेगा और जो लोग मुझसे कुछ अपेक्षा करते हैं उन लोगों को अधिक पेशन्स रखने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : छंगाणीजी को।

श्री हरिदेव जोशी : जोधपुर में यूनिफाईड हाई कोर्ट रहे इस पक्ष वाले और जयपुर में बैंच होने के पक्ष वाले अगर मुझे कान्फीडेन्स में नहीं लेना चाहते हैं तो मैं नहीं जानता कि आपके पक्ष का फैसला कैसे होगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सीज फायर हो जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सीज फायर तो कीजिये। आप सीजफायर घोषित ही नहीं कर रहे हैं और दुश्मन की फौजें बढ़ती चली जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

Page No. 10

श्री हरिदेव जोशी : अगर आप मेरे मन की बात जानते हैं और यह कहते हैं कि मैं इस बारे में बायस्ड हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह बाद में आने वाले हैं।

श्री हरिदेव जोशी : और मैं यह कहता हूं कि अनबायस्ड हूं और मेहरबानी करके मुझे अनबायस्ड ही रहने दें। यह ऐसा इश्यु नहीं है जिसको आप आसानी से हल करवा ले जायेंगे। लाजिक और रीजन्स से बात कीजिये और इसके इम्प्लीकेशन्स को समझने की कोशिश कीजिये। खड़े होकर यह कह दें कि यह पूर्वी राजस्थान की या पश्चिमी राजस्थान की बात है। मैं इसे गैर जिम्मेदाराना बात मानता हूं। कृपा करके हल्की फुलकी बातें नहीं करें। जन जीवन और राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपने कहा कि सीज फायर कर दिया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शान्ति सेना भेज दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं शान्ति सेना के रूप में हूं। आप स्वीकार कीजिये। मेरी राय किसी रूप में नहीं है। आप अवसर भी नहीं दें और फैसला चाहते हैं। मैं इस प्रकार का कोई फैसला नहीं देना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहीं फौजें नजर भी आयें।

(शोरगुल-व्यवधान-घण्टी)

श्री हरिदेव जोशी : मैं अध्यक्ष महोदय; प्रार्थना करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बहुत अच्छा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लूणाराम।

ग्राम आनन्दवासी-रूपलीसर विद्युत् लाइन का सर्वे

149. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चूरू जिले के ग्राम आनन्दवासी से वाया खिलेरयां रूपलीसर तक बिजली देने को विभाग द्वारा सर्वे कराई गई ? यदि हां, तो क्या सर्वे से इस लाइन को विभाग के नियमों के मुताबिक उपयुक्त पाया गया ? यदि हां तो आज तक स्वीकृति न देने का क्या कारण है तथा अब कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : जी नहीं, चूंकि सर्वेक्षण ही नहीं करवाया गया है इसलिए स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, सर्वे हो चुका है। यह जस्टीफाइड है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार करें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं बता चुका हूं, सूचना मिली है कि इन गांवों का सर्वे नहीं हुआ है।

श्री लूणाराम : दो वर्ष पहले सर्वे हुआ है। अब भी नहीं हुआ है तो अब करा लें।

श्री अध्यक्ष : अब करा लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राजेन्द्र-सिंह!

चारागाहों पर अतिक्रमण

150. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या राजस्वमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में चारागाहों पर अतिक्रमण के कितने केस गत 3 वर्ष में दर्ज हुए? तथा राज्य सरकार उसकी रोकथाम के लिए क्या काम उठा रही है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सीतापुरा, तहसील देवली, जिला टोंक में चारागाह पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) सूचना एकत्रित की जा रही है। अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, सन् 1956 के तहत बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहला प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, 26 जिलों का प्रश्न है। कितनी तहसीलें हैं, कहां कहां चारागाहों में अतिक्रमण हुए हैं। यह सारी सूचना एकत्र होनी है। अभी तक हमारे पास जो सूचना है, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। सिरोही 420, जालोर 4495, चूरू 1618, अजमेर 2485, झालावाड़ 8948, बून्दी 1603, अलवर 8824, बाड़मेर 440- 6306, भीलवाड़ा 1212, बांसवाड़ा 10248, नागौर 1774, पाली 677। बाकी चारागाहों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 26 जिलों से और गांवों से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह : गांवों से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जिलों से हो सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतने केसेज हैं, इनके फैसले कब तक करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : सेक्शन 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। नोटिस दे दिये गये हैं। डिफेंस के रूप में चल रहे हैं। किस किस स्टेज में चल रहे हैं, यह सूचना प्राप्त करने में कई वर्ष लग जायेंगे।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह रिकार्ड तहसील में नहीं है?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य समझते हैं कि राजस्थान में कितनी तहसीलें हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतना ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने लम्बी लिस्ट दी है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार क्या तरीका रखना चाहती है लगातार अतिक्रमण होते जा रहे हैं। लोगों में यह भावना होती जायेगी कि अतिक्रमण करते जाओ और पंचवर्षीय योजना की तरह से उनका निपटारा होता जायेगा।

श्री केदारनाथ : क्या सरकार यह नहीं कर सकती है कि किसी व्यक्ति को एलॉटमैंट नहीं किया जायेगा। लीगलाइज नहीं किया जायेगा।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, चारागाहों में अतिक्रमण हुये हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (श्रीलूणाराम से) प्रोफेसर केदार बोल रहे हैं।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि चारागाहों की जमीन का सरकार अलॉटमैन्ट करती है। इसलिए यह आश्वासन मिलना चाहिए कि इस प्रकार की जमीन का अतिक्रमण किया जायेगा तो उसको रेग्युलराइज नहीं किया जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद : अगर कोई चारागाह इस किस्म का ज्यादा है, तो उसका अलॉटमैन्ट हो सकता है। लेकिन जहां चारागाह ऐसे नहीं हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां अतिक्रमण हुआ है, वहां उन पर सैक्शन 91 में कार्यवाही की जायेगी। सैक्शन 2 में जो पूछा गया है, उसमें अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण किया गया है, वह हटाया गया है। दो तीन झोपड़ियां बन गई हैं। उनको नोटिस दिया गया है। यह कार्यवाही चल रही है।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : अध्यक्ष महोदय, जनता के हित में चारागाहों के बारे में सरकार कोई निश्चयात्मक कदम उठाये। चारागाहों को दिनो दिन छोटा किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार आते हैं, सदन में।

श्री मूलचन्द सामरिया : किसी मिनिस्टर के रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं कि उत्तर दे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बोलने वालों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गिरधारी लाल भार्गव !

दिगम्बर जैन मन्दिर, जयपुर का रजिस्ट्रेशन

151. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक दिगम्बर जैन मन्दिर बगरूवालान, स्टेशन रोड, जयपुर का रजिस्ट्रेशन मय इसके धर्मस्व के राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धाराओं के तहत किया जा चुका है? यदि नहीं, तो इसके रजिस्ट्रेशन में विलम्ब क्यों किया जा रहा है। जबकि इस मन्दिर एवं धर्मस्व का मूल्यांकन पचास लाख रुपये से भी ज्यादा है?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिए तुरन्त अन्तरिम व्यवस्था अमल में लेने की इच्छा रखती है जिससे इस सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा हो सके?

वित्तमंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं। इस केस में कई कानूनी अर्जियां बार-बार दोनों पार्टी की ओर से उठाई जाती रही हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही अभी तक चालू है। इस केस में वर्णित सम्पत्ति कितने की है, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है ?

(2) मामले में जब नियमानुसार कार्यवाही चालू है तो राज्य की इच्छा का प्रश्न पैदा नहीं होता। सम्पत्ति की रक्षा हेतु भी नियमानुसार ही कार्यवाही सम्भव होगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप फरमा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना रोक रखा है। उसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।

श्री चन्दनमल बैद : 4-10-72 को श्री चिरंजीलाल लुहाड़िया ने दरख्वास्त पेश की है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दो महीने की अवधि आवश्यक होती है। दूसरी एक अर्जी यह है कि यह एक परिवार की प्रोपर्टी है। दोनों बातें सुनी जा रही हैं। वह अपना सबूत पेश नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने कोई क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। अगर कोई कहता है कि मन्दिर उसकी प्राईवेट प्रोपर्टी है तो वह सिविल केस दर्ज कर सकता है रजिस्ट्रेशन में आपको क्या जोर आता है। इसके लिए टाइम फिक्स कर सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम एक ज्यूडिसियरी संगठन है। टाइम के बारे में हम कह सकते हैं कि जल्दी निपटा दें। लेकिन जो पार्टी रजिस्ट्रेशन चाहती है, वह टाइम लेती है। तो वह क्या करे।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत जवाब है। उनकी तरफ से जो कुछ पेश किया जाना चाहिए, वह पेश किया जा चुका है। 12 महीने छानबीन करने में समय लग जायेगा। या यह कहा जाये कि यह सार्वजनिक नहीं है, मेरा है। इस पर मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कोई कागज 10 दिन में पेश कर दिये जायें तो कितने दिन में फैसला करवा देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : फैसला करना मेरे हाथ में नहीं होता है। जो अधिकारी हैं, वह फैसला करेंगे। उनके फैसले से अगर सन्तुष्ट नहीं हैं तो वह आगे अपील कर सकते हैं।

श्री फूलचन्द जैन : वह सारे कागजात स्पष्ट हैं। वह सार्वजनिक मन्दिर है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप को रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है ?

श्री चन्दनमल बैद : आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री चन्दनमल बैद : सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनसे निपट लीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : 9 अक्टूबर को दरख्वास्त दी गई है ।

श्री फूलचन्द जैन : इसीलिए यह दी गई है । जो सबूत दिया गया है । जो आयुक्त काम कर रहे हैं उसी में यह दरख्वास्त दी गई है । उसमें नहीं करना चाहते हैं । रीज़न्स स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं । आपको इसके अन्दर देखना होगा ।

श्री अध्यक्ष : मि. भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री निरंजननाथ आचार्य : (श्री भार्गव की ओर संकेत) आज तो ये बदल गये हैं।

श्री केदारनाथ : कितना पेशन्स रखा है आज इन्होंने ।

एक माननीय सदस्य : यह बनाया है, इन्होंने ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पुलिस वालों ने, एस. पी. ने आदेश दे रखा है, उस पर से कब्जा हटे । रजिस्ट्रेशन तुरन्त किया जाना चाहिए । 4 अक्टूबर, 72 को रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया । देवस्थान आयुक्त ने रजिस्ट्रेशन करने के बारे में लिखा है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, लिखा है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (श्री बैद से) जरा चेयर का ध्यान रखिये । 28-3-73, 5-9-73, 18-9-73 को आयुक्त जयपुर को रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है । उसको दबाया जा रहा है । कमिश्नर महोदय के आदेश को दबाया जा रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो आप को वैसे ही उत्तेजित होना चाहिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपसे यह नहीं चाहता हूं कि शीघ्र ही करवा दिया जायेगा, आप बतायें, कितने दिन में करवा दिया जायेगा ।

श्री चन्दनमल बैद : रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारियों को लिखा गया था कि 20 सितम्बर को फैसला कर दिया जाये । जैसी सूचना दी गई है, जिन्होंने दरखास्त दी वह बार-बार एडजोर्नमेन्ट लेते रहे हैं ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यह बिल्कुल गलत है ।

श्री चन्दनमल बैद : आपको अधिकार है कि गलत के लिए कहें । मुझे यह सूचना दी गई है कि उन्होंने दरखास्त दी है कि एडजोर्न दिया जाये । यह दरखास्त दी गई है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है किसी दूसरे को यह ट्रांसफर किया जाये । जुडिसियरी के बारे में हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसले किये जायें । यह तो जुडिसियरी के प्रोसीजर की बात है । जिसे सन्तोष नहीं हो वह अपील में जा सकता है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने यह डेट बताई और मन्त्री महोदय ने जो आदेश बताया कि मन्त्री महोदय ने

(गिरधारीलाल भार्गव)

सहायक कमिशनर को लिखा है रजिस्ट्रेशन करने के लिये, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, सहायक कमिश्नर उस आदमी से मिला हुआ है। यह जैन मन्दिर की सम्पत्ति है लेकिन उस आदमी ने उस पर कब्जा कर रखा है और उसका सहायक कमिश्नर पर प्रभाव है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैन सम्प्रदाय की वह सम्पत्ति है, उसको आप रजिस्टर कर दें। जैन सम्प्रदाय ही उसका मालिक है और यह बहुत आवश्यक है कि उन्हीं के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। जिस आदमी ने कब्जा कर रखा है, उससे पुलिस भी मिली हुई है।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं, उनकी जांच कर ली जायेगी और कानून की व्यवस्था के अन्तर्गत जो कुछ भी कार्यवाही सम्भव है वह की जायेगी।

प्रश्न संख्या 152

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भगराज !

ग्राम धानोल में कृषि भूमि का अलॉटमैंट

153. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की भीनमाल तहसील के गांव धानोल के खसरा नम्बर 590 किस्म भूमि ओरण में करीब 2 वर्ष पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ कुछ व्यक्तियों को अलॉट की गई थी ?

(2) यदि हां, तो यह अलॉटमैंट किसके द्वारा किया गया ? क्या यह अलॉटमैंट नियम के विरुद्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अलॉटमैंट को शीघ्र निरस्त करने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) दिनांक 10-9-71 को भीनमाल के ग्राम धानोल में खसरा नम्बर 590 गैर मुमकिन गोचर को किस्म बारानी अव्वल परिवर्तन कर सात भूमिहीन काश्तकारों को 80 बीघा भूमि आवंटित की गई थी।

(2) यह आवंटन श्री नरेन्द्रसिंह, भूतपूर्व तहसीलदार द्वारा किया गया था। कलेक्टर की जांच से आवंटन नियम विरुद्ध नहीं पाया गया।

श्री भगराज चौधरी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो भूमि अलॉट की गई है वह कृषि प्रयोजनार्थ भूमि देने के जो रूल्स बने हुए हैं उसके तहत अलॉट की गई है, या उन नियमों की पालना नहीं करके तहसीलदार ने अपनी स्वयं की इच्छा से कर दी है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह अलॉटमैंट नियमानुसार है या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : कलेक्टर ने इसको नियमानुसार पाया है। उनके सामने जब यह केस गया तो उन्होंने इसे नियमानुसार पाया।

श्री भगराज चौधरी : कृषि प्रयोजनार्थ अलॉटमैंट के जो नियम 1957 में बने और अब 1070 में अमेंड किये गये, उन नियमों के अन्तर्गत अलॉटमैंट किया गया है तथा एडवाईजरी कमेटी की परामर्श से किया गया है या तहसीलदार ने अपनी मर्जी से कर दिया ?

श्री चन्दनमल बंद : यह तो मैं कह चुका हूं कि तहसीलदार ने किया, उसके बाद जब शिकायत हुई तो कलेक्टर को हमने लिखा और उन्होंने यह पाया कि अलॉटमैंट नियमों के विरुद्ध नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका अलॉटमैंट हो ही नहीं सकता। यह गोचर भूमि है।

श्री चन्दनमल बंद : गोचर के लिए जो सिद्धांत है, वह यह है कि एक कैटल के पीछे आधा बीघा जमीन होना चाहिए। इस गांव में 1200 कैटल है, उस हिसाब से जमीन छोड़कर बाकी 150 बीघा जमीन को कन्वर्ट करके 80 बीघा इस आदमी को अलॉट कर दिया गया। जब हमारे पास शिकायत आई तो हमने कलेक्टर को लिखा और कलेक्टर ने भी लिखा है कि यह अलाटमैन्ट नियमानुसार है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कलेक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें इस बात का उल्लेख है क्या कि अलॉटमैंट जो हुआ है, वह अलॉटमैंट के जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार है ? यह आप देख लीजिये।

श्री चन्दनमल बंद : कलेक्टर की रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भगराज चौधरी : दिस इज माई क्वेश्चन। मेरा निवेदन यह है कि यह जमीन गांव के तरफ की है और दूसरे आदमी ने तहसीलदार से मिलकर कन्वर्शन करा ली। यह जमीन खाली होनी चाहिये थी गांव के लिये स्कूल के लिये अथवा अन्य किसी कार्य के लिये। प्रश्न यह है कि यह अलॉटमैंट, अलॉटमैंट कमेटी की राय से नहीं किया गया, और इसके अलॉटमैंट के पावर्स न तो तहसीलदार को हैं न कलेक्टर को हैं। Tehsildar can make the allotment with the concurrence of the Allotment Committee. If he has not done so with the concurrence of the Allotment Committee, and done it *suo moto*, then it is wrong.

श्री अध्यक्ष : मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

(कई सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इस बात का जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय इसका जवाब दे चुके हैं। श्री जनार्दनसिंह गहलोत (श्री रघुनाथ बिश्नोई, श्री भगराज चौधरी, श्री पी. के. चौधरी व अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य, शोरगुल) माननीय सदस्य कृपया एक साथ न बोलें। स्थान ग्रहण करें। मैंने नेक्स्ट प्रश्न ले लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेन्ट है। यह एक रिलीजियस मामला है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जांच करायी जानी चाहिये। कलेक्टर खुद उसमें इनवोल्व्ड है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सारे गांव का मामला है। इसमें जांच की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप कई बार कह चुके हैं और कितनी बार कहेंगे।

श्री भगराज चौधरी : What grieves me is that I have not been given the benefit of hearing.

यह मेरा प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार क्यों कहे जा रहे हैं मंत्री महोदय को जवाब देना था वह दे चुके हैं।

श्री भगराज चौधरी : I want a commitment from the Government that if this allotment is illegal, then it should be cancelled.

(एक माननीय सदस्य के श्री भगराज चौधरी के साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। Please let him speak.

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि 150 बीघा जमीन थी और वह कुछ ही व्यक्तियों में अलॉट की गयी और उसका अगर हिसाब लगावें तो प्रति व्यक्ति बीस बीघा से ज्यादा जमीन उनको अलॉट होती है और क्या यह नियम विरुद्ध अलॉटमैन्ट किये गये थे ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने पहले ही कह दिया कि 150 नहीं सिर्फ 80 बीघा जमीन को ही अलॉट की गयी थी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की जानी चाहिये और इसके लिये दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को जांच कराने में दिक्कत क्या है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। सामान्य प्रशासन मंत्री!

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : प्रश्न संख्या 154।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय गवर्नमैंट जवाब दे रही है।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : I have closed the question.

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा है। और बहुत जरूरी प्रश्न है।

Page No. 18

श्री अध्यक्ष : I am sorry. I have closed the question.

श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्वेश्चन नम्बर वन फाइव फोर ......

(कई सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। Please take your seat.

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं ? वह जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं ?

श्री भगराज चौधरी : It is Government's fault.

श्री अध्यक्ष : I have closed the question. Please take your seat.

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अगर मन्त्री महोदय जांच कराने को तैयार हो जायें तो क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। I have closed the question.

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो मान लिया कि आपने क्वेश्चन को क्लोज कर दिया है लेकिन......

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। जब अध्यक्ष महोदय ने एक बार कह दिया कि मैंने क्वेश्चन को क्लोज कर दिया है तो आप लोगों को स्थान ग्रहण कर लेना चाहिये। यह तो कोई तरीका नहीं है। This is not the way. आप इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। और इस तरह से आप इसे सदन में रेज कर सकते हैं और भी वैधानिक तरीके हैं। जब चेयर से बार बार आदेश यह हो रहे हैं कि मैटर हैज बीन क्लोज्ड और जब चेयर ने एक बार डिसीजन ले लिया तो यह फाइनल है। चाहे इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, मेरा यही निवेदन है कि आप लोगों को चेयर के आदेशों की पालना करनी चाहिये। एक ही प्रश्न पर बार-बार एक ही बात को दोहराना उचित नहीं है जबकि चेयर ने डिसीजन ले लिया है। आप इसके लिये दूसरे तरीके काम में लीजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : प्रश्न संख्या 154।

जयपुर में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था

154. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर) : क्या मन्त्री, सामान्य प्रशासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में 1963 में राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये

Page No. 19

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
कितने कितने सरकारी क्वार्टर्स थे ? तथा 1972 तक इन क्वार्टर्स की संख्या कितनी कितनी थी ?

(2) क्या यह सही है कि गत 10 वर्षों की अवधि में राज्य कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या में कई गुणा वृद्धि होने के साथ साथ अनेक नये विभागों की स्थापना भी हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त वृद्धि के अनुपात में क्वार्टर्स का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो राज्य कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में सरकारी क्वार्टर्स की संख्या में प्रतिशत क्या वृद्धि सम्भव हो सकी है ?

(3) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकारी क्वार्टर्स मांग के अनुसार उपलब्ध करा सकेगी ।

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) (सामान्य प्रशासन मन्त्री की ओर से) : (1) जयपुर में सन् 1963 में राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये कुल 871 क्वार्टर्स । ये 732 केटेगराइज्ड और 139 नोन केटेगराइज्ड थे । सन् 1972 में इन क्वार्टर्स व बंगलों की संख्या 1017 हो गई जिसमें 878 केटेगराइज्ड और 139 नोन केटेगराइज्ड थे ।

(2) जी हां, धनाभाव एवं राज्य की विषम आर्थिक स्थिति के कारण राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा में वृद्धि के अनुपात में क्वार्टर्स का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं था ।

(3) जी नहीं । राज्य सरकार फिर भी अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को क्वार्टर्स आवंटित करने के लिए प्रयत्नशील रहती है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, 1963 से 1972 तक कई नये डिपार्टमैंट बने थे और कई राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति नयी इसमें हुई है । जहां कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई वहां अभी तक उनके अनुपात में राज्य सरकार ने नये मकानात नहीं बनाये । इससे आज स्थिति यह है कि छोटे छोटे कर्मचारी चाहे वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों, चाहे एल. डी. सी. हों, चाहे यू. डी. सी. हों, उनको आज रहने को मकान नहीं हैं, और बहुत ही तकलीफ है । क्या राज्य सरकार यह बता सकती है कि आज कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी जयपुर में हैं जिन्हें मकान नहीं मिले हैं और वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, बड़ी ही दयनीय स्थिति है आज कर्मचारियों की और खास तौर से उन छोटे कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति सन् 1962 के बाद हुई है । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार छोटे कर्मचारियों को बनाकर क्वार्टर्स नहीं दे रही है जिससे यह नीचे का तबका बहुत ही परेशान है । आज बड़े बड़े ऑफिसर्स बंगले लिये हुए बैठे हैं और राज्य के मन्त्री महोदय छोटे छोटे बंगलों में बैठे हैं । लेकिन राज्य सरकार पिछले दस बारह साल से

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
छोटे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर्स बना कर नहीं दे रही है । तो मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि क्या वह अभी इन छोटे कर्मचारियों को मकान बना कर देने की कोई व्यवस्था कर रही है । क्या राज्य सरकार उनके लिए क्वार्टर्स की उचित व्यवस्था करने जा रही है। आज स्थिति यह है कि यू. आई. टी. मकान बनाने की स्थिति में नहीं है तो इसके लिए राज्य सरकार छोटे तबके के कर्मचारियों के लिए नये क्वार्टर्स बना कर उन्हें क्यों नहीं दे रही है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि क्या राज्य सरकार जो क्वार्टर्स बने हुए हैं और जो नये क्वार्टर्स बनायेगी उसके लिए उन कर्मचारियों को उन क्वार्टर्स को हायर परचेज पर देने की व्यवस्था रखेगी ? क्या सरकार का उन्हें हायर परचेज पर उन क्वार्टर्स को देने का विचार है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने पहले अपने जवाब में बता दिया कि राज्य सरकार नये मकान बनाने की स्थिति में नहीं है । इतना जरूर है कि राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड जो मकान बना रही है उसके अन्दर राज्य कर्मचारियों को सहुलियत दे रही है जिसमें वह चाहे तो अपना मकान बनाने के लिए नाम दर्ज कर लें । इसमें वह चाहें तो लो-इन-कम-हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत या मध्यम श्रेणी की जो स्कीम हैं उसके अन्दर नाम दर्ज करा सकते हैं । इसके अलावा एल. आई. सी. से भी लोन वगैराह लेकर वह मकान बना सकते हैं । लेकिन राज्य सरकार हायर परचेज पर कोई मकान बनाकर नहीं दे रही है और न ही सरकार का कोई ऐसा इरादा है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के पार्ट तीन में मैंने पूछा है कि क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकारी क्वार्टर्स मांग के अनुसार उपलब्ध करा सकेगी या नहीं । इसके बारे में पूछ रहा हूं कि क्या राज्य सरकार ने सन् 62 से 72 के बीच में कोई मकान नये बनाये या नहीं या क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि वह नोन प्लान के अन्तर्गत कोई सरकारी क्वार्टर्स उनके लिए बना रही है या नहीं ऐसी कोई योजना है कि नहीं यह मेरा प्रश्न है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सीधा सा प्रश्न है कि जो क्वार्टर्स बने हुए हैं आप उनकी रंग सफेदी, मरम्मत तक नहीं करा सकते । ऐसी स्थिति में आप उनको सरकारी कर्मचारी को हायर परचेज के आधार पर क्षेत्र क्यों नहीं देते । अगर वह रिटायर होता है अथवा ट्रान्सफर होकर उसकी जगह दूसरा आता है तो उसके लिये दूसरा क्वार्टर बना कर दे दे और वह भी उसी हायर परचेज के आधार पर देते जायं । इससे हाउसिंग की समस्या भी हल हो जावेगी । आप ऐसा क्यों नहीं करते ? अपनी जिम्मेदारी नगर विकास न्यास पर या हाउसिंग बोर्ड पर डालना उचित नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : सरकार का हायर परचेज पर देने का कोई इरादा नहीं है ।

(श्री हरिदेव जोशी)
नये मकान बनाने में जितनी गुंजाइश हो सकेगी, बनाये जावेंगे।

नाहर मगरा वन क्षेत्र की भूमि

155. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील मावली के अधिकार क्षेत्र में स्थित नाहर मगरा के वन क्षेत्र में से 200 बीघा से अधिक जमीन कृषि भूमि में परिवर्तित करने तथा राजस्व विभाग को सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार अथवा तहसील भूमि आवंटन समिति ने कलेक्टर, उदयपुर को अपनी सिफारिश भेजी ? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या प्रगति हुई ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : सरकार ने उस भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना उचित नहीं समझा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या सरकार नये नेतृत्व के कारण अथवा बदली परिस्थितियों के कारणों के सन्दर्भ में इस पर पुनर्विचार कर सकती है। हाई कोर्ट के मसले को जैसे आपने ओपन रक्खा तो इसको भी फिलहाल ओपन रख दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : अगर पंचायत समिति फिर प्रस्ताव भेजेगी तो उस पर सरकार फिर विचार कर सकती है। जिला स्तरीय समिति भी उसके आधार पर फिर निर्णय कर सकती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह उत्तर पहले प्राप्त हुआ था नई मन्त्री परिषद् के बनने के या बाद में ?

श्री चन्दनमल बैद : यह उत्तर मैं आज दे रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई है लेकिन यहां आपके अधिक उत्पादन का प्रश्न है। आप ज्यादा उत्पादन की ओर दृष्टि डालें। मेरा खयाल है फोरेस्ट मिनिस्टर साहब को भी इससे अवगत किया गया था। इसलिये मैं इसका कोई उत्तर नहीं चाहता। हां, आपको सुझाव देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप मौन हो जावें, उत्तर न दें। फोरेस्ट मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : तो आप भी मौन हो जावें और मैं भी मौन हो जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : दोनों के मौन होने पर फिर प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : फिर प्रश्न ही क्यों पूछा गया ? जरूरत क्या थी ?

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

करौली उप जिले में वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कें

147. श्री बृजेन्द्रपाल सिंह (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गत वर्ष की भीषण वर्षा से करौली उप-जिले की सारी

(श्री बृजेन्द्रपाल सिंह)
सड़कें जो खराब हो गई थीं, उनकी मरम्मत का कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ ?

उत्तर

गत वर्ष वर्षा से खराब हुई करौली उप जिले की सड़कों की उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत कराई है और कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

152. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर संभाग 1, भवन एवं पथ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के वर्कचार्ज लेबर में कुछ ऐसे जमादार, बेलदार हैं जो सरकारी ड्यूटी पर शराब पीकर आते हैं तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वर्कचार्ज लेबर के साथ गालीगलोच एवं हाथापाई करते हैं एवं उनको जान से मारने की धमकी देते रहते हैं तथा गत महीने में अनेक बार इन शराबी वर्कचार्ज लेबर ने अन्य वर्कचार्ज लेबर को काम पर जाने से रोका है एवं उनके साथ हाथापाई की है? यदि हां, तो क्या इस तरह की शिकायतें समय-समय पर अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

(2) उक्त व्यक्ति कौन कौन हैं, कहां-कहां पर नियुक्त हैं, तथा उन्होंने कब कब कितने वर्कचार्ज लेबर को काम पर नहीं जाने दिया तथा उससे सरकार को बिना काम किये ही इस प्रकार रोके गये वर्कचार्ज को कितना कितना पगार के रूप में भुगतान करना पड़ा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिशाषी अभियन्ता को उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें विधान सभा में समाजवादी दल के नेता प्रो. केदारनाथ ने की थी? यदि हां, तो कब तथा किस किसके विरुद्ध और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि इस शराबी तबके को अधीक्षण अभियन्ता का प्रोत्साहन प्राप्त है तथा समय समय पर इनसे इस तबके को आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवाने को तैयार है?

उत्तर

(1) विभाग की जानकारी में एक जमादार है। जांच की जा रही है।

(2) श्री गणेश जमादार है, जो नगर उपखण्ड एक में नियुक्त है। लेबर को काम से रोकने की शिकायत इस विभाग की जानकारी में नहीं हैं।

(3) केवल एक जमादार की शिकायत प्रो. केदारनाथ विधायक द्वारा टेलीफोन पर प्राप्त हुई थी, जांच की जा रही है।

(4) यह सत्य नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में औषधालय

109. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बाड़मेर जिले में कितने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? श्रेणी वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

48 (अडतालीस) की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिए)

सहकारी समितियों की ऑडिट रिपोर्ट

110. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ की कौन कौन सी सहकारी समितियों में ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कितना कितना गबन हुआ है और कब कब ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त गबन वाली समितियों में जिन लोगों ने गबन किया है वे ही अब भी कार्य कर रहे हैं ? इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं की गई, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ की जिन सहकारी समितियों में ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन होना पाया गया है, की विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गबन का आरोप सही पाया, समितियों में किसी पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं। जिन मामलों में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ऐसी 20 सहकारी समितियों में 30 व्यक्ति अब भी कार्य कर रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली द्वारा दिया गया ऋण

111. श्री सुखलाल सेंणचा (जैतारण) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील के ग्राम सबलपुरा, विरॉटिया कल्ला व रायपुर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पूर्व में कितना कितना एवं कब कब ऋण पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिया गया व उक्त समितियों से कब कब वसूली हुई ?

(2) उक्त समितियों द्वारा अन्तिम ऋण कब जमा कराया गया और नवीन कर्जा किस तारीख को दिया गया तथा साख सीमा-पत्र आदि बैंक में कब प्राप्त हुए ?

(श्री सुखलाल संखाचा)

(3) क्या उक्त समितियों के भूमि विवरण रजिस्टरों पर पटवारी हल्का से सदस्यों की जमीन बाबत कोई प्रमाण-पत्र लिए गए थे ?

(4) सबलपुरा समिति किस सहायक निरीक्षक के क्षेत्र में आती है ?

(5) इस समिति की साख सीमा व माग पत्रादि किस सहायक निरीक्षक द्वारा बनाये गए व ऋण वितरण कराए गए ?

(6) क्या यह सही है कि श्री भंवरसिंह, सहायक निरीक्षक ग्राम गुड़िया का रहने वाला है जो सबलपुरा पंचायत क्षेत्र में आता है व वहीं पर नियुक्त है ?

(7) क्या इस निरीक्षक ने अपने पद का अनुचित उपयोग कर करीबन 93,000) (तिराणवें हजार रुपये) वितरण कराये ?

(8) क्या इस समिति में समिति के कार्य क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भी ऋण वितरण किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार सहायक निरीक्षक श्री भंवरसिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(9) उक्त 93 000) रुपयों में से सबलपुरा व गुड़िया ग्रामों के सदस्यों में कितना कितना ऋण वितरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(10) क्या यह सही है कि जिन सदस्यों को ऋण दिया गया उनसे कर्जा बांटते समय हिस्सा राशि वसूल की गई ?

(11) क्या यह सही है कि जो सदस्य बाहर गए हुए थे उनके नाम से ऋण वितरण किया गया एवं उनके ऋण पत्र व बोण्ड फर्जी भरे गये ? कृपया जांच कर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(12) क्या यह भी सही है कि उक्त ऋण श्री भंवरसिंह, सहायक निरीक्षक द्वारा जो इसी ग्राम के रहने वाले हैं, राजनैतिक आधार पर वितरित किया गया है ?

(स्थगित किया गया)

नायब तहसीलदार बकानी को रजिस्ट्रेशन के अधिकार

112. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार बकानी (जिला झालावाड़) ने रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिये जाने हेतु निवेदन किया था और इस पर गत सत्र में मंत्री महोदय ने शीघ्र ही व्यवस्था किये जाने का आश्वासन भी दिया था किन्तु आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसका क्या कारण है ?

(2) अब नायब तहसीलदार को कब तक रजिस्ट्रेशन के अधिकार दिये जायेंगे क्योंकि वहां की जनता को रजिस्ट्रेशन कराने हेतु 30-40 मील से आना पड़ता है और खर्चा काफी होता है ?

उत्तर

(1) जी हां। नायब तहसीलदार बकानी को रजिस्ट्रेशन के अधिकार दिये

(राजस्व मंत्री)

जाने का मामला वित्त विभाग के विचाराधीन है। पिछले सत्र में मामला विचाराधीन होना ही बताया गया था। कुछ सूचना प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण अब तक निर्णय नहीं लिया जा सका है।

(2) किसी अधिकारी को रजिस्ट्रेशन के अधिकार देने में वित्त विभाग ही सक्षम है। बकानी का मामला उनके विचाराधीन है और वे शीघ्र निर्णय लेने के लिये प्रयत्न शील हैं।

बकानी के तालाब का सर्वे

113. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोजान, पंचायत समिति बकानी (जिला झालावाड़) के तालाब की दुबारा सर्वे की जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त तालाब के बांधने की स्वीकृति पहले हो चुकी थी परन्तु इससे केवल 150 बीघा जमीन ही सिंचित होने वाली थी जो ग्रामवासियों के मना करने व इस तालाब को बड़ा बनाने हेतु विभाग में लिखा पढ़ी की गई ?

(3) क्या तालाब को बड़ा बना दिये जाने पर पांच सात ग्रामों की काफी जमीन सिंचित की जा सकती है ? यदि हां, तो योजना हाथ में कब ली जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बनाये गये तखमीने के अनुसार सिंचाई क्षमता 48 एकड़ है और बड़ा बनाने पर 30 एकड़ अतिरिक्त भूमि डूब में आने के बाद केवल 50 एकड़ ही अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सम्भव हो सकेगी। इसलिए तकनीकी दृष्टि से यह बांध बड़ा नहीं बनाया जा सकता।

(2) योजना को बड़ी बनाने के सम्बन्ध में तकनीकी जांच कराई गई जिससे मालूम हुआ कि बांध को बड़ा बनाने में करीब 30 एकड़ भूमि अतिरिक्त अवाप्त करनी पड़ेगी, जो बहुत अधिक है। जबकि इससे अतिरिक्त सिंचाई केवल 50 एकड़ ही होगी।

(3) जी नहीं। क्योंकि बांध को बड़ा बनाने पर 30 एकड़ अतिरिक्त भूमि डूब में आती है जिसके कारण बांध बनाने से लाभ कम ही होता है।

बैराठ तहसील के बांधों का सर्वे

114. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा तहसील बैराठ में बांध निर्माण कार्यों के सर्वे हेतु आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो कब ? इन आदेशों के तहत क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक होने की संभावना है ?

(2) क्या सरकार बांध निर्माण कार्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस बांध के निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

(3) क्या यह सही है कि ग्राम (1) पगदो, (2) राडावास, (3) दांतोड़ी का बांध, (4) छापड़ा, (5) सूरपुरा, (6) देवीपुरा, (7) बहड़ोदा में बांध निर्माण कार्यों हेतु काफी समय से प्रार्थना-पत्र पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम राड़ावास, अमरसर, नायन, घानौता, लुहाकना के गाइड बांध निर्माण के प्रस्ताव विभाग में पेंडिंग हैं ? क्या सरकार इन ग्रामों की आबादी की रक्षार्थ इन गाइड बांधों के बंधवाने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि टंकू बांध आमलोदा एवं पाछूडाला बांध निश्चित अवधि में पूरे नहीं किये गए हैं ? यदि हां, तो अब कब तक पूर्ण किये जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, फरवरी, 1973 एवं अप्रेल, 1973 में आदेश दिये गये। इसके तहत सर्वे कर कुछ के तखमीने बनाये गये और कुछ कार्यों को अकाल राहत एवं ग्रामीण रोजगार योजना के मद में शुरू भी किये गये व उनमें से कुछ पूरे भी कर लिए गये। जिनकी सूची 'क' संलग्न है।

(2) सर्वे कराने के बाद तखमीना बनाया जावेगा और अगर वह तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाया गया तो स्वीकृति करने एवं आवश्यक धन राशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(3) इस बारे में सूची 'ख' संलग्न है।

(4) इस बारे में सूची 'ग' संलग्न है।

(5) जी हां, टंकू बांध का कार्य अगली बरसात से पहले व पांचू डोला बांध का कार्य 1975 की बरसात तक पूरा किया जा सकेगा यदि आवश्यक धन राशि इन कार्यों को मिलती रहेगी। आमलोदा नाम का कोई सिंचाई कार्य नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

ग्राम नाहरगढ़ एवं सन्तोष सागर की कृषि भूमि

115. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर, तहसील जयपुर, ग्राम नाहरगढ़ के खसरा नं. 21 2/3, 214/1 व ग्राम सन्तोष सागर के खसरा नम्बर 41, 42, 43 व 44 की कृषि भूमि का नामान्तरकरण श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति के हक में तस्दीक करते समय समिति की ओर से कोई अन्डरटेकिंग ली गई थी ? यदि हां, तो क्या ? अन्डरटेकिंग के मूल पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

(2) क्या जिलाधीश, जयपुर के आदेश दिनांक 5-3-69 में गृह निर्माण सहकारी समितियों के हक में कोई नामान्तरकरण तस्दीक न करने के आदेश में यह प्रावधान था कि यदि कृषि भूमि का नामान्तरकरण गृह निर्माण सहकारी समिति के हक में तस्दीक किया जाये तो अन्डरटेकिंग ले ली जाये ?

(श्री केदारनाथ)

(3) यदि जिलाधीश के आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था तो जिस अधिकारी ने यह अनियमितता की उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और क्या उक्त अनियमित नामान्तरकरण को रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त खसरा नम्बरान जिनको अकृषि कार्य में नहीं लेने की अन्डरटेकिंग दी गई थी वे कृषि कार्य में ही आ रहे हैं अथवा इस कृषि भूमि पर मकान बना लिये गये ? यदि हां, तो अन्डरटेकिंग देने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

लालसोट तहसील की भूमि

116. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है जयपुर जिले की लालसोट तहसील के दक्षिणी सागर, बिनौरी सागर व मोरेल सागर में स्थानीय किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि पानी के भराव के अन्दर आ गई थी और उसमें से कुछ किसानों को उक्त जमीन के गैर खातेदारी हक सरकार द्वारा दे दिये थे, किन्तु शेष किसानों को आज तक न तो गैर खातेदारी हक दिये हैं और न कोई भूमि ही दी गई है।

(ख) क्या यह सही है कि किसानों पर उक्त जमीन की पन्द्रह गुना पैनल्टी आदि के हजारों रुपये लगा दिये है जिनकी वसूली किसानों से जबरन की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या राज्य सरकार किसानों पर लगाई गई पैनल्टी माफ कर अन्य किसानों की भांति इन्हें भी भूमि का गैर खातेदारी हक देगी ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट के अनुसार बन्ध दक्षिणी सागर के पेटे में 365 बीघा 11 बिस्वा भूमि तथा बन्ध बिनौरी सागर के पेटे में 393 बीघा 19 बिस्वा भूमि कुल 759 बीघा 10 बिस्वा भूमि है जो प्रति वर्ष काश्त होती है। इसमें से 28 काश्तकारों को 503 बीघा 18 बिस्वा भूमि के गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं। बाकी 17 काश्तकारों के कब्जे काश्त में 240 बीघा भूमि है। चूंकि इन काश्तकारों का कब्जा काश्त सन् 58 से नहीं है इसलिए इन्हें गैर खातेदारी देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। बाकी 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि काबिल काश्त नहीं है।

(ख) बन्ध मोरेल सागर में 10 ग्रामों में 150 काश्तकारों की 3909 बीघा भूमि बन्ध की डूब में आई है। इसमें से यदा-कदा भूमि खाली होने पर खातेदारान द्वारा काश्त की जाती है। बन्ध मोरेल सागर में पेटा बन्ध का कोई रकबा नहीं है, न किसी को गैर खातेदारी हक प्रदान किये गये हैं।

दक्षिणी सागर व बिनौरी सागर में समय 2 पर किये गये अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश होने पर नियमानुसार पैनेल्टी

Page No. 28

(राजस्व मंत्री)
कायम की गई। जिसकी वसूली हेतु कार्यवाही की जाती है।

(ग) राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

भूमि सुधारों की देख-रेख हेतु हाई पावर कमेटी का गठन

117. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भूमि सुधारों की देख रेख करने के लिए सन् 1970 में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था ? यदि हां, तो उक्त कमेटी के कौन-कौन सदस्य थे ?

(2) उक्त कमेटी की कितनी-कितनी बैठकें कब-कब हुई और उनमें क्या निर्णय लिये गये ? सभी बैठकों की कार्यवाही का विवरण देते हुए जानकारी देने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी की बैठक 26 अक्टूबर, 1970 को हुई थी जिसमें राज्य सरकार की ओर से भूमि सीलिंग सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो कितनी एकड़ सरप्लस भूमि उपलब्ध होने के आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे और कितने खातेदार प्रभावित होना बताया गया था ? उक्त कमेटी की बैठक को कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार ने राज्य कृषि भूमि पर सीलिंग लगाने के लिये जो बिल सन् 1973 में सदन में प्रस्तुत किया और जो राजस्थान विधान सभा द्वारा पास किया उसके द्वारा कितनी जमीन उपलब्ध हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कमेटी के निम्न सदस्य थे:—

1.	मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	राजस्व मंत्री	सदस्य
3.	उपनिवेशन मंत्री	सदस्य
4.	उप राजस्व मंत्री	सदस्य
5.	श्री रघुनाथ बिश्नोई, विधायक	सदस्य
6.	श्री शंकरलाल (जैतारण), विधायक	सदस्य
7.	श्री यशवंतसिंह नाहर, विधायक	सदस्य
8.	श्री शिवनाथ सिंह, विधायक	सदस्य
9.	श्री जयनारायण लखाड़िया, विधायक	सदस्य
10.	श्री रामानन्द अग्रवाल, विधायक	सदस्य
11.	श्री रामकिशन, विधायक	सदस्य
12.	श्री बद्रीप्रसाद, विधायक	सदस्य
13.	श्री कृष्णकुमार गोयल, विधायक	सदस्य
14.	श्री जयनारायण सालोदिया, विधायक	सदस्य
15.	श्री हंसराज आर्य, विधायक	सदस्य
16.	सदस्य राजस्व मंडल, अजमेर	सदस्य
17.	राजस्व सचिव	सदस्य सचिव

(2) केवल एक बैठक दिनांक 26-10-70 को हुई थी और निम्न निर्णय लिये गये:—

(राजस्व मंत्री)

(क) मुख्य मंत्री सम्मेलन जो कि दिल्ली में हुआ था उसमें भूमि सुधार सम्बधी लिये गये निर्णयों का पुनरावलोकन।

(ख) कृषि हेतु भूमि आवंटन की प्रगति।

(ग) खातेदारी अधिकार प्रदान करना।

(घ) भू-सीलिंग कानून को शीघ्रता से लागू करना।

(ङ) पास-बुकों का वितरण।

(च) अतिक्रमणों को नियमित करना।

(छ) सैटिलमैंट के सम्बन्ध में।

(3) जी हां, भूमि सीलिंग नियम के अन्तर्गत 21,12,186 एकड़ सरप्लस भूमि उपलब्ध होने के आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे और 36,624 खातेदार प्रभावित होना बताया गया था। दिनांक 26 अक्टूबर, 1970 को कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राज्य में कृषि भूमि पर सीलिंग लगाने का जो नया अध्यादेश, 1-1-73 से जारी किया गया है, उसकी धारा 13 के अन्तर्गत जब तक विवरण प्रकाशित न हो जाता तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि इस कानून से कितनी जमीन उपलब्ध होगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला गंगानगर में सिंचाई की दरें

118. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला गंगानगर में उस कृषि भूमि को, जो किसानों द्वारा सरकार से सिंचाई दर पर खरीदी हुई है, नहर का पानी कब तक दिया जायेगा ?

(ख) यदि उस भूमि को लेवल करवाया जायेगा तो उसका खर्चा कौन वहन करेगा ? क्या यह सही है कि ऐसे किसानों को, जिन्होंने नहरी रेट पर भूमि खरीद रखी है, पानी देने के लिए परेशान कर रखा है और उनसे 100 रुपये 200 रुपये प्रति व्यक्ति रिश्वत मांगी जा रही है ?

(ग) क्या सरकार कोई निश्चित नीति निर्धारित करेगी ताकि आसानी से उस भूमि को जो सरकारी नहरी रेट पर बेची गई है, नहर का पानी मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(क) ऐसी कृषि भूमि जो कि किसानों द्वारा सरकार से सिंचाई दरों पर खरीदी हुई है एवम् जिसे मौके पर पानी लग सकता है, को पानी दिया जा रहा है।

(ख) लेवल कराने का खर्चा भूमि के मालिक को वहन करना होगा। यह असत्य है कि पानी देने के लिए परेशान किया जा रहा है एवं रिश्वत मांगी जा रही है।

(ग) निश्चित नीति निर्धारित की जा चुकी है।

लालसोट अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था

119. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) पंचायत समिति के स्थानीय अस्पताल में पागल कुत्तों से काटे हुए का इलाज करवाने व इन्जेक्शन लगवाने का प्रमाणित सेन्टर नहीं है ?

(ख) क्या यह सही है कि लालसोट कस्बे के स्थानीय अस्पताल में उक्त कार्य हेतु कुशल डॉक्टर व इन्जेक्शन रखने हेतु फ्रिज मौजूद है ?

(ग) यदि हां, तो फिर प्रमाणित सेन्टर लालसोट में स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है और अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(क) जी हां ।

(ख) जी हां । कुशल डॉक्टर की नियुक्ति केवल दिनांक 23-6-73 से है ।

(ग) प्रमाणित सेन्टर स्थापित करने के लिए सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कसौली को सिफारिश करदी गई है वहां से अनुमोदन होने पर ही संभव होगा ।

ग्राम भाखरी एवं छारदड़ा को एड पोस्ट डिस्पेन्सरी

120. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यही सही है कि कोटपूतली तहसील के ग्राम भाखरी व छारदड़ा में एड पोस्ट डिस्पेन्सरी है जबकि वहां आस-पास का काफी क्षेत्र इससे लाभ उठाता है ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त एड पोस्ट डिस्पेन्सरी को पूर्ण डिस्पेन्सरी बना कर डॉक्टर की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जि हां ।

(2) जी नहीं ।

पंचायत समिति क्षेत्र लालसोट में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत सर्वे

121. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा अपनी योजना कार्यान्वित करने हेतु प्राथमिक सर्वे कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना से इस क्षेत्र में कब तक विद्युतिकरण कर लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

तहसील लालसोट के करीब 77 गांवों का प्रारम्भिक सर्वे उस क्षेत्र को ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना बनाने के लिये किया जा चुका है तथा योजना का प्रारूप तैयार हो रहा है । इस योजना के आधार पर विद्युतिकरण कब तक कर दिया जायेगा । इसके विषय में ग्रामीण विद्युति

Page No. 31

(विद्युत् मंत्री)
करण निगम की स्वीकृति एवं ऋण की प्राप्ति से पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है।

शिक्षा कर की धनराशि

122. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति टोडाभीम जिला सवाई माधोपुर) के किस किस पंचायत के सरपंच पर शिक्षा कर का रुपया काफी समय से बकाया है जिन्होंने उसका उपयोग नहीं किया है और न वापिस जमा कराया है ?

(2) क्या सरकार ऐसे सरपंचों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर उस ध राशि को वापिस जमा कर सदुपयोग करने का इरादा रखती है ?

(3) क्या इन सरपंचों को विधिवत् नोटिस आदि समय समय पर दिये जाते रहे हैं? यदि नहीं तो, इसके ाा कारण हैं और यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है और आगे कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है ?

(4) क्या सरकार ऐसे सरपंचों को जो कि नियमानुसार धन का दुरुपयोग करते रहे हैं निलम्बित करेगी ? यदि हां, तो क तक ?

(स्थगित किया गया)

काली सिंध व अरनिया नदी पर पुल

123. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में काली सिंध व अरनिया नदी पर पुल बनाये जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु कार्य अभी चालू नहीं हुए ? यदि हां, तो कार्य कब तक चालू होंगे ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर-कोटा-झालावाड़ से भोपाल तक राष्ट्रीय मार्ग की स्वीकृति दे दी गई है ? यदि हां, तो यह मार्ग जयपुर-कोटा से आगे भोपाल तक कहां कहां होकर जावेगा ?

उत्तर

(1) काली सिन्ध व अरनिया नदी (धार) पर पुल निर्माण हेतु भारत सरकार ने ऋण के प्रस्ताव स्वीकार किये हैं।

स्वीकृति निविदा विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत रटलाई के सरपंच के विरुद्ध शिकायतों की जांच

124. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यह सही है कि ग्राम पंचायत, रटलाई (जिला झालावाड़) की अनियमितताओं की जांच किए जाने हेतु गत वर्ष और तारीख 19-2-1973 को भी ए

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पंचायत की धनराशि का मुकदमेबाजी एवं अन्य प्रकार से काफी दुरुपयोग किया गया है ?

(3) अनियमितताओं की जांच कर सरपंच आदि जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार शीघ्र ही क्या कार्यवाही करेगी ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम मोहनपुरा के डाक बंगले की भूमि

125. **श्री जयकिशनलाल तोसवाड़ा (फागी)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-आगरा रोड पर 26 किलोमीटर पर ग्राम मोहनपुरा के ठीक उत्तर की ओर जो डाक बंगला बना हुआ है, उसके अन्तर्गत (23) बीघा गैर मुमकिन जमीन है ?

(2) क्या यह सही है कि डाक बंगला व अहाते की यह भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति होते हुए भी पंचायत समिति, बस्सी द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों को काश्त करने के लिए किराये पर नीलाम की जाती है ? यदि हां, तो किन आदेशों के अन्तर्गत ? आदेशों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करें ।

(3) शुरू से अब तक इस भूमि को जिन जिन व्यक्तियों को किराये पर नीलाम की गई है उनकी जानकारी निम्न तालिका में दें:—

(क) किराये पर दिये गए व्यक्ति का नाम व पता ।

(ख) अवधि जिसके लिए किराये पर दी गई ।

(ग) किराये की राशि ।

(4) क्या जब यह डाक बंगला एवं इसके अन्तर्गत भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति होने के फलस्वरूप पंचायत समिति द्वारा अनाधिकृत रूप से किराये की प्राप्त की जा रही राशि को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मद में जमा कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

करौली सब-डिवीजन में बांधों को क्षति

126. **श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1972 की भीषण वर्षा से करौली सब-डिवीजन तथा करौली पंचायत समिति के अन्तर्गत कितने कितने बांध क्षतिग्रस्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्षतिग्रस्त कितने बांधों की मरम्मत की गई और कितने बांध बाकी हैं ?

(श्री बृजेन्द्रपाल सिंह)

(3) क्या यह सही है कि इन बांधों के नहीं बनाने से उपजाऊ भूमि की बरबादी हो रही है ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त बांधों का पुनः निर्माण करवाने की व्यवस्था सरकार कब तक करेगी ?

उत्तर

(1) कुल 104 बांध क्षतिग्रस्त हुए। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सिंचाई विभाग के समस्त 14 बांधों की मरम्मत हो चुकी है। शेष की मरम्मत नहीं हुई है।

(3) जी हां। शीघ्र ही मरम्मत करवाये जाने की व्यवस्था की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायतों का वर्गीकरण

127. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों का वर्गीकरण सही ढंग से नहीं होने के कारण भिन्न भिन्न पंचायत समितियों, जिला परिषदों से प्रस्ताव एवं ऐतराज विभाग को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो जिन पंचायत समितियों, जिला परिषदों से ऐतराज आए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भिन्न भिन्न प्रस्तावों पर कब कब क्या क्या निर्णय लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब भी वर्गीकरण की दुरुस्ती करना चाहती है ? यदि हां, तो कब ?

(स्थगित किया गया)

करौली व सपोटरा रेन्ज में चराई की आज्ञा

128. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष करौली व सपोटरा रेन्ज में पन्द्रह हजार भेड़ व पांच हजार ऊंटों को चराई की आज्ञा दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि उनसे कोई चराई नहीं ली गई ?

(3) क्या यह सही है कि इतनी भारी मात्रा में जानवरों की चराई से सारा जंगल नष्ट हो गया है और उस जिले के पशुओं के लिये चारे की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है ?

(4) क्या यह सही है कि भेड़ और ऊंट बारह महीना इस इलाके में चरते हैं ?

(5) क्या सरकार इस तरह की चराई पर नियन्त्रण या प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। 24,146 भेड़ तथा 3,550 ऊंटों को चराई परमिट दिये गए थे।

Page No. 34

(वन मन्त्री)

(2) जी नहीं । चराई के 26, 273/00 रु. वसूल किए गए हैं।

(3) जी नहीं । जंगल नष्ट नहीं हुआ है । स्थानीय पशुओं के लिए चारे की भारी समस्या होने की जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(4) स्थानीय भेड़ व ऊंट वर्ष भर चरते हैं किन्तु सूखाग्रस्त क्षेत्रों के भेड़ व ऊंट कुछ समय के लिए ही इस क्षेत्र में चरते हैं।

(5) अत्यधिक चराई पर नियंत्रण की आवश्यकता तो वन सुरक्षा हेतु आवश्यक है। किन्तु राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ऊंट व भेड़ों को मार्ग में चराई की सुविधा देना आवश्यक हो जाता है।

ग्राम सेरुणा से गुजरने वाली विद्युत् लाइन

129. श्री लूणाराम : (डूंगरगढ़) क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेरुणा (चूरू) में जब से विद्युत् दी गई है 11 हजार के हाई पावर लाइन गांव के बीच में से खींची गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस लाइन से एक बार गांव में आग भी लग गई थी ? यदि हां, तो क्या इसी कारण यह लाइन कुछ ऊंची उठाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि गांव वालों की यह निरन्तर मांग है कि लाइन को गांव से बाहर डाली जाये ? यदि हां, तो यह लाइन कब तक गांव के बाहर कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गांव में आग लगने की जानकारी राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को नहीं है। 11 के. वी. लाइन को कुछ ऊंचा उठा दिया गया है जिससे कि एल. टी. लाइन उन्हीं खम्भों का उपयोग करके उसके नीचे से खींची जा सके।

(3) सरपंच ग्राम पंचायत, सेरुणा ने इस लाइन को गांव से बाहर निकालने के लिए लिखा था। 11 के. वी. लाइनें तकनीकी आवश्यकतानुसार भी विद्युत् नियम (इलैक्ट्रिकसिटी रूल्स) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बस्तियों में भी खींची जाती हैं। इन्हीं सब कारणों से विद्यमान लाइन को गांव से बाहर डालने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

(1) सर्व श्री रामनन्द अग्रवाल व योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा द्वारा सूरतगढ़ फार्म पर कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में।

(2) श्री केदारनाथ सदस्य, विधान सभा द्वारा सादूल टैक्सटाइल मिल, गंगा-

(श्री अध्यक्ष)

नगर के श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में।

(3) श्री केशरीमल तथा श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा एडवर्ड और महालक्ष्मी मिल, ब्यावर के श्रमिकों को अन्य मिलों के श्रमिकों की अपेक्षा कम वेतन मिलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, श्री गुमानमल लोढ़ा व श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पाली जिले के तखतगढ़ थानेदार की मारपीट से एक शिक्षक की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(5) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजस्थान में पंजाबी के अध्यापकों को संस्कृत के अध्यापकों के बराबर सुविधा और ग्रेड न देने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा द्वारा जयपुर नगर की बाहरी बस्तियों में डकैती, कत्ल व लूटमार की घटनाओं के सम्बन्ध में।

(7) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नगर परिषदों के चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा द्वारा दयानन्द कॉलेज, अजमेर के सामने आर्य समाज शिक्षा सभा कर्मचारी संघ द्वारा किए जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा द्वारा :

(9) राज्य के स्कूलों में पंजाबी की पढ़ाई का प्रबन्ध न होना।

(10) गंगानगर क्षेत्र के लालगढ़ शाखा पर से कुछ हरिजन भूमिहीन काश्तकारों को बेदखली।

(11) जिला गंगानगर के गजसिंहपुर पालिका क्षेत्र से कुछ हरिजनों को बेदखली।

(12) करौली की एक महिला का अपहरण।

ये विषय अस्पष्ट हैं और अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(13) ग्राम पंचायत रतेवाला के सरपंच बन्शीलाल द्वारा पंचायत समिति के ऋण से खरीदे गये सामान को निजी उपयोग में लेना।

(14) गंगानगर में खरीदे गये संकर बाजरा के बीज में ग्रिनर की बीमारी होना।

ये प्रश्न के विषय हैं और अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(15) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा द्वारा जयपुर शहर में दवाइयों की शीशी में कीड़े मकोड़े

(श्री अध्यक्ष)
आदि पड़े हुये हैं, इस विषय में। यह प्रस्ताव अस्पष्ट है और किसी घटना विशेष पर आधारित नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(16) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य, विधान सभा द्वारा रायसिंह नगर के निवासी मनीराम के एक पुत्र महावीर प्रसाद के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विषय में। यह विषय किसी हाल की घटना से सम्बन्धित नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(17) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिला गंगानगर में किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध न होने के कारण लम्बे रेशे की कपास नष्ट हो जाने तथा रबी को फसल समय पर न बोई जाना।

(18) श्री प्रतापसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा किशनगढ़ में अक्टूबर, 1973 का खाद्यान्न का वितरण न होने।

इन विषयों पर सदन में कल खाद्यान्न आदि के वितरण के सम्बन्ध में दिए जाने वाले वक्तव्य के समय चर्चा उठाई जा सकती है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(19) श्री मोहम्मद गफ्फार अली तथा श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा हिन्द महासागर में अमरिकी बेड़े की उपस्थिति से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इस विषय में यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(20) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा द्वारा भूतपूर्व मुख्य मन्त्री की ओर से जन गणना विभाग के कर्मचारियों को वापिस नौकरी में लेने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु इसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है इस विषय में। यह प्रश्न का विषय है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने चूंकि इंटर नेशनल महत्त्व का प्रश्न उठाया है। जहां तक हिन्द महा सागर में अमेरिकन जहाजी बेड़े का प्रश्न है यह प्रश्न न तो कॉन्करेन्ट लिस्ट में है और न स्टेट लिस्ट में है पर है यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का प्रश्न। इसका सम्बन्ध हमारी सुरक्षा से भी है। इन मुद्दों पर हमने यहां समय समय पर बहस की है और हमने अपने विचारों से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को अवगत कराया है। बंगला देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न आया। पाकिस्तान से हमारा संघर्ष हुआ उस वक्त भी हमने अपनी राय जाहिर की थी कि हमारी सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि बंगला देश आजाद हो। उसको आजादी मिले। इसलिए इस प्रश्न को भी हमारी सुरक्षा से सम्बन्धित मान कर हमें इसको लेना चाहिए।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव जयपुर की नगरपालिका के सम्बन्ध में है। पहले विश्वास दिलाया गया था कि चुनाव वक्त पर करा दिए जावेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले जो भ्रष्टाचार का वहां बोलबाला था वह अब भी बदस्तूर जारी है। निहायत भ्रष्टा-

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
चार की शिकायतें आज भी बनी हुई हैं। इसलिए कहूंगा कि इसका जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाय तो ही अच्छा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : तुड़वाने की कार्यवाही के लिए आप यह सब कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसी तरह से सरकार पंचायतों के चुनावों का मसला भी खटाई में डाले हुए है।

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसके अलावा मेरा स्थगन प्रस्ताव तखतगढ़ तहसील की एक घटना के बारे में है। यह गम्भीर मामला है। शिक्षक संघ वालों ने नोटिस भी दिया है।

इससे भी अहम मसला यह बन गया है लॉ आॅर्डर का कि पिछले 10-15 रोज में 3 डकैतियां और मर्डर हो चुके हैं यहां। पुलिस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। आज खतरा पैदा हो चुका है किसी भी रोज दस पन्द्रह गुण्डे मिल कर आ सकते हैं और किसी को भी लूट पाट कर भाग सकते हैं। पुलिस निष्क्रिय है। मैं समझता हूं कि यह पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी कलंक की बात है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यहां के आई. जी और डी. आई. जी. कोई इस तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में अराजकता बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। राज्य सरकार को इस तरफ तवज्जोह देनी चाहिए। दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। वैटेरिनरी डॉक्टर की पत्नी को मार डाला गया, 15 हजार रुपया लूटकर लोग ले गए। कहीं गांव वालों ने मुकाबला किया। कई जगह चोरियां और मार-पीट हुई पर पुलिस ने इन सब पर क्या कार्यवाही की यह आज तक पता नहीं है।

तो मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में तीन बातों पर चर्चा की है। इन पर सरकार अपना जवाब दे। उसकी तरफ तवज्जोह देकर उसका समाधान निकालें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल दो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। एक तो सूरतगढ़ फार्म, जिसमें पिछले 24 दिनों से हड़ताल चल रही है जिसके कारण 12 हजार एकड़ की बिजाई नहीं हो सकी। यह प्रश्न पहले भी आया था और कह दिया गया था कि राज्य सरकार का इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है और सूरतगढ़ के जो फार्म्स हैं वे सेन्ट्रल के नीचे हैं लेकिन अब जो घटनायें हुई हैं उनमें राज्य सरकार का पूरा सम्बन्ध इस प्रश्न से कायम कर दिया गया है। एक तो पिछले दिनों में कई बार पुलिस ने भयंकर लाठी चार्ज उन कर्मचारियों पर किया है जिसमें 50 के करीब घायल हुये हैं। पुलिस कर्मचारियों के घरों में पहुंच गई, केम्पों में पहुंच गई और वहां पहुंचकर बर्बर तरीके से लाठी चार्ज किया गया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

षडयन्त्र यह था कि 5 तारीख को कन्सीलियेशन होने वाला था जिसे मैंनेजमेंट नहीं होने देना चाहता था ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : और अध्यक्ष महोदय इस समझौता वार्ता में हिस्सा नहीं लें इसलिये लोकल पुलिस से सांठ गांठ करके मजदूर कॉलोनी में 30 कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और 6 एक्जीक्यूटिव मेम्बर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अध्यक्ष महोदय, यह कितना गंभीर प्रश्न बन गया है। एक तो देश में अन्न संकट और 30 हजार एकड़ में काम नहीं हो और 12 हजार एकड़ में बिजाई न हो। पुलिस बर्बर कार्य करे। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का पूरा सम्बन्ध है, क्योंकि जो समझौता वार्ता होने वाली थी, मैंनेजमैंट और कर्मचारियों के बीच, दोनों की प्रेजेन्स में होने वाली थी इसलिये राज्य सरकार का डायरेक्ट प्रश्न बनता है।

दूसरे, भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने और खुद मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न का जल्दी से जल्दी हल निकाला जायेगा। वहां का मैंनेजमैंट पुलिस को भ्रष्ट कर रहा है और भ्रष्ट तरीके अपना कर प्रशासन का इस्तेमाल कर रहा है, संकटकाल की स्थितियों में देश का नुकसान कर रहा है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, एक लड़के के अपहरण के मामले में रखा है। जो रामचन्द्र है उसको एक अक्टूबर को अपहरण किया गया। तीन आदमियों ने अपहरण किया। रामसिंह एक कसाई के घर में उस लड़के को दो दिन रखा गया और दो दिन बाद जब लड़के की हालत खराब हो गई तो नहर के पास ले जाया गया। अपहरणकर्त्ता दो कसाई और एक सरदार वहां मदिरा पिये हुये थे। लड़का किसी तरह भागकर घर चला गया और घर जाकर बेहोश हो गया। रामसिंह ने जाकर पर्चा दर्ज कराया, वहां की टोकरी बरामद की, कसाई के दरवाजे तोड़े गये। मैं सारे चित्र लाया हूं, तो अध्यक्ष महोदय, इसके बाद बजाय इसके कि सरकार तीसरा मुलजिम बरामद करती, पुलिस लड़के को लगातार बिजली के शॉक देती रही जिससे लड़के के जो वास्तविक तथ्य थे वे सब तथ्य मिट जायं। पहले वाले मैडीकल सर्टिफिकेट के बाद एक दूसरे डॉक्टर जिनका नाम सेन है उनसे लिया गया। भई किस्म का सर्टिफिकेट है जो मैं इस सदन में कहना नहीं चाहूंगा ताकि पहले वाले सर्टिफिकेट को किसी तरह समाप्त किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़े राजनैतिक लोग इस काम में हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री महोदय स्वयं दिलचस्पी ले रहे हैं। गंगानगर के चेयरमैन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अन्य बड़े बड़े लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह सरदार जो तीसरा मुलजिम है, एक बदनाम व्यक्ति है। इन सब लोगों ने मिलकर बहुत सारे लड़कों का अपहरण किया है, स्त्रियों का अपहरण किया है। उनको दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में ले जाकर लूला, लंगड़ा बनाकर बेचा जाता है। हजारों रुपयों की राशि उस डॉक्टर को दी जाती है, हजारों रुपयों क

Page No. 39

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

राशि पुलिस को दी जाती है इसलिये इस मुलजिम को बरामद नहीं किया जा रहा है।

मेरा निवेदन है इस सारे मामले की न्यायिक जांच कराई जाय। जो तीसरा मुलजिम है, उसको फौरन गिरफ्तार किया जाय और जो बड़े बड़े भू-पति इस मामले से सम्बन्धित हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाय। उनको गिरफ्तार करने से अनेक घटनायें इस सदन के सामने आयेंगी। मैं निवेदन करूंगा ये जो दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं—सूरतगढ़ फार्म वाला और लड़के के अपहरण वाला। इन दोनों के लिए मुख्य मंत्री महोदय स्टेटमैन्ट दें ताकि स्पष्टीकरण आ जाय। ये मामूली घटनाएं नहीं हैं—न सूरतगढ़ वाली मामूली घटना है और न लड़के के अपहरण सम्बन्धी मामूली घटना है और इसमें केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा बल्कि सदन के सामने सम्पूर्ण परिस्थितियां और वास्तविक स्थितियां आनी चाहिये।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव गंगानगर शहर में सादूल टेक्सटाइल मिल के बारे में है। इस मिल में पिछली 16 तारीख से तीन मजदूर हड़ताल पर हैं। मान्यवर, इस बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। 14 अक्टूबर को बोनस के बारे में हड़ताल हुई। 29 तारीख को फैसला हो गया और उसका पैसा भी मिल गया। हड़ताल की और बातों का भी फैसला हो गया। मान्यवर 10 दिनों की स्ट्राइक के दिनों में जो लोग अपने नेटिव प्लेस पर चले गये थे, उनको वापिस लेने का भी फैसला हो गया था किन्तु मैनेजमैन्ट ने जो 13-14 मजदूर वापिस आये अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिये उनको नहीं रखा। मैनेजमैन्ट ने उस सारे एग्रीमेन्ट को वायोलेट किया। मजदूरों ने हड़ताल कर दी और 18 तारीख को 10 बजे मैनेजमैन्ट के अधिकारियों ने उन्हें गेट से बाहर निकाल दिया और फायरिंग किया गया जिसमें एक रामप्यारा नाम का मजदूर, जो वहां काम करता था, उसके गोली लगी और वह घायल अवस्था में है और हॉस्पिटल में भर्ती है। अब निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, वहां का मैनेजमैन्ट हड़ताल तोड़ने में अपने गुण्डे हायर करता है और इस बारे में मशहूर है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जब मिल बनी थी तो इसमें 60 लाख का इन्वेस्टमेंट था। 30 लाख का राज्य सरकार का और 30 लाख का मैनेजमेंट का था और अब यह फैक्टरी चार करोड़ के असेसमैन्ट की बन गई है। नदर्न एरिया में इतनी अच्छी एफिशियेन्सी नहीं है। नम्बर एक क्लास में यह फैक्टरी चल रही है। मगर मैनेजमैन्ट ने बार बार तोड़ फोड़ करके मजदूरों को हड़ताल करने की दावत दी है, हड़ताल पर जाने की। मेरा निवेदन है नये मुख्य मंत्री महोदय और मैनेजमेन्ट दोनों आपस में निगोशियेशन्स करें और अपने शेयर बना कर इस मिल को अपने हाथ में लें। इससे अच्छी मिल नार्दर्न एरिया में दूसरी नहीं है। इसके बारे में नीति निर्धारित करनी चाहिये। ज्यादा न कहते हुए यही निवेदन करता हूं कल ही इस बारे में स्टेटमेन्ट दिया जाय और मुख्य मंत्री

(श्री केदारनाथ)
महोदय इन्टरवीन करके निगोशियेशन करें ताकि समझौता हो सके।

(श्री गुमानमल लोढ़ा और श्री रामनन्द अग्रवाल के एक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : पहले वह लाइन एक साथ निपटा दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ फार्म की हड़ताल के सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन करना है कि वह एक स्टेट सेक्टर फार्म है और जैसा मुझे मालूम हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट का श्रम विभाग कन्सीलियेशन करने का प्रयत्न कर रहा है। मजदूरों के प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं और कृषि फार्म के व्यवस्थापक लोग अभी तक नहीं आए हैं। वे लोग नेगोशियेशन प्रोसेस से इन्कार करते हैं और यह स्टेंड करते हैं कि जब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी तब तक हम बात चीत नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस फार्म का कोई प्राईवेट मालिक नहीं है। आज लोको की हड़ताल हुई तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बातचीत की। राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो यहां की सरकार ने भी पहले तो स्टेन्ड ऐसा लिया लेकिन बाद में बातचीत की। लेकिन आज कोई पब्लिक सेक्टर का व्यवस्थापक इस तरह का एटीट्यूड अपनाता है और मिडियेशन को कंसीव नहीं करता है तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में फिर राज्य सरकार पुलिस को इण्टरवीन करने के लिए भेजे तो यह राज्य सरकार की नीति का प्रश्न है। कल पिलानी के सम्बन्ध में भी मैंने यह निवेदन किया था और आज इस कृषि फार्म के सम्बन्ध में फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि व्यवस्थापकों का एटीट्यूड इस प्रकार का है तो यह अनुचित है। हड़ताल हो, कृषि फार्म को नुकसान हो, लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है और फिर भी कुछ कार्यवाही नहीं हो तो यह बिल्कुल अनुचित है। इसलिए गवर्नमेंन्ट ऑफ राजस्थान एक तो पुलिस फोरन विथड्रा करे और सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट से बात करके उनको मजबूर करे कि वह बात चीत में शामिल हों और मजदूरों की मांगों को मानें। अध्यक्ष महोदय, उनकी मुख्य मांग मिनिमम वेज के बारे में है। जो मिनिमम वेज गंगानगर जिले में प्राइवेट सेक्टर के अन्दर है आज कृषि फार्म वही वेज मजदूरों को नहीं देना चाहता है। प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में ज्यादा मिले यह आकांक्षा मजदूर करता है और उसकी बजाय यह स्टेण्ड लें कि उससे भी कम मिले तो यह अनुचित है।

दूसरा जो हांडा साहब ने रायसिंहनगर में जो लड़के का अपहरण हुआ उसके बारे में कहा है कि उसका अपहरण लोगों ने किया है। मेरा निवेदन है कि वैसे भी सदन कल के लिए है। आप अध्यक्ष महोदय, अपने इन्फ्लुएन्स को काम में लेकर, अपने आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहिए क्यों कि इस तरह की घटना का केवल उस मामले में एक आदमी गिरफ्तार हो जाय उसी तक प्रभाव नहीं है बल्कि 'अध्यक्ष महोदय, आम लोगों में आतंक फैलता है इससे, कैसे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें जब इस प्रकार की घटनाएं हो जायें। जब दो आदमी गिरफ्तार हुए हैं तो घटना तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
हुई है। तो इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट को आप कह दें तो मैं समझता हूं कि उचित होगा।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : दो मिनिट लीजिए।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो एडजोर्नमेंट मोशन है वह महालक्ष्मी और एडवर्ड मिल ब्यावर के सम्बन्ध में है। वैसे जब 2 सदन चला है यह बात यहां पर सामने आई है। दुःख की बात तो यह है कि काफी लम्बे समय से यह मामला चल रहा है और राज्य सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। पहला तो मेरा निवेदन यह है कि इन दो मिलों में जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और एक मिल प्राइवेट चल रही है तो इन दो मिलों में जो श्रमिकों को मजदूरी मिल रही है वह कम मिल रही है। दूसरे मजदूरों को जब कि 240 रु. मिलते हैं तो इन मिलों के मजदूरों को 160 रु. ही मिलते हैं। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हमारी सरकार सर्वहारा लोगों का पक्ष नहीं लेगी और दूसरी तरफ आप उन लोगों से भी कम मजदूरी लोगों को दे रहे हैं। वे लोग ज्यादा मजदूरी दे सकते हैं आप से और दूसरे कारखानों के मजदूरों से कम पैसा मिले तो यह भावना बनती है कि क्या इन कारखानों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए या नहीं। इन कारखानों के मजदूरों को राष्ट्रीयकरण का हामी होना चाहिए या नहीं। सरकार के हाथ में कारखाने जाने चाहिएं या नहीं यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। वहां पर यह भावना बन रही है कि प्राइवेट कारखानों के मालिक ज्यादा अच्छे हैं बनिस्पत पब्लिक कारखानों के मालिकों के। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करे कि इन मजदूरों को पूरा पैसा मिल सके। बार बार इस बात को कहने का मतलब यही है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री केशरीमल : सरकार इस मामले में विचार नहीं करके जिस तरह से टालमटोल कर रही है उससे मजदूरों में असंतोष है। मेरा निवेदन है कि मजदूरों ने गत वर्ष भी कई दफा आन्दोलन किया, एक हजार लोग जेलों में गए, जेलों में लाठियां खाई और दमन सहा है। फिर आन्दोलन की तैयारी हो गई थी और भूख हड़ताल भी शुरू हो गई थी लेकिन बरकतुल्ला साहब के निधन के कारण थोड़े टाइम के लिए इसको बन्द कर दिया गया था लेकिन अब फिर आन्दोलन की फिर से तैयारी हो गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर वहां पर शांति भंग हो सकती है। हम यह चाहते हैं कि राज्य सरकार इस बारे में जल्दी से जल्दी विचार करके फैसला करे और अगर जल्दी फैसला नहीं किया गया तो नतीजा यह होगा कि फिर वहां पर हंगामे होंगे, हड़ताल होगी फिर उसके बाद और बातें होंगी। क्या राज्य सरकार यह चाहती है कि पहले ये सब चीजें हो जायं और उसके बाद विचार करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री केशरीमल : सरकार की जो यह नीति रहती है कि पहले दो महीने तक तो हड़ताल चले और उसके बाद बात की जाय, सरकार की नींद उड़े तो यह क्या अच्छा होगा ? यह क्या देश के हित में है ? क्या यह मजदूरों के और हमारी देश की पैदावार के हित में होगा ? मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति बिल्कुल मजदूर विरोधी नीति है कि पहले दो महीने तक हड़ताल चले फिर सरकार की नींद उड़े। ज्यादा अच्छा होगा कि सरकार के समक्ष ज्योंही मजदूरों की मांग आवे तब ही ...

श्री अध्यक्ष : मैंने कई दफा निवेदन किया कि कृपया समाप्त करें।

श्री केशरीमल : उस पर निर्णय कर लेना चाहिए। इसलिए मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि इस मामले में सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ स्थगन प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि गंगानगर जिले में पिछले वर्ष खाद बहुत कम मिला और खाद इतना कम मिला कि बहुत से लोग रह गये जबकि एक थैला भी खाद नहीं मिल सका। इसके कारण वहां की फसल खराब हो गई और बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और अब रबी की फसल इसलिए नहीं बोयी जा रही है कि क्योंकि खाद मिलने की आशा नहीं है। वहां पर ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि एक लाख....

श्री अध्यक्ष : मुद्दे पर ही थोड़ा 2 फरमा दें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अच्छा तो आंकड़े पर नहीं जाकर योंहि बता देता हूं कि वहां पर जो खाद का हिसाब लगाया गया है उसके अनुसार वहां तीन थैलों से ज्यादा खाद किसी को नहीं मिल पाएगी। वहां पर कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो रबी के अन्दर 15-20 बीघा से कम में खाद यूज नहीं करेगा। इसके लिए उसको जितनी खाद चहिये वह मिलने की आशा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं खाद के सम्बन्ध में यही कहूंगा कि खरीफ की फसल तो बर्बाद हो चुकी है और अब रबी की फसल की भी आशा नहीं है। लेकिन इसके अलावा एन. एस. सी. से जो संकर बाजरे का बीज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : कल पर रखा है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं इस पर आज थोड़ा कह दूं।

श्री अध्यक्ष : कल ही फरमा दीजिएगा।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अच्छा, कल कह दूंगा।

मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव पंजाबी शिक्षा के बारे में है। यह मान लिया गया कि पंजाबी शिक्षा वहां पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाएगा स्कूलों के अन्दर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहेंगे। लेकिन वहां जो मास्टर पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए प्रमोशन या ग्रेड वह नहीं दिया जाता है जो संस्कृत टीचर को दिया जाता है और इसके अलावा पंजाबी जो लड़का स्कूल में पढ़ता है उसको कॉलेज में पढ़ने का प्रबन्ध नहीं है। इसलिए लड़कों को आम तौर पर नाइन्थ, टेंथ में समाप्त करना पड़ता है। यह पंजाबी

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
पढ़ने के लिए सुविधा देने की बात नहीं है बल्कि पंजाबी को खत्म करने की बात है जिस चीज़ को स्कूल में पढ़ाया जाय उसको कॉलेज में भी पढ़ाया जाना जरूरी है।

मेरा एक खास स्थगन प्रस्ताव और है। मेरे क्षेत्र के एक सरपंच ने जिसका नाम बंशीलाल था उसने अपने क्षेत्र में बारह-बीबी नाम का एक गांव था उसमें 12 हजार ईंटें जो एक स्कूल के लिए थीं, चार गर्टर, ये सारी की सारी चीजें एक मकान में लगा दी। इसकी शिकायत की उस इलाके के पांच पंचों ने। उनकी शिकायत पर विकास अधिकारी ने मौका देखा, जिला विकास अधिकारी ने मौका देखा, पुलिस ने मौका देखा, हैड मास्टर ने रिपोर्ट दी, पांच मेम्बरों ने रिपोर्ट की और उसके बाद उस सरपंच को गिरफ्तार किया गया और उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। जब मुकदमा चला पंचायत विभाग के पास तो 6 मेम्बरों ने लिख कर दे दिया कि वे सारी की सारी चीजें मौके पर मौजूद हैं, जबकि वे नहीं थीं....

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये किया गया कि वह आदमी उस समय कांग्रेस विरोधी था। लेकिन हाईकोर्ट में एक कांग्रेसी के पक्ष में शहादत देने के कारण उसको छोड़ दिया गया। जब हाईकोर्ट में उससे पूछा गया तो उसने कहा....

श्री अध्यक्ष : इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरे कहने का मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय कि इस आदमी के खिलाफ केस था परन्तु वह वापिस ले लिया गया और इस तरीके से वह आज भी सरपंच का कार्य कर रहा है। इस तरह की भावना हमारे यहां पर फैलाई जा रही है। मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूं। मैं यह चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंन्ट इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, सादुलपुर टैक्सटाइल मिल के बारे में मेरा भी कहने का विचार था लेकिन गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है तो उसके बाद में यह राज्य सरकार के लिये है कि स्थान स्थान पर जब श्रमिकों और मजदूरों के बीच में असन्तोष है और हड़तालें चलती हैं तो वह उनके बीच में इन्टरवीन करे, यह राज्य का कर्त्तव्य है और विधान सभा में आकर हमें कहना पड़े तो यह राज्य सरकार की अकर्मण्यता है। आवश्यकता तो यह थी कि सरकार अपने आप इस मामले में इन्टरवीन करती और इस समस्या का समाधान करती। फिर चाहे वह सूरतगढ़ का मामला हो, सादुलपुर का मामला हो और चाहे पिलानी का हो। इसके बारे में अधिक निवेदन मुझे नहीं करना है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर व्यक्त किये हैं, उनकी भावनाओं को अधिक बल प्रदान करके यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस मामले में सक्रिय रूप से कदम उठा कर सुलटावे और श्रमिकों और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
मालिकों के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उसको दूर करावे। पुलिस जब इन्टरवीन करती है तो पुलिस के आतंक के कारण समस्या का हल दुभर हो जाता है और पुलिस दलित वर्ग को ही दबाती है जो कि हमारे लिये कतई सौभाग्यमान नहीं है!

मेरा जो दूसरा स्थगन प्रस्ताव था वह था राजस्थान पुलिस के द्वारा खुले ग्राम तखतगढ़ पुलिस थाने के अन्दर अध्यापक गोविन्दसिंह की हत्या का। आपने इस पर जानकारी चाही है और जैसा कि आप और हम जानते हैं जानकारी मिलने के पहिले पहिले यह सेशन समाप्त हो जायेगा और यह जानकारी प्राप्त नहीं हो सकेगी।

मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस के जुर्म के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इसे मात्र औपचारिक समझ कर, एडजोर्नमेंन्ट रखने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका देकर, यहीं तक इसको सीमित कर दिया जाता है और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यह संसदीय प्रणाली में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और विधान सभा के अन्दर इस बात को केवल औपचारिकता के रूप में लेकर उसके बाद में राज्य सरकार, मंत्रि-मण्डल और राज्य के अधिकारी सक्रिय रूप से इस पर कार्यवाही करना पसन्द नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, गोविन्दसिंह अध्यापक 22-9-73 पुलिस थाने, तखतगढ़ में मरा। भसनसिंह, सिपाही रामसिंह, केसरसिंह, सौभाग्यसिंह, रामलखन और शराब के ठेकेदार भोपाल, छोटू और कलाल मोती, राधेश्याम, इन लोगों के गिरोह के द्वारा इस अध्यापक की इसलिये हत्या करवायी गयी कि उसने इन अवैध रूप से शराब बेचने वालों की शिकायत की थी। उस अध्यापक ने महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया था—शराब बंदी के लिये वह प्रयत्न कर रहा था। परन्तु यह गिरोह उस अध्यापक को पकड़ कर ले गये और पुलिस थाने में रात को इतना मारा कि पुलिस के लोगों के द्वारा वह समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं उसके मरने के बाद एक तालाब के किनारे उसको इस तरह से दबा दिया गया जिससे कि यह पता लग सके कि वह अपने आप खुदकशी करके मरा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय कि उसके बाद उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ और यह रिपोर्ट है सरकारी अस्पताल की:

"The cause of death was shown by multiple injuries and the drowning was after death........"

यह मैडिकल डिपार्टमैन्ट की दी हुई रिपोर्ट है। राज्य सरकार के अस्पताल की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट आने के बाद अध्यापकों ने, नागरिकों ने हड़ताल की, आन्दोलन किया। इस बात का दुःख है, अध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार के पुलिस विभाग ने किसी भी प्रकार से उन लोगों को जो स्वयं कातिल हैं और आज भी उस थाने में बैठे हुए हैं, उनको नहीं हटाया है और वे ही

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

शख्स इसकी जांच कर रहे हैं। कातिल स्वयं अपनी जांच कर रहे हैं। जिनके ऊपर खून का दाग है, वही इस बात की जांच कर रहे है। मुझे इस बात का दुःख है। वहां पर लोगों को, गवाहों को आतंकित किया जा रहा है और गवाहियां नहीं देने दी जा रही है। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर आई विटनेस मौजूद हैं और एक व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना एफीडेविट दिया है जिसमें उसने कहा है कि गोविन्दसिंह को तड़फते हुए, सिसकते हुए थाने में उसने सुना है। पुलिस के लोगों ने लाठियों से उसको पीटा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसने कौनसा अपराध किया था, क्या जुर्म किया था—जबकि उसने शराब बेचने वालों का नाम बताया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार रक्षक ही भक्षक बन गये हैं तो लगता है कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज एक गरीब अध्यापक की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है और उसकी चिता से आवाज आ रही है कि राजस्थान विधान सभा में बैठने वाले विधायकों, अध्यक्ष महोदय, और मंत्री महोदयों इस बात को सुनो और सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिये ही इसको मत सुनो। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच करवाई जाये और जो कातिल हैं, जो मुजरिम हैं और जो हत्यारे हैं उनको आप ससपेन्ड नहीं कर सकें तो ट्रान्सफर तो जरूर कर दें या उनको गिरफ्तार करके उनके बेड़ियां डाली जायें क्योंकि एक निरपराध व्यक्ति के खून का दाग उनके ऊपर है। यह जो हलफनामा है, यह जो विधान सभा न्याय के लिये प्रसिद्ध है, जहां पर आवाज उठाने पर पुलिस के डंडे का डर नहीं है, एस. पी. वगैरह के आंतक का डर नहीं है, उस स्थिति में इस व्यक्ति का हलफनामा सदन के पटल पर रखता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि स्पेशल सी. आई. डी. से इसकी जांच करवाई जायेगी और जिन लोगों के नाम मैंने स्थगन प्रस्ताव में दिये हैं उनको हिरासत में रखा जायेगा अन्यथा असन्तोष बढ़ेगा, लोगों में निराशा बढ़ेगी, आन्दोलन होगा और आन्दोलन, असन्तोष और आक्रोश को दबाने के लिये पुलिस जुर्म करेगी, डंडा चलाएगी, गिरफ्तारियां होंगी। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसके बारे में स्पेशल सी. आई.डी. से जांच करवाई जाये और जिन्होंने जुर्म किया है उनको सजा दिलायी जाये। तखतगढ़ थाने के सारे के सारे पुलिस के लोगों को सस्पेन्ड किया जाये जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं।

एक प्रस्ताव मेरा और है। उसको कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो आपको विदित होगा कि गत सत्र के अन्दर, पहले सत्र के अन्दर राजस्थान होमियोपैथी बोर्ड के बारे में यहां पर चर्चा हुई थी और बड़ी गर्मागर्म चर्चा हुई थी किन्तु बाद में राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि राजस्थान होमियोपैथी बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं.........

श्री अध्यक्ष : वह आज नहीं हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको दिया है। आपने कन्सीडरेशन में लिया है।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं है।

Page No. 46

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप देख लें। हो सकता है कि मेरी गलती हो।

श्री अध्यक्ष : बाद में आया है। तो आप इसको क्लोज मानते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब प्रसंग आ गया है। मैं समाप्त कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सरकार ने होमियोपैथी बोर्ड को भंग कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटर अपाइंट किया। उसका टेकओवर हुआ और एक नये बोर्ड के स्थान पर राज्य सरकार का कोई सीनियर ऑफिसर वहां पर गया, लेकिन राजस्थान राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर, 1973 के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, वहां जो डॉक्टर्स रजिस्टर्ड किये गये हैं उनकी बहुत बड़ी सूची प्रकाशित हुई है और उस सूची के प्रकाशित होने के बाद में जो आरोप पहले यहां पर लगाये गये थे, सदन में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि उन आरोपों को सब्स्टेन्शियेट करता है....

श्री अध्यक्ष : अमेरिकन डॉक्टर्स के बारे में वह आप बात करना चाहते थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 25 न्यू कॉलोनी, जयपुर में 25 अमेरिकन होमियोपैथिक डॉक्टर्स यहां पर रहते हैं। वह हवा के अन्दर मकान है कि उसमें 25 डॉक्टर्स, अमेरिकन डॉक्टर्स रहते हैं। उसमें वह नहीं रह सकते। इलाज किसी का नहीं करते हैं लेकिन सारे के सारे उन्होंने यहां पर रजिस्टर्ड कर दिये। 25 डॉक्टर्स यहां कैसे आये? 25, न्यू कॉलोनी का मालिक कौन है? इनका इन अमेरिकन डॉक्टर्स से क्या संबंध है। इनसे कहीं हमारी सुरक्षा को खतरा तो पैदा नहीं हो रहा है? क्या सी. आई. ए. जैसी बहुत बड़ी एजेन्सी से तो उनका संबंध नहीं है और भारत की गतिविधियों का वहां पर किसी प्रकार से काम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है? मुझे इस बात का दुःख है....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात को समझ गये हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप सुन लीजिये। बड़ी सुन्दर बात कह रहे हैं, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पश्चाताप के रूप में कह रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सुरक्षा का प्रश्न है। दो मिनिट में समाप्त कर देता हूं।

राजस्थान राज-पत्र के भाग 2, दिनांक 13 सितम्बर, पेज 83, इसके बारे में एच के ऊपर लिखा है–Dr. Aaron Harry Shiffrin 827—8th Ave Palmetto Florida-USA. Local address 25 New Colony और दूसरे डॉक्टर्स का लिखा है Address-25 New Colony.

यह मैं लिस्ट पेश करता हूं आपके सामने। मैंने अलग से निकलवाली है। यह सारे के सारे अमेरिकन डॉक्टर्स हैं। 25 न्यू कॉलोनी इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है कि अमेरिकन स्टाइल से रहने वाले 25 डॉक्टर्स यहां पर रह रहे हों। मैं इसके बारे में निवेदन करूंगा, मैं नहीं कहता कि वे सी. आई. ए. के एजेन्ट हैं, मैं नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कहता कि 25, न्यू कॉलोनी के जो मालिक हैं वे सी. आई. ए. के प्रतिनिधि भारतवर्ष में या राजस्थान में हैं, लेकिन सन्देह अवश्य पैदा होता है। यह सन्देह भारत की सुरक्षा का प्रश्न पैदा करता है। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करके भारत का विरोध किया था। उसकी सशस्त्र सहायता करके हमारे साथ में संघर्ष किया था, और अमेरिका का जिस प्रकार का कार्य रहा है वह हम से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हमारे प्रदेश के अन्दर, हमारी राजधानी के अन्दर इस प्रकार के देश द्रोही व्यक्ति सी. आई. डी. का काम करें और सी. आई. डी. भी फॉरेन कन्ट्री के लिए करें, इस प्रकार से फॉरेन एजेंसी हमारे यहां पर सी. आई. डी. का काम करें, और हम उसके प्रति सावधान न रहें तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। इस बात को मुझे यहां पर लाना पड़ा। यह मेरा कर्त्तव्य था। मैं पुलिस मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसको देखें और पता लगायें कि किस प्रकार से क्या है। पहले भी माननीय सदस्यों ने इसके बारे में शिकायत की थी। उनको इसके बारे में मालूम करना चाहिए, इसकी जांच कराई जानी चाहिए, और यह पता लगाया जाना चाहिए कि वहां पर ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं क्या ? कौनसी वह एजेंसी है ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं सुन नहीं सका कि आपने क्या कहा।

अगर हमारे राष्ट्र के हित के विरोध में जाते हैं तो चाहे अमेरिका हो हम उसके विरोधी हैं, चाहे वह रूस हो उसके विरोधी हैं, चाहे चीन हो, जो कोई भी हमारा विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। जो हमारा पक्ष करेगा तो हम उसकी सराहना करेंगे जो हमारे विपक्ष में होगा उसका हम विरोध करेंगे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : Change the policy.

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो भारत के हित के अन्दर है और जो हमारा पक्ष करता है वह हमारा दोस्त है और जो हमारे हितों का विरोध करता है वह हमारा दुश्मन है।

इसकी जांच करवाई जाय। मैं सदन के पटल पर रखता हूं लिस्ट जो कि एक पेज में छपी हुई है जिसको मैंने साइक्लोस्टाइल करवा लिया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री महोदय से कि इसकी जांच करवा लें। सी. आई. डी. के कार्य में सक्रिय चाहे अमेरिकन अथवा दूसरी एजेन्सी हो इसकी पूरी जांच करवाई जानी चाहिए और सुरक्षा के हित के अन्दर ऐसे व्यक्तियों के नाम ही नहीं बल्कि 25, न्यू कॉलोनी में जो व्यक्ति रहते हैं, जिनको मैं नहीं जानता, जिनसे मेरा कोई विद्वेष नहीं है उनकी जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह जांच करवाई जाय कि क्या वे अमेरिकन फण्ड्स ले रहे हैं यदि वह फण्ड आता है तो चाहे काला धन हो, चाहे लाल धन हो या किसी प्रकार का फण्ड हो उसको काम में नहीं लिया जाना चाहिए। कल सत्र समाप्त हो जायगा। दोनों बातों पर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

माननीय मन्त्री महोदय सक्रिय सहयोग सब लोगों का लेकर ढंग से कार्यवाही करेंगे।

(सूची सदन-पटल पर रखी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जो प्रश्न उठाया है वह इस सदन में पहले भी आ चुका है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि गवर्नमैंट ने एन्क्वायरी करवाई होगी। गवर्नमैंट को इस बीच में इतना समय मिला है। यह बहुत ही सीरियस मामला है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह जब आया था उस समय वहां पर बोर्ड बना हुआ था उस बोर्ड को सुपरसीड करके समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर एपॉइन्ट कर लिया गया है। यह लिस्ट जो मैं बता रहा हूं वह नये एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा पब्लिश की गई इसलिए और भी चिन्ता का विषय है। पहले बोर्ड के बारे में आरोप था। फिर वह समाप्त किया गया। फिर वह बात दोहराई गई है तो रहस्यमय चीज बन जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमैंट को यह जो अमेरिकन रजिस्टर्ड किये गये हैं उसकी एन्क्वायरी अभी तक करा लेना चाहिए थी इसलिए गवर्नमैंट को इसी सत्र में कल ही रिप्लाई दे देना चाहिए, क्योंकि यह मामला पहले हो इन्वेस्टीगेट होना चाहिए। यह खुशी की बात है कि जनसंघ पार्टी भी ऐसी अमेरिकन एक्टीविटीज को खतरनाक महसूस करने लगी है। यह चेंज ऑफ पॉलिसी है। इसको हम वेलकम करते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी पार्टी में इन्फिलट्रेशन हो रहा है।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कई बार हवाला दिया है....

श्री अध्यक्ष : कल रखा है।

श्री प्रतापसिंह : आपने सही फरमाया। लेकिन मेरा विषय महत्वपूर्ण है और मेरा नम्बर आता भी नहीं है। इसलिए मैं संक्षेप में निवेदन कर दूंगा वहां मेरे क्षेत्र में खाद्यान्न समय पर वितरित नहीं होता है इसका मैंने खास तौर से हवाला दिया था। दीवाली के अवसर पर जो चार किलो गेहूं वितरित करना था वह नहीं हुआ। वहां पर हजारों मजदूर निवास करते हैं और कारखानों में काम करते हैं। उनको चार किलो और दो किलो से महरूम रहना पड़ा, और फलस्वरूप त्यौहार मनाने से महरूम रहे। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां पर व्यवस्था को सुधारें और वहां पर व्यवस्था सुधारने के अन्दर मैंने यह सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : डिटेल का समय नहीं है। मैंने कहा था कि कल है तो कल आपको ज्यादा समय मिल सकता था इस सम्बन्ध में।

श्री प्रतापसिंह : पूर्ण आश्वासन मिल जाय तो स्थान ग्रहण कर लेता हूं।

वैसे हमें समय नहीं मिलता है। यदि आज्ञा हो तो कल के लिए रख दूं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी बहुत कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह आपका फर्माना सही है।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह बड़े बड़े शहर हैं, म्युनिसिपल टाउन्स हैं। खासतौर से जहां मजदूर और गरीब तबके के लोग हैं, उनको कम से कम त्यौहारों के ऊपर तो ऐसी चीजों के वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। आज लाइसेन्सों का टोटा नहीं है। एक गरीब आदमी को त्यौहार के अवसर पर भी मुंह मीठा करने को नहीं मिले। दो चार मेहमानों को भी खाने की व्यवस्था नहीं कर सके तो यह अच्छी बात नहीं है। इतना ही मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य का वक्तव्य तथ्यहीन नहीं है। यदि ऐसा ही रहा तो यह व्यापार व्यवस्था एक भ्रष्ट अधिनायकवाद होगा। समाजवाद नहीं रहेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा नवम्बर, 1971 में जनगणना विभाग वालों ने प्रदर्शन किया था। उस समय राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने उनको आश्वासन दिया था कि जनगणना विभाग के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। खेद है कि आज तक भी उनको कहीं पर भी नौकरी नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने 18-11-71 को नोटिफिकेशन निकाला। डी. आर. मेहता ने निकाला। लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। दूसरा नोटिफिकेशन 24 जनवरी, 72 को निकला था। जनगणना वाले आज भी सड़कों पर बेकार घूम रहे हैं। जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको तब तक के लिए बेरोजगारी का भत्ता मिलना चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उनको आश्वासन दिया था। आश्वासन का पालन होना चाहिए लेकिन अधिकारी नहीं करते हैं। यह एक गम्भीर बात है। दूसरे दयानन्द कॉलेज अजमेर में वहां के कर्मचारी मैनेजमैण्ट के, आर्यसमाज शिक्षा सभा के मैनेजमैण्ट के, विरोध में पिछले 55 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वह आज भी चल रही है। शिक्षक लोग भूख हड़ताल पर हैं। तो शिक्षा मन्त्री जी से मैं यह चाहूंगा कि वह इसमें हस्तक्षेप करें। वहां पर लाठी चार्ज कराया गया। शिक्षा मन्त्री जी वहां के शिक्षकों को न्याय दिलाने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दूसरे सरकार ने नगरपालिकाओं के चुनावों के बारे में घोषणा की थी। उसका भी उत्तर नहीं मिला। सरकार नगरपालिकाओं के चुनाव कब करायेगी। पंचायतों के चुनाव सरकार कब करायेगी। जब तक सरकार चुनाव नहीं कराये, तब तक समय बढ़ा देने की घोषणा करें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि नगरपालिकाओं के चुनाव कब होंगे, पंचायतों के चुनाव कब होंगे सरकार इसकी निश्चित घोषणा करे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी मैं निवेदन करूंगा। मैं दवाई की शीशी लाया हूं। जहां से लेकर आया हूं, वहां की रसीद मौजूद है। इस शीशी में भयंकर रूप से कीड़े मौजूद हैं। जो दवा डाक्टर के द्वारा प्रेसक्राइब की जाये उस शीशी में कीड़े मौजूद हैं। दवाइयों में मिलावट होगी तो लोग कैसे स्वस्थ रह सकेंगे। यह एक चिन्ता का विषय है।

दूसरा, मकान नम्बर 69, कानोता हाउस के पास, जहां से अधिकार निकलता है, उस दुकान पर सड़ा गला गेहूं लोगों को वितरित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर डेयरी से जो माननीय विधायकों को 20) रु. किलो में घी दिया जा रहा है, वह किस प्रकार का है?

श्री अध्यक्ष : You restrict your self.

किस विषय पर बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार से सड़ा गला गेहूं मिल रहा है। दवाई में मिलावट हो। उसको भी सरकार नहीं रोक सके। या चीजें मिलती नहीं। मिलती हैं तो मिलावट भरी हुई मिलती हैं। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था, सुना है, उस पर कल स्टेटमैंट होने वाला है, उसमें इसका भी जिक्र करें। कल खाद्य मन्त्री महोदय स्टेटमैण्ट देंगे। जन स्वास्थ्य की गम्भीर समस्या है। कोयला मिल नहीं रहा है। गैस सिलेण्डर मिल नहीं रहा है। यहां पर खाद्य मन्त्री का स्टेटमैन्ट है। 4 बजे खाद्य मन्त्री का स्टेटमैन्ट होगा। 5 बजे आप घण्टी बजा कर अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित कर देंगे। माननीय सदस्य उस पर अपने विचार नहीं रख सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : I don't want to comment on that.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : स्थगन प्रस्तावों के बाद वक्तव्य दें। सदन के माननीय सदस्य उस पर विचार रख सकें। मैं वह सड़ा गला गेहूं और दवाई की शीशी सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री भार्गव ने गेहूं का नमूना और शीशी सदन की मेज पर रखी)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कार्मिक एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं मैं सदन की मेज पर रखता हूं:—

1. अधिसूचना संख्या एफ. 21 (12) नियुक्ति/सी/55/पार्ट–2, दिनांक 29 अगस्त, 1973।

2. अधिसूचना संख्या एफ. 8 (7) अपाइण्टमैन्ट्स (क-2)11, दिनांक 30 जून, 1973।

Page No. 51

(श्री शिवचरण माथुर, खाद्य मंत्री)

3. अधिसूचना संख्या एफ. 3 (104) ए. ए./2/65, दिनांक 13 सितम्बर, 1973।

4. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल/पी एस/ए.आर./3/73/1771-90, दिनांक 5 सितम्बर, 1973।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दे दी है, मेरा सामान सदन की मेज पर रखने को।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने रख दिया है। दुबारा क्यों पूछ रहे हैं? I have taken other subject.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : दवाई की कीमत चाहते हैं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए. की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे आदि सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1971-72।

(2) राजस्थान वित्त निगम का अट्ठारवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित लेखे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी आफ साइन्स, पिलानी के छात्रों का आन्दोलन

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के बारे में फेक्चुअल घटनाओं के बारे में जिलाधीश, झुंझुनूं से एक रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट एक स्पेशल मैसेन्जर के द्वारा झुंझुनूं से रवाना हो गई है। लेकिन अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। अत: तथ्यों के बारे में सही जानकारी देना अभी संभव नहीं है। अगर चाहा गया तो इसके बारे में दूसरी दफा वक्तव्य देने में सरकार को आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के विद्यार्थियों की मांगों के सम्बन्ध में प्रश्न है सरकार उसके औचित्य और अनौचित्य में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती है। लेकिन यह जरूर चाहती है कि विद्यार्थियों और बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के मैनेजमैन्ट के बीच में इन मांगों के सम्बन्ध में वार्तालाप हो। सरकार इसको नापसंद करती है कि बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के मैनेजमैंट ने विद्यार्थियों से अभी तक बातचीत नहीं की है तथा सरकार इसको भी नापसंद करती है कि इस सिलसिले में कुछ संसद सदस्य वहां गए थे उनसे भी मैनेजमैन्ट ने बातचीत नहीं की है। सरकार चाहती है कि आपसी बातचीत के द्वारा इस विवाद का हल निकाला जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो वक्तव्य दिया है वह संतोषजनक नहीं है। अभी वहां पर जो स्थिति है उसमें 11 विद्यार्थी भूख हड़ताल पर हैं जिनको आज 7वां दिन है, उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी, यह मन्त्री जी खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इनमें से 2 की हालत बहुत चिन्ताजनक है। मेरी सूचना के अनुसार राज्य सरकार की ओर से कोई भी चिकित्सक इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखने के लिए नहीं गया है और इसलिए उन विद्यार्थियों की हालत के बारे में इस सदन को चिन्ता होनी चाहिए, सरकार को चिन्ता होनी चाहिए और व्यवस्था की जानी चाहिये कि दैनिक बुलेटिन उसकी जारी की जाए, फौरन उनको एग्जामिन किया जाय और जो नेक्स्ट स्टेटमैंट कल होने वाला है उसमें उनकी स्थिति से अवगत कराया जाए।

दूसरी बात, आपके वक्तव्य के अनुसार कलेक्टर से बात करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने बात करके रिपोर्ट भेजी है जो अभी नहीं आई लेकिन उससे एक बात स्पष्ट है कि वहां के जो निदेशक हैं उन्होंने अभी तक छात्रों से बातचीत नहीं की है। श्री चन्द्रशेखर, एम. पी. जो वहां गए इस बात के लिए जिन्होंने बहुत ही सोबर एटीट्यूड लेकर विद्यार्थियों से भी यह कहा कि वे रिजिड एटीट्यूड न लें और इस रूप में उनका कम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड बनाकर निदेशक से बातचीत करने की कोशिश की। इसके बावजूद निदेशक ने उनसे मिलने से इन्कार कर दिया। मन्त्री जी ने जो उल्लेख एम. पी. का किया है वह शायद श्री चन्द्र शेखर के बारे में होगा। तो यह बात स्पष्ट है कि वहां की शिक्षण संस्था के निदेशक का बहुत ही एडमेंट एटीट्यूड है। सरकार ने भावना व्यक्त की है कि वह चाहते हैं कि मांगें उचित हैं या अनुचित हैं उनके बारे में कोई कमिटमैंट दिये बगैर वह चाहते हैं कि कम से कम सोहार्दपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों और मैनेजमैंट के बीच में बातचीत शुरू होनी चाहिए, निदेशक ने इस भावना को ठोकर मार दी है। मैं समझता हूं कि यह बात कम से कम शिक्षा मन्त्री या मुख्य मन्त्री जी जिन्होंने भी कलेक्टर से सम्पर्क किया होगा, उनके सामने यह बात स्पष्ट आ गई होगी वरना बातचीत शुरू हो जाती, मामला कुछ आगे बढ़ता और जितनी बातें आपने कही हैं वे उसके बिल्कुल विपरीत हैं। ऐसी हालत में हम आशा करते थे कि फौरन सरकार की तरफ से जो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों का आन्दोलन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, तत्काल वहां से पुलिस विथड्रा करने के आदेश सरकार की तरफ से जारी हो जाने चाहिये थे, अभी तक पुलिस वहां से वापस आ जानी चाहिये थी और वहां पर एक भी पुलिस का सिपाही नहीं रहना चाहिये था। अगर कोई अप्रिय घटना किसी किस्म की हो जो कि मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, तो उसकी बाकायदा थाने में रपट दर्ज करायें और सामान्य कानून के तहत जिस प्रकार की कार्यवाही होती है उस तरह की कार्यवाही की जाए।

विद्यार्थियों की 28 मांगें हैं, विद्यार्थियों ने कुछ मांगें स्पष्ट रूप से उनके सामने रखीं। कितने ही वर्षों से कहते आए हैं कि इस यूनिवर्सिटी, सोकाल्ड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यूनिवर्सिटी, का डेमोक्रटाइजेशन होना चाहिए । मंत्रीजी को मालूम होगा कि उनकी चाहे गवर्निंग बोडी हो चाहे सिनेट हो चाहे जनरल बोडी है, उनमें एक भी चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, न टीचर्स का प्रतिनिधि, विद्यार्थियों का तो कोई प्रतिनिधि है ही नहीं, सबके सब नोमीनेटेड हैं, वे बिड़लाज के नोमीनेटेड हैं, चाहे डाइरेक्ट बिड़ला परिवार के हों चाहे बिड़लाज द्वारा डेलीगेटेड तरीके से दूसरे लोग नियुक्त होकर आ गए हों लेकिन सब नोमीनेटेड हैं, यह जनतंत्र का तिरस्कार है। जहां तक मेरी सूचना है यह निदेशक जो स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, जो लॉ एण्ड आर्डर खराब होने की जिनकी जिम्मवारी है, अगर सरकार लेबर लीडर्स को, राजनैतिक नेताओं को स्थिति खराब होने के डर से प्रिवेन्टिव एक्शन के रूप में गिरफ्तार कर सकती है तो कहीं भी इस स्थिति में अगर प्रिवेन्टिव एक्शन की जरूरत है तो इस निदेशक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब न हो, इससे बचा जा सके।

जो मुझे जानकारी मिली है इस निदेशक की नियुक्ति खुद इल्लीगल है, चैलेंज की हुई है और वह इल्लीगल तरीके से कायम रखने के लिए तानाशाही तरीके से सारे वातावरण को उन्होंने खराब कर रखा है, वहां के तमाम लेक्चरर्स और स्टाफ उनसे खिन्न हैं । 250 की स्ट्रेन्थ सैंक्शन्ड होते हुए भी 125-150 की स्ट्रेंथ रह गई है और मनमाने तरीके से दूसरे लोगों को लिया जा रहा है। सरकार को इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या आखिर हम प्राईवेट हैंड्स में किसी कैपीटलिस्ट को अधिकार दे देंगे कि शिक्षा जैसे कार्य में वह अपने ट्रेड के रूप में उसको चलाये चाहे कैसा भी व्यवहार वह विद्यार्थियों से करें। मैं समझता हूं सरकार को इन्टरवीन करने की पावर्स हैं, सरकार को निदेशक को हटाकर अपनी तरफ से प्रशासक नियुक्त कर देना चाहिए, कोर्ट आफ एन्क्वायरी नियुक्त करनी चाहिए और तमाम अफेयर्स की देखभाल करनी चाहिए। यहीं तक सीमित न रहकर सरकार को आगे बढ़ कर इस संस्थान को टेक-ओवर भी करना पड़ेगा। भारत सरकार से बातचीत करनी चाहिए, यू. जी. सी. से बातचीत करनी चाहिए ।

इसे करने का कारण यह है कि आज बिरला की इन्टीट्यूशन्स में अमेरिका का पैसा लगा हुआ है। इसमें सी. आई. ए. का पैसा लगा हुआ है और अमेरिकन एजेन्सी इसमें काफी गड़बड़िया पैदा कर रही है। इस बात की आज सारे देश में चिन्ता है । अध्यक्ष महोदय, आज अमेरिका की गवर्नमेन्ट इन शिक्षण संस्थाओं में अमेरिका का पैसा, चाहे फोर्ड फाउन्डेशन का हो, चाहे और अमेरिकन कोलोबोरेशन से इन बिरला बन्धुओं ने काफी पूंजी यहां इन शिक्षण संस्थाओं में लगा रखी है और इस पूंजी को लगा कर इन बिरला बन्धुओं के अ देश को पेनीट्रेट कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़े में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी दो मिनट में समाप्त

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करता हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज अमेरिकन एजेन्सीज इन मोनोपोलिस्टों के थ्रू पेनीट्रेट कर रही हैं। इसके बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात के लिये हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि अमेरिकन गवर्नमेन्ट व उसकी एजेन्सीज इन एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट्स के जरिये देश की पोलिटिक्स में एन्टर हो रही है और उससे हमें सावधान रहना चाहिये। इसके अलावा मैं भी निवेदन कर दूं कि देश के इन कुख्यात बिरला बन्धुओं के खिलाफ गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया द्वारा इन्क्वायरीज की जा रही हैं। आज बहुत से लोग यह सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि बिरला बन्धु बहुत ही फिलोन्थ्रॉपिस्ट हैं और देखो यह कितने फिलोन्थ्रॉपिक काम कर रहे हैं। लेकिन यह बात नहीं है। लोग यह भी सोचते हैं शायद इन इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये लोगों को स्कॉलरशिप्स वगैरहा देकर अपने ब्लैक मनी का पैसा निकाल रहे हैं। और लोगों में जो यह गलत धारणा है कि यह बिरला बन्धु अपने ब्लैक मनी को इन इन्स्टीट्यूशन्स में ब्लैक मनी इनवेस्ट करके देश में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। देश में इन्जीनियर्स और डाक्टर्स वगैरहा तैयार कर रहे हैं। इसके लिये मैं आप लोगों को साफ साफ निवेदन कर दूं कि यह गलत धारणा है। असल में यह देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और इसके लिये देश में विद्यार्थी वर्ग में काफी असन्तोष है। मैं आपको अभी की घटना का उदाहरण देना चाहता हूं कि जब पिलानी में स्टूडेन्ट्स आन्दोलन चल रहा है तो विद्यार्थी फेडरेशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश तोलानी वहां गये और उन्होंने यह रिपोर्ट दी की स्टूडेन्ट्स में वहां पर वहां के डाईरेक्टर के प्रति भारी असन्तोष है और गवर्नमेन्ट को इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिये और अगर गवर्नमेन्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तो इसके कान्सीक्वेन्सेज बहुत ही खराब होंगे और स्थिति बहुत ही खराब हो जावेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को चाहिये कि पुलिस पिलानी इन्स्टीट्यूट से तुरन्त विदड्रा कर लेनी चाहिये। और वहां के जो डाईरेक्टर हैं उन्हें तुरन्त हटाया जाना चाहिये और वहां पर गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर एपॉइन्ट करना चाहिए तथा वहां का जो डाईरेक्टर है, उसके खिलाफ तुरन्त एक्शन लेना चाहिये। इसके साथ ही राज्य सरकार को चाहिये कि पिलानी इन्स्टीट्यूट को राज्य सरकार हाथ में ले उसके लिये भारत सरकार से अविलम्ब बातचीत की जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिलानी इन्स्टीट्यूट को लेकर वहां की समस्याओं को लेकर कल भी इस सदन में एक एडजोर्नमेंट मोशन आया था। पिलानी इन्स्टीट्यूट की समस्याओं के बारे में कल जब बी.एस.ए. की मीटिंग चल रही थी तो उस समय भी इस पर विचार किया गया था। हमें यह उम्मीद थी कि शायद बातचीत चल रही है और कोई न कोई प्रयास ऐसा निकल जायेगा जिससे कि वहां की समस्याओं का हल हो जायेगा। लेकिन आज ऐसा मालूम हुआ कि अभी तक उन समस्याओं का कोई हल नहीं निकला है। यह बड़े ही

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दुःख की बात है कि सरस्वती के मन्दिर में आपस में इस तरह की दुर्घटना घटे या किसी भी प्रकार के आन्दोलन हों, यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह पिलानी की ही समस्या नहीं है क्योंकि वहां पर सिर्फ राजस्थान के ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान भर के लोग पढने आते हैं और वहां की स्थिति अब ऐसी विषम हो गयी है कि कोई हल अभी तक नहीं निकल सका है। और जो स्थिति कल थी वही आज भी बनी हुई है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। मैं इसके लिये मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा और साथ साथ शिक्षा मन्त्री जी से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह सदन में इस बात के लिये आश्वासन दें कि आज जो करीब दो हजार विद्यार्थी जो कि पिलानी इन्स्टीट्यूट में होस्टल में रह रहे हैं उनको वहां पर रहने दिया जायेगा और उनसे होस्टल खाली नहीं कराये जायेंगे। उनका सामान और पुस्तकें सड़कों पर नहीं डाली जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, पिलानी इन्स्टीट्यूट का नाम कोई जमाने में बहुत ही बड़ा था और वहां से कई लोग इन्जीनियर्स और डाक्टर्स वगैरहा बन कर निकले थे। लेकिन आज हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने ऐसे आदेश प्रसारित कर दिये हैं कि कोई विद्यार्थी होस्टल में नहीं रहेगा। और सब विद्यार्थियों को होस्टल के बाहर निकाल दिया जायेगा।

(1.15 म॰ प)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही खेदजनक विषय है कि होस्टल से विद्यार्थियों को निकाल दिया जाय। आज लोग बाहर से आते हैं वह बेचारे कहां रहेंगे। इससे वहां के विद्यार्थियों में काफी असन्तोष है। यहां पर विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष श्री विमल चौधरी भी वहां पर गये थे और उन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी कि वहां स्थिति बहुत ही गम्भीर है और उस इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब वहां के स्टूडेन्ट्स से टेबिल पर बैठ कर बातचीत करने को तैयार नहीं है। स्टूडेन्ट्स की, उपाध्यक्ष महोदय, 28 सूत्री मांगे हैं। अगर डायरेक्टर महोदय उनसे टेबल पर बैठकर बात चीत करके समस्या का समाधान निकालें तो उचित होता। लेकिन डायरेक्टर स्टूडेन्ट्स से बातचीत करने को तैयार नहीं है। स्टूडेन्ट्स के नेता लोग सिर्फ डायरेक्टर साहब से बात टेबल पर बैठकर करने को कह रहे हैं। लेकिन वहां के डायरेक्टर साहब आज भी उसी पुरानी एक हजार वर्ष पुरानी परिपाटी में विश्वास करते हैं और विद्यार्थियों से बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बातचीत तो अंग्रेजों ने भी की। पाकिस्तान जिसने कि हजारों माताओं का सुहाग खतम कर दिया था, उन्हें विधवा बना दिया, कई माताओं की कोख को सूना कर दिया था उसने भी टेबल पर की। पर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि डायरेक्टर साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बात आज वियेतनाम के इश्यू पर बावजूद एक दूसरे के खिलाफ होने के रूस और अमेरिका ने की, इजराईल और अरब इश्यू पर रूस और अमेरिका बातचीत करते हैं हालांकि

Page No. 56

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

एक दूसरे से वह लेफ्ट और राइट हैं। बात तो अपने दुश्मन के साथ हम जब कर सकते हैं तो विद्यार्थियों से टेबल पर बैठकर बातचीत करने में डायरेक्टर साहब को क्या आपत्ति है ? उपाध्यक्ष महोदय, आज का विद्यार्थी कल का देश को बनाने वाला है, देश की रीढ़ की हड्डी है। देश का निर्माण करने वाला है। आज वहां से बड़े बड़े टेक्नीशियन्स पैदा होंगे, जो कि आगे जाकर देश का निर्माण करने वाले होंगे। लेकिन उन विद्यार्थियों के नेताओं से उन डायरेक्टर साहब ने बातचीत करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने विमल चौधरी, विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष से बात नहीं की और हमारे संसद सदस्य श्री चन्द्र शेखर जब उनसे इस बारे में बातचीत करने गए तो उन्होंने उनसे बातचीत करने से इन्कार कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, पिलानी इन्स्टीट्यूट का डायरेक्टर आज भी एक हजार वर्ष पहले पुराने ख्यालों का है जो कि विद्यार्थियों से बातचीत करना नहीं चाहता। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, बड़े बड़े तख्त ताउस बदल गए, राजाओं का राज्य चला गया लेकिन हमारे पिलानी इन्स्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए उनसे टेबल पर बैठकर बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। मैं राज्य सरकार को अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप तुरन्त करे और डायरेक्टर को राज्य सरकार यह आदेश दे कि विद्यार्थियों से होस्टल खाली नहीं करावे। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि डायरेक्टर किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है तो क्या मैं यह समझूं कि हमारी राज्य सरकार इतनी निष्क्रिय है या राज्य सरकार इतनी प्रभावशील है कि वह वहां के विद्यार्थियों की समस्याओं को हल नहीं कर सकती। हम बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। इसके लिए हमें इमानदारी से प्रयास करने चाहिए और ऐसे आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किए जाने चाहिए कि विद्यार्थियों से होस्टल खाली नहीं कराया जाय। आज कोई विद्यार्थी चूरू से आया होगा, कोई अलवर से आया होगा, कोई गंगानगर से आया होगा, उनके घर वाले वहां बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे। और अगर उन्हें होस्टल में जगह नहीं मिली तो उनकी पुस्तकें व उनका सामान सड़कों पर मिलेगा। इसके लिये राज्य सरकार को कमिटमेन्ट देना चाहिये कि उन विद्यार्थियों का सामान होस्टल से बाहर नहीं निकाल कर फेंका जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दो दिन में अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो हम सभी लोग विधान सभा का सत्र समाप्त होने पर अपने अपने क्षेत्रों में चले जायेंगे तो वहां के लोग हमें इस बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे ? अगर विद्यार्थियों का सामान सड़कों पर पटक दिया गया तो इससे वहां पर विद्यार्थियों में रोष फैल जायेगा और वहां पर हड़ताल जोर पकड़ेगी, तोड़फोड़ होगी और वहां की आग देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलेगी, लाठी चार्ज होंगे, केसेज बनेंगे और फिर दूसरी समस्यायें मन्त्री महोदय के सामने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

खड़ी हो जावेंगी। यह एक तरह से चैन सरकल बन जायेगा। वैसे भी मुख्य मन्त्री महोदय मन्त्रि मण्डल के गठन के बारे में चिन्तित हैं और इस प्रकार की विद्यार्थियों की कार्यवाही से उनके सामने और भी नयी समस्यायें खड़ी हो जायेंगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन समस्याओं का तुरन्त हल किया जाना चाहिये। यहां सदन में यह भी कहा गया कि वहां पर सी. आई. ए. के एजेन्ट्स काम कर रहे हैं या फोर्ड फाउन्डेशन की स्कॉलरशिप्स से अमेरिकन एजेन्सी काम कर रही है। इन एड्स से कितना फायदा हमारे यहां हुआ या नुकसान हुआ इन बातों में अभी मैं नहीं जाना चाहता हूं। बिरला बन्धुओं ने कितना फिलोनथ्रॉपिक काम किया है या नहीं, या इन इन्स्टीट्यूशन्स से लोगों को कितना फायदा हुआ उसमें भी अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब राज्य सरकार यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व दे सकती है, सीनेट में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व दे सकती है जहां पर कि वह बैठकर यूनिवर्सिटी के कार्यों में क्या संशोधन हों उसमें हिस्सा ले सकते हैं तो क्या विद्यार्थियों को राज्य सरकार पिलानी इन्स्टीट्यूट से बात करने से वन्चित रख सकती है? क्या आपका पिलानी इन्स्टीट्यूट इससे अछूता रह सकता है? क्या देश की धारा से, देश के प्रवाह से, देश के मेनस्ट्रीम से अलग होकर वे बचे रह जावेंगे, यह सम्भव नहीं है। शिक्षा मन्त्री जी को एक बात कहनी चाहिये डाइरेक्टर को आज्ञा देनी चाहिये. निर्देश देने चाहियें, इसके लिये स्पष्ट रूप में।

मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वे यह देखें कि वहां के विद्यार्थियों को होस्टल्स में से निकाल कर सड़कों पर नहीं डाला जावे। राजस्थान के सपूतों के साथ यह गन्दा बर्ताव नहीं किया जावे डाइरेक्टर को अपनी आज्ञा वापिस लेने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। फिर एक टेबल पर बैठकर बात करें। शिक्षा मन्त्री जी चाहें तो आरबिट्रेटर बन सकते हैं।

जब आज इजराइल की समस्या को रूस और अमेरिका एक जगह बैठ कर हल कर सकते हैं तो क्या इस छोटी सी हमारी घरेलू समस्या को हम हल नहीं कर सकते? आखिर बिड़ला बन्धु भाग कर जावेंगे कहां? उनको भी इसी राज्य में, इसी देश में रहना है, यहीं अपना कारोबार करना है। आज भी लाइसेन्स, परमिट और कोटा के लिये उनको भाग कर राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पास ही जाना पड़ता है। दोनों जगह एक पार्टी की सरकारें हैं। हां सरकार स्वयं ही स्थिति को सम्भालना नहीं चाहे और वेट एण्ड वाच के भरोसे बैठी रहे तो बात दूसरी है या कि स्वयं मन्त्रि मण्डल की समस्या हमारे मुख्य मन्त्री जी के सामने इतनी विकट हो कि उस उलझन से निकल कर इधर ध्यान देना उनके लिये सम्भव न हो तो बात दूसरी है। फिर भी अगर आप सीधा इन्टरफीयरेन्स न करना चाहें तो आप इतना तो कर सकते हैं कि एक कमेटी बिठा दें जो विद्यार्थियों की 28 मांगों के औचित्य अनौचित्य के बारे में निर्णय कर ले विचार कर लें। इस कमेटी में सभी के प्रतिनिधि हों, स्टेट का भी हो, बिड़ला संस्था का हो, विद्यार्थियों

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का हो तो इस तरह से भी इसका समाधान निकाला जा सकता है। अतः निवेदन करूंगा कि यह स्टेटमेन्ट अधूरा है। हो सकता है सरकार को पूरे समाचार न मिले हों। हो सकता है इसके लिये राज्य सरकार प्रयास कर रही हो। मैं सरकार की ईमानदारी पर डाउट करके नहीं चलना चाहता। पर अगर कल तक इस प्रश्न का कोई हल नहीं निकाला गया तो स्थिति और भी बिगड़ने का पूरा पूरा डर है। आप तीन पार्टी मीटिंग बुला सकते हैं, उसमें बैठकर इसका हल खोज सकते हैं। इसे सैद्धान्तिक रूप से मान लिया जाना चाहिये। अगर बिड़ला इन्स्टीट्यूट के व्यवस्थापकों ने इसे नहीं समझा तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि आज के युग के मेनस्ट्रीम से अलग होकर वे नहीं चल सकेंगे। फिर टेक-ओवर कर सकते हैं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं। इसलिये एक संस्था जो राजस्थान में काफी अर्से से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है उसका ह्रास न हो, वह अच्छा काम आगे भी करती रहे यह देखना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिये निवेदन करूंगा कि शिक्षा मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी इसके मूक दर्शक ही बन कर न रह जावें बल्कि जैसा मुख्य मन्त्री ने स्वयं ने कहा है कि वे एक सक्रिय कार्यकर्त्ता रहे हैं और एक कार्यकर्त्ता के स्तर से उठ कर आज इस पद तक आये हैं तो उनका भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जिस तरह आंधी तूफान और बरसती आग में भी जनता के दुःख दर्द को मिटाने और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये हर प्रकार का प्रयास वे करते आये हैं, वे आज प्रान्त की आशाओं के केन्द्र हैं उसी तरह से वे इस समस्या का समाधान करने के लिये भी तत्पर होंगे ऐसा मुझे विश्वास है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : मैं सिर्फ दो तीन सुझाव मुख्य मन्त्रीजी को देना चाहूंगा। उनके हाथ में है यह मसला प्रशासनिक ढंग पर। कल उन्होंने कहा था कि वे धनाढ्य, वैभव सम्पन्न, कैपिटेलिस्टों को किसी प्रकार संरक्षण देना नहीं चाहते। इसके बाद उनकी घोषणा का यह पहला ही टेस्ट आया है। मैं इस डाइरेक्टर की ढीठता की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसे अगर उन्होंने रोका तो मेरा विश्वास है कि मामला सुलझ सकता है।

अभी शिक्षा मन्त्रीजी ने कहा कि रिपोर्ट आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट तो आ रही है, पर जानकारी तो ट्रान्जिट में नहीं है। टेलीफोन से जानकारी ली जा सकती है। रिपोर्ट का सारांश बाद में कह सकते थे।

मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी वस्तुस्थिति की जड़ वहां का डाईरेक्टर है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस डाईरेक्टर की ढीठता को कम आप कर सकते हैं। आज पुलिस उसकी पीठ पर आपने लगा दी है। इस कारण उसने समझ लिया है कि वह प्रोटेक्टेड है। इसके पहले एक न्यूज समाचार पत्रों में थी उसमें कहा गया कि उनका घेराव किया गया। पुलिस ने एक माइल्ड लाठी चार्ज भी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

किया। वे इस तरह का न्यूज देकर लॉ और ऑर्डर की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। वहां कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। मार्इड भी नहीं हुआ। घेराव हुआ तो अनुशासनात्मक तरीके से हुआ और जब उसका समय समाप्त हुआ तो वह भी खतम हो गया।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि कल आपने कहा कि वहां पुलिस फोर्स पड़ी है जिसकी बुनियाद पर डाईरेक्टर को अहंकार है। यदि आप इन्टरवीन करके पुलिस फोर्स वहां से हटा दें तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डाइरेक्टर महोदय अपनी स्थिति को समझ जावेंगे और दो हजार विद्यार्थियों की विकट विषम परिस्थिति को समझ कर स्वयं आगे आकर बात चीत शुरू करेंगे।

मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि वहां के विद्यार्थियों का यह प्रश्न नहीं है। इस आन्दोलन ने राजस्थान के सारे विद्यार्थी संसार पर प्रभाव डाला है। राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी भी इस दिशा में सोच रहे हैं। हमें चिन्ता है कि इससे कहीं सारे राजस्थान के विद्यार्थियों में असन्तोष न पैदा हो जावे। इस सन्दर्भ में इस प्रश्न को देखें तो अच्छा होगा।

दूसरी बात, रामानन्दजी ने जैसा कहा कुछ विद्यार्थी भूख हड़ताल पर हैं। इस सन्दर्भ में विद्यार्थी खुद प्रोब्लम बने हुए हैं। यह लॉ ऑर्डर का प्रश्न बन सकता है। इस डाईरेक्टर ने जब इतने विद्यार्थी भूख हड़ताल पर हैं तो उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं आप से आग्रह करता हूं कि राजकीय स्तर पर आप उनके स्वास्थ्य की चिन्ता करें। कहीं कुछ इनके स्वास्थ्य के बारे में कोई दुष्परिणाम निकला तो यह सारे राजस्थान के विद्यार्थियों में रोष प्रज्वलित कर सकता है, सारे राजस्थान को जला सकता है। इसलिये मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जिस तरह से भी हो, चिन्ता करे। वहां से पुलिस को हटा ले ताकि डाईरेक्टर अपनी स्थिति पर आ जावे।

कुछ बातें इस डाईरेक्टर के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं, संक्षेप में। यह डाईरेक्टर मैसाच्यूसेट यूनीवर्सिटी का प्रोडक्ट है। इसलिये इसके खिलाफ कई आरोप हैं। बहुत बड़ी जांच इनके खिलाफ हुई है। अब जब वहां की मैनेजिंग कमेटी को हम देखते हैं तो मालूम होता है कि उसमें सभी कैपेटेलिस्ट भरे पड़े हैं जो इन विद्यार्थियों को भी अपने ही ढांचे में ढालने के लिये तत्पर हैं। जो देश में एक उल्टी हवा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी एक पुस्तक बताई गई जिसका नाम है अमेरिकन कन्सेप्ट ऑफ साइन्स। यह पुस्तक देश में कहीं नहीं मिलती। पर मैनेजमैन्ट के इस डाइरेक्टर का आग्रह है कि विद्यार्थी उसे कहीं से भी खरीद कर लावें। देश में नहीं मिलती तो बाहर से खरीदें। अमेरिका को लाभ दें। विद्यार्थी इससे महरूम रह रहे हैं। इस डाइरेक्टर के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट है उससे भारत सरकार भी चिन्तित है। इसलिये इसकी ढीठता को हमें ख्याल में नहीं रख कर ब्रोडली इस इन्स्टीट्यूशन के सम्बन्ध में कुछ सोचना चाहिए। इस संस्था को कुछ विशेष प्रिविलेजेज मिले हुए

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
हैं। इसने अपनी स्वयं की एक नगरपालिका बना रखी है।

मेरा विश्वास है कि इस म्युनिसिपैलिटी में जिसके चेयरमैन भी बिड़लाओं में से ही है, इस तरह से यह विशेष स्थिति, विशेष प्रिविलेज जो इनको दिया गया है वह समाप्त कर दिया जावे। आप इस सारी स्थिति का अध्ययन करके नोटिस दे दें कि अलग म्युनिसिपैलिटी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप सामान्य जन के साथ जोड़ दें तब इस परिस्थिति में थोड़ा परिवर्तन आवेगा।

इस तरह से मुख्य मन्त्रीजी यह सारा प्रश्न आपके हाथ में है। आप डाईरेक्टर को उसकी अपनी स्थिति का ज्ञान करा दें कि वह कहां है। अगर उनको अपनी स्थिति का ज्ञान हो जावे और विद्यार्थियों की संगठित शक्ति का आभास उनको हो जावे और आप पुलिस को वहां से हटा लें तो यह सारा मामला आसानी से एक दिन में हल हो सकता है। मेरा विश्वास है दोनों पार्टी अपने आप में बातचीत पर आ जायेंगी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। राज्य सरकार मांगों के बारे में मौन है। अपनी एज्यूकेशन पॉलिसी को नियमित नहीं कर सकती। आज सेन्टर की एज्यूकेशन पॉलिसी क्या है, स्टेट की एज्यूकेशन पॉलिसी क्या है, यू. जी. सी. की क्या है, राज्य सरकार को कुछ भी पता नहीं है। उनकी मांगों को लाजमी मानना चाहिये और मैनेजमैंट को कहना चाहिये। यही तो मौका है। राजस्थान की तीनों यूनिवर्सिटीज में आपने उनको पार्टीसिपेशन दे दिया और गजेन्द्रगड़कर की रिपोर्ट में भी यही था कि स्टूडेन्ट्स को पार्टिसिपेशन देना चाहिये। आपको यह कहना चाहिये यह मेन्डेट है। यह स्टूडेन्ट्स की मांग बहुत जायज है और वह माननी ही चाहिये।

नम्बर दो, आज से 5-6 साल पहले मजदूरों की कुक्स की हड़ताल हुई। पुलिस की मदद से उस हड़ताल को क्रश कर दिया गया। दो हजार स्टूडेन्ट्स का कुक्स बन्द कर देंगे और इनडेफिनिट पीरियड के लिये क्लोज कर देंगे। अपने आप परेशान होकर स्टूडेन्ट्स यूनियन बिखर जायेगी। मान्यवर, दोनों पार्टीज की बारगेनिंग पावर एक सी नहीं है। स्टूडेन्ट्स की पावर में और मैनेजमैंट की पावर में बहुत फर्क है। इसलिये जो वीकर सैक्सन है वह स्टूडेन्ट्स कम्यूनिटी है। मैं, मान्यवर, इस बात का भी दावा करता हूं कि अगर हड़ताल चालू रही तो राजस्थान का कोई कॉलेज नहीं है जहां यह आग न लगे और फिर लॉ एन्ड आर्डर का सवाल पैदा हो जायेगा। मैं कह रहा हूं। आपने वहां नई म्युनिसिपैलिटि क्रियेट की, हवाई अड्डे बनाये और न जाने आपने वहां क्या क्या किया। राज्य सरकार से बड़ा फायदा उठाया है। मैं नहीं चाहता लेकिन कल मैंने कहा है बिड़ला इन्स्टीट्यूशन न सेन्ट्रल की एज्यूकेशन पॉलिसी को मानता है और न स्टेट की एज्यूकेशन पॉलिसी को मानता है और न ही यू. जी. सी. को मानता है। न वह सरकार की परवाह करता है, न किसी एम. पी. की परवाह करता है, न किसी एम. एल. ए. की परवाह

(श्री केदारनाथ)

करता है, किसी की कुछ भी नहीं मानता। केवल गवर्नर की ग्रोर सीनेट की बात को वेट दिया जाता है। एज्यूकेशन मिनिस्टर साहब के इस स्टेटमेंट से यह जाहिर नहीं होता है कि ग्राप डायलोग के लिए क्या रास्ता लेकर चलते हैं।

हम ग्राशा करते हैं कि हाउस में कल एडजोर्नमेंट मोशन है ग्रौर इसका फुल स्टेटमेंट ग्राये इसलिए ग्राप इसको परसूएड कीजिये। मान्यवर, यू. पी. में एक रिसर्च इन्स्टीट्यूशन है वहां यू. पी. गवर्नमैन्ट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हैं, फाइनेन्सियल लैप्सेज हैं उनके ग्राधार पर उसका चार्ज लिया है। वही यहां है, केवल एडामेन्ट होकर मत देखिये This is letter dated 30th October, 73 from the Dean of Students Birla Institute.

In continuation of my letter dated 29 October, 73 & inspite of my advice to the contrary your ward did not co-operate and seems to have lent support to the misguided lawless elements. This element seems to have been backed with lots of outside money & facilities and tried to hold the Institute Campus to rensom. Under these circumstances we were left with no alternative but to close the Institute for an indefinite period of time, require every student to vacate the hostel immediately & leave for their homes.

जो डायरेक्टर गार्जियन्स को यह लिखता है कि यहां मनी पेनिट्रेट हो रहा है। सारे स्टूडेन्ट्स कम्युनिटी को इस दिमाग से देखते हैं ग्रौर उस ग्रादमी को ग्रापने वहां रख रखा है इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है।

मान्यवर, मैं कहता हूं यह वक्त है। मांग के बारे में वक्तव्य देना चाहिये ग्रौर हम चाहते हैं।

नम्बर तीन, होस्टल खाली न करवाया जाय, इससे स्टूडेन्ट्स की समस्या ग्रौर भी खतरनाक हो जाएगी। मेरा निवेदन है एज्यूकेशन मिनिस्टर खुद दोनों पार्टीज के साथ टेबिल पर बैठें ग्रौर निगोशियेसन करके हल निकालें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह जटिल समस्या है ग्रौर इसका विस्फोट दूरगामी हो सकता है। कम से कम भूख हड़ताल पर जो विद्यार्थी हैं उनकी स्थिति कैसी है यह तो सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है जांच करायें ग्रौर जांच कराने के बाद जो कुछ हो सके उनको सहायता दी जाय। माननीय सदस्यों के वक्तव्यों के ग्रनुसार मैं इस निश्चित निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह एक ऐसा मसला है जिसमें सरकार का दखल होना परम ग्रावश्यक है। Eminent and suitable case for State's interference.

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अगर सरकार लेतलाली करती है, डिफेन्स पॉलिसी अख्तियार करती है और यह समझती है कि इसके अन्दर दखल नहीं करना चाहिये तो मेरे ख्याल में यह गलत नीति है। मैं नहीं चाहता कि इस इन्स्टीट्यूशन का, इस संस्था का पूरा करैक्टर ही बदल दें। वैसे मैं मानता हूं बिड़ला जी को भी इस देश में रहने का अधिकार है। अगर बिड़ला जी ने जनता का हित किया है तो स्वागत करना चाहिये। अगर इस संस्था को अमेरिका द्वारा मदद मिलती है, अमेरिका या रशिया मदद देता है तो वह मदद मान्य होनी चाहिये उसे ठुकराना नहीं चाहिये। यह अन्तर्राष्ट्रीय एक सिद्धान्त है। लेकिन पुरानी दकियानूसी–सारा संचालन नामिनी और नामीनीज के हाथ में है, स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन इसमें कुछ नहीं है तो आज सरकार, उसके हितचिन्तक बनकर यह कह सकती है कि बिड़ला जी यह चीज नहीं टिकने वाली है। अगर निदेशक महोदय अपने आपके द्वारा निगोशियेशन नहीं करना चाहता है तो यह सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के लिये सरकार का यह प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये। दोनों पार्टीज को बुलायें। आखिरकार विद्यार्थियों की मांग है और कहें कि ये मांग मानने के लिये तैयार हैं और ये-ये मांग मानने के लिये तैयार नहीं हैं। उसके अन्दर सहानुभूतिपूर्वक सरकार का सहयोग होना चाहिये। और अगर निदेशक इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है और हठधर्मी पर तुला हुआ है तो फिर उनको ग्रेसफुली बिदा करना चाहिये। सरकार के पास ऐसे कितने ही रवैये हैं और इस स्थिति को काबू में ला सकती है। मगर मैं कहता हूं:— Matters will go from bad to worse.

यह कन्वेन्शन सरकार ने बना लिया है— sitting on the fence and wait and watch.

तो यह वेट और वाच करने की जो नीति है सरकार की हानिकारक है। अगर इस चीज का तुरन्त ही हल निकालेंगे तो ठीक है:— Nip the trouble in the bud.

प्राम्प्ट एक्शन लेंगे तो मेरे ख्याल में एक विस्फोटक स्थिति पर काबू पा सकते हैं। प्राम्प्ट एक्शन लेना ही आधुनिक एडमिनिस्ट्रेशन का परम पुनीत कर्त्तव्य है। पुराने जमाने की बात गई जब हड़तालें होती थीं, जब पुलिस का फोर्स काम में लिया जाता था। अगर आज शान्तिमय हड़ताल है तो पुलिस फोर्स काम में लेना मेरे ख्याल में:— Ante deluvion methods है। उसका त्याग करना चाहिये। सौहार्दपूर्ण वातावरण बना कर निगोशियेसन करें, इसका सरकार जल्दी से जल्दी प्रयत्न करे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : केवल दो मिनिट के लिये बोलना चाहता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : एक ही सिद्धान्त हो सकता है, दो बातें अलग अलग कैसे होंगी। या तो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उनको मौका दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : स्थगन प्रस्ताव मेरा भी है।

Page No. 63

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जी हां। कल ही मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारा शायद ज्वाइन्ट ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सिग्नेचर नहीं हैं लेकिन फिर भी आप बोल लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बहुत धन्यवाद। क्योंकि बिड़ला का मामला है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मेरा निवेदन है अभी जवाब तो गवर्नमेंट का आया नहीं। यों तो हम भी बोलते चले जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जवाब तो आया है, सन्तोषजनक नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जवाब आया नहीं गवर्नमेंट का सभी पार्टीज वाले बोल जायं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक स्टेटमेंट मुख्य मन्त्री महोदय का आया है और मैं अर्ज करना चाहता था उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज इस बात का क्या हमने ठेका ले रखा है कि इजारेदारों को बड़ी से बड़ी सहूलियतें हम देते चले जायं। इस बिरला इन्स्टीट्यूशन ने एक न्यूक्लियर स्टेडी की क्लास खोली गई और लाखों रुपया राज्य सरकार ने उस न्यूक्लियर क्लास के लिए दिया और मैं चैलेंज करके कहता हूं कि बिड़ला इन्स्टीट्यूशन में न्यूक्लियर स्टडी की कोई क्लास नहीं है। केवल एक फर्जी न्यूक्लियर क्लास के नाम पर लाखों रुपया सरकार का बिड़ला ने ठण्डा कर दिया। बिजली के मामले में भी लोगों को 45 पैसे पर यूनिट बिजली मिले, किसान को 13 पैसे पर यूनिट बिजली मिले, इंडस्ट्रीज को 12 पैसे पर यूनिट बिजली मिले और बिड़ला को तीन पैसे पर यूनिट बिजली मिले और बिड़ला 3 पैसे पर यूनिट की बिजली को बेच कर अनाप शनाप मुनाफा कमाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की सिविल लिबर्टीज राजाओं को दी गई थी क्या वह जरूरी है कि उसी प्रकार की सिविल लिबर्टीज आज भी होगी बिरलाओं को। और वह कौनसा रजिस्ट्रेशन एक्ट है, मैं जानना चाहता हूं शिक्षा मन्त्री महोदय से कि जिसके तहत इस इन्स्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन किया गया है। जरा देखिए, इसकी गवर्निंग बोडी में एक से लेकर आखिर तक कौन लोग हैं। एल. एन. बिरला, एम. टी. बिरला, के. के. बिरला, बी. के. बिरला, भरतराम श्री चरतराम, ये भी बिरलाजी के ही हैं। एम. एस. ठक्कर, ये भी बिरला के हैं। आप बताइये क्या यह इन्स्टीट्यूशन है। यह एक कुनबापरस्ती है।

इतना ही नहीं आज आप बिरला मन्दिर के नाम से पिलानी के अन्दर एक म्यूनिसिपैलिटि कायम करने जा रहे हैं जिसमें यही डायरेक्टर....

एक माननीय सदस्य : कायम भी हो गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह म्युनिसिपैलिटी कायम हो गई है। वही डायरेक्टर है जिसको चेयरमैन बनाया जा रहा है इसका। मैं एक गम्भीर विषय सदन के सामने उपस्थित करने जा रहा हूं जो पहले भी सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। हमारे महारावल साहब चाहे अमेरिकन मनी हो, चाहे रशियन मनी हो, चाहे वह सातवां बेड़ा प्रशान्त महासागर में आकर खड़ा हो जाय, मिजाइल्स चाहे पाकिस्तान के पास पहुंच जायं, मिजाइल्स चाहे अरेबियन कन्ट्री में पहुंच जायं, उनको तो पाकिस्तान, अमेरिका या रशिया किसी में अन्तर नजर नहीं आता है। मुझको अन्तर नजर आता है। यही डायरेक्टर जो कि नेश्यूसैल इन्स्टीट्यूशन का मेम्बर रहा है, जो कोलम्बिया यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर बनकर बाकायदा राजस्थान कैनाल के क्षेत्र के अन्दर घूमता रहा, राजस्थान कैनाल क्षेत्र के अन्दर नक्शे लेता रहा, बोर्डर क्षेत्र के नक्शे लेता रहा और उसके बाद पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान ने उन नक्शों का उपयोग किया आज वही आदमी हमारी म्यूनिसिपैलिटी का अध्यक्ष बनकर बैठ जाय, एक संस्था का डायरेक्टर बनकर बैठ जावें और उसको हर किस्म की लिबर्टी हो, हर किस्म का राइट हो, महारावल साहब इस बात को सहन कर सकते हैं लेकिन एक देशभक्त होने के नाते, कोई भी देशभक्त इस बात को सहन नहीं कर सकता कि इस किस्म की लिबर्टी हम किसी को दें।

फिर आप जरा गौर से मुलाहिजा फरमाइये। ह्यूमिनिटीज कोर्स में साइंस के कोर्स में, इकोनोमिक के कोर्स में, लिट्रेचर के कोर्स को आप ले लीजिए, अभी मेरे पास समय थोड़ा है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं इस सारे सोर्सेज की पुस्तकें इस सदन में पढ़कर सुनाऊं तो आप रोमांचित हो उठेंगे। सारे के सारे अमेरिकन राइटर्स का लिट्रेचर भरा हुआ है। सारे के सारे ह्यूमिनिटीज कोर्सेज के सारे के सारे अमेरिकन राइटर्स के लिखे हुए कोर्सेज हैं। जितनी इकोनोमिक्स पढ़ाई जाती है वह सारी अमेरिकन राइटर्स की है। सारे भारतवर्ष के अन्दर साइन्स की पुस्तकें मिलें या नहीं वह अमेरिकन पुस्तकें ही होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई मजाक की बात है? सारा देश जानता है कि बिड़ला कितना बड़ा सेवक है। हम जानते हैं कि बिड़ला ने क्या सेवा की है और इस देश से क्या प्राप्त किया है। दस हजार करोड़ का काला धन है जिसको इन फार्मों और इंस्टीट्यूशन के रूप में आज छुपाने का प्रयत्न बिड़ला कर रहा है। हम यह भी जानते हैं कि अलमोनियम इन्गोट्स के सेल्स टैक्स के रूप में मोरारजी देसाई ने करोड़ों रुपयों का लाभ इन बिड़लाज को दिया था। मुख्य मन्त्री महोदय····

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : बिड़लाजी ने जो सेवा की है और जो उनका कार्य रहा है उसकी प्रशंसा करने में मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया है। जो वास्तविक चीज थी वह मेरी भावना के अनुसार मैंने सामने रखी है। इसमें मतमतान्तर हो सकते हैं। अगर आपका विरोध है तो इसका भी स्वागत है। लेकिन यह कहना····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप तो सातवें बेड़े की भी प्रशंसा कर सकते हैं ।

(व्यवधान—शोरगुल—अश्रव्य)

श्री लक्ष्मणसिंह : इस देश में बिड़ला को भी रहने का अधिकार है। आज देश में जनतंत्र है और जनतन्त्र में सबको रहने का अधिकार है । अगर आप जनतन्त्र को खत्म कर देना चाहते हैं तो वह एक अलग बात है वरना अगर लकीर के फकीर रह कर रशियन पद्धति को अपनाना चाहते हैं तो बहुमत जिसका है वह जो कुछ भी चाहे कर सकता है, मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम न तो रशियन चाहते हैं, न अमेरिकन ।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे ठीक लगा वह मैंने कहा·······

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जनतन्त्र के दुश्मनों के बारे में हमको ऐतराज है·······

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

श्री लक्ष्मणसिंह : जो आज एक दुश्मन है वह एक समय दोस्त भी हो सकता है । अगर हम अमेरिका से फण्ड और खाद्यान्न चाहते हैं कि वह हमारी सहायता करे और वह हमारी सहायता करता है तो भी इसका हम स्वागत् करेंगे । अगर हमारे देश के साथ गद्दारी करते हैं और पाकिस्तान की मदद करते हैं तो उसका भी कटु विरोध करेंगे ।

With an open mind we should judge the issues.

आपको अगर शासनारूढ़ दल को इन्फ्लुएन्स करना है तो आप करिए लेकिन मुझे भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है । जब तक यह सदन और जनतांत्रिक परम्परा है मुझे भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है । अगर इस सदन को भंग कर अधिनायकवाद की स्थापना करते हैं तो आप यह दोनों मिल जुल कर जो चाहे कर सकते हैं । लेकिन जब तक यह सदन है और जनतन्त्र की पद्धति है तब तक हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है·····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको तो जो कुछ जीवन में करना था महारावल साहब, अपने जीवन में कर चुके अब तो कमण्डल हाथ में लेकर सन्यास लेने का समय है·······

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—शोरगुल—अश्रव्य)

अब तो हरिद्वार की तरफ निकल जाओ और इस सदन का पीछा छोड़ो ।

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अन्न देशद्रोहियों को दिया जाता है, वह अन्न जो हमारी छाती पर·······

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य का दृष्टिकोण आम और इमली का, पूर्व और पश्चिम का है इसका मुझे खेद है कि मैं उनको संतुष्ट नहीं कर सकता हूं·······

(निरन्तर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : महारावल साहब हम सब जानते हैं कि बिरला के द्वारा हमारे देश के अन्दर, हमारे देश के दुश्मन पलते जा रहे हैं। उसी अमेरिकन अन्न के बारे में हमारे प्रधान मन्त्री ने आज देश भक्त भारतियों को और प्रगतिशील पार्टियों को यह नारा दिया है जो देश के साथ दुश्मनी रखे, देश के अन्दर सातवां बेड़ा लाकर खड़ा कर दे हमारे प्रशांत महासागर के एरिया में और जिसके मिजाइल्स हमारी छाती पर चलें, ऐसे देश का अन्न हमें नहीं चाहिए। आपको यह बरदास्त हो सकता है, आपने सारी उम्र अंग्रेजों का अन्न खाया है, राजाओं का अन्न खाया है.......

(भयंकर शोरगुल—अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रशिया का वह कौनसा अन्न है जिसके जहाज आ रहे हैं और जिसको वह अन्न वापस लौटाया जायेगा। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं वह रूस कौनसा देश है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आश्चर्य कर रहा था ......

(निरन्तर भयंकर शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो वहीं पर मरेंगे और वहीं पर दाह-संस्कार होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा दाह-संस्कार तो आपका करके होगा। पहले आपका होगा। इन बुजुर्गों का दाह संस्कार करके मरूंगा।

(श्री हाण्डा एवं श्री भार्गव एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

आज उस बिड़ला के कहने से दो हजार स्टुडेण्ट्स की छाती पर चार सौ पुलिस के जवान बैठा दिए हैं, जिसने आज राजस्थान की मिनिस्ट्री पर बन्दूक छाती पर रख दी है, आज उसी बिरला के बारे में कहा जाय तो महारावल साहब हमें आपकी जलन समझ में आती है क्योंकि........

(भयंकर शोरगुल—कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : भीलों के सिर काट कर आप घोड़े के पीछे बांध कर घसीटते हैं वे आज प्रजातन्त्र की बात करते हैं.......

(शोरगुल-अश्रव्य)

जनता ने आपको जनतान्त्रिक तरीका सिखाया है ......

श्री लक्ष्मणसिंह : ... .(शोरगुल में अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय,....

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा :
श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : } एक साथ बोलते रहे

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.......

श्री हरिदेव जोशी : अब मुझे बोलने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सोचता हूँ कि मुझे बोलने देना चाहिये.......

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक पार्टी का एक आदमी–सदस्य बोले किन्तु चार चार सदस्य एक साथ बोलने लगते हैं तो यह कोई पालियामेन्टरी प्रोसीजर नहीं है। मैं आपके निर्णय को मानता हूं किन्तु यह कौनसा पालियामेन्टरी प्रोसीजर है ?

श्री हरिदेव जोशी: उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सूझ आयी परन्तु बहुत देर से आयी....(शोरगुल)....

श्री रामानन्द अग्रवाल : शायद महारावल साहब जी. डी. बिड़ला पर अपना इन्फ्लुएन्स डाल सकें, इसलिये पहले इनको मौका दिया जाना चाहिये ......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....... (शोरगुल) ......

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजाय इसके कि हम विषय से इधर उधर जाएं और रूस, अमेरिका और दुनिया भर की बातें करें.......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चमचे करते हैं.......(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कोड़ियां करती हैं......(शोरगुल)......

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आसन को विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की कुछ व्यवस्थाएं हैं। सदन के कार्य संचालन के कुछ पालियामेन्टरी प्रोसीजर है परन्तु उस पालियामेन्टरी प्रोसीजर को एडॉप्ट न करके आर्बीट्रेरिली वे में हर किसी को जो खड़ा हो जाये, बोलने की इजाजत दे दें, तो अनुपयुक्त है.......... आसन को कन्ट्रोल करना चाहिये.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें.......

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो तेजी आ गई है उसको समाप्त किया जाये और विद्यार्थियों के मसले पर विचार किया जाये।

दरअसल में यह अत्यन्त ही खेद का विषय है कि आज तक स्ट्राइक के बारे में हम कोई निश्चित बात नहीं कह सके। किन्तु गवर्नमेन्ट का माइन्ड इस दिशा में वर्क कर रहा है। गवर्नमेन्ट का स्टेटमेन्ट इस डाइरेक्शन को इन्डीकेट करता ही है। मैं यह कह सकता हूँ कि बीच में जो भी क्षेपक है, उस क्षेपक को निकाल दिया जाये तो किसी ने भी विद्यार्थियों के अहित की बात नहीं कही है। किसी ने भी विद्यार्थियों के हित को गौण नहीं माना है। यहां यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि विद्यार्थियों ने डेमोक्रेटाईजेशन की मांग की है और राज्य सरकार को उसका समर्थन करना चाहिये। यहां यह बात भी कही गयी है कि विद्यार्थियों को होस्टल से नहीं निकाला जाना चाहिये और यहां यह भी कहा गया है कि पुलिस को भेजना वाजिब नहीं था। और यह भी कहा गया है कि यदि डाइरेक्टर्स गवर्नमेन्ट के हिन्ट को उचित रूप से नहीं समझते हैं तो गवर्नमेन्ट को एक्शन लेना चाहिये।

(श्री हरिदेव जोशी)

मेरा निवेदन यह है कि जहां तक विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का सवाल है, गवर्नमेन्ट सतर्क है और हमें पूर्णरूप से जानकारी है और भूख हड़ताल पर रहने वाले विद्यार्थियों की स्थिति कैसी है। इसकी भी गवर्नमेन्ट को जानकारी है। कल, परसों और आज भी उनका मेडीकल चैकअप हो गया है। यह बात सही नहीं है कि उनका मेडीकल चैकअप पहले नहीं किया गया और जरूरत हुई तो दिन में एक दो बार भी मेडीकल चेकअप होगा और जो प्रीकॉशन लेने चाहिये वह गवर्नमेन्ट ले रही है गवर्नमेन्ट जो भी चाहती है वह स्पष्ट है इस स्टेटमेन्ट में हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो। अगर गवर्नमेन्ट यह महसूस करेगी कि गवर्नमेन्ट के उस आग्रह को नहीं माना जा रहा है तो फिर गवर्नमेन्ट वुड एक्ट एज ए गवर्नमेन्ट। अभी हम ऐसा नहीं समझते कि वह स्टेज आ गई है कि हम बीच में आ जांय क्योंकि विद्यार्थियों को और टीचर्स को एक जगह रहना है और विद्यार्थियों को उन्हीं टीचर्स के पास पढ़ना है स्ट्राइक तो एक थोड़ा, क्षणिक समय है, वह निकल जायेगा। दोनों के बीच में सौहार्दता रहे, यह हमारा प्रयत्न है, किन्तु कभी इसके यह मायने नहीं हैं कि जो पुलिस वहां पर गई है वह विद्यार्थियों का दमन करने के लिये गई है। विद्यार्थी जब यहां आये थे, मैंने उन्हें बहुत स्पष्ट कर दिया था कि आप नॉन वायलेन्ट रहें तो पुलिस आपकी तरफ उंगली नहीं उठायेगी। कहीं अखबार में यह आया है कि कोई हल्का लाठीचार्ज हुआ है, वह गलत खबर है। गवर्नमेन्ट कभी नहीं चाहेगी कि यह चीज फैले और दूसरी तरफ जाये। विद्यार्थियों में अशान्ति है, उनमें असन्तोष है, यह हम कभी नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं और हमारा क्या एप्रोच है, यह हमारी यूनिवर्सिटीज को जिस तरह से हम डील करते हैं उससे स्पष्ट है और हमारी यह भी मंशा है कि गवर्नमेन्ट के एप्रोच को प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को अपनाना चाहिये, फिर चाहे वह यूनिवर्सिटी लेविल की हो, चाहे प्राइमरी स्कूल के लेविल का हो। मगर गवर्नमेन्ट का एप्रोच एक सार्वभोम एप्रोच है और उस एप्रोच को हरेक को अपनाना चाहिये। फैक्ट्स कुछ और भी हैं हमारे समक्ष, मगर हमारी मंशा यह है कि बातचीत शुरू हो और सद्भावनापूर्ण उसका अन्त हो, इसका हम इन्तजार कर रहे हैं। और इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि अभी इस बारे में कहने का समय नहीं आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल स्टेटमेन्ट देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : जरूरत हुई तो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मुख्य मन्त्री जी इसमें एक....

श्री हरिदेव जोशी : जानकारी की जरूरत हुई तो सदन को दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसी भी जानकारी हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उनको होस्टल से निकालने के आदेश हो चुके हैं।

श्री हरिदेव जोशी : जो भी चीज गवर्नमैंट ठीक समझेगी, करेगी। हम विद्यार्थियों का अहित नहीं चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई स्टे ऑर्डर हो....

श्री उपाध्यक्ष : शासकीय संकल्प।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उसमें लिखा है कि स्टूडेन्ट्स माफी मांगें तो स्टुडेन्ट्स कभी माफी नहीं मागेंगे। इस प्रकार की थ्रेटनिंग वहां के प्रिन्सीपल के द्वारा दी गई है। जो पत्र पढ़ा है...

श्री हरिदेव जोशी : आप हमें समय देने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में प्रश्न मत उठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : जो भी जरूरत होगी किया जायगा। मेहरबानी करके इस इश्यू को अब नहीं उठायेंगे। डोन्ट रिपीट दीज थिंग्स।

श्री उपाध्यक्ष : शासकीय संकल्प।

शासकीय संकल्प

विद्युत् बोर्ड को ऋण लेने की अधिकतम राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विद्युत् (रसद) अधिनियम, 1948 की धारा 65 (3) के अधीन मण्डल द्वारा किसी समय ऋण लेने की अधिकतम राशि को उच्चतर करके 150 करोड़ रुपये निश्चित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही स्पष्ट प्रस्ताव सरकार द्वारा इस सदन के सामने रखा गया है। इसका मूल उद्देश्य राजस्थान विद्युत् बोर्ड के ऋण लेने की क्षमता 150 करोड़ तक बढ़ाने की है। जैसा कि आपको मालूम है कि इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के अन्दर राजस्थान विद्युत् बोर्ड को 10 करोड़ तक ऋण लेने की सीमा है, लेकिन इस सीमा को 1970 में राज्य सरकार ने बढ़ा कर 50 करोड़ तक कर दी थी, लेकिन विद्युत् बोर्ड का जो अभी तक का कार्यक्रम है और जो आगे कार्यक्रम हाथ में लिया जाने वाला है, उसको देखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि इस सीमा को और आगे बढ़ाया जाय। मैं जानकारी के तौर पर सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत् बोर्ड का जो अभी तक का कार्यक्रम हाथ में लिया जा चुका है उसके अनुसार 47.79 करोड़ की धनराशि पहले से ही कर्जे के रूप में बोर्ड ले चुका है, और इस वर्ष का जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया है 73-74 में उसके अनुसार 8-29 करोड़ और ऋण के रूप में विभिन्न इन्स्टीट्यूशन्स से लेने का प्रावधान है। इस आर्थिक वर्ष के अन्त में ऋण 55 करोड़ से अधिक बढ़ जाने वाला है। इसके अलावा पांचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम एक प्रकार से दिया हुआ है प्लानिंग कमीशन को इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिसोर्सेज पर विचार हो रहा है कि कितने रिसोर्सेज पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ा सकते हैं इस कार्यक्रम को देखते हुए। इसके अनुसार करीब 95 करोड़ की धन राशि और हमको अलग अलग

(श्री शिवचरण माथुर-कृषि मंत्री)
इन्स्टीट्यूशन्स से बोर्ड को उधार लेने के लिए स्वीकृति देनी पड़ेगी । इस सारे कार्यक्रम को देखते हुए मैं मानता हूं कि बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है । राजस्थान में बिजली के विस्तार की आवश्यकता को आप और हम समझते हैं । कुल मिलाकर अभी तक 14 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक बहुत लम्बा रास्ता तय करना है । इसको देखते हुए 95 करोड़ और मांग कर रहे हैं । और आर्थिक स्रोत अभी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जुटाना है । इसलिए आवश्यक हो गया है कि यह सदन विद्युत् बोर्ड को इजाजत दे और इस ऋण लेने की क्षमता को 150 करोड़ तक बढ़ा दिया जाय । इसी प्रस्ताव को सरकार आपके सामने लेकर आई है । मैं आशा करता हूं कि इस सीधे-साधे प्रस्ताव को यह सदन स्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्टेच्यूटरी रिजोल्यूशन दिया है । इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के सैक्शन 65 के सब-सैक्शन (3) में यह दिया हुआ है कि 10 करोड़ के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऋण लेने की सीमा बढ़ाई जाय तो रिजोल्यूशन के द्वारा असेम्बली में होना चाहिए 1972 का राजस्थान इलैक्ट्रिसीटी बोर्ड का बजट जो है उसमें देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । अगर मेरे समझने में कोई गलती हुई हो तो माननीय मन्त्री महोदय उसको स्पष्ट कर दें । लेकिन जो लोन उसमें बताया गया है वह 150 करोड़ से कहीं ज्यादा है ऑलरेडी । 10 करोड़ से 150 करोड़ तक बढ़ाने की कल्पना और रिजोल्यूशन को सदन में लाने की बात आप कैसे कर रहे हैं । 1971-72 के बजट में 31-3-72 तक जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट है उसमें 158.73 करोड़ रुपया तो स्टेट गवर्नमेन्ट का लोन है । उस लोन को आप क्या कहेंगे ? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट का जो एस्टेब्लिशमेन्ट था वह सारा आपने उनको दे दिया । वह लोन नहीं है ? उसको इन्क्लूड करते हैं तो दो अरब यानि 196 करोड़ का लोन अपने आप में हो गया । 158.73 करोड़ का तो वह और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 11.75 करोड़ का ऋण जो कि 10 करोड़ से ज्यादा है । इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपके एकाउन्ट्स में यह दिया हुआ है । थर्ड लोन राजस्थान रूरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 51.77 करोड़ का है, और चौथा ऋण आपने मार्केट से 14.86 करोड़ का लिया है । पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का जिसको आपने डिपॉजिट कह कर बताया है वह ऋण आता है 166 करोड़ का । यह टोटल एमाउन्ट दो अरब से ऊपर चला जाता है । तो 150 करोड़ का ऋण इस सदन में क्या कह कर आप लेना चाहते हैं ? स्टेच्यूटरी रिजोल्यूशन आपने रखते हुए यह कह तो दिया कि राजस्थान का विकास करना है । राजस्थान बहुत पीछे है । 14 प्रतिशत गांवों को ही बिजली मिली है । लेकिन आपका वर्किंग तो देखिये । 1967 से डेढ़ करोड़ के जेबरा कन्डक्टर्स अनयुटिलाइज्ड आपके पड़े हैं । ट्रान्समीटर्स करोड़ो रुपयों के आ गये हैं वह पड़े हुए हैं वह गांवों में नहीं

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

आये हैं। आपके यहां का जो ऑपरेशन कोर्स बनाया हुआ है अगर सारे इण्डिया के ऑपरेशन कोर्स से तुलना करें तो बेवकूफी में वह अग्रगण्य है, यह मैं मान कर चलता हूं। यहां पर नीचे दुकान और ऊपर मकान रहने का है तो उनका अलग अलग मीटर। इस तरह से हरेक चीज के अलग अलग मीटर्स हैं इस वास्ते मीटरों की कमी है। इस सदन में मेरी तरफ से एक प्रश्न आया था कि आपने बहुत बड़ी संख्या में कमानी ब्रदर्स से मीटर खरीदे वह 38.50 रु. पर मीटर के हिसाब से खरीदे। अगर नहीं खरीदे तो यह मना कर दें। वह कह दें कि राजस्थान में एक ही इण्डस्ट्री है उसको पनपाना चाहते हैं। वही मीटर 28.22 रु. में कमानी ब्रदर्स ने मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट को टेण्डर से दिये और उसी महीने में दिये। इसमें 15.20 लाख का लॉस हुआ है।

आपके यहां पर मान इण्डस्ट्रीज है उस मान इण्डस्ट्रीज को टावर्स बनाने के लिए लोहा भी दिया और पैसा भी दिया। उसको 5 वर्ष हो गये। उसने न तो पैसा ही लौटाया है और न लोहा ही लौटाया है। उसने उसको गिरवी रख कर राजस्थान बैंक से पैसा लेकर वह खा गया। मैं नहीं कहता कि घाटे नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह से? गत वर्ष तो यहां तक कह दिया कि एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन के लिए कुए हैं उनका भी लाइन वगैरहा का खर्चा काश्तकार दें तो कनेक्शन देंगे। आप डवलपमेन्ट करना चाहते हैं। आप ऐसे अधिकारियों के हाथ में रुपया देना चाहते हैं, 150 करोड़ रुपया देना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि राजस्थान का विकास मत करिये। यह बहुत आवश्यक है। राजस्थान का विकास हो, राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा बढ़े। इसमें दो मत नहीं हैं।

इनका एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गनाइजेशन एण्ड मेथड्स डिपार्टमेन्ट। यह उन्होंने तय कर रखा है कि एक जूनियर इन्जीनियर के पास कितने कनेक्शन्स होने चाहियें। दो सौ मील के रेडियस के अन्दर एक जूनियर इन्जीनियर काम करता है और जहां 800 से 1600 तक कन्जूमर्स की स्ट्रेंग्थ होगी। उसके लिये आपने एक जूनियर इन्जीनियर नियुक्त कर रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन में ऐसी जगह हैं जहां एक सौ या दो सौ मील के रेडियस के अन्दर 3000 आपके कन्जूमर्स हैं, वहां भी आपका एक ही जूनियर इन्जीनियर काम कर रहा है। अरे साहब, अगर आपको बचत ही करनी है, तो कम से कम इसमें तो बचत मत करिये। एक जूनियर इन्जीनियर 3000 कन्जूमर्स को दो सौ मील के रेडियस में बिजली नहीं पहुंचा सकता, यह उसकी क्षमता के बाहर है। अभी नक्शे की बात हो रही थी, ट्रेजरी बेन्चेज का कैसा नक्शा है, कैसा नहीं है। वह नक्शा तब नजर आता है जब समाजवाद के नाम लेते हैं और करते हैं उससे उल्टा काम।

कम्युनिस्ट पार्टी के हांडा साहब ने बताया कि बिड़ला को तीन पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी गई है। केवल बिड़ला को ही नहीं, और भी कई सेठों को दी है। बिड़ला को और डी. सी. एम. को तो एग्जेम्प्शन दिया है,

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
लेकिन जिनको जनरल टेरिफ पर दिया है उसका क्या करेंगे ? कहने लगे एक क्लर्क 50 कन्ज़ूमर्स को डील करता है। कहां 5 पैसे और कहां 29 पैसे ? तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 150 करोड़ ही क्या, आप 200 करोड़ लोन लेने की अनुमति दे दीजिये, लेकिन आपकी रीपेइंग कैपेसिटी होनी चाहिये। अगर आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है तो लोन ले लीजिये। लेकिन बोर्ड के कन्धों पर इतना भार भी मत डालिये कि वह सहन ही नहीं कर सके। बोर्ड की वर्किंग को ठीक करिये। इन्जीनियर्स के काम का आपने रेशनलाईजेशन किया। आपने रेशनलाईजेशन यह किया कि 3000 कन्ज़ूमर्स पर एक जूनियर इन्जीनियर दे दिया। यह कैसा रेशनलाइजेशन है ? मैं तो समझता हूँ कि यदि डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द हो, यह इर्रेशनलाइजेशन है। आप यह बतावें कि यह कर्जा आप आगे के किसी काम के लिये ले रहे हैं, या पहले जो कर्जे ले रखे हैं उनको ही रेग्यूलराइज करने के लिये, स्टेच्युटरी रूप देने के लिये यह संकल्प लाये हैं। अगर भविष्य में डवलपमेन्ट करने के लिये लोन ले रहे हैं, तब तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यह अधिकार है।

यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट एक दो बार ही डिस्कशन के लिए आया, उस पर भी पूरा डिस्कशन करने का मौका नहीं मिला, जबकि यह आवश्यक है कि जितने भी स्टेच्युटरी बॉडीज हैं, उन सब का बजट और रिपोर्ट्स यहां पर पेश होने चाहिये और उन पर डिस्कशन होना चाहिये। इसलिए मैं हमेशा मुख्य मन्त्रियों से, पहले सुखाड़िया साहब से, बाद में बरकत साहब से यह निवेदन करता रहा; और अब माननीय हरिदेवजी से भी यही निवेदन करूंगा कि विद्युत् मंडल पर हर साल ही डिस्कशन होना चाहिये, उससे बोर्ड की जो कई कमजोरियां हैं, कमियां है, यह आपके सामने आ जायेंगे और आप उन्हें दूर कर सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

आप कृपया यह बतायें कि यह जो लोन लेने की बात है वह आगे लेने जा रहे हैं यह पहले लिए हुए लोन को रेग्युलराइज करने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल !

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट टू हिम।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् मंडल की लोन लेने की सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि यदि इससे भी ज्यादा लोन बोर्ड लेना चाहे तो उसे देना चाहिये। लेकिन उसका जो अपव्यय होता है उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के सभी लोगों को एक बात का बहुत कड़वा तजुर्बा है। हमारे यहां पानी की कमी के कारण सारे राज्य में विद्युत् की कटौती की गई, लेकिन आपने कौनसी व्यवस्था की जिससे कि उस कटौती को पूरा किया जा सके। राजस्थान में अणु शक्ति का केन्द्र लगाया हुआ है, जो आज चलता है तो कल नहीं चलता। तो हमारे पास ऐसी

(श्री केशरीमल)
कोई व्यवस्था नहीं थी कि अगर बिजली की कमी हो तो हम उसे पूरा कर सकें।

हमारे यहां स्टीम से बिजली चलाने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मौका दिया था और राज्य सरकार चाहती तो उसका उपयोग कर लेती, लेकिन राजस्थान सरकार की ढील करने का कारण वह भी मध्यप्रदेश को जा रहा है और वह हमारे हाथ नहीं आ रहा। आपको ठीक से व्यवस्था करनी चाहिये। बिजली पानी से भी पैदा होती है, और अणु शक्ति से भी पैदा होती है। जो सस्ता तरीका हो उसको आप पहले चालू करें और उसके बाद जो मंहगा तरीका है, उसे चालू करें। यह हमारे यहां की बहुत बड़ी कमी नजर आई है और सरकार को चाहिये कि उसको ठीक करने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में विद्युतिकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि रुक गया है। बिजली पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो रही है और सुनने में आया है कि एक लम्बे अर्से तक बिजली नहीं मिलेगी। अब गांव के जो लोग मोटर्स लगवाना चाहते हैं, उनको बिजली नहीं मिलेगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। आज हमारी जरूरत है कि पैदावार बढ़ाई जाये, और यदि सरकार इसमें कोताही करती है तो वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो राज्य सरकार इसके बारे में क्या कर रही है और कुओं को बिजली पहुंचाने के लिये मण्डल को क्या आदेश दे रही है, उस पर सोचना पड़ेगा। आज कई गांवों के पास से बिजली की लाइन गई है, लेकिन उन गांव वालों को कोई बिजली नहीं दी गई है क्योंकि उस गांव का नाम विद्युतिकरण की योजना में नहीं है। अब यह अजीब सी स्थिति है कि गांव में से बिजली होकर जा रही है लेकिन उस गांव को नहीं दी जा रही है। ऐसे गांवों को अवश्य बिजली सप्लाई करनी चाहिये।

गांधी जयन्ति के अवसर पर कहा गया था कि हर इलाके में दो दो गांव ऐसे होंगे जिन्हें बिजली दी जायेगी, लेकिन उसकी भी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकी। एक तरफ तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ हम मण्डल की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति सड़कों पर खराब होती देखते हैं। उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। मैंने देखा है कई जगहों पर ऐसे ट्रांसफार्मर्स पड़े हुये हैं जिनका विद्युत् मण्डल ने परीक्षण तक नहीं किया कि वह चलने के काबिल भी हैं या नहीं। और ठीक हो सकते हैं या नहीं। लाखों-करोड़ों रुपयों का माल इस तरह से पड़ा हुआ है और सरकार उस पर क्या तवज्ज दे रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई के समय पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया था, उसी प्रकार इनके समान और ट्रान्सफार्मर्स का कब्रिस्तान बना हुआ है जो ब्यावर और जयपुर में देखा जा सकता है। इस तरह का जो लाखों और करोड़ों रुपयों का नुकसान मण्डल को लग रहा है, उसको सुधारना होगा। इस मंडल में एक एक घर के कनेक्शन लगाने के लिए 25) रिश्वत मांगी जाती हैं तब तक इंजीनीयर्स कनेक्शन नहीं लगाते है। फार्म पर कनेक्शन लगाने के लिए 200-250) जब तक उनको न दिए जायं तो कनेक्शन बराबर नहीं लगेगा और

(श्री केशरीमल)

कहेंगे कि यह चीज खराब है, वह खराब है और उसको चक्कर लगवाये जायेंगे और पैसा मिलते ही सारी खराबियां दूर हो जायेंगी और कनेक्शन लग जाएगा। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे ही समझेंगे कि बोर्ड जान बूझकर नुक्सान करवा रहा है। उदाहरण के लिए आज किसी कुए पर कनेक्शन लगता है तो कुए वाले का भी फायदा होगा, फसल की पैदावार हो सके। अगर रिश्वत न मिलने के कारण टाल दिया जाएगा तो रेवेन्यू जाएगी और पैदावार को धक्का लगेगा।

इसके अलावा आप ताज्जुब करेंगे बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी गाय है लेकिन गाय को रखने के लिए बंगला नहीं है, बंगला जबर्दस्ती कर्मचारी से ले लेंगे। अगर कर्मचारियों की साइकिल रखने के लिए कोई छप्पर है तो वह गाय चरने के काम आएगा, कपड़ा धोने के लिए आदमी चाहिए, बीबी बच्चों को घुमाने और स्कूल ले जाने के लिए अलग चाहिए। मैं साबित कर सकता हूं कि एक एक इंजीनियर के पास 8-10 कर्मचारी घर पर काम करते हैं और लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। यदि किसी इंजीनियर की शिकायत कर्मचारी ने कर दी तो उस कर्मचारी का ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि यूनियन वालों ने शिकायत की इसलिए इसको निकालो, तरह तरह के इलजाम लगायेंगे, रिश्वतखोरी और चोरी का इलजाम लगायेंगे लेकिन दुःख की बात है, कि बोर्ड इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। जो भ्रष्टाचार करते हैं, चोरियां करते हैं, वे मजे करते हैं, जो शिकायत करने वाले हैं, यूनियन की तरफ से जो पर्चे निकालते हैं, तो कहते हैं कि इसको निकालो। जो चोर डाका डाल रहा है, जुल्म कर रहा है, उसका आखिर बोर्ड क्या करना चाहता है, आप इन बातों की ओर जरूर ध्यान दें।

जहां मैंने एक तस्वीर पेश की है, वहां कर्मचारियों के साथ जो ज्यादती होती है, ऐसा नक्शा देखने को कहीं भी नहीं मिला। एक कर्मचारी दस साल से काम कर रहा है, वह खड्डे खोदता है और उसको कहते हैं मस्टरोल पर लिखा हुआ है उसको छः रुपये मिलते हैं दूसरे को 3½। जबकि दोनों का काम समान है। जो आदमी आपके पास दस साल से काम कर रहा है और अभी तक केजुअल में चल रहा है, और परमानेन्ट नहीं कर रहे हैं, रेग्यूलर नहीं कर रहे हैं, ऐसी लूट क्यों? कर्मचारियों का फिक्सेशन नहीं हुआ है। एक आदमी केबिन होल्डर का काम कर रहा है लेकिन जो तनख्वाह मिल रही है वह सैकेन्ड हैल्पर की। अगर वह मर जाए तो उसके घर वालों को सेकेन्ड ग्रेड हैल्पर का ही फायदा मिलेगा, तो उसके बच्चों का क्या होगा? कौन देखने वाला है? हमारा बोर्ड किस तरह से अंधा है? 7-8 साल से काम कर रहा है लेकिन फिक्सेशन नहीं कर रहे हैं। फिक्सेशन में घोटाले, ज्यादतियां, बेईमानियां और बेईमानियों को रोकने के लिए कर्मचारी अदालतों में जाना चाहें तो उनको न्याय पाने से रोकना, इस तरह की जो ज्यादतियां बोर्ड की तरफ से हो रही हैं, ये ठीक होनी चाहिएं।

अभी भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इंजीनियरों पर बोझ

(श्री केशरीमल)

है, वास्तव में बोझ है, एक तरफ दो हजार के करीब इंजीनियर बेकार हैं। इस राज्य में बिजली का यदि विस्तार किया जाए तो लोगों को रोजगार मिल सकता है और बिजली का उपयोग हो सकता है और बिजली की खपत भी बढ़ सकती है, उसके साथ पैदावार भी बढ़ सकती है तो क्या कारण है कि बोर्ड उन इंजीनियरों को काम पर नहीं लगाता ?

दूसरी बात जिन लोगों को काम पर लगाया जाता है बोर्ड में उनको जिनकी लिस्ट बना रखी है उनको न लेकर न मालूम किस आधार पर किन लोगों को किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, उनके साथ ज्यादती होती है, बोर्ड के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : मंत्री महोदय ने 150 करोड़ ऋण की लिमिट के लिए विद्युत् मंडल का प्रस्ताव रखा है लेकिन 50 करोड़ से एकदम 150 करोड़ क्यों बनाना चाहते हैं, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है।

श्री शिवचरण माथुर : डाला है।

श्री पी. के. चौधरी : मैं समझता हूं एक दम तीन गुना ऋण बढ़ा देने के रीजन्स पर कोई प्रकाश नहीं डाला। आप जवाब देंगे तो कम से कम इस पर प्रकाश डालेंगे कि 50 करोड़ से 150 करोड़ क्यों करते हो, वैलिड रीजन्स होने चाहिएं, यह बजटरी प्रिन्सीपल्स के खिलाफ है कि लिमिट इतनी बढ़ाई जाए। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि पिछले 3-4 साल से इस पर डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन करने का मतलब यह था कि जन प्रतिनिधियों को विद्युत् मंडल के फक्शनिंग के संबंध में पता चले कि मंडल का काम ठीक चल रहा है या नहीं, माननीय सदस्यों की राय मिल सके कि विद्युत् मंडल किस तरह से फंक्शन कर रहा है और आपकी जो बिजली की नीति है वह सही दिशा में चल रही है या गलत दिशा में है, उस बारे में जन प्रतिनिधियों की राय से परिचित हो सकेंगे। मुझे खेद है कि ग्रामीण विद्युतिकरण की दुहाई सरकार देती है और हम भी देते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो ग्रामीण विद्युतिकरण हो रहा है, उसमें विद्युत् मंडल का खुद का जो बजट है या सरकार का जो कन्ट्रीब्यूशन है उस बजट में क्या 5 प्रतिशत भी आपने ग्रामीण विद्युतिकरण पर आज तक खर्च किया है ? जो भी कुछ ग्रामीण विद्युतिकरण हुआ है, वह ग्रामीण विद्युतिकरण निगम के बजट से हुआ है। लेकिन आपका 10 करोड़ का बजट हो तो आप 40 लाख रुपए ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए देते हो ? 15 करोड़ का बजट हो और आप देते हैं 30-40 लाख। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम नारा देते हैं ग्रामीण विद्युतिकरण का लेकिन हमारा जो खुद का बजट है उसका हम 5 प्रतिशत भी खर्च नहीं करते ग्रामीण विद्युतिकरण पर। यह नीति चेंज होने की आवश्यकता है। हमारे यहां पर रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन निगम का प्रतिनिधि मंडल आया था, कुछ संसद सदस्य आए थे, उपमंत्री श्री वर्मा भी आए थे, उनके सामने हमने विद्युतिकरण की बात रखी। उन्होंने कहा आपने राज्य सरकार से पूछा है कि वह अपने फंड्स से ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए कितना पैसा

(श्री पी. के. चौधरी)

खर्च करती है। निगम का जो पैसा आता है उससे आप खर्च करते हैं, आपका कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपके बिजली बोर्ड का कोई कन्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं। आपका बिजली बोर्ड कोई मदद नहीं देता है। आज आप सिर्फ नारा लगाते हैं कि राज्य सरकार ग्रामीण विद्युतिकरण कर रही है लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि जितना सरकार रुपया देने की घोषणा करती है उसका 15 प्रतिशत भी ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये राज्य सरकार नहीं खर्च करती है। आप सिर्फ नारा ही नारा देते हैं मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप वास्तव में एग्रीकल्चरिस्टों को 15 प्रतिशत भी फायदा ग्रामीण विद्युतिकरण में देने को तैयार नहीं है। मैं सरकार को आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि आखिर सरकार यह क्यों कर रही है। अपनी घोषित नीतियों को क्यों नहीं पूरी तरह से क्रियान्वित करती है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि पिछले साल आपने पानी की कमी की वजह से बिजली के कनेक्शन देने बन्द कर दिये थे। और जो भी बिजली के कनेक्शन दिये थे उसमें वोल्टेज बहुत ही थोड़े होते थे जिससे कई जगह बिजली खराब होगयी। पिछले छः माह पहले जो आपने बिजली बन्द किया उसका अभी आपने पिछले अगस्त से बिजली देना वापिस शुरू किया लेकिन बिजली के कनेक्शन्स ज्यादा होने की वजह से या बिजली में गड़बड़ होने की वजह से कई जगह बिजली फेल हो गयी। कई जगह पर आपने कन्डक्टर नहीं होने की वजह से बिजली नहीं दी। अगर कन्डक्टर उपलब्ध नहीं है तो इसमें काश्तकार की क्या गलती है। एक तो आप पहले ही छः माह तक बिजली नहीं देते और देते हैं तो आप कनेक्शन उन्हें पूरा नहीं देते हैं अगर कन्डक्टर खराब हो जाता है तो आप उसे रिप्लेस नहीं करते हैं। एक तो आप छः माह तक बिजली नही दो यह काश्तकार के लिये भारी समस्या है उन्होंने बिजली के पम्प वगैरहा लगा लिये हैं उन्होंने अपने चड़स वगैरहा खत्म कर दिया अपने भैंसों और जानवरों को बेच कर उन्होंने पैसा लेकर वहां पर इन्जन लगाये हैं लेकिन उनको अभी तक बिजली नहीं मिली है। रबी की फसल के लिये उन्हें बिजली नहीं मिलने के कारण उनकी फसल खराब हो रही है आखिर कन्डक्टर एवेलेबल नहीं है तो इसमें काश्तकार का क्या फॉल्ट है। इट इज नोट देअर एक्सक्यूज। आपको बिजली देना पड़ेगा आपका कमिटमेन्ट है उन्होंने पम्प्स लगा लिये हैं, अपने जानवरों को बेचा है और अब उन बेचारे काश्तकारों को बरबाद कर रहे हैं। आखिर काश्तकार क्या करेगा। आज ऐसी स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय कि जिसने पम्प लगा लिये हैं उसे यह दुःख है कि उसे बिजली नहीं मिल रही है आपको कम से कम इसके लिये एक्शन लेना चाहिये। काश्तकारों ने मशीनों का फिटिंग कर दिया और अब आप कहते हैं कि कन्डक्टर नहीं है। यह आपका कैसा बिजली बोर्ड का स्ट्रक्चर है छः महीनों तक आप उनको बिजली नहीं देते हैं पर कोई पूछने वाला नहीं है आपको इसको डिसकस करना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके बिजली बोर्ड के पास कोई बिजली की योजना नहीं है। क्योंकि जो बिजली लगायेगा वह भी पछतायेगा और जो

(श्री पी. के. चौधरी)

बिजली नहीं लगायेगा वह भी पछतायेगा। क्योंकि होता है कि मौके पर मीटर जल जाते हैं, बिजली की गड़बड़ होने से ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसका कारण यह है कि वहां पर अभी तक वही पुरानी लाइने चल रही हैं और जहां कनेक्शन सौ थे वहां अब 500 कनेक्शन्स हो गये हैं जिसका भार भी उस लाइन पर पड़ता है आज जहां पर 33 के. वी. लाइन की जरूरत है वहां पर 11 के. वी. लाइन लगी हुई है, जहां 66 के. वी. लाइन की जरूरत है वहां पर 33 के. वी. लाइन लगी हुई है। जहां 132 के. वी. लाइन की जरूरत होती है वहां पर सिर्फ 66 के. वी. लाइन चल रही है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि आगे पांच सालों में क्या डिमान्ड हो सकती है लेकिन उनका कोई इसके बारे में प्लान नहीं और न ही उनका कोई सिस्टेमेटिक प्लानिंग ही है। और यही कारण है कि मीटर्स जल जाते हैं, ट्रान्सफार्मर्स जल जाते हैं। आज बिजली बोर्ड के अधिकारियों की नेग्लीजेन्स से काश्तकारों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। आज बिजली बोर्ड एक पब्लिक सेक्टर है अगर यह कोई प्राइवेट सेक्टर होता तो इतनी लापरवाही नहीं होती। आप पब्लिक सेक्टर में किसी की जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा काश्तकारों के साथ एग्रीमेन्ट है कि अगर वह कुए में मशीनें फिट करा लेते हैं तो हम उन्हें बिजली देंगे। इसके अलावा यह भी है कि जब कोई मीटर खराब हो जाय तो या ट्रान्सफार्मर जल जाये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे जल्दी से जल्दी रीप्लेस करें लेकिन आप उन्हें कई दिनों तक रिप्लेस नहीं करते इसका नतीजा यह होता है कि फसल को पानी नहीं मिलने से फसल बर्बाद हो जाती है यह सारा का सारा कसूर बिजली बोर्ड का है। लेकिन राज्य सरकार सो रही है आप जागरूक नहीं हैं, हमें आपको जगाना पड़ेगा और अगर आप इस तरह से नहीं जागेंगे तो हम ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे जिससे आपको जागना पड़ेगा और काश्तकारों को राहत पहुंचाना होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे बोर्डस में जिस तरह से इण्डीविजुअल लोगों को नोमीनेशन मिलता है उसी तरह बिजली बोर्ड में भी काश्तकारों का नोमीनेशन होना चाहिये। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कोई व्यवस्था बिजली बोर्ड के अन्दर नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि बिजली बोर्ड के अन्दर ग्रामीण विद्युतिकरण योजनाओं के लिये काश्तकारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। ऐसा होने से ग्रामीण लोगों की काफी समस्याओं का हल हो जायेगा। इसके अन्दर मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है और न ही इसके लिये राज्य सरकार को कोई ऐतराज ही होना चाहिये। दूसरी बात जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह

(श्री पी. के. चौधरी)

है कि आज हमारे ग्रामों में, जहां बिजली कुओं में लगी हुई है और वहां पर अगर मीटर खराब हो जाते हैं या मीटर जल जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले उन मीटर्स को ले जाते हैं और उनके बदले में नये मीटर्स को रिप्लेस करते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाय कि पुराने मीटर्स को बजाय नये मीटर्स नहीं लगा कर उन्हीं मीटर्स को काश्तकारों को ही दे दिये जायं तो वह उन मीटर्स को 25 रुपये या 20 रुपये जो भी लगे उन्हें लगा कर ठोक कराकर काम में ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि ये मीटर्स काश्तकारों को ही मिलने चाहियें ताकि वह ठीक कराकर काम में ले सकें। आज कई वर्षों से मीटर्स जो खराब होते हैं उन्हें बिजली बोर्ड के अधिकारी ले जाते हैं अगर वह काश्तकारों को ही मिल जायं तो वह 20-25 रुपये लगा कर उन्हें ठीक कराकर वापिस काम में ले सकें। और जो नया मीटर चालीस-पचास रुपये लेकर लगा जाते हैं वह नुकसान नहीं हो।

इसके अलावा जो दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह बिजली बोर्ड वाले मीटर्स बदलते हैं तो कई बार मीटर्स के यूनिट में ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है जिससे कि 500 से लेकर 600 रुपये तक का बिल आ जाता है इस तरह से काफी नुकसान काश्तकारों को होता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है राज्य सरकार इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं देती है। जब जब भी बिजली बोर्ड के बजट पर डिसकशन होता है तब यह देखा गया है कि बिजली बोर्ड का बजट डिसकशन के लिये लास्ट डे पर रखा जाता है। इसके अलावा चार चार, पांच पांच साल तक बिजली बोर्ड के बजट पर डिसकशन नहीं होता है क्योंकि उसी दिन विधान सभा समाप्त हो जाती है और समयाभाव के कारण बजट डिसकशन नहीं हो पाता है। यही हालत शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट की है उसे भी डिसकश नहीं किया जाता है। इससे कई काश्तकारों की कठिनाइयां राज्य सरकार के सामने नहीं रखी जा सकती है इसी से यह पता लग सकता है कि राज्य सरकार काश्तकारों के प्रति कितनी लापरवाही बरतती है और इससे यह भी साबित हो जाता है कि राज्य सरकार काश्तकारों को कितना चाहती है। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आज जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के कारण से दिक्कत आती है उसे दूर किया जावे। जब स्कीम लागू करने की बात करते हैं तो बिजली बोर्ड कहता है अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं आई। वह दो-दो तीन-तीन साल तक नहीं आती। न वहां का डिटेल्ड सर्वे होता है। तो इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्वयं इस काम के लिये अपनी एक अण्डर वाटर बोर्ड रक्खे जो सर्वे करके तुरन्त रिपोर्ट सबमिट किया करे और फिर उसके आधार पर आप अपनी स्कीम को इम्प्लीमेन्ट करें। आज स्कीम मंजूर नहीं होने का कारण यह है कि इन दो विभागों में को-ऑर्डिनेशन नहीं है।

फण्ड्स की आपके पास कमी नहीं है। कई स्कीमें आप स्वीकार करने को तैयार

(श्री पी. के. चौधरी)

हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फंक्शन्स में सुधार किया जावे। इसे अपना स्वयं का अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड रखना चाहिये ताकि जब चाहें उससे रिपोर्ट ले सकें और उनमें को-ऑर्डिनेशन हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री मीठालाल (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय सरकार ने 150 करोड़ की स्वीकृति के लिये कहा है, जिसका नैतिक अधिकार उसे नहीं है।

आज उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण विद्युत् योजनाएं हैं दिल्ली से स्वीकृत हो कर आ जावें, पैसे भी मिल जावें पर फिर भी योजनाएं लागू नहीं होती। पहले आप गावों में कुओं पर बिजली देने के लिये 75 प्रतिशत मांगते थे। तो सारे काम और योजनाओं को छोड़ कर प्राथमिकता के आधार पर बिजली देते थे। पर आज 75 प्रतिशत के स्थान पर शत प्रतिशत रुपया मांगते हैं। मैं पूछता हूं इसका आपको क्या अधिकार है ? इसमें भी किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते यह और आश्चर्यजनक बात है। 75 प्रतिशत में क्या था कि यह सारा विद्युत् कनेक्शन के लिये सामग्री जुटाने में खर्च होता था। इंजीनियर और कर्मचारियों पर जो आप खर्चा करते थे वह तो होता ही है। पर अब वह भी शत प्रतिशत में आप शामिल कर लेते हैं। इस पर भी बिजली आप समय पर किसान को नहीं दे रहे हैं। इस पर आप गम्भीरता से सोचें।

जब शत प्रतिशत आप लेते हैं तो जैसे ही प्रार्थना-पत्र आवे उसके महीने डेढ़ महीने में निश्चित रूप से किसान को बिजली दे दी जावेगी यह आप विश्वास दिलावें। नहीं तो किसान आपके भरोसे रह कर दूसरा प्रबन्ध भी नहीं कर पाता। डीजल इन्जिन लगाकर जो लाभ ले सकता था उससे भी वंचित रहा। तो उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जल विद्युत् योजना का प्रोसीजर बड़ा लम्बा और कठिन है। सालों तो इन योजनाओं की सर्वे में लग जाता है। फिर दिल्ली भेजते हैं। वहां से आने में सालों लग जाते हैं। इसके बाद साल छः महीने में इन्जीनियर लोग उनको लेकर आते हैं। जबकि राज्य सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान ग्रामीण विद्युतिकरण की ओर देना चाहिये ताकि खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो सकें। उत्पादन बढ़ सके। इसलिये सरकार को चाहिये कि वे तत्काल सारी योजनायें बना कर केन्द्र को भेजें और वहां से भी जितना जल्दी सम्भव हो सके, लाने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कम से कम भ्रष्टाचार तो इस विभाग से थोड़ा कम करावें। इस विभाग में भ्रष्टाचार प्लेग की तरह फैल रहा है। सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि यह महामारी हमारे टैक्निकल लोगों में, इन्जीनियरों में फैल रही है। यह देश के उत्पादन के लिये, किसान के लिये, राज्य के लिये सबके लिये बड़ा खतरनाक है। अगर इन्जीनियर ईमानदारी से काम नहीं करता है तो इसका नुकसान किसान को तो होगा सो होगा ही देश के उत्पादन पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार आप बिलकुल तो नहीं मिटा सकते पर जिस अनुपात में तेजी से

(श्री मीठालाल)
यह बढ़ रहा है उस अनुपात को तो आप रोकें।

इसके अतिरिक्त उद्योगों के लिये भी आप अधिक से अधिक बिजली दीजिये। सरकार ने सवाई माधोपुर में, गंगापुर में औद्योगिक क्षेत्र कायम किया है। नये नये उद्योग भी वहां लगे हैं। पर साल दो साल तक इन्तजार करते हो गये बिजली कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। कारण बताते हैं ट्रान्सफार्मर उपलब्ध नहीं है। इसके लिये प्राइवेट उद्योगपति तेरह-चौदह हजार खर्च करके स्वयं का 75-100 किलोवाट का ट्रान्सफार्मर का प्रबन्ध कर सकते हैं पर इसके बाद भी लाइनों वगैरह के बिछाने में 30-35 हजार का खर्चा और पड़ जाता है, वह कौन करे। इतनी सामर्थ्य उन उद्योगपतियों की नहीं है। किसी भी प्राइवेट पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है। इससे उद्योग पनप नहीं रहे हैं। फिर भी अगर कोई प्राइवेट पार्टी लगाना चाहे तो निश्चित रूप से सरकार को इसका प्रबन्ध करना चाहिये। यह खर्चा सरकार नहीं तो वैसे अपने पास से लगावे और उनको ट्रान्सफार्मर्स दें।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ जो कनेक्शन चल रहे थे वे भी बन्द कर दिये गये। इस पर डाइरेक्टर से मेरी बातचीत हुई। कहा गया कि शतप्रतिशत पैसा जमा करादो तो हम इसके लिये स्वीकृति बोर्ड से ले सकते है। पर आज तक स्वीकृति नहीं मिली। अब निश्चित रूप से लोगों को यह धारणा बन गई है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे लोगों के कुओं पर काफी दूर होने पर भी कनेक्शन लगे हैं। एक एक मील तक लाइन ले गये हैं। पर गरीब किसान के खेत तक एक खम्भा भी लगाने को ये तैयार नहीं होते। तो एक खम्बा वाला अगर शत प्रतिशत खर्चा देने को तैयार हो तो उसको तुरन्त कनेक्शन मिलना चाहिये यह प्रबन्ध आप करें।

इसमें भी बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ती है। इसके स्थान पर ऐसा हो कि डाईरेक्टर खुद ही इसकी स्वीकृति दे दिया करे। जो किसान शत प्रतिशत खर्चा देना चाहे उसे तुरन्त कनेक्शन मिलना चाहिये। पांच-सात दिन में मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हरिजन बस्तियों के लिए वैसे बहुत अधिक विज्ञापन आप करते हैं। प्रचार भी करते हैं कि इनका विद्युतिकरण करना चाहिये। पर वास्तव में काम होता नहीं।

मेरे लालसोट तहसील में मंडावरी हरिजन बस्ती के विद्युतिकरण के लिए डेढ़ साल पहले सदन में भी मैंने पूछा था तो उस समय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि शीघ्र बिजली वहां लगा देंगे। समाज कल्याण विभाग ने भी प्रस्ताव पास किया था। पर डेढ़ साल के बाद आज भी वहां के लिये न कोई प्रावधान रखा गया न रखे जाने की आशा है। हरिजन बस्तियों के नाम पर आप प्रचार करते रहते हैं। अब तो कम से कम कुछ बस्तियों में तो प्राथमिकता के आधार पर विद्युत् कनेक्शन दें जहां बिजली पहुंच गई है, वहां तो।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको अपने घर में किसानों को उद्योगों को बिजली देने के

(श्री मीठालाल)
लिये तो है नहीं, पर उत्तरप्रदेश को जरूर देना चाहते हैं। अपने खुद के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं दूसरों की चिन्ता आपको है। आपके किसान, आपके उद्योगपति तरसते रहें इसके लिये और आप उनको देकर अपनी वाहवाही चाहते हैं। तो इसमें भी आप एक निश्चित नीति की घोषणा करें कि जबतक यहां के लोगों को पूरी नहीं मिल जावेगी तब तक दूसरों को देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होगा।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि आप ग्रामीण विद्युतिकरण करें और खास कर किसानों को बिजली अवश्य दें, उद्योगों को दें। भ्रष्टाचार कम करें और योजनाओं की स्वीकृति में जो बहुत ज्यादा समय लग जाता है उसको कम करने का प्रयत्न करें ताकि हमारे अन्न उत्पादन में और अन्य उत्पादन में वृद्धि हो सके। हमारा राज्य खुशहाली की तरफ बढ़ सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु !

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि बिजली हमारे पास है, पर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं मिल रही है। मैं जिस इलाके से आया हूं वहां किसी भी गांव में दो चार को छोड़कर बिजली नहीं है। इस पर भी जितनी बिजली मिल रही है वह करप्शन से ही मिल रही है। कोई भी मामला ऐसा नहीं जहां बिजली मिली और बगैर किसी रिश्वत के मिली हो। तो यह अर्ज करूंगा मेरे क्षेत्र में भी 400-500 ऐसे कुये हैं जिनको इस वक्त जल्दी बिजली की आवश्यकता है। जो पिछले एक साल से बिजली मांग रहे हैं। उस क्षेत्र में जहां बिजली मिलनी चाहिये, नहीं मिल पाती है। मैं यह भी अर्ज करूंगा साढ़े बारह हजार की राशि जो ट्यूबवेल पर रखी है यह उचित नहीं है। यह साढ़े बारह हजार को राशि बहुत ज्यादा है। क्योंकि गंगानगर में ट्यूबवेल लगाने के लिये करीब 40-45 हजार लगाने पड़ते हैं। साढ़े बारह हजार ही नहीं देने पड़ते हैं ऊपर से रिश्वत भी देनी पड़ती है तो बहुत मंहगा पड़ता है। ट्यूबवेल की सिक्योरिटी के लिये साढ़े बारह हजार जो लिये जा रहे हैं यह एक दम समाप्त कर देना चाहिये। बहुत बड़ी भारी रकम लेकर बिजली देना उचित नहीं है।

जिस क्षेत्र में किसान ज्यादा अनाज पैदा करना चाहता है मैं तो कहूंगा उनको बिजली पहले मिलनी चाहिये और गंगानगर के किसान को जहां आज तक 400-500 कुये हैं, उनको देनी चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करूंगा इस वित्तीय वर्ष में हमारे साथ यह वायदा किया था कि दो-दो गांव में बिजली देंगे लेकिन आज दो गांवों में भी बिजली नहीं मिल रही है। आज यह हालत है, दो-चार गांवों से ज्यादा नहीं हैं जहां बिजली है। मैं जहां इतनी बातें कहूंगा वहां यह भी कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो कर्मचारी रखे जाते हैं वे आमतौर पर टेम्प्रेरी रखे जाते हैं। दो-चार महीने में उनको हटा दिया जाता है। इस ओर ध्यान देना चाहिये। परमानेन्ट बेसिस पर जहां सरकार कहती है प्राईवेट संस्थानों को वहां सरकार अपने मजदूरों को परमानेन्ट नहीं करना चाहती

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
है। यह मेरी और डिमान्ड है। इन हालात में एक ही बात कहता हुआ अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे यहां के एक्स.इ.एन साहब हैं, जिनसे सब परेशान हैं। उन्होंने बड़ी भारी लूट मचा रखी है। अब जो नये मंत्री आये हैं वे उनको हटाने पर विचार करेंगे, क्योंकि उनकी रिश्वत बहुत ज्यादा हो गई है। अगर कोई नया जायगा तो पहले पहले तो अभी डरेगा......

एक माननीय सदस्य : आप क्या ट्रान्सफर करवाना चाहते हैं ?

श्री गफ्फार अली : आप बरखास्तगी की बात करें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : इस सरकार में बरखास्तगी तो होगी नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं हमारे इलाके में एक गांव है उसमें 10 हजार लिये और उसके अलावा एक भी मेम्बर को बिजली नहीं दे सके। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं लेकिन मैं बताना भी नहीं चाहता हूं। यह बरखास्तगी भी नहीं होगी लेकिन मैं यह कहूंगा ऐसे लोगों को हटा दिया जाय। अगर बरखास्तगी की बात की जाय तो गंगानगर सारा ही बरखास्त हो जायेगा।

श्री अजीतसिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मांग का सवाल है मैं सहमत हूं कि जो इसमें मांग है उसमें जितना पैसा दिया जाय उतना ही कम पड़ेगा। बिजली के बारे में मांग बढ़ती जा रही है लेकिन जिस ढंग से बोर्ड काम कर रहा है, उसमें मुझे बड़ी भारी आपत्ति है। जो बोर्ड के नीचे के ऑफिसर हैं वे काश्तकार से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं जिस प्रकार थानेदार अपना रुतबा दिखाता है उसी प्रकार इस बोर्ड के नीचे के कर्मचारी अपना रुतबा दिखाते हैं। जिस प्रकार कोई थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाने या अपनी शिकायत करने तो थानेदार उसको धक्के देकर बाहर निकाल देता है उसी प्रकार की समस्या यहां भी पैदा होती है।

एक फ्यूज हो जाता है और शिकायत लेकर जाते हैं तो ऑफिसर अपने नीचे वालों का दोष नहीं बताकर काश्तकार को बाहर निकाल देते हैं। आखिर यह व्यापारिक संस्थान है, काश्तकारों की इज्जत करनी चाहिये। छोटे-छोटे काश्तकार तो बेचारे उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनकी क्या स्थिति होगी, यह समझने का कभी प्रयास नहीं किया जाता है और इसके ऊपर बल्कि हाथापाई करने पर उतर जाते हैं। फ्यूज बांधने की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं उल्टे उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। इस प्रकार की शिकायत आम है मेरे क्षेत्र में। 63 ग्रामों का विद्युतिकरण हुआ है लेकिन मुझे दुःख है लाइनें लगी हुई हैं लेकिन कनेक्शन नहीं देते हैं। कभी उनकी लाइनें बन्द कर देते हैं, कभी ट्रान्सफार्मर काम नहीं करता है, कभी फ्यूज हो जाता है। ऐसे में हमारे जो काश्तकार हैं जिन्होंने रुपया लगा रखा है, वह भी उनका बेकार हो गया है। कम से कम इस रवैये को बदलें। जो बोर्ड के ऑफिसर हैं उनका रवैया आपत्तिजनक है जो बोर्ड

(श्री अजीतसिंह)
वालों की बात को ही रखना चाहते हैं। फ्यूज, मीटर, ट्रान्सफार्मर किसी की भी शिकायत हो····

(म. प. 2.57 बजे)

(श्री फूलचन्द, सभापति, पदासीन)

कोई ध्यान नहीं देते हैं और फिर कहते हैं तो कह देते हैं कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई है। अब इसका इलाज कौन करे ? डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिये, सरकार इस प्रकार के आदेश जारी करे कि काश्तकारों के साथ उनका बर्ताव ठीक ढंग से हो। व्यापारिक आधार बनाकर कन्ज्यूमर से ठीक बात करें ताकि बोर्ड को भी उसका ठीक से रिटर्न मिले। मेरे क्षेत्र में बहुत सी लाइनें बिछा रखी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। कई जगह लाइनें हैं लेकिन कनेक्शन एक को भी नहीं दिया जा रहा है। आस पास के लोग उस बिजली की लाइन से लाभान्वित नहीं होते हैं। कभी कहते हैं खंभे नहीं हैं, कभी कहते हैं तार नहीं है, यह रवैया बोर्ड का ठीक नहीं हैं। अगर बिजली के कनेक्शन नहीं देंगे तो काश्तकार का जो खर्चा हुआ है उसका भी कोई औचित्य नहीं रहेगा।

कनेक्शन के बारे में भी निवेदन करूं। एल फार्म का चक्कर काश्तकार को बड़ा भारी परेशान करता है। ठेकेदार सारे काम पूरे होने पर भी काश्तकार को एल फार्म नहीं देता है। उसको भी रिश्वत के पैसे दे दिये जाते हैं तो एल फार्म दे देता है। यह एल फार्म क्या बला है। आखिरकार डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों नहीं इस प्रकार की व्यवस्था करें कि अगर ठीक प्रकार से फिटिंग हो चुका है तो एल फार्म का चक्कर ही काश्तकार के लिये हटा दें। जबरदस्ती का बोर्ड ने यह अड़ंगा जमा रखा है। जबरन ठेकेदार उनसे एल फार्म के पैसे और चार्ज कर लेता है। यह खूब लूट मचा रखी है और इस एल फार्म के पीछे काश्तकार परेशान हो जाता है। इस चक्कर को और परेशानी को कम करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इसका कुछ निराकरण तो होना ही चाहिये।

दूसरा यह शहरों के अन्दर आपने गरीब हरिजन बस्तियों में जो लाइटिंग की व्यवस्था के लिए पैसा दिया है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा लेकिन बराबर रिपोर्ट लिखाने पर भी न तो लाइट लगती है, न वहां पर होल्डर ठीक करते हैं, वहां पर बल्बों की व्यवस्था है। इस प्रकार से जितना पैसा समाज कल्याण विभाग को दिया है इस काम के लिए वह वैसे ही पड़ा रहता है और म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर ये बस्तियां अन्धेरे में पड़ी रहती है और बोर्ड वहां काम नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से इनको इन्फ्लेंस करें, कितनी ही लिखा पढ़ी करने पर भी ध्यान नहीं देते हैं इसलिए आप कुछ कहें तो बोर्ड के पास जो पैसा है उसका सदुपयोग हो सकता है।

ट्रांसफार्मर्स जलने की आए दिन शिकायतें होती हैं। कई ट्रांसफार्मर्स बड़े 2 इनकी गलती से जल जाते हैं और यह गलतियां छोटे 2 कर्मचारी करते हैं और एक एक लाख के ट्रासफार्मर्स यों ही जल कर खाख हो जाते हैं लेकिन उन पर

(श्री अजीतसिंह)
कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ट्रांसफार्मर्स जलने के बाद बरसों तक वापस नहीं लगाए जाते हैं और काश्तकारों के सामने समस्या खड़ी हो जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

सभापतिजी, आज के बिजनेस में गवर्नमेंट एम्पलाइज की स्ट्राइक पर डिबेट रखी गई है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय किया गया था कि यह जो दो संकल्प हैं इनको बहुत थोड़े समय में पास कर दिया जाएगा.......

श्री शिवचरण माथुर : यह तो आप पर निर्भर करता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चूंकि मुख्य मंत्रीजी ने मीटिंग रख ली थी इस कारण विभिन्न पार्टीज के नेताओं को वहां जाना पड़ा वरना मैं निवेदन करूंगा कि ये संकल्प फार्मल हैं इनको थोड़े में समाप्त कर दें तो माननीय सदस्य अगले मुद्दे पर विचार कर सकें।

श्री सभापति : यह आपका कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है लेकिन अगर आप मदद करें तो थोड़े में समाप्त किया जा सकता है।

श्री अजीतसिंह : एक निवेदन और है सभापति महोदय, कि जो फ्यूज बांधने की व्यवस्था ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में है उससे बड़ा भारी असंतोष जनता में और काश्तकारों में है। फ्यूज वाले टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। इससे काश्तकारों को बहुत बड़ा घाटा होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी कुछ ऐसी व्यवस्था करावें कि ज्योंहि फ्यूज उड़ने की इत्तला हो उसकी तामील हो जाय। ये बहुत छोटी 2 बातें हैं लेकिन इनसे बहुत नुकसान पहुंचता है इसलिए इस ओर ध्यान देकर व्यवस्था करावें तो बड़ी भारी कृपा होगी।

श्री सभापति : श्री झाबरमल !

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, यह संकल्प, जो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूँ कि सीधा सादा संकल्प है। और मूलतः इसमें डेढ़ सौ करोड़ रुपये तक की धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव हम लोग आपके सामने लाए हैं। मैं समझता हूँ कि विद्युत बोर्ड की रिपोर्ट पर जब आमतौर पर चर्चा की जाय और ये सारी चीजें उस समय सदन के समक्ष रखी जायं तो उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह स्पेसिफिक पॉइन्ट संकल्प में निहित है और उस पर ही यदि आप बोलें और कोई सुझाव देना चाहें तो उचित होगा। बाकी विद्युत बोर्ड के काम की प्रक्रिया के सम्बन्ध में यदि आप इस समय विस्तार से कहें तो मैं समझता हूं कि इस समय इसका कोई लाभ नहीं है। इस समय तो पॉइन्ट यह है कि 150 करोड़ रुपये की धनराशि तक उधार लेने की क्षमता बोर्ड को देना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति के लिए इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और इसीलिए यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : सभापति महोदय, डेढ़ सौ करोड़ रुपयों

(श्री झाबरमल सून्डा)

का प्रावधान बिजली बोर्ड के लिए रखा गया है। मैं यह चाहता हूँ कि अगर यह संकल्प और भी ज्यादा अमाउण्ट का होता तब भी मैं इसका स्वागत् करता। पहले दस करोड़ का, फिर पचास करोड़ का और अब डेढ सौ करोड़ का किया है जो बढ़ती हुई मांग के अनुसार है। मैं इसलिए इसका जोरदार स्वागत करता हूं। और इसलिए स्वागत करूंगा कि आज बिजली बोर्ड के पास खम्भा तो बड़ी चीज है, तार भी उनके लिए बड़ी चीज है। एक कील और कांटा भी नहीं है उनके पास, इसलिए जो कुछ राशि सिक्योरिटी के रूप में एडवांस में कंज्यूमर की जमा हो गई है उनको कनेक्शन देने को उनकी हैसियत नहीं है।

यह संकल्प यदि बहुत पहले आ गया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती। यह जो संकल्प लाया गया है 150 करोड़ का, इसके बजाय अगर एक्ट में तब्दीली करके बोर्ड को पैसा दिया जावे तो विधान सभा के पास बारबार नहीं आना पड़े। 1948 में यह एक्ट बनाया गया था। मैं यह चाहता हूं कि इन पैसों को खर्च करने में और अधिक सावधानी बर्ती जाय। बढ़ती हुई डिमाण्ड के अनुसार कुछ और सर्वे कर किया जाय। बहुत बड़ा 2 एरिया एक एक ए.ई.एन के अण्डर में रखा गया है। जैसे मेरी कांस्टीट्यूएंसी फतेहपुर है। उसका ए. ई. एन. सीकर में बैठता है। उसमें कुछ डेजर्ट और कुछ सेमी-डेजर्ट एरिया भी है। इसके अन्दर प्रायोरिटि के आधार तय करना चाहिए। जो बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। आज हालत यह है कि वहां पर पंजाब नेशनल बैंक भी कुए खुदवाने के लिए पैसा देने में हिचकिचाता है। फेमिन में सीकर जिले में यह प्रयास किया गया कि जो भी काम हों उनसे परमानेंट सोल्यूशन निकले। हमारे वहां पर कलेक्टर थे मिस्टर पी. एन. भण्डारी, उन्होंने जिस लगन से कार्य किया कि चार हजार कुए खुद गए। अब उन चार हजार कुओं को बिजली दिए बिना उनका कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने स्कीम तैयार की, बिजली बोर्ड को तैयार किया, इण्डीजुअल्स को तैयार किया और दानदाताओं को भी तैयार किया दान के लिए और यह कोशिश की कि फेमिन से जितने भी काम हों वे परमानेंट नेचर के हों और इसलिए उन्होंने इतने कुए तैयार करवा दिए लेकिन अब उनको बिजली नहीं मिलती है तो उनका उपयोग नहीं रहेगा इसलिए उनको टोप प्रायोरिटि देनी चाहिए। अगर इनको प्रायोरिटि नहीं दी गई तो कुए खुदे न खुदे बराबर हैं। इस लिए मैं चाहूंगा कि जो पिछड़ा इलाका है, जहां पर प्रोडक्शन हो सकता है तो प्रोडक्शन की सुविधा के अनुसार बिजली दी जानी चाहिए। बिजली देने में अगर हमें कुछ प्रायोरिटिज में तब्दीली भी करनी पड़े तो करना चाहिए और बिजली मुहैय्या करानी चाहिए।

इसके साथ 2 यह जो बजट में प्रावधान किया गया है, उसमें पावर के हिसाब से कुछ ए. ई. एन. के दफ्तरों की संख्या बढ़ायी जाय। नीमकाथाना सब डिविजन में एक ए. ई. एन. है जो नीमकाथाना में बैठता है। अब अगर रींगस के आदमी को नीमकाथाना जाना पड़े तो दो दिन खराब होते हैं उसके। इस लिए या तो ए. ई. एन. श्रीमाधोपुर में

(श्री झाबरमल सुन्डा)

ए. ई. एन. का ऑफिस कायम करें क्योंकि रींगस और नीमकाथाना में इतना लोड है कि मेरे खयाल से शायद ही राजस्थान में और किसी सब-डिविजन पर हो जितना कि नीमकाथाना सब डिविजन पर है। पहले छः एम. डी. का ट्रांसफार्मर्स था और अब 22 एम. डी. का है और श्रीमाधोपुर में इतना लोड बढ़ा है तो उसके हिसाब से पोस्ट भी क्रियेट करनी चाहिए ताकि समुचित तरीके से हम उनके कार्य को समझ सकें। रुपये जमा कराने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ए. ई. एन्स. की पोस्टें बढ़ाई जावें और प्रायोरिटिज की पोजीशन है उसमें अगर तब्दीली भी करनी पड़े तो कर देना चाहिए।

यह बहुत ही दुःख की बात है कि अगर एक कुए के पास से एल. टी. लाइन चली गई हैं। और सिर्फ उसमें दस मीटर तार जोड़ना है लेकिन अगर उसको प्रायोरिटि सौ के बाद आती है तो हमको प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देकर इनको प्रायमिकता देनी चाहिए। इस कानून को इस ढग से पास कर दिया जाये। अगर इतना ही पैसे से किसी कन्जूमर को बिजली दी जा सकती है तो देनी चाहिये जिससे हमारे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो और हमारा कन्ट्री, जो एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, उसमें हम को लाभ मिल सके। ऐसा इस कानून में प्रॉविजन होना चाहिये और इस कानून में तब्दीली की जा सकती है तो ऑर्डर्स के जरिये कर देना चाहिये।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि कन्जूमर को कम से कम तकलीफ कैसे हो। आज कन्जूमर के ऊपर बिजली टिकी हुई है लेकिन आज बिजली विभाग को, जो सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर है, चीफ इन्जीनियर तक तो बात ही नहीं आती है, वह यह समझता है कि बिजली उनकी है, बिजली उनकी बपौती है। कन्जूमर नहीं होता तो क्या यह महकमा टिक सकता ? मैंने यह देखा है कि अगर इस वक्त राजस्थान में सब से बड़ा करप्शन किसी में है तो वह इस बिजली के महकमे में है। बिजली गुल हो जाती है तो सारा काम ठप्प हो जाता है। इमीजियेटली रिलीफ के बजाय हम देखते हैं कि आज करप्शन बढ़ा है। इसलिये बिजली विभाग को यह देखना पड़ेगा कि कन्जूमर को वह कितना लाभ पहुंचा रहा है। जितना हम कन्जूमर को लाभ दे सकते हैं वह देना चाहिये। जैसा कि एक बात यहां पर सभापतिजी, कही गयी है वह सही है कि आज कन्जूमर जाता है तो उसको इस विभाग में धक्के मारे जाते हैं। यह सही बात है। नीम का थाना मेरे पड़ौस में है। मेरे ट्रान्सफार्मर से बिजली दी जा रही है। वहां क्या हो रहा है। मनी जमा हो जाने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिया जाता है। मैं स्वयं जानता हूं तीन साल से सिक्यूरिटी मनी जमा है उसको न तो आज तक बिजली की लाइन दी गयी है और न कनेक्शन ही दिया गया है परन्तु उसके बाद जमा कराने वाले को कनेक्शन दे दिया गया है। एक तरफ तीन साल से कनेक्शन की एप्लीकेशन पेन्डिंग है और दूसरी तरफ दो महीने में एप्लीकेशन लेकर 18 व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिये जाते हैं। इसलिये ऐसी बात पर सरकार को इमीजियेट स्टेप उठाना चाहिये।

(श्री झाबरमल सुन्डा)

एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे पटवारी रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में है, वैसे ही लाइनमैन इस विभाग में काम करता है। इसके ऊपर ही सारा कारोबार निर्भर करता है। इसलिये लाइनमैन के खिलाफ कन्जूमर की कोई शिकायत हो तो उसको सख्ती के साथ लेना चाहिये। वह किसी भी बहाने और किसी भी तरीके से कनेक्शन काट देता है और जो सब ग्रिड स्टेशन पर बैठता है वह अपनी मर्जी से काश्तकारों की मोटरों को जला देता है। लाइनमैन कन्जूमर्स के लिये चीफ इन्जीनियर से बड़ा है। इसलिये कन्जूमर लाइनमैन की शिकायत करता है तो उसको जैनाइन तरीके से लेना चाहिये।

मीटर रीडर का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने भी एक कुए पर कनेक्शन ले रखा है। उसका 6 सितम्बर को कनेक्शन हुआ परन्तु उसका पहला बिल लेट आया जबकि 6 हजार यूनिट कन्जूम हो गया था और उस बिल में मीटर रीडर ने 100 यूनिट लिखा। 400 यूनिट एक मिनिमम चार्जेज है। वह देना पड़ता है जबकि उस तारीख तक 6 हजार यूनिट कन्जूम हो चुकी थी। मीटर रीडर की गलती से मार्च के महिने में मिनिमम चार्जेज देने पड़े और इस तरह से 130/-रुपया अधिक लग गया और मेरे ख्याल में उस क्षेत्र में सभी कन्जूमर को यह मिनिमम चार्जेज देने पड़े, जिससे उनको घाटा हुआ यह महज मीटर रीडर की गलती से हुआ। इसलिये मीटर रीडर और लाइन मैन के खिलाफ कोई शिकायत हो तो उसको सख्ती से निबटना चाहिये। और यहां पर जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसका मैं पुरजोर समर्थन और स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, ग्रामीण विद्युतिकरण का जो प्रस्ताव है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। परन्तु इस ओर कुछ त्रुटियां देखने में आती है इसलिए उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये जो कर्जा लेने की बात चल रही है, वह सबसे अच्छी बात है परन्तु यह कर्जा कन्जूमर से लिया जाता तो और भी अच्छा होता-जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है। आज होता यह है कि जिस जगह आवश्यकता होती है वहां पर विद्युत नहीं पहुँचायी जाती है और जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर विद्युत पहुंच जाती है। उदाहरण के तौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीस कुए ऐसे हैं जिनके पास में, दो मील के फासले पर विद्युत है परन्तु उनको नहीं मिल रही है। आये साल इस तरह के उदाहरण दिये जाते है परन्तु जो लोग जस्टिफाइड मांग कर रहे हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। यह सारी चीजें एक ही जगह पर नहीं है-सब जगह पर हैं और कई ऐसे उदाहरण भी यहां पर दिये गये है। आज भी जहां पर उत्पादन सम्बन्धी कुए हैं वहां पर विद्युत की लाइन नहीं दी जा रही है। यह अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जिसकी ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये और वहां पर बिजली पहुंचायी जानी चाहिये। इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कि सर्वे हो चुकी

Page No. 88

(श्री लूणाराम)

है और उस क्षेत्र के कुओं में पानी भी है, इसलिए उनको एक नियोजित ढंग से एक-दो सालों के अन्दर बिजली देने की योजना में एडजस्ट किया जाना चाहिये । अगर इन क्षेत्रों का विद्युतिकरण किया गया तो उत्पादन बढ़ाने में यह एक अच्छी चीज हो सकती है ।

दूसरी बात जो मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कृषकों को जो बिजली दी जाती है, बिजली देने के लिये उनसे पांच साल का बॉण्ड भराया जाता है और इस बॉण्ड की किश्तें भरने में, एक-दो महीने चूक जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है और उस मौके पर कनेक्शन काटा जाता है जब कि एक तरफ फसल खड़ी होती है और एक बार कनेक्शन कटने पर महीने, दो महीने कनेक्शन नहीं मिलता है और सिंचाई के अभाव में उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। पांच साल का बॉण्ड लिखा है, पाँच साल का पैसा किसान को देना पड़ेगा, जो रकम बंध गयी है वह किसान को देनी होगी। उसके बावजूद उसको जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है । एक तरफ किसान के साथ पांच साल का बॉण्ड है, उसको रकम उसको भरना पड़ेगी और वह रकम सही ढंग से नहीं भर पाता है तो उसके साथ, उसकी खड़ी फसल के साथ अन्याय किया जाता है । एक तरफ देश के उत्पादन को घाटा लगता है और दूसरी तरफ किसान उसको होने वाले लाभ से वंचित रह जाता है । इसलिये इस व्यवस्था में सुधार होना अत्यन्त आवश्यक है जिससे किसानों को उनके कष्टों से बचाया जा सके ।

इसी प्रकार कनेक्शन देने की जो व्यवस्था है वह गलत है । कनेक्शन के लिये पांच रुपये लिये जाते हैं । कनेक्शन यदि दिया जाता है यहां तक तो यह ठीक है । सभापति महोदय, होता यह है कि पांच रुपये लिये जाते हैं, सर्वे किया जाता है, परन्तु दो दो साल तक वे प्रार्थना-पत्र पड़े रहते हैं और दूसरी तरफ जो प्रार्थना-पत्र आते हैं उनकी पूरी जांच नहीं होती है, सर्वे नहीं होता है और उनको कनेक्शन दे दिये जाते हैं । यह किसानों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि किसानों को प्राथमिकता दी जाये और कनेक्शन काटने के पहले उनको एक मौका और दिया जाये ताकि सिंचाई कर सके और हो सके तो सिंचाई के समय में कनेक्शन नहीं काटा जाये और काटा जाये तो उनको दुबारा कनेक्शन शीघ्रातिशीघ्र मिल जाये ।

एक बात और है । आज गांव के पास बिजली होते हुए भी उसको बिजली नहीं मिल पाती है । एक गांव का रेवेन्यु विलेज दूसरा होने के कारण उसको बिजली नहीं दी जाती है । नतीजा यह होता है पास में बिजली के खम्भे लगे हुए हैं परन्तु उस गांव को बिजली नहीं मिल पा रही है । मेरे क्षेत्र में एक गांव है, रेवेन्यु में उसके दो नाम हैं नतीजा यह है कि आधे गांव को बिजली मिलती है और आधे गांव को नहीं मिल रही है । सिर्फ 15 खम्भे से सारा गांव बिजली का लाभ उठा सकता है । एक गांव होते हुए भी पूरे गांव को बिजली का लाभ नहीं है । इसलिये नहीं उठा पा रहा है रेवेन्यु की वजह से ।

तो इस तरह की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अन्दर सुधार किया जाना

(श्री लूणाराम)
चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि खामियां जो हैं, इन खामियों की तरफ माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि ध्यान दें। विद्युत् के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने शिकायतें की हैं वह शिकायतें बहुत कम मात्रा में हैं। मीटर रीडिंग समय पर नहीं लिया जाता है। मीटर जल जाते हैं और साल डेढ़ साल तक ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इस बारे में व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): माननीय सभापतिजी, दो मिनिट में खत्म कर दूंगा।

श्री शिवचरण माथुर : दो मिनिट में खत्म किया है कभी आपने ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो मिनिट बाद ही घन्टी बजा दें।

श्री सभापति : मैं घन्टी बजाऊंगा ही नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेहरबानी आपकी।

इलेक्ट्रिसिटी का चेयरमैन आप कम से कम उसको बनायें जो विद्युत् के बारे में पढ़ा हो। चेयरमैन भी आप उन इन्जीनियर्स में से ही बनावें जो कि ऊंचा चढ़ जाय। अगर उस व्यक्ति को बनावें तो भली प्रकार से काम करेंगे। बाहर के आदमी से लाभ नहीं होने का है।

आप जयपुर में रहते हैं। वोल्टेज के संबंध में कई स्थानों से शिकायतें आई हैं। कई दिनों तक मकानों पर लाइटें बन्द रहती हैं। दीवाली के अवसर पर 6 बजे से साढ़े नौ बजे तक कितने मोहल्लों में बिजली नहीं थी।

दूसरा मैं निवेदन कर दूं कि जयपुर के विकास के नाते एक कमेटी बनी हुई है उसमें यह बात तय हुई थी कि 20 हजार रुपये साल जयपुर नगर परिषद् देगी और 20 हजार रुपये साल यू आई. टी. देगी और जितने भी फ्यूज्ड बल्ब्स और ट्यूब लाइट्स हैं इनके बदलने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले ले। बोर्ड ने 3 महीने बाद निर्णय लिया और उस समय तक बल्ब्स बन्द रहे। उसके बाद कह दिया कि यह सम्भव नहीं है। उसको स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब यह हैं कि म्युनिसिपैलिटी और यू आई. टी. का पैसा उनके पास में पड़ा हुआ है। म्युनिसिपैलिटी अपने पैसों से ट्यूब लाइटें बदलने जा रही थी।

तो फिर मैं निवेदन कर रहा था कि यह बात समझ में नहीं आती है कि कारखाने वालों से 3 पैसे और किसानों से 13 पैसे बिजली के लिये जाते हैं जब कि बात इससे उल्टी होनी चाहिए थी किसान से 3 पैसे और कारखाने वालों से 40-45 पैसे। मैं समझता हूं कि मुनाफा वह कमाते हैं। किसानों से 13 पैसे और कारखाने वालों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, कारखानेदारों से 3 पैसे, मैं समझता हूं कि यह विचित्र प्रकार की बात है। प्रगतिशील सरकार के लिए यह उचित बात नहीं है।

कम पावर के कारण ट्रान्सफार्मर्स कई जगहों पर जल जाते हैं। मीटर जल

Page No. 90

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जाते हैं तो 400-500 रुपयों का खर्चा किसान को करना पड़ता है यह प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है।

इस प्रकार पर मीटर पर लोड ठीक नहीं मिलता है तो मीटर जल जाते हैं फ्यूज वायर जल जाते हैं तो जयपुर में 3-3 दिन तक प्रयास करने के बाद भी फ्यूज वायर जोड़ने नहीं आते हैं। 3 दिन जयपुर शहर में लेते हैं तो गांवों में तो महीना महीना भर लग जाता है। किसान खेतों में पानी दे रहा है और फ्यूज जल गया तो कई दिनों तक खेत को पानी नहीं मिलेगा और खेत बरबाद हो जायगा। इस प्रकार से हालत सारी खराब है।

जो स्वीकृत गांव हैं उनमें कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास इसके लिये कोई आधार नहीं है। जिन आदमियों का प्रभाव है केवल उन लोगों के गांवों को कनेक्शन्स मिलते हैं। इस प्रकार गांव गांव में भेदभाव करते हैं और उसमें भी समानता की बात नहीं करना उपयुक्त नहीं है। क्रूड ऑइल भी लोगों को नहीं मिलता है। राजस्थान के गरीब किसान को बिजली नहीं देंगे और क्रूड आइल भी जिससे वह एन्जिन चलता है वह लोगों को नहीं मिलता है। हालत खराब है।

बिलों की यह हालत है कि जयपुर शहर में अन्तिम तारीख को दिया जाता है जैसे कल जमा होना है तो आज शाम को लोगों को बिल मिलेगा। किसान को 400,500 रुपयों का प्रबन्ध करना पड़ता है। मेरा एक खेत है सांगानेर में और 5 महीने हो गये कनेक्शन कटे हुए। असेम्बली कल समाप्त हो जायगी और परसों पैसों की व्यवस्था करके उसको जुड़वाऊंगा। बगैर नोटिस के कनेक्शन काट दिया। अन्तिम तारीख को बिल दिया जाय तो कैसे जमा हो सकता है। गांव में इस तरह से दिया जाय तो उसको पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है तो कम से कम दो चार दिन का तो अन्तर होना चाहिए। बिना सूचना या नोटिस दिये कनेक्शन नहीं काटना चाहिए।

मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी इन सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने सदन से मांगा है और मैं समझता हूं कि यह सदन उनकी मांग को स्वीकार कर लेगा, लेकिन सदन के माननीय सदस्यों ने मांगें रखी हैं उनके लिए वे मजबूरी जाहिर करेंगे। उन्होंने अधिकार मांगा है कि विद्युत् बोर्ड को अधिकार दिया जाय कर्जा लेने का। वह अधिकार देंगे, लेकिन सदन में माननीय सदस्यों ने कहा कि बिजली दीजिये तो कहा कि मजबूरी है, सामान नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वे सदन से अपेक्षा करते हैं कि यह सारे अधिकार दिये जायं, वह जो मांग रहे हैं उसको मन्जूर किया जाय तो वह सदन को विश्वास दिलायें कि जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों के लिए मांग रख रहे हैं या राजस्थान के विकास की मांग रख रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम राजस्थान को तरक्की करना चाहते हैं। खयाल बहुत अच्छा है। कल एक मंत्री आये और चले गये। आप भी कुछ दिन रहे। इसलिए बिजली की दिक्कतों का इनको पता है। यह विभाग

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

पहले भी आपके पास था और पिछले 7-8 महीनों में आपने दिक्कत महसूस की है मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि विभागों का कम्पीटिशन कल एक जगह हो रहा था कि राजस्थान के जितने विभाग हैं उनमें कौन सा विभाग आगे हैं तो विद्युत् विभाग फस्ट आया और रेवेन्यू, ट्रान्सपोर्ट और पुलिस सब पीछे चले गये रिश्वतखोरी में। प्रथम आ गया बिजली विभाग। मैं नहीं कह सकता कि आप टेम्परेरी हैं या परमानेन्ट....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कमलाजी आपको दो नम्बर पर रखा गया।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : मैं आशा करता हूं कि आप उसमें नीचे आने का प्रयास करेंगे और प्रथम आप अपने विभाग को नहीं रखेंगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 6-7 गांवों को बिजली की सेन्क्शन हो गई थी बड़ी मुश्किल से और तार मंगाकर मैं खुद ले गया। आप सभी लोगों को इन दिनों उधर से जाने का काफी मौका मिला, दिल्ली जाने के लिए तो आपने देखा होगा। उसके बाद में वहां पर ट्रान्सफार्म रखा और उस ट्रान्सफार्मर को उठाकर कहीं ले गये। उन 6 गांवों में से एक को भी कनेक्शन नहीं मिला स्वीकृति के बाद भी। लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि गावों में बिजली की स्वीकृति हो गई और हम यहां पूछते हैं कि स्वीकृति हो गई तो जवाब मिलता है कि जी हां स्वीकृति हो गई लेकिन कनेक्शन नहीं। आपने तरीका ऐसा बना दिया है कि पूरा डिस्क्रीशन ए. ई. एन. के हाथ में दे दिया है। बिजली का मालिक चेयरमैन नहीं, चीफ इन्जीनियर नहीं बल्कि वह ठेकेदार है वह गारन्टी इस बात की कर देता है उसके बाद में सेंक्शन मिलेगी। मैं निवेदन करता हूं कि ठेकेदारी प्रथा में सुधार करने का प्रयास करें।

ट्रान्सफार्मर्स की हालत खराब है। या तो हैं नहीं या जल गये। रिप्लेसमेंट करने की हालत नहीं है। मैं खुद बोर्ड में गया। वह कहने लगे कि हम दफ्तर में न बैठें। न तो ट्रान्सफार्मर्स है, न कंडक्टर्स हैं और मेरे इलाके के इन्जीनियर ने बताया कि फ्यूज वायर भी नहीं हैं। जब यह हालत बोर्ड की है तो हमको उत्पादन बढ़ाना है। अकाल हमने देखा, बाढ़ हमने देखी, इस साल हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी फसल आयेगी। वह तब आयेगी जब कि विभाग मुस्तैद रहेगा। कृषि और विद्युत् विभाग दोनों आपके हाथ में हैं। दोनों का समन्वय आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप इस स्थिति में हैं। खाद, बीज, डीजल अभी भी नहीं मिल रहा है। आपको कृषि मंत्री होने के नाते मौका मिलेगा और बिजली के लिए जहां आपने आलरेडी बिजली के कनेक्शन दे रखे हैं, वहां आप उनको एश्योर कर दें कि उनको कनेक्शन मिलेगा। नहीं तो ट्रांसफारमर जलेंगे। इसलिए जिनको आपने बिजली दे रखी है ऐसी बहुतसी जगह हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जो आर. ई. सी. की स्कीम है, उस योजना को बनवाने में आप अपने प्रभाव

Page No. 92

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
उपयोग करें। इसी तरह से हमारे यहां जो फर्टाइल ऐरिया है, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था सभापति महोदय, मेरा जो एरिया है, वह कुछ ऐसा है। आप उससे परिचित हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उसमें सुधार करेंगे।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि और दूसरे सकल्प भी लाने हैं। सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं आ गई हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, एक मिनिट।

श्री सभापति : दो मिनिट से अधिक समय कोई भी माननीय सदस्य नहीं लेंगे।

श्री बिरदाराम ! जो कुछ कहना चाहते हैं, दो मिनिट में कह दें।

श्री बिरदाराम (जालौर) : सभापति महोदय, 150 करोड़ की मांग है। मैं जालोर और भीनमाल की बात कहता हूं। जालोर में 3000 कुवे हैं। काफी साल से बिजली की कमी है। आपने मास्टर प्लान बनाया है उसको जालोर में स्वीकार किया है। वहां जल्दो से जल्दो लाइन पूरी करा दें। काश्तकारों को बिजली मिल जाये तो दो, तीन हजार काश्तकारों को फायदा हो। इस साल में ग्वांल का 155 रु. का भाव है। एक साल में 40 रु. बढ़ गया है। काश्तकार जो अनाज पैदा करता है, उसका भाव क्या है ? इसलिए जालोर जिले में जल्दी से जल्दी बिजली दे दें। काश्तकार इस साल बाढ़ से भी पीड़ित हैं। मेरा निवेदन है कि काश्तकारों को इस साल में बिजली दे दी जाये और अगले साल में पैसा वसूल किया जाये। लाईन जालोर से सांचोर तक जाती है। बहुत लम्बा ऐरिया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

कुवों में बिजली की लाइन जालौर में जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। जहां पावर ज्यादा लगती है, वहां एक लाइन में ज्यादा नुकसान कर सकती है।

श्री सभापति : आपकी असली बात आ गई। अब दूसरे भी विषय पर बोलेंगे।

श्री बिरदाराम : मैं यह निवेदन करता हूं, मन्त्री महोदय इसको मंजूर करें।

श्री रामलाल(बाडी) : मेरा निवेदन है मेरे क्षेत्र में दो तहसील हैं। सरवेड़ी और बाड़ी वहां एक तरफ की बन्द कर दी जाती है। आधा आधा घण्टे बन्द रहती है। इतनी पावर ही नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि वहां ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाये। कम से कम 30 हजार कुवें बाड़ी तहसील में हैं। उस इलाके में ज्यादा ध्यान दें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, इस बिल का तो मैं समर्थन करता हूं। कुछ समस्याएं हैं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो सैट हैं, वह पूरे नहीं हैं। मन्त्री महोदय ने हमारे बाड़मेर जिले की सैटों का इन्सपेक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि पुराने सेटों का डिस्पोजल कर देना चाहिए। हमारे यहा नये सैट नहीं हैं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
विदेशों से प्राप्त करते हैं हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर पहुंचानी है। इससे बाड़मेर में पानी की समस्या हल होती है। पोकरन और जैसलमेर को पानी की समस्या हल होती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक मिल जायेगी तो इन जगहों को पानी की समस्या हल हो जायेगी। क्योंकि मैंने जो जानकारी प्राप्त की है चेयरमैन और चीफ इन्जीनियर से, वह कोई नया सेट नहीं मंगाना चाहते हैं इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री चतुर्भुज !

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, बिजली खेतों में मदद करती। यह जो 150 करोड़ की मांग आई है, इसका मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार के सामने अनाज की समस्या है। जिस किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर हमको यह बात मिलती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज अनाज का इतना संकट है। फिर भी सरकार बिजली नहीं दे रही है। इतनी परिस्थिति है। फिर तो हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि जो रबी की फसल है, वह अच्छी हो। नहीं तो आप वह भी बेकार कर देंगे।

आज हमारे क्षेत्र में जो टैंक्स हैं उन में पानी भरा हुआ है, उनकी मोरियां नहीं टूटी, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिला टोंक में 10 हजार टन गल्ला कम होगा। क्या यह उत्पादन की समस्या नहीं है। क्या देश व राज्य के हित की बात नहीं है? पानी भरा हुआ है, काश्तकार रहता है लेकिन पानी नहीं टूट रहा। खेत पर कुआ है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि टोडारायसिंह के मसले पर ध्यान दिया जाय, करोड़ों रुपए....

श्री सभापति : आपकी बात आ गई है, बार बार रिपीट करते हैं।

श्री जोयिग (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, विद्युत मंडल का संकल्प जो सदन के समक्ष आया है, आप और हम सब जानते हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए खेत पानी और बिजली की आवश्यकता है और उसी पर इसान जिंदा रह सकते हैं। राज्य सरकार ने और विद्युत् मंत्री महोदय ने हमारे क्षेत्र के बारे में अनेक बार घोषणा की, कई बार इस सदन में सवाल भी आया और मेरे पिछले साल के सवाल के जवाब में उत्तर दिया था कि अंतिम साल तक बांसवाड़ा से कुशलगढ़ लाइन पहुंच जाएगी और कुशलगढ़ से हर 8 माइल के एरिया में ग्रामीण विद्युतिकरण का काम हाथ में लिया जाएगा। लेकिन बांसवाड़ा से कुशलगढ़ तक आज दिन तक कोई लाइन नहीं लगाई गई न खम्भे लगाए गए। बांसवाड़ा और बागीडोरा जो जोशीजी का क्षेत्र है, वह कांग्रेस का ही क्षेत्र है, वहां लोगों के साथ राजनैतिक दांवपेच खेले जाते हैं। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी हमारे क्षेत्र को बिजली नहीं देना चाहते। पीपलखूंट से कुशलगढ़ में एक गांव को भी आज तक बिजली नहीं दी, उस इलाके को लाइन तक नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने कल नीति

(श्री जीथिंग) संबंधी वक्तव्य दिया, उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि हम ज्यादा से ज्यादा हरिजन और आदिवासियों को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरी तरफ भीखमंगा बनाने की जो नीति है, उनकी घोषणा के विपरीत है, उनकी घोषणा झूठी है और उनकी नीति आदिवासियों के विरुद्ध चल रही है। इसलिए मैं विद्युत् मंत्री से निवेदन करता हूं कि सदन में वे स्पष्ट घोषणा करें कि बांसवाड़ा से बागीडोरा तक जो लाइन है वह कुशलगढ़ तक कब तक पहुंच जाएगी और कितने गांव उसमें विद्युतिकरण में इस वर्ष की योजना में लिए जायेंगे, यह सदन में स्पष्ट घोषणा करें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल की जो ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि की जा रही है मैं पूर्व के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह एक तरह से सत्ता पक्ष के लोगों को इतना रुपया दिया जा रहा है जिससे राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग कर सकें जिससे कि जनतन्त्र पर प्रहार हो। दौसा क्षेत्र के बारे में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में सतर्क रहें और इस तरह से राजनैतिक विक्टीमाइजेशन से हमें बचाया जाए। पूर्वी राजस्थान के कांग्रेसियों की कांग्रेस में आवाज नहीं है। आपने पूर्वी राजस्थान की हर योजना में कटौती की और सिंचाई की योजना थी। जमवा रामगढ़ के बंधे का पानी आपने जयपुर को दिया और दूसरी योजना बनास को खत्म किया। उसका नतीजा यह हुआ कि जो गांव उनके नीचे आते थे वह सूखे रहे और जिन लोगों को फसलों से अनाज मिलता था वे गरीब हो गए। दूसरी तरफ सब्स्टीट्यूट के आधार पर जब गांवों को बिजली देने की बात हुई तो सरकार क्योंकि कांग्रेस की थी, कांग्रेस को जवाब जनता देती आ रही है। इस तरह से विरोधी दल के विधायकों के साथ न सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दौसा में सौतेला व्यवहार किया और यही व्यवस्था बिजली विभाग के द्वारा होती रही। दौसा से कुछ मील दूर एक गांव है, लाइन है लेकिन कनेक्शन नहीं। इसी तरह से कुमार गांव को बिजली नहीं दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता इसका विरोध करते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भेदभाव को छोड़कर जो वहां के काश्तकार थे उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उनके बच्चों की रोजी पर हमला है, उसको खत्म करें और तुरंत वहां पर बिजली की लाइन पहुँचाई जाए। इस तरह से रुपए का अगर दुरुपयोग किया जाए तो किसान को बहुत बड़ी निराशा होगी और वह बाध्य होगा कि इससे ज्यादा खराब हों। इस तरह लोगों को कन्ट्रोल में रखने से कभी वे नियंत्रण में नहीं आ सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम बातों से अलग होकर सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और कम से कम रामगढ़ बन्धे के कम्पेन्सेशन के रूप में तुरंत बिजली पहुंचाई जाए और ऊपर के दबावों से मुक्त होकर सरकार को काम करना चाहिए।

श्री नेठमल बरबड़ (परबतसर) : प्रश्न यह है कि हमारे यहां रूरल इलेक्ट्रिफि-

(श्री जेठमल बरवड़)

केशन कारपोरेशन ने 43 गांव मंजूर किए, उनमें से 16 गांवों में लाइन खींची गई है, ट्रांसफार्मर्स लगाए गए, किसानों ने एप्लाई किया, लेकिन कनेक्शन नहीं दिया। इंजीनियर्स कहते हैं कि हमारे पास वायर नहीं है। किसान ने एक मोटर लगा दी कुएं पर लेकिन कनेक्शन न मिलने की वजह से परेशान है। इसलिए परबतसर में जिन जिन गांवों में बिजली गई है और जिन गांवों में लाइन चली गई है और जिन किसानों ने मोटरें लगाई हैं उनको तुरंत बिजली दी जाए ताकि वे इस फसल से महरूम न रहें।

श्री शिवचरण माथुर (खाद्य मंत्री) : राजकीय संकल्प पर यह जो माननीय सदस्यों ने चर्चा की और बहुत से मूल्यवान सुझाव सदन में आए उसके लिए मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूँ। संकल्प बहुत ही साधारण सा था और मुझे खुशी है कहते हुए कि प्रत्येक सदस्य ने उस संकल्प का समर्थन किया है। 150 करोड़ तक की धनराशि का कर्जा लेने की स्वीकृति बोर्ड को देने का संकल्प यहां पर प्रस्तुत हुआ। उस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए सदस्यों ने कहा कि इससे भी अधिक यदि मांग सरकार करती तो उसके लिए हम तैयार थे। मैं समझता हूं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बिजली पहुंचाने के लिए माननीय सदस्य चिंतित हैं लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी बात कहते हुए उसका ध्यान नहीं रखा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बोर्ड की जो लिमिट थी बोरोइंग की 50 करोड़ की सदन के द्वारा स्वीकृत थी उसको इसलिए बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है कि हम लोगों ने जो पांचवी योजना जो अगले साल से शुरू होने वाली है उसके रीसोसेर्ज विद्युत् मंडल के कितने हुए, उसका तखमीना प्लानिंग कमीशन लेविल पर लगाया गया तो अनुभव किया गया कि करीब 105 करोड़ की धनराशि अलग अलग वित्तीय संस्थाओं से हमें लेनी पड़ेगी। इस 105 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये तो ऐसे हैं जिसे उन्हें वापिस देना पड़ेगा। यह दस करोड़ धनराशि उनके पहले कर्ज ली हुई थी। इसके बाद 95 करोड़ रुपये हमें इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्सिंग से कर्ज लेना पड़ेगा। इतना बड़ा कर्ज लेने के लिये बोर्ड को हम अधिकृत करेंगे। यहां पर कुछ माननीय सदस्य यह सोचते होंगे कि 50 करोड़ से एक साथ 150 करोड़ रुपये की मांग राज्य सरकार ने क्यों रखी? इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि हमने अगली पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखा है। हम अगली पंचम् पंचवर्षीय योजना में क्या क्या करने वाले हैं उसके लिये हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, आज साधनों की कमी है वह कमी नहीं रहे। यह मैं मानता हूं कि 150 करोड़ रुपये की धनराशि कर्ज लेने के लिये बोर्ड को कई जगहों से कर्जा लेना पड़ेगा। उसे अलग 2 संस्थाओं से अप्रोच करना पड़ेगा एक माननीय सदस्य ने यहां कहा था कि बोर्ड को पहले ही एक अरब और 58 करोड़ की धनराशि पहले ही बोर्ड को कर्ज के रूप में मिल चुकी है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्युत् बोर्ड के पास धन आने के दो ही साधन हैं। पहला तो राज्य कोष से धन प्राप्त होता है। यह धनराशि बार्ड को इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई एक्ट) की धारा 64 के अन्तर्गत राज्य सरकार

(श्री शिवचरण माथुर)

बोर्ड को धनराशि देती है कर्ज के रूप में दूसरी जो धनराशि बोर्ड को प्राप्त होती है वह इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई एक्ट) की धारा 65 (3) के अन्तर्गत। यह गवर्नमेन्ट की गारन्टी पर दूसरे फाईनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से बोर्ड कर्जा लेती है। तो यह सभी कुल मिलाकर अब 183 करोड़ रुपये के करीब हो जायेगा। इसमें बहुत सा कर्जा बोर्ड दूसरी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स के द्वारा लेती है। अभी तक 47.79 करोड़ रुपया कर्जा तो हो चुका है और मार्च के अन्त तक करीब 8 करोड़ रुपया और बोर्ड कर्जा ले लेगा। इस प्रकार इस वर्ष के अन्त तक करीब 55 करोड़ रुपया का कर्जा हो जायेगा। इसलिये चूंकि पंचम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमें कार्य करना है इसलिये हमें 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान लगाकर आप लोगों के सामने यह प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसके लिये स्वीकृति देंगे। मुझे इस बात के लिये भी खुशी है कि बहस के दौरान कई माननीय सदस्यों ने अपने मूल्यवान सुझाव दिये उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा था कि जितना पैसा बोर्ड स्वीकृति करने की घोषणा करता है उतना खर्च नहीं किया जाता। और जहां पर बिजली पहुँचनी चाहिये वहां पर बिजली नहीं पहुँच पाती है। इसके अलावा यह भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों के लिये अलग अलग धनराशि खर्च करने की योजना होनी चाहिये। इसलिये हमने 150 करोड़ रुपये की धनराशि रखी है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान के बनने के पहले का इतिहास देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आजादी के पहले राजस्थान में केवल 42 लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाइड की राजस्थान में थी। और आजादी के बाद और राजस्थान के बनने के बाद आज तक 4500 लोकेलिटीज इलेक्ट्रिफाइड हो गयी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि करीब 125 गुना ज्यादा विस्तार बिजली का राजस्थान में हो गया। मैं समझता हूं कि राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए, राजस्थान के सीमित साधनों को देखते हुए यह बहुत ही अच्छी तरक्की है। और यह हमारे लिये काफी गर्व और गौरव की बात है।

इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि बिजली बोर्ड के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है उसमें ग्रामीण विद्युतिकरण पर खर्च अलग अलग क्षेत्रों में बराबर नहीं किया जाता है। ग्रामीण विद्युतिकरण पर बहुत ही कम खर्च किया जाता है। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि करीब 5 प्रतिशत ही रुपया जो खर्च होना चाहिये उसका ग्रामीण विद्युतिकरण पर किया जाता है। मैं आपको पिछले साल के आंकड़े बताना चाहता हूं कि इन पिछले दो सालों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा कितना कितना रुपया ग्रामीण विद्युतिकरण पर खर्च किया गया है।

सन् 1970-71 में टोटल एक्सपेन्डीचर के लिये 22 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च करने थे उसमें से ग्रामीण विद्युतिकरण पर हमने 7.96 करोड़ रुपये खर्च किये थे।

(श्री शिवचरण माथुर)

यह कुल एक्सपेन्डीचर का 35 प्रतिशत खर्चा था। इसके अलावा सन् 1971-72 में 3509 लाख रुपये का खर्चा करना था उसमें से हमने ग्रामीण विद्युतिकरण पर एक हजार 464 लाख रुपये खर्च किये हैं। ये कुल धनराशि का 41 प्रतिशत खर्चा है। तो यह कहना कि ग्रामीण विद्युतिकरण पर बिजली बोर्ड द्वारा विशेष खर्चा नहीं किया जाता है यह कहना गलत है। यह उचित नहीं है। इसके माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि राजस्थान के साधन बहुत सीमित हैं फिर भी उन सीमित साधनों से हम जैसा भी धन खर्च कर सकते हैं उसमें से अधिक से अधिक हम ग्रामीण विद्युतिकरण पर खर्च करते हैं। इसके अलावा और पैसा आने के लिये और जगहों पर ज्यादा से ज्यादा बिजली देने के लिये हमने स्कीम्स बना रखी हैं जो कि भारत सरकार के पास पड़ी हुई हैं उससे भी बिजली का विकास व विस्तार किया जायेगा। वह भी भारत सरकार के प्रोसेश में है। इसमें आर. ई. सी. की स्कीम्स राजस्थान में एप्रूव होंगी और उन स्कीम्स के एप्रूव होने से काफी बिजली का विकास और विस्तार हो सकेगा।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इन स्कीम्स के आने के बाद काफी प्रगति हमारे यहां पर बिजली की हो सकेगी। काफी ग्रामीण विद्युतिकरण हमारे यहां हो जायेगा। वैसे तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि काफी विस्तार तो हो गया है। तो सभापति महोदय, बिजली के विस्तार और विकास के बारे में आगे आने वाली पंचवर्षीय योजना में हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखीं। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि यहां पर ट्रान्सफोर्मर व कन्डक्टर्स की कमी है उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि जब इतना विकास का काम होगा तो इसकी कमी भी दूर हो जायेगी। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि बिजली बोर्ड में काफी भ्रष्टाचार है। हालांकि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार का कोई स्पैसिफिकली तो नाम लेकर नहीं कहा इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के प्रति चिन्तित हैं उतनी राज्य सरकार भी इसके बारे में चिन्तित है। और वास्तव में कोई भ्रष्टाचार का मामला हो तो उस पर एक्शन लिया जायगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं आप चाहें तो स्पैसिफिकली बता दूं कितना भ्रष्टाचार है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री शिवचरण माथुर : जैसा कि मैंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में सिर्फ माननीय सदस्य ही चिंतित हों यह बात नहीं है क्योंकि राज्य सरकार भी वास्तव में उतनी ही चिन्तित है। उसके लिए राज्य सरकार उसको दूर करने के लिए प्रयास करेगी। इसके अलावा जो भी कठिनाई लोगों को इसमें आती है उनको विभाग द्वारा दूर किया जायगा। विभाग द्वारा ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे लोगों को

(श्री शिवचरण माथुर)

जल्दी से जल्दी बिजली मिल सके। ऐसे सीधे तरीके, ऐसे कारगर कदम उठाये जाने के लिए राज्य सरकार प्रयत्न करेगी जिससे लोगों को सुविधा मिले। और यहां पर ट्रान्सफोर्मरों की कमी, कण्डक्टरों की कमी, बजट की कमी, एडवान्स्ड प्लानिंग की कमी की चर्चा की गई।

प्लानिंग तो एडवान्स्ड में किया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही पैसा आया काम शुरू कर दिया बगैर किसी प्लानिंग के। प्लानिंग तो एडवांस में ही होती है। एडवान्स्ड परचेज भी होती है। पर वित्त की कठिनाई सबसे अधिक है। आप कितनी ही एडवान्स्ड प्लानिंग भी कर लें पर जब तक पैसा नहीं होगा तो कठिनाई आ जावेगी। फिर भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव आपने प्रस्तुत किये हैं यहां उन पर गौर से विचार किया जावेगा और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कहा जावेगा कि जो विचार यहां प्रस्तुत हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सुधार लावें और जो कठिनाइयां बिजली मिलने की ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनको दूर करने का प्रयत्न किया जावे।

बहुत से माननीय सदस्यों ने बिजली के विस्तार की चर्चा अपने अपने क्षेत्रों की की। किस किस क्षेत्र में कैसे विस्तार होगा इसकी जानकारी इस समय सबको देने की स्थिति में तो मैं नहीं हूं क्योंकि इसकी पूर्व सूचना मुझे नहीं थी और इसके अभाव में सभी की जानकारी दे पाना ऑफ हैण्ड मेरे लिये कठिन होगा। पर एक विश्वास दिलाकर चलना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र का इस आधार पर कि वहां से राज की दृष्टि से कोई प्रतिनिधि चुन कर नहीं आया है या उसकी वाइस नहीं है उस क्षेत्र को निग्लेक्ट करने की हमारी कतई मंशा नहीं है। लगातार हमारी यह कोशिश रहेगी कि सारे राजस्थान में एक यूनीफार्म तरीके से बिजली के विस्तार का काम किया जावे। मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस काम में राजनैतिक भेदभाव बर्तने की हमारी कतई मंशा नहीं है। बिजली का विस्तार करने के लिये हम निरन्तर बिना राजनैतिक पक्षपात के आगे बढ़ने की कल्पना करके चलना चाहते हैं।

बाड़मेर के बारे में चर्चा की गई। वहां ओबसोलीट डीजल सैट थे। हमने थोड़ा प्रयास किया था कि कुछ बिल्कुल नये न सही तो कुछ अच्छे पुराने सैट लगा कर कम से कम वहां की पावर सप्लाई की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जावे। वह हमने किया है और इससे हमें सन्तोष है। वहां की जनता को भी सन्तोष दिलाने में हम सफल हुए हैं। पर फिलहाल निकट भविष्य में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर लाइन हम वहां ले जावें यह सम्भव नहीं है। यह समय और वित्त साध्य का काम है। आज 2:0 से 150 मील लम्बी हाइड्रोइलेक्ट्रिक लाइन खींच कर ले जाना काफी समय साध्य और व्ययसाध्य काम है। इसके बजाय तो अभी हमने यही उचित समझा है कि कुछ अच्छे डीजल सैट वहां लगा दिये जावें ताकि आज की डिमाण्ड को पूरा किया जा सके। इसके बाद जैसे ही इतने साधन हुए तो निश्चित रूप से जिस रफ्तार से उस क्षेत्र का विकास होता जावेगा उसी रफ्तार से हम भी हाईड्रो-इलेक्ट्रिक लाइन पहुंचाने का भी निकट

(श्री शिवचरण माथुर)
भविष्य में प्रयास कर सकते हैं। पर आज अपने सीमित साधनों को देखते हुए जितनी आवश्यकता वहां की है उसकी पूर्ति की जा रही है। और भी ज्यादा मांग बढ़ेगी तो इन्हीं साधनों से उसको भी पूर्ति करने का प्रयत्न किया जावेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ जो मूल्यवान सुझाव आपने सदन में रक्खे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उनके आधार पर विद्युत् बोर्ड को काम करने के लिए कहा जायेगा। अन्त में मैं इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करने का आप से अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प विद्युत् मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका सदन अनुमोदन करता है।

(स्वीकृत)

संकल्प अनुमोदित किया गया।

शासकीय संकल्प

राजस्थान राज्य में प्राईवेट आयुर्विज्ञान (एलोपेथी) महाविद्यालयों का संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमन

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

यतः राजस्थान विधान सभा के विचार में अवस्तर के ऐसे प्राईवेट आयुर्विज्ञान (एलोपेथी) महाविद्यालयों, जिनमें प्रवेश की कसोटी योग्यता न होकर अग्रिम शिक्षण शुल्क एवं प्रतिव्यक्ति दान के रूप में भारी रकम देने की क्षमता है, के स्थापित किये जाने पर निषेध के लिए देश में एक रूपात्मक विधान होना चाहिये, तथा ऐसे विद्यमान प्राईवेट आयुर्विज्ञान (एलोपेथी) महाविद्यालयों का विनियमन ऐसी रीति से करने की आवश्यकता है जो साध्य एवं वांछनीय हो,

और यतः प्राइवेट आयुर्विज्ञान (एलोपेथी) महाविद्यालयों की स्थापना तथा पहले से ही स्थापित ऐसे महाविद्यालयों का विनियमन तथा तत्सम्बन्धी एवं उनके आनुषंगी तथा आनुषंगित मामलों पर ऐसे किसी निषेध का अधिरोपण एक ऐसा विषय है जिसकी बाबत संसद को राज्यों के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 तथा 250 में यथा उपबंधित को छोड़ कर, विधि बनाने की शक्ति नहीं है, और यतः विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य में उपर्युक्त मामले संसद द्वारा बनाई गई विधि विनियमित किये जायं,

अतः, अब, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, विधान सभा, राजस्थान राज्य में प्राईवेट आयुर्विज्ञान (एलोपेथी) महाविद्यालयों की स्थापना तथा पहले से ही स्थापित ऐसे महाविद्यालयों का विनियमन और तत्सम्बन्धी एवं उनके अनुषंगी तथा आनुषंगिक मामलों पर विनिषेध अधिरोपण, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा, विनियमित किया जाना, एतद्द्वारा, प्रस्तावित करती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, इतना सा बता दिया जावे कि राजस्थान में ऐसा आयुर्वेद एलोपेथी महाविद्यालय कहीं है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : यह तो सही है कि राजस्थान में ऐसा कोई प्राईवेट आयुर्वेद एलोपैथी महाविद्यालय नहीं है पर हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में है जहां पर बहुत ऊंचे किस्म का शिक्षण दिया जाता है। पर उनका स्टेण्डर्ड बहुत लो है। आप जानते हैं कि मैडिकल कॉलेजों के बनाने में बहुत धनराशि खर्च होती है ऐसी स्थिति में कोई भी प्राईवेट पार्टी कितनी ही बड़ी क्यों न हो वह स्टेण्डर्ड की संस्था नहीं बना सकती। न उनको इण्डियन मैडिकल कौंसिल का प्रमाण-पत्र ही मिलने की सम्भावना है। इसलिए आगे चलकर बहुत सी कठिनाइयां खड़ी होती हैं। इसको अनुभव करके यह संकल्प यहां लाया गया है ताकि भारत सरकार सारे देश के लिए एक सी प्रणाली लागू कर सके। पर चूंकि यह स्टेट सबजेक्ट है इसलिए एकरूपता सारे देश में हो, इस हेतु पार्लियामेन्ट को इसके लिए कोई भी एकसा नियम (एक्ट) बनाने के लिए सक्षम करने के लिए देश की हरेक विधान सभा में इस तरह का संकल्प लाया गया है। यह सारे देश के हित में है इसलिए इस संकल्प को यहां लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह सकल्प बिल्कुल निर्दोष है और इसमें किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, यह नॉन कन्ट्रोवर्सियल इस्यू है। इसमें किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश नहीं है। माननीय सदस्य गिरधारीलाल जी भार्गव ने कहा कि ऐसी कोई सस्था राजस्थान में नहीं है। यह सही है पर क्या गारन्टी है कि भविष्य में ऐसी संस्था न बन जाय। अथवा सिद्धान्ततः सारे देश में एक तरह की व्यवस्था हो उस एकरूपता को लाने के लिए यह विधेयक, मैं समझता हूं, परमावश्यक है। इसमें किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश नहीं है। इसलिये यह सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्राईवेट आयुर्वेद एलोपैथी महाविद्यालय सम्बन्धी जो यह संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है उसे यह विधान सभा सर्वसम्मति से स्वीकार करती है।

(स्वीकृत)

संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

राज्य कर्मचारियों की गत हड़ताल पर विचार

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य कर्मचारियों की गत हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल गत 9 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक चली। 15 को सुबह समझौता होकर हड़ताल समाप्त हुई। इस हड़ताल के कारण समस्त राजस्थान के कर्मचारी, जिनकी संख्या 2½ लाख के करीब है, कमो बेश हर जिले में हड़ताल पर रहे। इसकी वजह से सारा जन जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त रहा।

आज जब नवम्बर के महीने में हम इस विषय पर बहस कर रहे हैं तो हमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि यह हड़ताल क्यों हुई ? क्या इस हड़ताल की आवश्यकता थी ? क्या इसको टाला नहीं जा सकता था ? और आखिर में इसकी जिम्मेदारी क्या राज्य कर्मचारियों की है या राज्य सरकार की है। दूसरा पहलू इसका यह भी है कि यह हड़ताल इतनी लम्बी 37 दिनों तक खिची क्यों ?

(म. प. 4.10)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

हड़ताल हो भी गई, पर इतने दिनों तक खिची क्यों जिसके कारण सारे राजस्थान का जन जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त रहा और फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? और नम्बर तीन जो प्रश्न मैं समझता हूं और जो आज विचारणीय है वह यह है कि हड़ताल का समझौता होने के बाद जो परिस्थितियां रहीं वे किस प्रकार की हैं अथवा जो समझौता किया गया, जिन भावनाओं से किया गया, जिस दृष्टिकोण से किया गया उसको पूरी तरह से इन लेटर स्प्रिट उस पर अमल किया जा रहा है और इस सदन में इन तीनों बातों पर विचार करके सरकार को संकेत देना चाहिये। यदि सरकार ने कहीं पर गलतियां की हैं, चाहे वह वक्त पर कदम न उठाकर की है या गलत कदम उठाकर की, या चुप्पी साधकर की है, कोई भी की हो या राज्य कर्मचारियों की तरफ से इस प्रकार की बात हुई हो तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिये, सही दिशा में ले जाना चाहिये ताकि पुनरावृत्ति न हो और राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के बीच, सरकार के बीच, जनता के बीच वह सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो सके ताकि सरकार कर्मचारियों को अपना एक अंग मान सके और अपना कार्य ठीक तरह से कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि यह हड़ताल जो 37 दिन तक चली और इसमें इतना नुकसान हुआ है, यह हड़ताल आवश्यक नहीं थी। यदि सरकार सही तरीके से इस समस्या के समाधान की कोशिश करती, वक्त पर कदम उठाती तो यह अवाइड की जा सकती थी। दरअसल मैं यह कहूं कि इस हड़ताल का आभास और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो राज्य कर्मचारियों की जिनाइन मांगे थीं, वे काफी लम्बे अर्से से, या तो जिन पर विचार हो चुका था, उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा था, या जो प्रश्न विचारणीय थे, उनको विचार करके क्लीन्स नहीं किया जा रहा था। इस वजह से जब धैर्य टूट गया तो राज्य कर्मचारियों को इस स्थिति में आना पड़ा।

मैं न केवल इतना ही निवेदन करूंगा बल्कि मैं यह भी कहूंगा कि इस हड़ताल को कराने में और इसको लम्बा कराने में और न केवल सरकार का हड़ताल शुरू होने से पहले एक वक्त पर एक्शन न लेना ही कारण है बल्कि मैं आपके सामने तथ्य रखकर इस बात को बताने का भी प्रयत्न करूंगा और जो तथ्य हैं वे इस बात को जाहिर करते हैं कि चाहे वे राज्य सरकार के अन टेक्टफुल हैन्डलिंग के कारण हैं बल्कि कुछ अधि-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कारी लोग इस हड़ताल को एक दिशा देने में, इसको लम्बा कराने में और इसको ज्यादा बढ़ाने में जिम्मेदार हैं। अपने एक्शन्स के लिए, अपने रोंग एक्शन के जरिए, जो कि उन्होंने राज्य कर्मचारियों को आपस में लड़ाकर, आपस में फूट पैदा करके इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते थे, जिससे इन कर्मचारियों में फूट पड़ जाय और एक तबके पर हाथ रखकर उनको पेक्ट यूनियन रखकर चाहे कोई फैसला करवा लें और इस वजह से इस हड़ताल को एक नई शक्ल दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी मांगें राज्य कर्मचारी संघ ने मिनिस्ट्रियल एसोसियेशन संघ की तरफ से एक 25 सूत्री मांग-पत्र फरवरी, 1973 में सरकार को दिया था और जो राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ है, उसकी तरफ से 16 जून को 15 सूत्री मांग-पत्र दिया गया। अगर फरवरी, 1973 के मांग-पत्र पर राज्य सरकार ने कोई बातचत नहीं की केवल बहुत लेट स्टेज पर जबकि वे बार बार कहते रहे कुछ नहीं हो रहा है तो सरकार ने तीन आफिसर्स की एक कमेटी मुकर्रर कर दी और यह कहा आप इस कमेटी से बात करें और उस कमेटी की पहली मीटिंग 26 जून को बुलाई गई जब मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसियेशन की तरफ से तंग आकर 26 को यह घोषणा कर दी गई कि हम इस तरह की कमेटी से बातचीत नहीं करना चाहते हैं और जिस कमेटी से बातचीत करने से कोई लाभ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही जो हम फैसला कराना चाहते हैं वह उसके अधिकार में नहीं है। हम मिनिस्ट्री लेवल पर बातचीत करना चाहते हैं। वह 25 तारीख को स्टेटमेंट दिया गया और 26 जून को घोषणा कर दी और 9 जुलाई से हड़ताल पर चले जायेंगे। तो फरवरी के मांग-पत्र पर चार महिने तक किसी बात की शुरूआत न होना और जब शुरूआत की तो इस बात की जिद करना कि पहले आफिसर्स की कमेटी से बात करें तब बात करेंगे। राज्य कर्मचारियों ने इस बात से इन्कार कर दिया कि आफिसर्स की कमेटी से बात नहीं करेंगे। हम मन्त्रियों से बात करना चाहते हैं तो मंत्रियों से बातचीत करना राज्य सरकार ने उचित नहीं समझा। जिसके कारण 28 जून से भूख हड़ताल शुरू हुई और भूख हड़ताल शुरू होने के बाद फिर सरकार ने प्रेस्टिज का पाइन्ट बना लिया वही आज जो पिलानी के निदेशक महोदय ने बनाया हुआ है कि पहले आन्दोलन वापिस लो फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। 28 जून से मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान के मंत्री मण्डल ने यह निर्णय ले लिया कि जब तक आप आन्दोलन को वापिस नहीं लें या स्थगित नहीं कर दें तब तक कोई बातचीत नहीं की जाय। 9 जुलाई से हड़ताल शुरू होती है। 6 जुलाई को एक पत्र लिखा फिर 8 जुलाई को मुख्य मंत्री को पत्र लिखा गया कि अगर मंत्री लेवल पर बातचीत की जाती है तो खत्म हो सकती है। लेकिन उन लेटर्स में भी जो गवर्नमेंट ने प्रकाशित किये है उनमें साफ है कि पहले आन्दोलन स्थगित करें या वापिस लें तब बातचीत हो सकती है। इस रूप में उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है जहां तक मिनिस्ट्रियल सर्विस है, उनके एसोसियेशन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के द्वारा फरवरी में नोटिस देने के बावजूद 26 जून तक कोई बातचीत नहीं हुई और 28 को घोषणा कर दी तब भी बातचीत नहीं हुई और जहां तक महासंघ का सवाल है, राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ का सवाल है, जो कि रिकगनाइज बाडी है, राजस्थान के तमाम कर्मचारियों को रिप्रजेन्ट करती है। उनके द्वारा 10 जून को नोटिस देने के बाद 27 अगस्त को कहा है हमसे कोई समझौता नहीं होगा तो हम 28 अगस्त को हड़ताल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 10 जून के बाद कोई बातचीत, जो 15 सूत्री मांग-पत्र दिया मिनिस्ट्रियल सर्विस ऐसोसियेशन से यह भी कहा तीन सदस्यीय कमेटी से बात करें और इस बात की पेशकश भी की, लेकिन महासंघ ने, जो सबको रिप्रजेन्ट करता था, जिससे सीधी बातचीत करनी चाहिये थी, उसके टके भाव की हैसियत भी नहीं रखी। जो रिकगनाइज बाडी है उससे कोई बातचीत नहीं की। उनके पत्र का जवाब नहीं दिया, उनके पत्र को एकनॉलेज तक नहीं किया। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के इनिशियेटिव पर एक फेग महा संघ खडा किया गया। इस महा संघ को जो जिनाइन है, रिकगनाइज संघ है, डिप्टी सेक्रेटरी के नेतृत्व में जिसका चुनाव हुआ है, जिसको गवर्नमेंट ने रिकगनाइज किया है उसको अवाइड करके एक फेग महासंघ खड़ा किया गया। 9 तारीख से हड़ताल शुरू होते ही और उनसे कहा गया जो महासंघ के नेता हैं उनको हटाते हैं और हम महासंघ के नेता हैं और गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते हैं।

वही गवर्नमेंट, जिसने 10 जून, 73 से उस महासंघ से, जिसने मांग-पत्र दिया था, बिशनसिंह शेखावत जिसके प्रेसीडेंट और कुलदीपसिंह जिसके जनरल सेक्रेटरी थे जिससे गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है, उस महासंघ से बातचीत नहीं करके मुख्य सचिव ने उन लक्ष्मणसिंह से बातचीत की। 11 जुलाई को जब लक्ष्मणसिंह के महासंघ की तरफ से घोषणा कर दी गई कि अब दूसरे सभी कर्मचारी इस हड़ताल में कूद पड़ें तो मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस चिट्ठी की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह जो पुस्तिका निकाली थी वस्तुः स्थिति का स्पष्टीकरण, जनसम्पर्क निदेशालय की तरफ से इसमें लिखा है :

"राजस्थान राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव श्री सुन्दरलाल खुराना ने 11 जुलाई, 73 को श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नाम निम्न पत्र भेजा...."

अध्यक्ष महासंघ श्री लक्ष्मणसिंह के नाम श्री खुराना, मुख्य सचिव राजस्थान पत्र भेज रहे हैं :

"आपका पत्र दिनांक 10 जुलाई, 1973 का मिला। इस पत्र से ऐसा मालूम होता है कि आपने यह पत्र मेरे पास राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष की हैसियत से भेजा है। जहां तक राज्य सरकार के पास सूचना है, महासंघ के अध्यक्ष श्री बिशन-सिंह शेखावत हैं। किस प्रकार महासंघ के

Page No. 104

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नेतृत्व और पदाधिकारियों में परिवर्तन हुआ, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में आज के पत्रों में भी कुछ ऐसे समाचार छपे हैं फिर भी इस विषय में मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अत्यन्त खेद है कि आपके महासंघ ने राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ को मांगों को लेकर अनिश्चित काल की हड़ताल का आह्वान किया है।"

यह इस पत्र में लिखा गया है।

"राज्य सरकार की हमेशा राज्य कर्मचारी और उनकी मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की नीति रही है और इस नीति को मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने पत्रों में राजस्थान कर्मचारी संघ को पहले ही स्पष्ट कर दिया है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि श्री बिशनसिंह शेखावत महासंघ के अध्यक्ष हैं, यह आप इस पत्र में भी लिखते हैं लेकिन शुरुआत की उनको रिकोग्नाइज करने की, लक्ष्मणसिंह अगर डिलिवर ऑफ गुड्स कर सकें इसलिए और कारस्पौंडेंस की शुरुआत उनसे ही की गई। 11 जुलाई को खुराना साहब ने बिशनसिंह शेखावत को पत्र नहीं लिखा कि जो 15 जून का आपका 15 सूत्री मांग-पत्र है उसके लिए आओ और बातचीत करो। 11 जुलाई तक बिशनसिंह शेखावत और कुलदीपसिंह और संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों ने, खुद इसमें कहा है सरकार ने कि तब तक उन्होंने समर्थन नहीं किया, न ही उन्होंने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की थी। उनको तो आप 12 तारीख की कार्यकारिणी की मीटिंग में गिरफ्तार करते हैं। 12 तारीख को वे इस पर विचार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मान लीजिए कि आपके हिसाब से वे यह भी निर्णय करते हैं कि हम भी हड़ताल में शामिल होंगे तो यह भी आपका ख्याल था, अन्दाज था लेकिन उनको आपने बातचीत के लिए बुलाया नहीं, उनसे आपने कारसपोंडेंस की नहीं। उनका हड़ताल का नोटिस 27 अगस्त का था जिसमें अभी एक महीना और पन्द्रह दिन बाकी था। डेढ़ महीने के बाद जिनको हड़ताल होने वाली थी उनसे बातचीत आपने शुरू नहीं की। आखिर तक शुरू नहीं की, केवल जेल में, उनको गिरफ्तार करने के बाद जेल के अन्दर ले जाने के बाद, उनसे बातचीत शुरू की और इससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई बल्कि आपका रिकार्ड यह जाहिर करता है कि आप बातचीत लक्ष्मणसिंह से करना चाहते हैं। उनके महासंघ को खड़ा करना चाहते हैं। आपका असेसमेंट यह था कि यह महासंघ बिशनसिंह, कुलदीपसिंह का यह कोरा कागजी लिफाफा है और उनको गिरफ्तार कर लेंगे No dogs will bark if they are arrested और इसलिए यह जाहिर हो जाएगा कि असली लीडर लक्ष्मणसिंह है। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, उस 11 तारीख को इस पत्र के बाद श्री लक्ष्मणसिंह खुराना साहब से मिलते हैं, उनके घर पर मिलते हैं और बातचीत होती है। समझौते की बातचीत होती है कि रिकोग्नीशन हमारा कर दो तो हम इस मामले को निपटा सकते हैं। जब उनसे कहा गया कि हड़ताल वापस लो और तुम्हारा यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कार्य हो जाएगा तो उन्होंने कहा मैं अपने लोगों से पूछ लूं और तब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, पत्रकारों को बुलाते-बुलाते रोक दिया। मैं पूछना चाहता हूं आखिर आपका रिकार्ड कहता है, यह पत्र खुराना साहब का गवाह है, हड़ताल होने के बाद यह चिट्ठी लिख रहे हैं और उनका आह्वान भी हो चुका है, उनको आपने गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं समझी। मुख्य मंत्रीजी ने प्रश्नकाल में कहा कि जरूरत उसकी पड़ती है जिससे खतरा होता है। बात सही है। ये तो गवर्नमेंट स्पोंसर्ड थे उनसे खतरा ही क्या था। खतरा तो इन लोगों से था और उन्हीं को गिरफ्तार किया है। तो अगर यह फैक्ट्स हैं तो मेरा निवेदन है कि फिर गवर्नमेंट बार-बार रेडियो के ऊपर या उनके वक्तव्यों के जरिये बारबार यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि राज्य सरकार बातचीत करना चाहती है, बातचीत करने की कोशिश की, कर्मचारी जबरदस्ती हड़ताल पर चले गए, उन्होंने बातचीत करना नहीं चाहा, ये सब तथ्यों के विपरीत है। ये फैक्ट्स को डिनाई करते हैं बल्कि फैक्ट्स को अदरवाईज पेश करते हैं। इसलिए मैं आरोप लगाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के साथ वह व्यवहार भी नहीं किया जो मुख्य मंत्रीजी बिरला के निर्देशक से एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप यह छोटे 2 कम्पनियों के मालिकों से एक्सपेक्ट करते हैं। हम आपकी इस भावना का तो स्वागत् करते हैं लेकिन यहां वह भावना उस तरीके से भी नहीं रही। फरवरी का नोटिस मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज का, जून का नोटिस महासंघ का लेकिन आपने बातचीत नहीं की और इसके कारण 28 से भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। इस तरह एक तो मैं यह पॉइन्ट एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि आपने बातचीत नहीं की इसलिए हड़ताल की गई।

दूसरा यह कि इसमें वद्यान्ति थी। मैं कह नहीं सकता कि गवर्नमेंट कहां तक इसमें शामिल है लेकिन मुख्य सचिव और होम सैक्रेट्री का एटीट्यूड रिकार्ड से साबित है। मुख्य सचिव का फंक्शन पोलिटिकल फंक्शन नहीं है। मैं अण्डरस्टेन्ड कर सकता हूं अगर चीफ मिनिस्टर या लेबर मिनिस्टर इस तरह से दूसरे ऑर्गेनाईजेशन स्पोंसर्ड करने की बात करें। वह सही तरीके का पोलिटिकल एक्शन है या नहीं, हैल्दी पोलिटिक्स है या नहीं, वह उनके और हमारे बीच का प्रश्न हो सकता है लेकिन सर्विसेज को मालूम रहना चाहिए, सर्विसेज कहती हैं कि हम इण्डीपेन्डेन्ट हैं, हम अबाऊ पोलिटिक्स हैं, हमको अबाऊ पोलिटिक्स रहना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य सचिव और होम सैक्रेट्री का बिहेवियर इण्डीपेंडेंट सर्विसेज का नहीं है, यह पोलिटिशियन का बिहेवियर है, यह करप्ट पोलिटिशियन का बिहेवियर है जो वर्किंग क्लास को, एम्प्लायज को आपस में लड़ा कर और अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, अपनी पिट्ठू इस तरह की यूनियन को खड़ा करके, बन्दूक की नोक के बल पर, जेल में लोगों को डाल कर, रीयल रिप्रजेण्टेटिव्स को गिरफ्तार करके दूसरे लीडरशिप को थोपने की कोशिश करते हैं तो यह बिरला, साहू, जैन और इस तरह की फैक्ट्रीज में इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रकार की बातें हम रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं और फेस भी करते हैं, इण्टक वाले भी फेस करते हैं हम लोग भी फेस करते हैं और दूसरे भी फेस करते हैं लेकिन गवर्नमेंट के अन्दर जहां एक परिवार के सदस्य माने जावें एम्प्लॉई, जहां एम्प्लॉइज को एक परिवार का सदस्य कहें। उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया जाए और वह भी चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के जरिये हो, तो वह भी कभी वांछनीय नहीं हो सकता है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि स्ट्राइक में गवर्नमेंट की लापरवाही, वक्त पर बात नहीं करने के कारण और शायद उनको एडवाइज पर उनके असेसमेंट पर हो कि चिन्ता की कोई बात नहीं है, यह सारा मामला फैजल आउट हो जायेगा, इस बुनियाद पर सरकार चली है, जिसका नतीजा इन तथ्यों के विपरीत साबित हुआ। मेरा यह निवेदन करता है कि हड़ताल होने के बाद, जो सरकार ने इस सम्बन्ध में, इसको निपटने के सम्बन्ध में नीति अपनायी वह न तो डेमोक्रेटिक है और न ही कर्मचारियों और लेबर के प्रति किसी भी प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की होनी चाहिये, वह नहीं है। क्या सवाल रखा गया। 28 तारीख से भूख हड़ताल अवाइड हो जाती अगर कोई मंत्री महोदय बात कर लेता लेकिन कर्मचारियों से मंत्री बात नहीं करेगा—पहले उन ऑफिसरों से बात की जावे—इसलिये 28 तारीख से भूख हड़ताल शुरू हुई और कर्मचारियों ने हड़ताल 9 तारीख से शुरू करने के लिये और कहा 8 तारीख को बात कर लो—परन्तु उनसे कहा गया कि पहले आन्दोलन को वापिस लो, पहले आन्दोलन स्थगित करो तब बात होगी वरना नहीं होगी। इस तरह सरकार ने 9 तारीख से हड़ताल शुरू करवाई। चीफ सैक्रेटरी और होम सैक्रेटरी का पूरा असेसमेंट हुआ और इनका स्टेटमेंट आया कि लक्ष्मणसिंह असली नेता हैं, उसके पीछे लोग है और बिशनसिंह, कुलदीपसिंह के पक्ष में महासंघ के लोग नहीं हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार ने इस प्रकार का कदम उठा कर एक प्रकार से आग में घी डालने का काम किया। यह नौकरशाही का असेसमेंट था और वाजिब मांगों पर विचार नहीं करने का बहाना था। इसका नतीजा क्या हुआ। उनका जो अन्दाजा था, उसके विपरीत 13-14 को गिरफ्तारी हुई और 15 तारीख से सारे राजस्थान के एम्प्लॉइज की हड़ताल हो गई। यह सारे जिलों में फैल गई और गवर्नमेन्ट के इस कदम ने इस बात को स्वीकार करवा दिया कि महासंघ के नेताओं के साथ ही राजस्थान का कर्मचारी है ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

समय अवश्य लगेगा, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपको 25 मिनिट हो चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन समय लगेगा। इसके लिये तो समय बढ़ाना ही पड़ेगा, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप ब्रीफ में कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोशिश करूंगा। मामला काफी अहम् है लेकिन इम्पॉरटेन्ट पॉइन्ट् को रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे अपने एंगल से रखेंगे। मेरा जो पॉइन्ट ग्रॉफ व्यू है वह रखूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी तो भूमिका ही बन रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उनके लिये डिबेट की बात हो सकती है लेकिन हम इसको एक बड़े तबके के अधिकार का सवाल मानते हैं और इसके बारे में गवर्नमेंट का क्या एप्रोच हो, क्या नीति होनी चाहिये और आगे इसके बारे में क्या दृष्टिकोण होना चाहिये, वह हमारे लिये इम्पॉरटेन्ट मसला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस हड़ताल के दौरान पहली जिद्द इस बात की रही कि हड़ताल को पहले वापिस लो और स्थगित करो। बातचीत नहीं हुई और 26 तारीख से भूख हड़ताल आरम्भ हो गयी। फिर स्ट्राइक के दौरान में बातचीत में यह जिद्द आ गई कि जो स्ट्राइक पीरियड है उसको बगैर वेतन के मन्जूर करो। इस बात पर भी जिद हो गई। अन्त में जा कर के इस तरह की रीजिडिटी में कमी हुई और 15 अगस्त की मोर्निंग में यह समझौता हो पाया। अगर गवर्नमेंट जिस तरह से सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने लोको रनिंग स्टाफ की स्ट्राइक हुई थी और उसमें जो उसने एटीट्यूड अपनाया था, उस तरह से इनके साथ बात शुरू कर देती तो यह मामला हल हो जाता। अगर इस तरह से इस मामले में बातचीत की शुरूआत की जाती तो संभव है कि हड़ताल नहीं होती या हड़ताल इतनी लम्बी न चल कर जल्दी निपट जाती। उपाध्यक्ष महोदय, इस दौरान में, हड़ताल के दौरान में गवर्नमेन्ट ने जो रुख अपनाया, किस तरीके से मेन्टीनेन्स ऑफ एसेन्शियल सर्विसेज एक्ट में अमेन्डमेन्ट निकाला और जिला परिषदों और पंचायतों के एक्ट के लिये आर्डिनेन्स निकाला, क्रीमीनल प्रोसीजर एक्ट में अमेन्डमेंट करके आर्डिनेन्स निकाला, इस तरह से नार्मल कानूनों को एक तरफ रख कर गिरफ्तारियों का इस तरह से तूफान खड़ा कर दिया मैं समझता हूं सरकार ने एक तरह से बैड प्रीसीडेन्ट क्रियेट किया है। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट अगर हड़ताल का, एजीटेशन का अधिकार मानती है तो उससे डील करने का भी तरीका डेमोक्रेटिक होना चाहिये। जब तक आन्दोलन पीसफुल हो, ला एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रियेट न होती हो तब तक पुलिस का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिये। मंत्रि मण्डल इस प्रिन्सीपल को पिलानी के आई. पी. एस. पर लागू करता है तो पहले वह अपने आपके ऊपर लागू करे, उसको पहले गवर्नमेन्ट इम्प्लॉइज पर लागू करना चाहिये, इस विषय पर आपको अपनी नीति आउट्लाइन बनाना पड़ेगी और करना पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दौरान में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह से मुकदमें चला कर 6-6 महीने का सजाए दी गयी हैं और जो एक डर और आतंक पैदा करने की कोशिश की गई है ताकि उनका मोरल टूट जाए, इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया जो कि वांछनीय नहीं कहा जा सकता। जयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा, अलवर और गंगानगर में पुलिस द्वारा दमन किया गया और जब हड़ताल के साथ पब्लिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी आ गयी तो उसके साथ भी पुलिस द्वारा जबर्दस्त दमन किया गया। कहीं कहीं असामाजिक तत्वों ने जैसे जयपुर शहर के अन्दर आगजनी की हरकतें की, मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ, वाजिब नहीं समझता हूं लेकिन इसके बहाने से पुलिस को मौका मिल जाए और बेगुनाह लोगों को फंसाने और दमन करने पर पुलिस तुल जाए तो यह गलत है। जयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा और दूसरी जगहों पर, अलवर और गंगानगर में ये सब बातें हुई हैं। जेलों के साथ कर्मचारियों के नेताओं के साथ जो व्यवहार किया गया है, गवर्नमेन्ट इम्पलॉइज एक तरह से सम्मानित नागरिक हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, वह लज्जाजनक है। गंगानगर का एजीटेशन हुआ था उसमें कितनी सुविधाएं दी गयी थीं लेकिन इस आन्दोलन के अन्दर सी क्लास की तरह बल्कि कहीं कहीं तो उससे भी बदतर तरीके से व्यवहार कर्मचारियों के साथ किया गया है, यह व्यवहार एक पुराने दकियानूसी तरीके का है, आज सी क्लास में भी कई अमेन्डमेन्ट करने की आवश्यकता है। वह व्यवहार मुझे, स्वयं को टोंक जेल में महासंघ के नेताओं के साथ हुए व्यवहार को देखने का मौका मिला है। गवर्नमेन्ट ने जिस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को डील विद किया है, मैं समझता हूँ कि वह शोभाजनक नहीं था बल्कि एक शर्मनाक रास्ता था।

तो मेरा यह निवेदन करना है कि कितनी जगह इस तरह से जयपुर में अजमेर में, बांसवाड़ा में यह पुलिस का दमन हुआ है, यह पुलिस की जोर जबरदस्ती हुई है। इस चीज को उस समय भी मांग की गयी थी, वह चीज यह थी कि इसकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये मैं समझता हूँ कि सरकार को पुलिस को यह अधिकार नहीं देना चाहिये कि वह बेगुनाह लोगों को चाहे जिस तरह से लोगों को फंसाये। कितने ही ऐसे लोगों के मसले हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता गफ्फार साहब को मैंने बांसवाड़ा इन्क्वायरी करने के लिये भेजा था, वे जांच करके आये हैं, वहां पर लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, वह शर्मनाक है। जयपुर के चौड़े रास्ते में असामाजिक तत्वों ने कुछ गड़बड़ी की लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि सभ्य सरकार को चाहिये कि वह पुलिस को इस प्रकार खुला अधिकार नहीं दे, जिस प्रकार से कि इस हड़ताल के दौरान दिया गया, जो कि वांछनीय नहीं है और इसके बुरे परिणाम ही हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अन्त में फैसला हुआ 15 अगस्त को उस फैसले से पहले भी हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्री की तरफ से भी जो भी उनके बारबार वक्तव्य हुए हैं उनमें उन्होंने यह विश्वास दिलाया है, हड़ताल चल रही थी, तब विश्वास दिलाया कि मैं आपको अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ, मेरे दिल में कोई बदले की भावना नहीं है, कोई बदला नहीं लेना चाहता और बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि 15 तारीख को सुबह यह फैसला हुआ और एक सालम-एफर्मेशन दिया गया और लिखित रूप में जो एग्रीमेन्ट हुआ है तो उनकी लास्ट क्लाज ऑफ दी एग्रीमेन्ट है इसके अन्दर यह लिखा गया है कि उनका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किसी भी रूप में विक्टेमाइजेशन नहीं किया जायगा। मेरा यह निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार का इस हड़ताल के कारण कितना नुकसान हुआ, गवर्नमेन्ट का काम नहीं करने से तो वह गवर्नमेन्ट की ओर से रिजिडिटो अपनाने के कारण लम्बी हुई तो उस हड़ताल के बाद ऐसा लगता है कि जो हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्रीजी थे उनके जो आश्वासन थे, जो उनकी इच्छाएं थीं उनके ऊपर राज्य के अधिकारियों ने अपने आपको इतना ताकतवर बना लिया कि उन तमाम भावनाओं को, इच्छाओं को और गवर्नमेन्ट की नियत को एक तरफ रखकर अपनी मनमानी चला रहे हैं। एग्रीमेन्ट में यह लिखा गया है विक्टेमाइजेशन नहीं किया जायगा और जो आश्वासन दिया गया है उसको तोड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में एक पत्र जो हमारे सेक्रेटरी श्री के. एल. बराया के नाम से हैं उन्होंने एक सक्यूंलर लेटर जो इश्यू किया है वह पढ़कर सुनाता हूं। वह जनयुग दैनिक जो दिल्ली से 10 अक्तूबर, 73 के अन्दर छपा है। इस लेटर में कहा गया है—

Appropos the discussions held in a meeting in the Secretariat Conference Hall and the clarifications issued in that meeting on 16th August, I write to say that the following further action may kindly be taken.

1. You may kindly send me a list of officers (Gazetted) whom you think should be given appreciation letters for doing examplary work during the strike period.

2. Entries in regard to such work done by the non-Gazetted staff may be made in the ACRS of such staff by you.

3. Similarly note should be taken of the leading role played by the members of the staff in instigating people to stop work during the strike period and necessary entries be made in the service record.

यह साफतौर से इन्स्ट्रक्शन्स हैं जिसका मतलब यह हुआ कि 15 अगस्त को हड़ताल समाप्त होते ही 15 तारीख का स्वतन्त्रता दिवस था, छुट्टी थी, इतवार था और सोमवार को बड़े आफिसर्स की मीटिंग होती है और उसमें कुछ निर्णय लिये जाते हैं कि किस तरह से इन लोगों से डील करना है और उस डील करने में यह सक्यूंलर लेटर जो कि कॉन्फीडेन्शियल है, इसकी मेरे पास फोटो कॉपी है जो कि अखबार में छपा था 10 अक्टूबर और इसका कन्ट्राडिक्शन आज तक नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको सही मानकर चलता हूं। इसमें यह जो थर्ड पैरा है। मेरा यह निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो एग्रीमेंट 15 अगस्त को मिनिस्टेरियल सर्विसेज या संयुक्त महासंघ से हुआ है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जिसमें यह कहा गया है कि स्ट्राइक में हिस्सा लेने के कारण किसी प्रकार से किसी को विक्टेमाइजेशन नहीं किया जायगा यह क्लॉज बिलकुल इस एग्रीमेंट का, इस धारा का वॉयलेशन है, क्लियर कट वॉयलेशन है। इसमें यह कहा गया है कि जिन्होंने इन्स्टीगेट किया है, लीडिंग रोल प्ले किया है उनकी सर्विस बुक के अन्दर इस बात का रिमार्क दिया जायगा इसमें आपने उनका सर्विस रेकार्ड खराब कर दिया। उनको आपने सजा देदी और इस तरह से विक्टेमाइजेशन आपने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है और यह बात जब चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरीज और बड़े हेड्स ऑफ दी डिपार्टमेंट से मिलकर यह निर्णय करें तो उसका इम्पलीमेंटेशन, चाहे दूसरे प्रोग्रेसिव कदमों को नौकरशाही इम्प्लीमेंट करे या न करे, जल्दी करेंगे और ऐसे मामलों में जिसमें कि वे चिढ़े हुए हैं कि रोजमर्रा सलाम देने वाला बाबू, उनकी हाजरी में खड़ा होने वाला बाबू 37 दिन तक हड़ताल पर रहे तो उनके दिल में बदले की भावना जरूर रहती है चाहे मुख्य मन्त्री जी में न रहे, चाहे दूसरे लोगों में न रहती हो लेकिन उन्होंने इस तरीके से एग्रीमेंट नम्बर 1 में यह किया जो कि उसका वॉयलेशन है।

नम्बर दो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है खासतौर से शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रीजी के लिए कि उन्होंने तो एज ए केडर ऑफ पॉलिसी अनाप-शनाप टीचर्स का जिन लोगों ने हड़ताल में लीडिंग रोल लिया है उनके बारे में इस तरीके के इन्स्ट्रक्शन्स जारी किये हैं और कलेक्टर से रिपोर्ट उनके लिए मांगी गई है, सी. आई. डी. से अलग रिपोर्ट मांगी गई है और मुझे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी बताया है कि इस तरीके से कांग्रेस कमेटियों तक से रिपोर्ट मांगी गई है। मैं उचित नहीं समझता उनका नाम लेना, वह ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं यह समझता हूं कि कम से कम कलेक्टर से और सी. आई. डी. से इस प्रकार की रिपोर्ट मंगाकर करें तो अलग है। अगर आपकी नियत यह है और इन लेटर एंड स्पिरिट इन फाइल उसमें विक्टेमाइजेशन नहीं किया जायगा जिन्होंने हड़ताल में हिस्सा लिया, तो फिर इस प्रकार की लिस्ट मंगाना और लिस्ट मंगाकर उसके मुताबिक एक्शन लेना है तो उसका क्या मतलब हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इस बात के लिए 3 तारीख से जब से हाउस शुरू हुआ था तब से डिबेट की मांग कर रहे हैं और 37 दिन तक हड़ताल चली है उतने दिनों तक सुबह से शाम तक इसमें लगे रहे तो आपको इस बात को महसूस करना चाहिए कि आज जिस तरीके से गुजरा है उसका·······

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न गम्भीर है इसलिए अधिक माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोलें हम बैठेंगे, देर तक बैठेंगे।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मुझे यह निवेदन करना है कि इस तरह से शिक्षा विभाग में छांट छांट कर लिस्ट बनाकर और हजारों टीचर्स के ट्रान्सफर्स करने के लिए कि 15 साल के नियम, 10 साल के नियम, जो भी 10 साल से हैं या 15 साल से हैं उनको उस स्थान से हटाया जाय और गांवों के टीचर्स को लाया जाय। जहां तक इस बात का सवाल है कि एक ही टीचर या एक ही कर्मचारी प्रिविलेज्ड जगहों पर न रहें, इस प्रिन्सीपल से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यह प्रिन्सीपल उसी वक्त क्यों नजर आया। यह प्रिन्सीपल स्ट्राइक के बाद ही इम्प्लीमेंट किया गया इसका जो संयोग है यह अपने आप में मेलाफाइडी इसकी जाहिर करता है। मेरे से बात हुई शिक्षक संघ के नेताओं की। गवर्नमेंट एज ए मेटर ऑफ पॉलिसी इस बात को लागू करना चाहती थी तो शिक्षक संघ के साथ बैठकर बात करती, महासंघ के साथ बैठकर बात करे और इस बात को एक फेज तरीके से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, और लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। यह बात एक्रास दी टेबल बैठकर तय की जानी चाहिए, उनका कहना था कि हम इसमें सहयोग देंगे, हम इसमें को-ऑपरेट करेंगे, लेकिन सेशन शुरू हो जाने के बाद में लोगों के एडमिशन्स हो गये, बच्चों के एडमिशन्स हो गये सबने खर्चा कर लिया उसके बाद में मिडसेशन में करेंगे तो उसकी जस्टीफायेबिलिटी विचारणीय है, वह बात उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो भावना हमारे नये मुख्य मंत्रीजी ने सरकार की ओर से और अपनी ओर से व्यक्त की थी कि कोई बदले की भावना नहीं रखी जायगी तो मैं समझता हूँ कि जनरल तौर से शिक्षा मंत्रीजी ने उसको बिल्कुल ही इस कान से सुना और इस कान से निकाल कर अपने मनमाने तरीके से जिस तरीके का उनका रवैया है और जिस तरीके से वे लोगों से डील करते हैं तो एक तो वह आदमी होता है कि जिससे बात करने जाय और वह कितना ही नाराज होता हुआ जाय लेकिन उसके यहां से वह हंसता हुआ आये। लेकिन इनके पास कोई आदमी हंसता हुआ जाय और नाराज होता हुआ आये। मैंने उनके सामने एक दफा बैठ कर कहा था कि आपका जो स्वभाव है इट क्रियेट्स मोर एनीमीज दैन फ्रेण्ड्स तो वह कहते हैं कि मैं जल्दी ही प्रोवोक हो जाता हूं। जिसका स्वभाव इस प्रकार का हो गया है, ही केन नोट बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। स्वभाव खराब हो गया है तो स्वभाव की वजह से People have been sacked and they should be sacked. उसका असर एक इन्डिविजुअल पर ही नहीं पड़ता है उसका असर सारी जनता पर पड़ता है। और आपका स्वभाव है और जिस रूप में आपने कहा है तो जिस तरह से पिलानी में रिफ्रेन्डम करवाया है तो वह रिफ्रेन्डम शायद 90-91 पर्सेन्ट आया तो इसी तरह से मैं यह गारन्टी करता हूं कि आपके बारे में शिक्षा विभाग में रिफ्रेण्डम करवाया जाय तो शिक्षा मंत्रीजी आपके खिलाफ 90, 91 पर्सेन्ट रिफ्रेण्डम जायगा। जिस तरीके से उनका व्यवहार है. जिस तरीके से वह डील करते हैं बात उसूलों की है, उसूलों से को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाती है। लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे ऑफिसर्स के द्वारा बदले की भावना निकालने के लिए किया जाता है। मैं वह लेटर पढ़ता हूं जो कि चूरू के विद्यालय निरीक्षक ने श्री चन्दनमल बैद, शिक्षामंत्री को लिखा है। उसकी मेरे पास फोटो स्टेट कॉपी है।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास भी है मेरे पास भी कॉपी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जरूर होगी।

मैं वह पत्र पढ़ता हूं।

"आदरणीय बैद जी,

सादर नमस्कार। इस जिले के अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण मैंने करीब-करीब आपके निर्देशानुसार कर दिये हैं या उप-निदेशक महोदय से करवा दिये हैं। कुछ बचे हैं वे शीघ्र ही करवा दूंगा। पर, इससे पूर्व एक धृष्ठता की आपसे अनुमति चाहता हूँ। इस जिले के अध्यापक श्री कृष्णगोपाल लाटा व श्री वंशीधर धंधावत से मेरे निजी ताल्लुकात है। अतः आपकी सहमति मिल जावे तो इन दोनों को यथास्थान रहने दिया जाये।

ज्ञात हुआ है कि 4 अक्टूबर को आप सरदार शहर पधार रहे हैं, हो सका तो दर्शन लाभ उठाऊंगा।

इसी अक्टूबर में डी. पी. सी. बैठ रही है। पिछले बार मैं सिलेक्ट नहीं हो सका था और अब एडहोक निरीक्षक पद पर कार्य कर रहा हूं। मेहरबानी करके अबकी बार मुझे स्थायी निरीक्षक सेलेक्ट करवाने की कृपा करवावें।

कृपा भाव पूर्ववत बनाये रहें। अन्य सेवाओं के लिए सूचित करें।"—वी. ना. शायद वो. ना. नाबर है।

श्री उपाध्यक्ष : Letter is by designation and designation is important and not the name.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी फोटो कॉपी मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं. हमें कर्मचारियों के बारे में, उनके कण्डक्ट के बारे में, उनको डिसीप्लिन में रहना चाहिए, इस बात को हम बहुत कहते हैं। इसी तरह का पुस्तकों में दिया गया है। लेकिन क्या वह डिसिप्लिन बड़े अधिकारियों और मन्त्रियों को नहीं रखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बात को बार-बार कहा गया है कि फोर्थक्लास सर्वेन्ट्स या जो चपरासी हैं, उनसे निजी काम नहीं लिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे मिली है. काफी रिस्पोंसिबिल तबके से मिली है। विधान सभा के पास ही यह जो रथखाना स्कूल है, उसमें प्रहलाद नाम का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसके बाप का नाम दुर्गालाल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह होगा, बाप का नाम मुझे मालूम नहीं।

वह पिछले 15 महीनों से शिक्षा मंत्री के घर पर काम करता है। स्कूल से उसको वेतन मिलता है। उसकी उपस्थिति के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रमाण-पत्र के लिए शिक्षा मंत्री के निजी सचिव वीरेन्द्र काला ने 3-10-73 को उसको उपस्थिति का प्रमाण-पत्र दिया है। उसमें लिखा है:—

उपस्थिति प्रमाण-पत्र

श्री प्रहलाद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने इस कार्यालय में दिनांक 1-9-73 से 30-9-73 तक उपस्थित रह कर कार्य किया।

—वीरेन्द्र काला

यह सितम्बर के महीने में शिक्षा मंत्री के कार्यालय में कार्य किया। यानि सेक्रेटेरियेट में कोई रहता नहीं है। वहां कोई रहता है तो उसकी हाजिरी होती है। इसी तरह से वहां बुलाया जाता है। इस प्रकार से काम पर लगाया जाये। मेरी जानकारी में उनकी हाजिरी सेक्रेटेरियेट में न होकर बंगलों पर होती है। यह तो केवल एक महीने का सबूत हाथ लगा है। हो सकता है पिछले कई महीनों से इसी प्रकार से प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है। यह तो स्कूल के रिकार्ड से पेश किया जा सकता है। वहां का यह ऑरिजनल लेटर है। मंत्री जी यह बतायेंगे आखिर मिडिल स्कूल के चपरासी को बुलाने की जरूरत है। अगर वह सरप्लस है तो खत्म कर दीजिये। अगर सरप्लस नहीं है तो मिडिल स्कूल के एक चपरासी से शिक्षा मंत्री जी काम लें, यह उनका पद का दुरुपयोग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गवर्नमेन्ट रूल्स के खिलाफ है। क्लर्क और ऑफिसरों के भी नाम हैं। मंत्री का भी नाम है। चपरासी रोजमर्रा हड़ताल करते हैं। यह बात सही है कि मंत्री जी कह सकते हैं कि हमारे यहां ही नहीं करते हैं। सभी के यहां करते हैं। लेकिन मेरे पास तो आप का ही रिकार्ड सबूत आया है। सेक्रेटरी भी ऐसा करते हैं। चीफ सेक्रेटरी भी ऐसा करते हैं। आप अकेले हैं, यह मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना यह है कि रूल्स ऑफ कण्डक्ट का डिसमिसल आप करें। यह गवर्नमेन्ट ने सबूत दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Just two minutes....

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जावें ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है। वह गलत दिया है। इसकी जानकारी की जाये। राजस्थान महासंघ के नेताओं ने लिखा है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। लोकायुक्त ऐसे होते हैं। ऐसे मिनिस्टरों को——नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री को स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाना है। अभी मंत्रिमंडल बना नहीं है। अच्छी चैकिंग के बाद शुरुआत करें। वैसे आपने काफी सफाई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की है। आपके जो शिक्षा मंत्री हैं मैं समझता हूँ कि उनका जो रिकार्ड है, चाहे वह एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रहे हों, चाहे वह शिक्षा मंत्री रहे हों। हड़ताल के सम्बन्ध में उन्होंने वायोलेशन किया है। मुख्य मंत्री से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी घोषणा हुई थी। उसी तरह से करना चाहिए था। मुझे कतई पता नहीं है, ऐसा हो गया। उन्होंने कहा था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको ओवर रूल किया गया है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस हड़ताल के जो अनुभव हैं, जिनके कारण से हड़ताल हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और हड़ताल के बाद उनके टर्म्स का वायोलेशन हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है, इट विल क्रीएट एन अदर सेम सिचूएशन। आप यह न खयाल करें कि कर्मचारी थके हुए हैं, दुबारा हड़ताल नहीं करेंगे। यह मत समझिए। आखिर वे भी कोई मौका ढूंढेंगे, अगर यह स्प्रिट आपके अन्दर रही और अगर सरकार चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी की असेसमेन्ट और उनकी एडवाइस से जिस तरीके से सारी स्ट्राइक में चली है और भविष्य में चलेगी और शिक्षा मंत्री जी का जिस तरीके का एटीट्यूड है, उस तरह से चलेंगे तो मैं समझता हूं जो बिगाड़ है वह दूर नहीं हो सकेगा, इसलिए आप नई स्प्रिट क्रीएट करें, नए परिवार के सम्बन्ध क्रीएट करें और जो उनसे वायदा किया गया है, जिस तरीके से फैसला किया गया है, उसे लेटर एण्ड स्प्रिट में पूरा किया जाए। जो भी कदम उठाए गए हैं चाहे ट्रांसफर्स के हैं चाहे लोगों को सर्विसेज में नहीं लिया गया, इन्टरव्यूज में नहीं बुलाया गया, हड़ताल होने की वजह से सर्विसेज में नहीं लिया गया है, पेनलाइज किया ये तमाम कदम आपको रिट्रेस करने चाहियें, वापस लेने चाहियें और ट्रान्सफर्स की नीति पर अगर आपको बात करनी है तो महासंघ के नेताओं से बैठकर बातचीत करें। मैं समझता हूं प्रिन्सीपल्स को लागू करते हुए जो कोई सहयोग लेना चाहें तो वे देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : राज्य कर्मचारियों की हड़ताल से सम्बन्धित उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए जब हड़ताल 37 दिन तक चली, हमने बार बार मांग की कि विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें सारे राज्य के प्रतिनिधि बैठकर विचार करें, उनकी मांगों पर विचार करें और राज्य में जिस प्रकार से सारा प्रशासन ठप्प हो चुका है, दमन चक्र चल रहा है, लाठी चार्ज अश्रु-गैस, गिरफ्तारियों, जेलों को भरना सारे का सारा राज्य पुलिस कैम्प बन जाना, इस स्थिति को समाप्त करने के लिए जनतंत्र पद्धति को वापस ला सकें और सामान्य स्थिति पैदा कर सकें इसलिए विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाए। विरोधी पक्ष की ओर से बार बार मांग की गई है लेकिन दुर्भाग्य से हम उस समय अधिवेशन नहीं बुला पाए। तीन तारीख से जब यह अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो इस प्रश्न को फिर से हमने लिया और उपाध्यक्ष महोदय 37 दिन की इस लंबी हड़ताल के बाद में जो प्रश्न उभर कर आया और जो कान्सीक्वेन्सेज हैं जो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इम्प्लीकेशन्स हैं उन पर फिर से विचार किया जाए. यह निवेदन किया गया। यह तो सर्वविदित है कि धान के राष्ट्रीय-करण की घोषणा के पश्चात् जिस प्रकार से गेहूं बाजार से गायब हो गया, दूसरी महगाई तो थी उसके साथ में रोजमर्रा की जो सुबह शाम खाने में काम आने वाली चीज जिसका भाव 200 या 180 रु. प्रति क्विंटल हो गया और अन्य आवश्यक चीजों के भाव बढ़ गए तो फिक्सड इन्कम ग्रुप, राज्य कर्मचारी चाहे चपरासी हों, क्लर्क हों, स्टेनोग्राफर हों, एकाउटेन्ट हों, सबसे अधिक पीड़ित था और मुझे मालूम नहीं मुख्य मंत्रीजी को याद है या नहीं, मुझे बताया गया है कि सदन में उस समय के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने घोषणा की थी कि हम प्राइस इंडेक्स फिगर्स राइज होने पर महंगाई भत्ते को बढ़ाकर हमेशा फिक्सड इन्कम ग्रुप को किसी प्रकार का कष्ट या असुविधा न हो उनको न्यूट्रिलाइज करते रहेंगे। न्यूट्रिलाइजेशन के सिद्धांत की तात्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई और उसके बाद भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि मैं बड़े भाई के कदमों पर चलूंगा। तो प्राइस इन्डेक्स बढ़ने के साथ यदि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता तो परिस्थिति इतना विषम व कठोर रूप में हमारे सामने नहीं आती लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जब तक आंदोलन नहीं होता, जब तक संघर्ष का बिगुल नहीं बजता, जब तक कर्मचारी कल को छोड़कर जेलों के सींकचों में जाने के लिए सड़कों पर नहीं आते तब तक हमारी सरकार बेसिक चीजों पर, फंडामेंटल्स पर भी विचार करके अपने आप घोषणा नहीं करती। कुछ समय पहले घोषणा की गई। मेरी समझ में नहीं आता जब केन्द्रीय पे कमीशन द्वारा अंतरिम सहायता 7,8 व 10 रु. देने की घोषणा हुई तो राज्य सरकार के लिए कौनसी कठिनाई थी, कहां पर बाधा थी। जिस प्रकार से अब घोषणा की गई उस समय भी की जा सकती थी। न्यूट्रिलाइजेशन की बात को छोड़िए, न्यूट्रिलाइजेशन के लिए चाहे फिगर्स इकट्ठी करनी पड़े लेकिन 7, 8 व 10 रुपए महंगाई भत्ते की घोषणा 1-5-73 से देने की घोषणा की जा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उस समय ही नहीं बल्कि उससे पहले और उसके बाद में 25 सूत्री मांग-पत्र दिया गया राज्य कर्मचारी संघ द्वारा, उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बता दी है लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण, हठधर्मी के कारण और मुझे आश्चर्य हुआ जब समझौते के बाद में सरकार ने कहा कि हम तो 1-5-73 से यह 7,8,10 रु. महंगाई भत्ता देने को तैयार थे लेकिन कर्मचारियों ने हमसे कहा कि एक पक्षीय घोषणा मत की जाए, दोनों पक्ष में बैठकर तय करेंगे और समझौता होने के बाद में बाइपार्टि डिस्कशन होने के बाद में घोषणा करेंगे, इसलिए हमने घोषणा नहीं की। कितनी आश्चर्यजनक व खेदजनक स्थिति है। राजस्थान की ढाई लाख जनता को राहत देने के लिए यह कहकर टाल दिया जाए कि इस बारे में बैठकर आपस में 4 महीने के बाद में घोषणा करेंगे और उस समय टाल दिया गया और घोषणा नहीं

Page No. 116

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि तीन जुलाई को या 5 जुलाई को जब राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने घोषणा की आंदोलन की तो हमारी सरकार ने क्या किया ? घोषणा करने के साथ यह नहीं किया कि नेताओं को बुलाया जाए, दोनों के साथ में बैठकर तय किया जाए। बात तो परिवार की करते हैं, कहते हैं कि राज्य कर्मचारी हमारे परिवार के अंग हैं तो परिवार के अंग के साथ में बैठकर बात नहीं की जा सकती? कान्फ्रेन्स-बुलाई विभागाध्यक्षों की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हैड्स की और किस प्रकार से हड़ताल को समाप्त किया जाकर दमन किया जाए, कैसे मुकाबला किया जाएगा, इसलिए हाई लेविल कान्फ्रेन्स की गई। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है ? हम शिमला एग्रीमेंट कर सकते हैं ताशकंद एग्रीमेंट कर सकते हैं, इसराइल-अरब युद्ध में जहां एक एक घंटे में लाखों व्यक्तियों का नाश हो गया, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई, वहां अमेरीका और रूस उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम एक दूसरे के विरोधी हैं, वे टेबुल पर बैठकर निर्णय कर सकते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के नए महाराजा लोग, मंत्रिमंडल के लोग इस बात का आपस में बैठकर निर्णय नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, उस पर विचार तक नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राज्य का सरकारी कर्मचारी बेचारा सुबह से शाम तक अपनी टेबल पर बैठा बैठा काम करता रहता है। जो सरकारी कर्मचारी बहुत ही वफादारी से सरकार का काम करता है लेकिन राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की बात को सुना तक नहीं। और यही कारण था कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी वाजिब मांगों के लिये हड़ताल करनी पड़ी। जब आपने उनसे समझौता वार्ता करने से इन्कार कर दिया तो उन्हें मजबूरी से हड़ताल करनी पड़ी। पहले तो राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी संघ ने हड़ताल की तो राज्य सरकार ने उसे तोड़ने के प्रयास किये लेकिन वह नहीं तोड़ी जा सकी। बाद में उस हड़ताल में कर्मचारी संघ की मांगों को वाजिब समझ कर उनके समर्थन में महासंघ भी उनके साथ हो गया वह भी हड़ताल में कूद पड़ा। राज्य सरकार ने काफी कोशिश की महासंघ हड़ताल में हिस्सा नहीं ले। राज्य सरकार ने इस बार डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी को काम में लिया। राज्य सरकार ने उनमें फिरकापरस्ती करना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि बांटो। ऐसे प्रयास किये गये कि आपस में एक न हों, एक हड़ताल करे दूसरा उसमें मदद नहीं करे। राज्य सरकार ने अंग्रेजों की पॉलसी पर अमल करना शुरू कर दिया। मैकाले ने जो काम किया वह किया, विक्टोरिया ने जो डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी पर राज्य किया जो क्लाइव ने डिवाइड एण्ड रूल्स को पॉलिसी की नीति अंग्रेजों की थी उस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि सभी सरकारी कर्मचारी भाई भाई हैं, एक हो गये और हड़ताल चालू रही आज राज्य सरकार जो यह बात कहती है कि हम एक ही परिवार के हैं उन्होंने हड़ताल के समय में अंग्रेजों की नीति डिवाइड एण्ड रूल की थी, वह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

क्यों अपनायी ? राज्य सरकार ने कर्मचारी संघ की 25 सूत्री मांगों पर जोकि वाजिब मांग थी उन पर बात चीत करने से इन्कार कर दिया। आखिर सरकारी कर्मचारियों के पास कोई चारा नहीं रहा और हड़ताल हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे 37 दिन हड़ताल चली। हड़ताल को पूरी तरह से दमन करने का राज्य सरकार द्वारा कुचक्र चलाया गया, उन्हें प्रलोभन दिये गये, उन्हें डराया गया। लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने कुछ नहीं सुना। सरकारी दफ्तरों के ताले लग गये, दफ्तर बन्द हो गये। जब राज्य सरकार ने इस पर भी कुछ नहीं सुना तो राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 15 अगस्त के दिन ब्लेक दिवस मनाने का तय किया जब राज्य सरकार को पता लगा कि 15 अगस्त का दिन देश भर के लिए विजय श्री का दिवस है और सरकारी कर्मचारी उस दिन को जबकि सारा देश विजय दिवस के नाम पर 15 अगस्त के दिवस को मना रहा था उस वक्त हमारे सरकारी कर्मचारियों ने 15 अगस्त के दिन को ब्लेक डे के रूप में मनाने का निश्चय किया। जब राज्य सरकार को यह पता लगा तो उसने रात को चार बजे 14 अगस्त को यह घोषणा की गयी राज्य सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दी जावेगी जो सुझाव उन्होंने दिये थे उनमें से कुछ को उन्होंने माना। उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य में कई समितियां बनी हुई हैं उसमें अगर एक समिति पहले हो उनके लिए बनादी जाती तो इतने दिन हड़ताल नहीं चलती। सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि गुप्ता समिति की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाय। जब राज्य सरकार ने गुप्ता समिति को बैठाया तो राज्य सरकार ने उसकी सिफारिशों को क्यों नहीं माना। राज्य सरकार को चाहिये था उनसे मिलकर बात करती, कुछ सुझाव मानती कुछ सुझाव नहीं मानती और उनकी समस्याओं के हल के लिए कुछ कार्यवाही की जाती। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी कई मांगों में एक मांग तो यह थी कि उन्हें परमानेन्ट किया जाय आखिर एक साल, दो, पांच साल, सात-सात साल से लोग बगैर स्थायीकरण के बैठे थे उनका भविष्य खतरे में हो सकता है अगर उन्हें परमानेन्ट नहीं करें तो अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाय और उनकी एज बार हो जाये तो उन्हें नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। आज लोग चाहें तो कई परिक्षाओं में नहीं बैठ सकते हैं अगर उनकी एज बार हो जाय तो। इसलिये मजबूरी से उन्हें अपनी मांग के लिए प्रेश करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, स्थायीकरण इसलिये अनिवार्य था। लोग वर्षों से एक ही पोस्ट पर टेम्परेरी रहते हैं, पांच साल से सात साल अतः उनका स्थायीकरण जरूरी था। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी इन्डीविजुअल मांग नहीं थी, उनकी कलेक्टिव वाजिब मांग थी, उस पर राज्य सरकार ने टेबल पर बैठकर बात करने से इन्कार कर दिया आखिर 37 दिन के बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी इसके लिए बनायी। मैं पूछना चाहता कि राज्य सरकार अपनी हठधर्मी 37 दिन तक क्यों रखी। अनावश्यक रूप से सरकार की हठधर्मी के कारण राज्य सरकार का काम काज बिलकुल ठप्प पड़ा रहा उपाध्यक्ष महोदय, इन 37 दिनों के हड़ताल के पीरियड में राज्य सरकार ने हड़ताल

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को तोड़ने के लिये क्या हथकंडे नहीं अपनाये उन्होंने कहा चार अगस्त को नौकरी पर आ जायेगा उसके खिलाफ में एक्शन नहीं लिया जायेगा। बाद में राज्य सरकार ने 9 अगस्त को फिक्स किया इसके बाद में 11 अगस्त फिक्स कर उन्हें डराया गया धमकाया गया। उन्हें कहा गया कि अगर इन तारीखों में उन्होंने ज्वॉइन नहीं किया तो उन्हें नौकरी से बरखास्त कर दिया जायेगा। रेडियो में प्रसारण कराया गया जिस तरह से हिन्दुस्तान के जनरल मानिकशा ने ढाका में पाकिस्तान की फौजों को डराया था कि या तो सरेन्डर कर लो वरना तुम्हें खत्म कर दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अपने लोगों को छोड़ने के लिए प्रलोभन दिए उन्हें गद्दार बनाने की कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदय, यह जनतन्त्रीय सरकार है। हमारा लोकतन्त्र है संविधान के अनुसार उसमें अधिकार दिया हुआ है। संविधान की धारा 19 के अन्तर्गत यह सरकारी कर्मचारी का अधिकार है कि वह अपनी मूलभूत अधिकारों के लिए मांग रखे। उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, संविधान को उन्होंने ताक पर रख दिया। और इसके विपरीत जिन राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सरकार के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाई, अपने दोस्तों के साथ गद्दारी की, जिन्होंने अपने साथियों को धोखा दिया उन्हें दस रुपये का गद्दारी अलाउन्स दिया। गद्दारी का इनाम दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपने साथियों से गद्दारी नहीं की उनके सामने ऐसा वातावरण बना दिया कि उनकी घरवालियां घबरा उठे और अपने पतियों से कहें कि आप हड़ताल में हिस्सा नहीं लें वरना हमारे बच्चे बरबाद हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज की बदलती परिस्थितियों में जो टेबल पर बैठकर बात चीत करके समस्याओं का हल किया जा सकता था उस पर विचार तक नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी वाजिब मांगों पर तुरन्त विचार करना चाहिये था। वह नहीं किया गया इसके विपरित में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के नेता श्री रामकिशोर अग्रवाल को 11 जुलाई को कोर्ट में बिना उन्हें डिफेन्स का मौका दिये चार महीने की सजा दे दी। उमरावचन्द को 6 माह की सजा दे दी और भी जो नेता लोग थे उन्हें व दूसरे सरकारी कर्मचारियों को जेल में जबरदस्त ठूंस दिया गया। उन्हें बिना डिफेन्स का मौका दिये 4-4 महीने की सजा दे दी। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का अन्याय किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मैं दूसरी जगह तो हाजिर नहीं था लेकिन जोधपुर में जो सरकारी कर्मचारी आन्दोलन हुआ था उस वक्त जहां पर कि लाठी चार्ज हुआ था वहां पर मैं हाजिर था। जोधपुर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के सामने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर आर.ए.सी. के जवानों ने बड़ी निर्दयतापूर्वक लाठी चार्ज किया। वैसे तो यह आर. ए. सी. के जवान सन् 65 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय जहां इनका अपना जौहर दिखाने की जरूरत थी वहां से भाग गये और हमारे डिफेन्स को सीमा जो जैसलमेर को पाकिस्तान से लगती है वहां से

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

भाग गए और पाकिस्तान ने हमारा काफी हिस्सा दबा लिया। उन्हीं आर. ए. सी. के जवानों ने, सुरक्षा दल के जवानों ने सरकारी कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया। उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में भी काफी जोरदार लाठी चार्ज सरकारी कर्मचारियों पर किया गया था। वहां तो मैं हाजिर नहीं था लेकिन जोधपुर में जो लाठी चार्ज हुआ था उस दृश्य को देख कर मैं रोये बिना नहीं रह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, आर.ए. सी. के जवानों ने मेडिकल डिपार्टमैंट के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर, वहां पर काम करने वाली महिलाओं पर लाठी चार्ज किया। उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल होस्पिटल जोधपुर की एक औरत जो कि महात्मा गांधी अस्पताल में काम करती है उस मोवनी नामक औरत को बुरी तरह से पीटा। उस मोवनी नामक महिला पर दस-बीस लाठियां पुलिस ने बरसा दी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस दृश्य को कोई देख ले तो ज्वालामुखी लोगों के अन्दर फूट पड़े लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आर. ए. सी. के वह जवान जो कि सन् 1965 में भारत की जमीन को छोड़ कर पाकिस्तान के सामने से भाग गए थे उन्होंने उस मोवनी औरत को और उन चपरासियों को बुरी तरह पीटा और जब वह लोग पुलिस में केस रजिस्टर कराने गए तो पुलिस ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया। पुलिस ने केस रजिस्टर करने से इन्कार कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर घावों पर पट्टी बांधने के लिये नहीं थी। उसे अस्पताल में एडमिट करने पर आग्रह किया तो मालूम है इसका क्या नतीजा हुआ? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पर धारा 307 का मुकद्दमा दायर कर दिया गया। कहा गया कि तुमने पुलिस के लोगों पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और आज इस तरह के अनेकों मुकद्दमे जोधपुर में ही नहीं, राजस्थान के कई अन्य शहरों में चल रहे हैं। उनके हथकड़ियां डाल कर जेल भेज दिया है।

मैं आज मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह उनका पहला टैस्ट है। कल आपने सदन में बात कही थी कि हमारी कोई प्रतिशोध की भावना नहीं है। आज राजस्थान में सैंकड़ों इस तरह के मुकद्दमे कर्मचारियों पर चल रहे हैं। इस बात के भी मुकद्दमे चल रहे हैं कि उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों को काम पर जाने से रोका।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को सत्र प्रारम्भ हुआ इसके बाद में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों की साइकिलें पुलिस वाले पकड 2 कर थाने में ले गये। अब जो लोग अपनी अपनी साइकिलें थाने से लेने गये उनको कहा गया कि साइकिलें तो बाद में लेना, तुम चूंकि हड़ताल में शामिल थे और तुम पर 307 का इल्जाम है इसलिये थाने के अन्दर हो जाओ। उनको सीखचों में बन्द कर दिया गया। यह उनको उपहार दिया गया। एक दो को नहीं। कइयों को। जोधपुर में ही नहीं अन्य स्थानों पर भी सैंकड़ों मुकद्दमे आज उन पर इसी तरह से चल रहे हैं। जोधपुर में अकेले में

Page No. 120

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

300 लोगों को 307 में गिरफ्तार किया गया। और बताया गया कि एक दो नहीं सैंकड़ों केस जोधपुर में रजिस्टर किये गये जो आज दिन भी चल रहे हैं और इनको पेशियों पर राज कर्मचारियों को बराबर जाना पड़ता है।

बांसवाड़ा, उदयपुर, गंगानगर में अलवर में सारे राजस्थान के नगरों में जहां पर सरकारी कर्मचारी थे उन पर इतने मुकद्दमे चल रहे हैं कि जिनके मारे कर्मचारी बेहद परेशान हैं, और उनमें अत्यन्त तीव्र रोष व्याप्त है। हड़ताल के कारण आज सरकार ने उनकी यह हालत करदी है कि मारो और रोने मत दो। वे अगर महंगाई के लिये कहते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे यह सब चुपचाप सहन करें। कहा जाता है, मजबूर किया जाता है उनको कि अपने घर में दिया मत जलाओ। खाना मत पकाओ। भूखे रहो, चुपचाप सहन करो, पर सरकार के खिलाफ आवाज मत उठाओ, अपने दर्द को प्रकट मत करो। अन्दर ही अन्दर घुट कर रहो। सरकार के खिलाफ आवाज मत उठाओ। अगर ये सारे मुकद्दमे चलते हैं और उनको वापिस नहीं लेते हैं तो यह आपका पहला टैस्ट है जहां पर जन कल्याणकारी भावनाओं को लेकर राजस्थान में गरीब तबके को दलित वर्ग को उठाने की बात कल की गई है उसकी कसौटी है। अगर यह नहीं किया गया तो आपकी ये सारी बातें थोथी हो जाती हैं। मैं चाहूंगा आज मुख्य मन्त्री अपने भाषण में यह स्पष्ट करें। यह उनका प्रथम टैस्ट है। यहां अगर वे घोषणा करते हैं कि फोरगेट एण्ड फोरगिव और गिव एण्ड टेक, मेरे परिवार के सदस्य थे, भटक गये, बिगड़ गये. उनके हित का सवाल था इससे उनमें उत्तेजना आ गई। अब चूंकि सब सामान्य हो गया है तो मैं घोषणा करता हूं कि राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों पर जितने मुकद्दमे चल रहे हैं उनको विथड्रा कर लिया जावेगा। अगर ऐसी घोषणा वे करते हैं तो मैं समझूंगा कि इनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। और कल जो इन्होंने कहा है वास्तविक रूप मे उस पर अमल करने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब यदि नहीं करते हैं और केवल थोथी घोषणायें ही करके रह जाते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, नेता बदले या नीति बदले जनता न इन नेताओं में विश्वास करेगी और न इनकी नीति मे। जनता चाहती है कि वास्तव में सही रूप में सरकार मंहगाई कम करे, और जब तक कम नहीं होती है कमचारियों को मंहगाई भत्ता उचित मात्रा में मिलना चाहिये। समान वेतन समान काम पर मिलना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह सारा का सारा ढकोसला है।

इस सिलसिले में जब सरकार का दमनचक्र तेजी से चलने लगा तो हम राज्यपाल से भी मिले। मेरे साथ मेरे गंगानगर के विधायक भी थे दो बार बातचीत की। आप जानकर यह ताज्जुब करेंगे कि जेलों में इन कर्मचारियों को जो खाने को रोटियां दी गई वे आदमी क्या जानवर भी खाने को तैयार नहीं हो सकेगा। उनके नमूने हमने राज्यपाल महोदय को भी दिये। जानवर सूंघकर उनको छोड़ देता है। वह भी खाने को तैयार नहीं हुआ। हमने खाद्यमन्त्री को भी भेजने का विचार किया। राज्यपाल ने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कहा कि वे ये नहीं सरकार के पास भेजेंगे। अब के भेजे या नहीं। मुझे इससे लेना देना नहीं। पर आप यह सुन कर आश्चर्यचकित हो जावेंगे कि उल्टे सरकार ने यह किया कि मेरे खिलाफ मुकद्दमा बनाया कि एक जेल की रोटी चुरा कर मैं कैसे ले आया। चोरी का केस मेरे खिलाफ बनाया। इसकी इन्क्वायरी हो रही है कि राज्यपाल के पास रोटी कैसे पहुँची। कर्मचारियों को ऐसी रोटी खाने को किसने दी, कैसे दी उस आदमी की जांच यह सरकार नहीं करावेगी। उसे कुछ नहीं कहना है। उसे सजा देना नहीं चाहती। उसे तो उल्टा प्रोटेक्शन देना चाहती है। पर वह रोटी राज्यपाल के पास कैसे पहुंच गई किसने पहुंचाई उसकी चिन्ता उसे है। इसकी जांच वह कराना चाहती है।

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जेल में चोर डाकुओं को जो श्रेणी दी जाती है उस श्रेणी में इनको रखा गया। सी क्लास इनको दी गई। पॉलिटिकल प्रिजनर्स इनको नहीं मानें, और बी. क्लास न देना चाहें तो न दें। पर सी. क्लास में तो नहीं डालना था। उनको जलील करने के लिये चोर डाकुओं की श्रेणी में सरकार ने रखा। जैसलमेर की जानकारी मुझे है वहां तो उनके हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी डाली गई। पुलिस ने उनको धमकाया और बस में ले जाते समय हथकड़ियां डाली गई। इसी हालत में उनको बाजारों में घुमाया गया।

उन्होंने क्या कसूर किया था आपकी कौनसी चोरी डकैती डाली थी उन लोगों ने। उन्होंने तो केवल मंहगाई भत्ता मांगा था। रोटी जो महंगी हो रही है उसे सस्ती करने की बात कही थी। रोटी मांगी थी उन्होंने तो। क्या रोटी मांगना, महंगाई कम करने की बात कहना गांधी जी के स्वप्नों के इस कांग्रेसी राज्य में अपराध है? मैं तो कहता हूँ कि अपराध ही नहीं जघन्य अपराध है। इस राज्य के हालात को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। नहीं तो उनके हाथों में हथकड़ियां डालकर बाजारों में नहीं घुमाया जाता।

अन्त में मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि वह इन पर चल रहे मुकद्दमें वापिस ले। यह भी मांग करूंगा कि अगर जैसा कहा जा रहा है इस नये नेतृत्व में जागरण आया है तो वह घोषणा करे कि अपने पेट के लिये रोटी मांगने के लिये हड़ताल करना अपराध नहीं है। बल्कि अधिकार है। अपनी मांगों के लिये आन्दोलन करना किसी प्रकार का जुर्म नहीं है।

एक बात और चाहूंगा कि ऐसे आन्दोलनों को दबाने में सरकार आर. ए. सी. का प्रयोग बिल्कुल न करे। आर. एफ. सी. बी. एस. एफ. के ये नौजवान देश की रक्षा करने वाले हमारी सीमाओं के सजग प्रहरी हैं। इनको अपने ही भाइयों पर और निहत्थे और वाजिब मांग पर हड़ताल करने वाले भाइयों पर हाथ उठाने का अवसर न दें। फिर ये लोग अभी तो नगरों की स्थिति को नहीं जानते हैं आर जैसा कहेंगे वैसा ये कर लेंगे, हर आदमी पर लाठियों की बौछार कर देंगे और हर किसी के पीछे बुरी तरह से पड़ जावेंगे। उसकी हड्डी हड्डी चूर चूर कर देंगे। तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिस

Page No. 122

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

तरह से देश के दुश्मनों के साथ वे बरताव करने के आदी हैं, वही यहां करते हैं। पर जब वास्तविक स्थिति वे समझ जावेंगे तो भय है कि वे राज्य सत्ता का अनुशासन मानने से कहीं इन्कार न कर दें। शासन के प्रति विद्रोही न बन जावें और निहत्थे लोगों पर हाथ उठाने से इन्कार न कर दें। उस स्थिति की कल्पना मात्र से मैं कांप उठता हूं। उस स्थिति को आप न लावें। उससे बचें इसी में देश का हित है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या हमारे राज्य में आजादी के बाद में यह कल्पना थी कि हमारे इन आर. ए. सी. के जवानों को बोर्डर पर लगाया जावेगा। पर देश पर बाहरी आक्रमण हुए हैं और आगे भी होने की प्रबल सम्भावनाएं हैं ऐसी स्थिति में इनको सीमाओं पर ही रहने दिया जावे। अन्य स्थानों पर जहां आवश्यकता हो रक्षा की दृष्टि से वहां लगाया जावे। पर देश के सविनय अवज्ञा सरीखे इन जन आन्दोलनों में उनको न लगाया जावे। इनसे उनको दूर ही रखा जावे। विद्यार्थी हुए, राज्य कर्मचारी हुए, अन्य राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलन हुए इनके आन्दोलनों को दबाने में इन सैनिकों का, देश के प्रहरियों का उपयोग करना जघन्य अपराध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जब हमने देखा कि राज्य सरकार इस आन्दोलन को समेटने के लिये तैयार नहीं है तो अगस्त के पहले सप्ताह में सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस केवल कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के लोगों ने मिल कर एक निर्णय लिया कि राज्य कर्मचारियों पर जिस तरह से सरकार का दमन हो रहा है उसको देखते हुए इनकी न्यायपूर्ण मांगें सरकार मानने की मन स्थिति में कतई नहीं है इसलिये इनकी वाजिब मांगों को मनवाने के लिये सारे राजस्थान की जनता को अब खड़ा होना पड़ेगा। यह अब केवल राजकीय कर्मचारियों का ही प्रश्न नहीं रह गया है, उनके परिवारों का, उनके बाल बच्चों का प्रश्न है। 6 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें तै किया गया कि 9 अगस्त से 144 धारा का उल्लंघन करते हुए सारे राजस्थान में गिरफ्तारियां दी जावे दस अगस्त को वे गिरफ्तारियां प्रारम्भ हुई। आन्दोलन जनता में तेजी से फैल गया। तब सरकार मजबूर हुई। उसने समझा कि अब उसके सामने कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि किसी तरह से राज्य कर्मचारियों से समझौता किया जावे। कोशिश तो सरकार की यह थी कि इस आन्दोलन के साथ-साथ सारी राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलन को भी दबा दिया जाय अनिवार्य सेवा आध्यादेश के द्वारा। जैसे केरल में किया गया था। दस हजार लोगों को केरल में जेल में रख दिया गया। उनको सी क्लास दी गई वहां पर भी। दो हजार को लम्बी लम्बी सजाएं दी गई। तीन हजार को नौकरियों से हटा दिया गया। राजस्थान ने भी केरल के पेटर्न को फॉलो किया हालांकि यहां मिली जुली सरकार तो नहीं है पर मोहब्बत जरूर है दोनों में। इनमें मेल जोल चलता रहता है। और इसलिए केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, केरल में जो मुस्लिम लीग

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ने किया और जो इस धरती पर खून बहाया, जेल के सींखचों में भरा, दमन चक्र चलाया उसी पेटर्न पर हमारी राजस्थान सरकार ने कहा हम प्रोग्रेसिव हैं।

आज मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं जो कुछ इस सम्बन्ध में हुआ इसी प्रकार से दमन चक्र चलाया गया और उपाध्यक्ष महोदय, जब यह आन्दोलन शुरू हुआ, आन्दोलन के शुरू होने के समय से लेकर आज तक कहते हैं और उस समय भी कहा है यह तो केवल राज्य कर्मचारियों की मांग है, सरकार को मन्जूर कर लेनी चाहिये थी। सरकार ने मांग मन्जूर न करके अपराध किया है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मांडलगढ़ तहसील में जो भीलवाड़ा जिले में है वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हड़ताल के विरोध में जुलूस निकाला, प्रदर्शन किए और कहा कि यह राज्य कर्मचारियों का आन्दोलन दक्षिण पंथियों के साथ में जा रहा है। लेकिन जब सारे राजस्थान में इसकी आग फैल गई और जब देखा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है तब फिर कर्मचारियों के साथ हो लिए। खैर, देर आयद, दुरुस्त आयद। इस मामले के लिये कहा गया यह असामाजिक है, अविवेकपूर्ण है वे सब बाद में विवेकपूर्ण बन गए और उनके साथ शामिल हो गए। मैं किसी व्यक्ति विशेष का खण्डन नहीं कर रहा हूं और न मैं उस मामले में जाना चाहता हूं। यह उनका आपस का मामला है, आपस की मोहब्बत है लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा आन्दोलन को समाप्त करते हुये जिस प्रकार से दो-दो कमेटियां बनाई हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उन दो कमेटियों में यह निर्णय लिया गया था 15 अगस्त को, इनकी सारी मांगों पर 6 सप्ताह में और तीन महीने में अधिक से अधिक निर्णय लिए जायें और यदि एक मत हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाय। और यदि कोई डिफरेन्सेज हैं तो मुख्य मन्त्री महोदय को पेश कर दिये जायं।

15 अगस्त के बाद आज हम यहां 6 नवम्बर को बात चीत कर रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है आज तक उस मामले को सुलझाया नहीं गया है। क्या प्रगति हुई है, यह तो मन्त्री महोदय बतायेंगे लेकिन सदन में आकर मुख्य मन्त्री जी ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की कि इस कमेटी ने यह निर्णय ले लिया है और यह बतायें कि ये परमानेन्ट करने के निर्णय लिये हैं, ये कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट के बारे में निर्णय लिये हैं, ये 55 से 58 साल करने के निर्णय लिये हैं, यह शहर में जो किराये देने की मांग है, उसका निर्णय है या यह निर्णय जो सन् 70 से अन्तरिम राहत है, उसके बारे में निर्णय, है और उपाध्यक्ष महोदय, लगातार 20 दिन तक इस बात पर मामला अटका रहा कि काम नहीं तो वेतन नहीं, काम नहीं तो वेतन नहीं।

हम तो यह कहते हैं कि काम दो और विधान सभा का अधिवेशन बुलाओ और हम जो वेतन ले रहे हैं, उसको जस्टीफाई करें लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने कहा तुमको काम नहीं, वेतन देंगे, लेकिन जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं उनको काम नहीं तो वेतन भी नहीं

Page No. 124

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

देंगे। उनके लिये अलग से सिद्धान्त कायम किये गये और हमारे लिये अलग से सिद्धान्त कायम किये गये और उसको इतना उलझाया गया कि उनकी जो अर्नलीव है उसका एडजस्टमैंट कर लिया जाय। यह इस प्रकार उलझा करके लगातार इसको चलाया गया, 15 अगस्त तक इसको चलाया गया। बार-बार वार्निंग दी गई, चेतावनियां दी गई, डर दिखाया गया लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं क्या 37 दिन तक राजस्थान की सरकार चुप रहती है। क्या यह ऐसी कोई समस्या थी जिसके लिये 37 दिन सारे राजस्थान में हड़ताल रही और राजस्थान की केबिनेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस समस्या को सुलझा सकता था और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं यह जो तस्वीर हुई है जिसके बारे में संकेत किया गया है। बांसवाड़ा में महिलाओं पर पुलिस का बर्बरतापूर्ण दमन चक्र, जयपुर के अन्दर गलियों में जाकर लोगों के कपड़े उतार कर डण्डे मारे गये। जयपुर शहर में घर-घर में घुस-घुस कर पुलिस वालों ने महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह पीटा है। इसी प्रकार की घटना अलवर में हुई है, अजमेर में हुई है, गंगानगर में हुई है। स्थान-स्थान पर लाठी बरसा करके पुलिस राज्य कायम किया गया है।

मैं मांग करता हूं मुख्य मन्त्री महोदय से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाय। निष्पक्ष जांच अवश्य होनी चाहिये। निष्पक्ष जांच कराने का मतलब यह नहीं है कि उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उन लोगों को इन-डायरेक्टली और सब प्रकार से शेल्टर देना चाहते हैं। अश्रु गैस जिन्होंने बरसाई है उनको बचाना चाहते हैं।

अजमेर की कहूं तो बड़ी दर्दनाक कहानी है। बांसवाड़ा, अजमेर में सरकारी कर्मचारियों को रात्रि के समय पुलिस ने घुसकर बड़ा अमानवीय अत्याचार किया है। अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अमानवीय अत्याचार नहीं हुआ, उन फिरंगियों के जमाने में भी, जो सात समुद्र पार से आये थे, उनके जमाने को इस सरकार ने लाद दिया। मुझे दुःख है, उपाध्यक्ष महोदय, एक भी कॉन्स्टेबिल को सस्पेन्ड नहीं किया गया।

जस्टिस बेरी का फैसला होने के बाद जिन लोगों ने गोलियां चलाई वे भी अजमेर और बांसवाड़ा के अत्याचार से बढ़ गई। मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में कोई आश्वासन नहीं दिया सदन को गरिमा है, मैं उनसे इस बात की अपेक्षा करता हूं····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस बात की जांच कराई जाय, यह जो लाठी चार्ज हुआ है···· (पुनः समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-चार मिनिट में समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जांच इस बात की कराई जाय क्या बांसवाड़ा, क्या अजमेर, क्या जोधपुर जिस प्रकार से पुलिस ने खुले आम बिना किसी कारण जैसे कोई राज्य नहीं है, जंगल का राज्य है। सारे के सारे लोग महिलाओं के ऊपर, इन्सानों के ऊपर भेड़ियों की तरह टूट रहे थे। क्या वह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जस्टीफाइड था ? यह अन-जस्टिफाइड था मैं जोधपुर के एस. पी. से मिला उन्होंने बताया मैंने कोई लाठी चार्ज का ऑर्डर नहीं दिया, एस. पी. ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया नहीं ? कलेक्टर उस समय था नहीं फिर, उपाध्यक्ष महोदय, लाठी चार्ज कैसे हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण और बताऊं एक प्याऊ के मटकों को फोड़ दिया गया, लोगों को प्यासे मरते हुए भी पानी नहीं पीने दिया गया। आर. ए. सी. ने जिस प्रकार से खून खराबी की है, यदि हम जांच कराने की मांग करें तो मैं समझता हूं वाजिब मांग होगी और मंत्री महोदय को मान लेनी चाहिये और यदि मंत्री महोदय साइड ट्रैक करते हैं, दरगुजर करते हैं तो इनका सीधा सादा अर्थ है सारी की सारी एट्रोसिटि को दबाना चाहते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा एक एक के बाद इस प्रकार के काण्ड होते हैं, एक एक के बाद इस प्रकार का जुर्म होता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा सेटिलमेन्ट के समय, यह पायस-पवित्र सेटिलमेन्ट हुआ, लिखित में हुआ कि कोई विक्टिमाइजशन नहीं किया जायगा मैं विक्टिमाइजेशन की डिटेल नहीं समझाना चाहता हूं लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात अवश्य कहना चाहता हूं हजारों टीचर्स को, हजारों अध्यापकों को जिनकी तनख्वाह क्या होती है, यह आपसे भी छिपा हुआ नहीं है और जो सबसे गरीब तबका है और कोई दूसरी मनी उसको मिलती नहीं है, ऊपर की आमदनी नहीं। वह केवल सरस्वती के मन्दिर में बालकों को पढ़ा कर 200-250 रुपये कमाता है। एक जोधपुर के अन्दर हाई स्कूल में सोरल नामक के व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी टीचर है। सरकार का सिद्धान्त है दोनों एक साथ रहें, दोनों एक साथ काम करें और कर रहे थे, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मेरा कोई मत नहीं है, उनकी पत्नी को 50 मील दूर फेंक दिया गया। तो सरकार यह कहती है सरकारी कर्मचारी हमारा परिवार है। मैं कहता हूं यह जानबूझकर डेलीबरेट तरीके से परिवार को छिन्नभिन्न कर दिया गया ताकि उनको याद रहे कि हड़ताल क्या होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इसके बारे में मांग की गई कि इनको समाप्त कर दो तो यह कहा गया कि ये ट्रांसफर्स इस आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। ये ट्रांसफर्स इस आन्दोलन की रंजिश के कारण नहीं हुए, मैं उन चिट्ठियों को जो पढ़कर सुनाया गया, समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए, उनको रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन कहना चाहता हूं कि बोनाफाईडली ईमानदारी से यदि मुख्य मंत्री यह समझते हैं कि इन ट्रांसफर्स का इस आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है तो वह बोनाफाईडी इस बात को कह दें खड़े होकर सदन के अन्दर, सदन की पवित्रता को समझते हैं, सदन की गरिमा को समझते हुए कि इनका आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन वे जानते हैं हृदय में कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैड्स ने, सेक्रेट्रीज ने और सेक्रेट्रीज ही नहीं मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, मैं इसमें भेद नहीं करता कि शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्य मंत्री कौन है और सचिव कौन है, मैं शासन को एक मानता हूं, ये सब प्रशासन के अंग हैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और सरकार की तरफ जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन मंत्री महोदय और सचिव द्वारा किया जाता है। यह कभी नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री या मंत्री महोदय की सलाह के बिना इतने बड़े ट्रांसफर्स, दस-दस हजार और पांच-पांच हजार, दो-दो हजार लोगों के ट्रांसफर एक साथ कर दिए जावें। मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि यह सम्पूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी है और यदि आज सरकार उस पॉलिसी को नहीं बदलती है, नई सरकार भी उस पॉलिसी को नहीं बदलती है तो वह भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि पहले की सरकार थी और यह सरकार भी उतनी पाप की भागी है जितनी कि पहले की सरकार होगी। मैं किसी एक पर इसकी

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जिम्मेदारी लगा कर इसके महत्व को कम नहीं करना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज नए मुख्य मंत्री प्रशासन में सुधार के लिए और प्रशासन को नई दिशा देने के अरमान लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष की ओर से दिए गए सुझावों का स्वागत् करेंगे। अगर वास्तव में वे विपक्ष के सुझावों का स्वागत् करना चाहते हैं तो मैं भी इसमें विश्वास करता हूं कि वे निश्चय ही स्वागत् करेंगे और विपक्ष की बात को मानेंगे, नहीं मानने में भी मैं कोई कारण नहीं समझता, तो आज यह उनकी परीक्षा का समय है, वे सदन में खड़े होकर घोषणा करें कि वे पुलिस एट्रोसीटिज की जांच कराने के लिए तैयार हैं। जो कर्मचारियों पर केसेज चल रहे हैं उनको वे विड्रॉ करें। क्या वे यह चाहेंगे कि कर्मचारी अपने कार्य को छोड़ कर कोर्ट में पैरवी करते फिरें।

(समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत घण्टी)

आज जयपुर में पांच सौ मुकदमे कर्मचारियों पर चल रहे हैं। जोधपुर में सैंकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, बांसवाड़ा में सैंकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। यह जो दमन चक्र चल रहा है उसको आप बन्द करेंगे। इसके साथ 2 एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा।

हमने आन्दोलन 37 दिन के बाद समाप्त करवाया। उसमें कहीं एक ओर सारे राजनैतिक दलों द्वारा जो 6 अगस्त को सारे राजस्थान में आन्दोलन कर धारा 144 को तोड़ा गया, जो 15 अगस्त सामने आ रही थी, इन सबका दबाव तो नहीं था ? मैं इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों की कमजोर आर्थिक स्थिति और इतने लम्बे आन्दोलन के कारण से उसके परिवार की जो तबाही की विवशता थी उसके कारण से उनको काऊ डाऊन किया गया। आपने जो दो समितियां बनाई हैं तो इन दो समितियों के बनाने का क्या अर्थ है। यह फूट डालने की नीति है। और कर्मचारी संघ और कर्मचारी महासंघ कोई अलग 2 नहीं हैं, उनकी कोई अलग 2 मांगे नहीं हैं। सब की एक ही मांग है कि सबको दो जून रोटी मिले, सबको जीने का अधिकार है, जीवो और जीने दो, सबको इज्जत के साथ रहने दो। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो धरती के ऊपर पैदा है उसको सम्मानपूर्वक दो रोटी मिल सके इसके बारे में सरकार प्रबन्ध करे। ये दो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कमेटियां किसलिए हैं, दो कमेटियों का क्या मायाजाल है, कौनसी राजनीति है इसमें ? आपको इनको समाप्त करना चाहिए। एक कमेटी हो जो सारे मामले पर विचार करे। मैं तो यह कहूंगा कि मुख्य मंत्री स्वयं इसको अपनी ग्रिप में लेकर सारे इश्यूज को फेस करें। उन्होंने स्वयं ने कहा कि साधारण कार्यकर्ता के नाते उनका प्रादुर्भाव हुआ है और वे दलित, पिछड़े और दबे हुए वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं। जब वे उत्थान की बात करते हैं तो आज उनकी परीक्षा है कि वे घोषणा करें कि सन् 70 के अन्दर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से महंगाई भत्ता बढ़ाया उसी प्रकार से आप महगाई भत्ता दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह देना चाहता हूं। आर्थिक समस्या के लिए यह कहा जाता है और शिक्षा मंत्री और वित्त मन्त्री ने कहा है कि ऐसा करने से 13 करोड़ का और 26 करोड़ का बोझा आ जाएगा, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी रामानन्दजी से पीछे नहीं रहना चाहते।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जन कल्याणकारी राज के अन्दर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिले या नहीं मिले, यह तो समझ में आ सकता है आप विधान सभा भवन को एयर कण्डीशन्ड बनाएं या नहीं बनायें, यह बात समझ में आ सकती है, इस पर आप विचार करें। यह भी समझ में आ सकता है कि प्रधान मंत्री बग्गी में बैठ कर जांय या कार में जावें और हमारे मुख्य मंत्री आटोरिक्शा और साइकिल में बैठ कर आवें यह भी समझ में आ सकता है। हमारी प्रधान मंत्री दस लीटर की घोषणा करें मंत्रियों के लिए और अब हमारे मुख्य मंत्री 8 लीटर या 5 लीटर की घोषणा करें, मितव्ययता की बात करें यह भी बात समझ में आती है लेकिन दो जून रोटी में मितव्ययता नहीं की जा सकती है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके घर में दो बार चूल्हा जले, उसके मासूम बच्चों को दोनों टाइम खाना मिले, उसके बच्चे प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक पढ़ने जावें, उसको रहने के लिए एक छत हो जिसके नीचे रह कर वह अपना जीवन इज्जत के साथ बसर कर सके। इसमें किस प्रकार के फाइनेन्सेज आड़े आते हैं ? इसमें भी यदि फाइनेन्सेज आड़े आते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी आपके बड़े 2 प्लान्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जिन 2 में आपका दिखावा है उनको आप समाप्त करिए लेकिन दो जून रोटी कर्मचारी को उपलब्ध करवायें। हर घर में दोनों टाइम खाना बने, हर घर में दोनों टाइम चूल्हा जले, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जावें और सोने के लिए कम से कम एक छत हो। एयर कण्डीशन्ड मकान की आवश्यकता नहीं है, फैन्स की भी आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता नहीं है लेकिन केरासिन का चिराग जले वहां पर, इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। यदि आप यह नहीं कर सकते तो आपको यह कहना चाहिए कि हमसे यह नहीं हो सकता, हम इन सीटों को छोड़ते हैं, हम त्याग-पत्र देते हैं, हम असफल हो चुके हैं हम इनकी पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने प्रोमिसेज पूरे नहीं कर सकते,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आप प्रायरिटिज तय नहीं कर सकते कि कर्मचारियों को कितनी आवश्यकता है, अफसरों की कितनी आवश्यकता है, मिनिस्टर्स को कितनी आवश्यकता है और एम.एल.एज. की कितनी आवश्यकता है। आपको इनकी प्रायरिटि तय करनी होगी और जैसा मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जो सबसे कष्ट में वर्ग है, सबसे दबा हुआ वर्ग है जो सैंकड़ों सालों से दबा हुआ तबका है तो मैं उस तबके में राज्य के छोटे कर्मचारी को भी लेता हूं, जो एक लिपिक है, एक चपरासी है, एक फर्राश है उनको मैं उस तबके में ले ही लेता हूं क्योंकि वह फिक्स्ड इन्कम ग्रुप के हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप निर्धारित प्राइज इंडेक्स के साथ महंगाई भत्ता लिंक कर दें। ज्यों 2 प्राइज इंडेक्स बढ़े त्यों 2 महंगाई भत्ता बढ़ जाय। वर्कमैन के लिए आपने किया, लेबर के लिए आपने किया माथुर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आपने लेबर के लिए, वर्कमैन के लिए किया तो राज्य कर्मचारी के लिए करने में आपको कौनसी डिफिकल्टी है। आपको आना चाहिए जनता के सामने और अपने सही स्वरूप को लाना चाहिए कि आप स्वयं क्या करना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जनता को बतावें कि हम दलित वर्ग का वास्तव में उद्धार करना चाहते हैं। वरना केवल स्लोगन मोंगरी करने से काम नहीं चलेगा। यह जो कमेटी ...

(समय समाप्ति सूचक-अनवरत-घण्टी)

समाप्त करता हूं दो मिनिट में। यह जो आपने कमेटी बनाई थी उसके तो अध्यक्ष रहे नहीं, इस कमेटी के नए अध्यक्ष बनेंगे। पहले चौधरी साहब थे लेकिन अब तो आमूलचूल परिवर्तन हो गया, इधर बैठने वाले उधर बैठने लग गए और उधर बैठने वाले इधर बैठने लग गए। नए मंत्री आयेंगे ...

श्री केदारनाथ : वे भी आ सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप गंगानगर की सिफारिश कर रहे हैं क्या ? यह तो आपका आन्तरिक मामला है कि कौन आए, कौन नहीं आए, लेकिन कर्मचारी के मामले में ढिले नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब आवें या और कोई साहब आवें, यह कांग्रेस पार्टी का अन्दर का मामला है जिसमें वे पहले से ही परेशान हैं, मुझे इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है कि कर्मचारियों की समस्या पर ढिले नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात को तीन डिमाण्ड के रूप में रिपीट करता हूं और मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री से आशा करता हूं कि वे इनको स्वीकार करें।

मेरी पहली मांग यह है कि सारे मुकदमों को विड्रॉ किया जाना चाहिए। जो आज कर्मचारियों पर मुकदमे चल रहे हैं, सैंकड़ों मुकदमे हैं, हजारों कर्मचारी हैं जो इन मुकदमों से परेशान हो रहे हैं, उनको आप विड्रॉ करके अपनी उदारता का परिचय दें, अपनी मैगनेनिमिटी को बतायें और अपने व्यक्तित्व का परिचय दें। इस प्रकार आप प्रशासन में संरक्षक है, मालिक हैं, बड़े पिता हैं, इसका सबूत दीजिए।

मेरी दूसरी डिमाण्ड यह है कि जो पुलिस एट्रोसिटिज हुई हैं, जो दमन हुआ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है, जहां 2 दमन हुआ है उनकी आप जांच करवायें। वह जांच हाई कोर्ट के जज से करवायें या अन्य किसी व्यक्ति से करवायें; यह आप देख लीजिए। अपने आपका संतोष कर लीजिए। केवल इससे संतोष मत कर लीजिए कि रोजनामचे में रपट लिख ली कि लपक झपक कर हमला हो रहा था और बचाव में लाठी चार्ज किया। यह लपक झपक की बात सौ साल पहले की हो गई है। ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी को मत दोहराओ और अपनी स्वयं की जांच करवा कर संतोष करो।

मेरी तीसरी मांग यह है जो मूलभूत है और वह यह है कि उनकी डिमाण्ड पर आप उनको राहत दीजिए।

चौथी बात यह है कि आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में मास ट्रान्सफर किया है। उपाध्यक्ष महोदय; इससे सरकार की नीयत पर सन्देह होता है। सरकार का यह कहना कि दस साल से, पन्द्रह साल से वे जयपुर में ही थे किन्तु और विभागों में भी तो कर्मचारी हैं फिर सरस्वती के मंदिर के पुजारी पर ही आपने यह क्यों कुठाराघात किया है, यह शोभाजनक नहीं है। इन्जीनियर्स, डॉक्टर्स, दूसरे डिपार्टमेंट के अन्दर हैं और कई व्यक्ति 20-25 साल से वहां पर जमे हुए हैं। उनका रिक्रूटमेंट भी वहीं पर हुआ है और रिटायर भी उसी विभाग से हो रहे हैं। इसमें आप कोई ट्रान्सफर नहीं कर रहे हैं। मिनिस्टरों का ट्रान्सफर तो अपने आप हो रहा है लेकिन टीचर्स के ऊपर आपने यह कुठाराघात किया। आखिर उनके ऊपर यह क्यों किया गया? इन गरीब अध्यापकों के ऊपर ही यह क्यों किया गया? इन गरीब अध्यापकों की बददुआएं क्यों लेते हैं। आपको एक अवसर मिला है, यश प्राप्त करने का, जनता को राहत देने का, गरीब अध्यापकों की ओर से उनकी दुआएं लेने का, इस अवसर का आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो जमाना किसी के लिये ठहरता नहीं है, नेता आये, नेता चले गये और नेता आयेंगे और यह परम्परा आज भी जारी है. यह जनतन्त्रीय युग है, इसमें कोई आयेगा और कोई जायेगा, यही इसका इतिहास है और यही इतिहास के पृष्ठों में लिया जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो संसार की परम्परा है, जो आता है वह जाता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री ने दर्शन में निहित उसके मूलभूत सिद्धान्त को समझा है। अब मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वे इस पर अमल करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह!

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व दो वक्ताओं ने, दो सम्माननीय सदस्यों ने जो सारगर्भित बातें कही हैं उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है और उनकी भावनाओं का मैं समर्थन किये बिना नहीं रह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वैसे भी आप दोनों के बीच में हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : यहां अन्तर भी है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके अन्दर अन्तर को भुलावा देना पड़ेगा और यह एक कॉमन कॉज की समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, जो ठीक तथ्य हैं उन तथ्यों को

(श्री लक्ष्मणसिंह)

लेकर के और विना हिचके सही बात ठीक तौर से कहना हमारा कर्त्तव्य है।

यह जो हड़तालें, यह जो व्याप्त असन्तोष इस देश के अन्दर हैं और मैं देख रहा हूं कि इस व्याप्त असन्तोष के कारण देश में कमजोरियां आ रही हैं। इसका मूल कारण मेरे ख्याल में शासनारूढ़ दल की कमियां हैं। हम कहते हैं, हम जनतन्त्रवाद के सिद्धान्त को अपनाते हैं। खैर, गांधीवाद तो कहीं चला गया लेकिन अगर जनतन्त्र के विशुद्ध परम्परा को देखा जाये तो आज शासनारूढ़ दल केवल मात्र नारे बाजी लगा रहा है। यह उसकी उपलब्धि है लेकिन नारे बाजी के मुकाबले में उसकी उपलब्धि नगण्य है। अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। जिस सरकार में कोई डिसिप्लीन न हो, जिस सरकार के अन्दर अवसरवादिता की पराकाष्ठा हो जाये, जो इस सिद्धान्त पर आ जाये कि चाहे कुछ हो हमारी कुर्सी कायम रहे तो उस सरकार में कमियां होती हैं और देश भी इन कमियों को आज अनुभव कर रहा है। देश इन कमियों के फलस्वरूप खमियाजा भुगत रहा है। आपको योजनायें हैं, इन योजनाओं में खामियां होने के कारण प्राइसेज द्रुत गति से बढ़ रही हैं। इसके कारण इन्फलेशन हो रहा है बेतहाशा तौर से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। आप कहते हैं गरीबी हटाओ। क्या गरीब हटायेंगे-- आपके सारे कार्य, सारी योजनाएं इस तरह की हैं कि उससे गरीबी और बढ़ रही है, महगांई बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी क्योंकि महगाई के साथ भ्रष्टाचार और अवसरवाद ओतप्रोत है। मंहगाई किस कदर से है। आज गेहूं 180/- रुपया क्विन्टल बिक रहा है जैसा कि माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है। इसके अलावा माननीय सदस्य भार्गव साहब ने एक लम्बी तालिका यहां पर पेश की है जो भी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं आज उनका अभाव है। कोयला नहीं मिलता, केरोसीन नहीं मिलता, गेहूं नहीं मिलता और जो कुछ आज मिलता है तो वह एक पेरेलल मार्केट में मिलता है। आज एक पेरेलल मार्केट कायम हो गया है— बिल्कुल एक कालाबाजार कायम हो गया हैं। यह एक साहूकारी व्यवस्था है। यह देख कर जनता में असन्तोष बढ़ रहा है और जिसके द्वारा हमारा मुल्क कमजोर होता जा रहा है। सारे देश में मंहगाई है। यह एक देश व्यापी समस्या है। आप कहते हैं कि स्ट्राइक नहीं हो लेकिन सब जगह हड़तालें हो रही हैं। रेलवे में हड़ताल हो रही है, केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है। आज सब जगह हड़ताल का वातावरण है। इसका जो मूल कारण है वह है मंहगाई। मंहगाई आप नहीं रोक पाते हैं और बार बार यहां पर कहते हैं केन्द्र में भी मंत्री महोदय कहते हैं कि आवश्यकता की वस्तुओं के ऊपर हम कन्ट्रोल करेंगे, काबू पायेंगे लेकिन आवश्यकता की वस्तुएं कम हो रही हैं, मंहगाई बढ़ती जा रही है और इसका कोई पारावार नहीं है। जैसा कि सम्माननीय सदस्य लोढ़ा साहब ने कहा कि आज अगर आपको एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तो कम से कम आवश्यकता की वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था ठीक प्रकार से करनी होगी। परन्तु आप यह भी नहीं कर सकते हैं। आज देश के अन्दर बेकारी कितनी बढ़ रही है, मंहगाई कितनी बढ़ रही है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

इसके साथ साथ राज्य कर्मचारी भी बिल्कुल तंग होकर के, हताश होकर के हड़ताल के ऊपर जांय तो उनका दोष नहीं है, दोष सरकार का है। आप सबका, सरकार का और केन्द्रीय सरकार का भी दोष है। 37 दिन तक यह हड़ताल रही। मेरी यह निश्चित धारणा है, मन्त्रिमण्डल ने यह सोचा कि दमन की नीति अपनाने से यह हड़ताल समाप्त हो सकेगी। खैर, यह निर्णय लिया एक हद तक मैं इस निर्णय की निन्दा नहीं करूंगा लेकिन सब बातों की एक सीमा होती है। जब यह स्पष्टत: दिखाई देने लग गया था कि कर्मचारी दमन चक्र से नहीं दबेंगे तो फिर पुलिस को इस तरह जुल्म करने के लिए छूट नहीं देना चाहिये था। बात चीत प्रारंभ करनी चाहिये थी। आज सुबह ही प्रश्नोत्तर काल में बताया गया, सूरतगढ़ फार्म में हड़ताल हुई, माननीय केदार जी और कई माननीय सदस्यों ने और विषयों के ऊपर यहां कहा, पिलानी की हड़ताल के सम्बन्ध में भी यहां पर चर्चा हुई। परन्तु इन सब पर एक ही परम्परा को हम अपना रहे हैं। एक ही सिद्धान्त, लकीर के फकीर के सिद्धान्त को हम अपनाते जा रहे हैं, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। आज जमाना पलट चुका है। जो लोगों के अधिकार हैं, कर्मचारियों के अधिकार हैं, उनको आप ठुकराते हैं, दमन करके और उसके लिए दकियानूसी नीति अपनाते हैं तो उसमें आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती है, यह मेरी निश्चित तौर से धारणा है।

(6.00 सायं)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

दो कर्मचारी संघ आपने बनाये। असली संघ के साथ होड़ करने के लिए आपने एक नकली कर्मचारी संघ बनाया। मैं लम्बे चौड़े पचरे में नहीं पड़ना चाहता। मुझे अनुभव नहीं है इन यूनियन्स का लेकिन नकली कर्मचारी संघ निश्चित ही सरकार के द्वारा बनाया गया और उसमें सरकार ने काऊंसिल ऑफ डिस्पेयर की उल्टी मात खाई और अशोभनीय मात खाई।

यहां पर यह भी कहा गया कि सामान्य कानून को न अपनाकर अध्यादेशों की शरण ली गई तो यहां भी कौंसिल ऑफ डिस्पेयर आपने अपनाई। अध्यादेश की शरण लेकर विडिक्टवनेस और रेवेन्जफुल एटीट्यूड आपने एडॉप्ट किया। यह सरकार के लिए मेरे ख्याल से बहुत संकीर्ण विचार की बात है, अशोभनीय विचार की बात है और उसकी भर्त्सना किये बिना मैं नहीं रह सकता। बाकी माननीय सदस्य जो अलवर से आए हैं उन्होंने मन्त्रियों के सम्बन्ध में भी कहा, यह मेरे ख्याल से तथ्यहीन बात नहीं है। बहुत से अधिकारी और मन्त्री सरकारी कर्मचारियों को अपनी निजी सेवाओं के काम में तैनात करते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, सब्जी मंगवाते हैं, धोती धुलवाते हैं। अगर इस तरह से होता है तो यह भी मेरे ख्याल से असंतोष का एक मूल कारण बन सकता है। सरकार को इस सम्बन्ध में भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और यह जो अनुचित रास्ता है, जो अनुचित बतौरा है, इसको छोड़ देना चाहिए।

बहुतसी जगह जो दमन के सम्बन्ध में कहा गया, वह भी काऊंसिल ऑफ डिस्पेयर है। जयपुर में भी जो पुलिस के

(श्री लक्ष्मणसिंह)

द्वारा दमन हुआ, गंगानगर में भी दमन हुआ, बासवाड़ा में भी, जो मुख्यमन्त्री का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर हुआ। तो जो बातें मैंने सुनी हैं वे अशोभनीय है और कोई नियन्त्रण एक हद तक नहीं रहता। जब पुलिस को यह हुक्म दिया जाता है कि दमनचक्र को अपनाओ तो वह बिल्कुल सीजलेस प्रॉसेस हो जाता है, कन्ट्रोल से बाहर हो जाता है। यह चेन अकरेंस हो रही है देश में, यह देश को कमजोर बनाएगी और सरकार के फस्ट्रेशन और निराशावाद का वातावरण देश में उत्पन्न हुआ है, उसके फलस्वरूप है। कर्मचारी अगर हताश होकर अनुभव करते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था नहीं है, दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, ऐसी हालत में यदि वे हड़ताल करते हैं तो सरकार को उस सम्बन्ध में उदारतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए और जो केसेज चल रहे हैं, जो ट्रांसफर्स किए गए हैं और खास तौर से जो अध्यापकों के ट्रांसफर्स किए गए है, उससे भी मेरे ख्याल से सरकार का ओछापन प्रदर्शित होता है, उसमें उदारता लानी चाहिए और एक हैप्पी फैमिली की तरह सामंजस्य का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए ताकि सरकार और कर्मचारियों के अन्दर सामंजस्य उत्पन्न हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न हो और यह जो विरोध है, सामंस्जय का खंडन हो रहा है, इसको समाप्त करने के लिए आपको यही चाहिये कि आप उदारतापूर्वक दृढ़तापूर्वक शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति जी, आन्दोलन के दौरान, हमको अगर मौका मिलता है तो बोलने का तरीका अलग होता है। हमारे बोलने में उस समय रंजिश होती, कुछ फायरिंग होती क्योंकि मूवमेन्ट्स में कमी न आए आन्दोलन में हिस्सा लेने वालों के फाइटिंग मॉरल में कमी न आए और जिसके खिलाफ, जिन मांगों के लिए लड़ रहे हैं, वे डीमॉरलाइज न हों। उस समय बोलने का लहजा हुआ करता है। अब आन्दोलन के 60-70 दिन बाद आज आन्दोलन के बारे में बोल रहे हैं। आन्दोलन के दौरान जो एट्रोसिटीज हुई, उसके बाद जो विक्टेमाइजेशन हो रहा है, बोलने का तरीका कुछ कन्सट्रक्टिव है, कुछ कन्सीलिएटरी है, वह इसलिए कि डेमोक्रेटिक स्टेट के सामने आज हम एजीटेशन की बात, एजीटेशन के बीच में नेगोसिएशन की बात और उसके बाद कौनसे ट्रेडीशन्स कायम करना चाहते हैं? 37 दिन के रिप्रेशन के बाद, आपको क्या मिला? उन टीचर्स के बीच रहते हुए, उन एम्पलॉइज के बीच रहते हुए, मैंने 30 साल में काफी मूवमेंटस लीड किए हैं, लेकिन आप 37 दिन के उनके सप्रेशन के बाद, उनकी सालीडिटी को तोड नहीं पाए, उनके मोरल को ब्रेक नहीं कर पाए, मिलीटेन्सी को कमजोर नहीं कर पाए तो फिर आप पुलिस को प्रेज करें कि सही लाठीचार्ज किया तो यह आपका गलत तरीका है। आपने किन लोगों का इस्तेमाल किया? बैड केरेक्टर के लोग थे, मिस्क्रीएट लोग थे, एन्टीसोशल एलीमेंट्स थे, पिक पाकेटर्स, साईकिल चोर थे उनका आपने इस्तेमाल किया। अगर आप समझते हैं कि यह आपका अचीवमेंट है, अच्छा

(श्री केदारनाथ)

ट्रेडीशन पैदा कर रहे हैं तो आपका यह एजीटेशन के दबाने का गलत तरीका है। रिवोल्ट होती, कोई विद्रोह होता, बगावत होती, सरकार के एग्जिस्टेंस को चुनौती होती तो मैं समझ सकता था कि सारे के सारे हथियार रिप्रेस और सप्रेस करने के लिए किनके खिलाफ कर रहे हैं जिन लोगों में जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं उनका आपने इस्तेमाल किया उनके खिलाफ पिच करने के लिए, उनका रास्ता रोका गया, लाठी चार्ज करवाया, बाहर तो यह हुआ। आप आर. ए. सी. की तारीफ करते हो। दो एजीटेशन्स में उच्च मॉरल राष्ट्रीयता की स्प्रिट दिखाई गई, केंद्रीय कर्मचारियों के आन्दोलन को देखिए, स्टेट के समय को देखें, लेकिन इस बार आन्दोलन में देखा तो आर. ए. सी. के कुछ लोगों ने लूट मार की। सरकार को खुशी हुई, जेबों से पैसे लिए गए, साईकलें उठाई गईं और रेढ़ियां व दुकानें लूटी गईं। ये केसेज आपके सामने हैं। अगर इन बातों को एचीवमेंट समझते हैं तो सही नहीं है। जिन लोगों को आप अपना लाडला वफादार कर्मचारी कहकर 10 दिन का पैसा दे रहे हैं, यह कोई डेमोक्रेटिक स्टेट, समाजवादी स्टेट, एक अच्छा ट्रेडीशन पैदा नहीं करने जा रही है। उनकी दो यूनियन्स को पिच करके एक दूसरे के खिलाफ कमेटीज को फार्म करना, एक सही प्रेक्टिस कायम नहीं कर रहे हैं, इससे आप सोचते हैं कि भविष्य के लिए एजीटेशन्स बंद हो जायेंगे। आप सीरियसली सोचे कि इस एजीटेशन के दौरान आपने कौनसी लेप्सेज की हैं मैं अपनी ऑफिस के नीचे खड़ा जुलूस देख रहा था। काश्तकार लोग, मजदूर लोग, व्यापारी सोचते थे कि ये रिश्वतखोर जा रहे हैं, कोई सहानुभूति नहीं। आपके रिप्रेशन के, आपकी फीलिंग्स और लेप्सिज के बाद आपने दमनचक्र उठाया, वही मूवमेंट जिसके पीछे सहानुभूति नहीं थी, उसमें फास्ट मूवमेंट्स हुए। सारी पोलिटिकल पार्टीज शामिल हुई, ट्रेड यूनियन्स शामिल हुई, उनकी सहानभूति के द्वारा ब्राड-बेस्ड मूवमेंट राजस्थान में पैदा हो गया। उन गलतियों से यदि सबक सीखना चाहते हैं तो आप मांगे भी पूरी करेंगे, मुकदमे भी वापिस लेंगे, ट्रांसफर्स भी कैंसिल करेंगे मगर किसी अधिकारी के खिलाफ आपने एक्शन लिया जिसने एक पीसफुल मूवमेंट को वायोलेंट मूवमेंट में बदल दिया ? खुद आपने पत्थर चलाए, खुद मुकदमे बनाये, लोगों को पीटा, घरों में घुसकर बच्चों और औरतों को पीटा। आपने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या आप सोचते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन आप नहीं लेंगे और भविष्य में वे क्या करने जा रहे हैं। आर. ए. सी. और पुलिस की लाठी में कितना फर्क होता है ? मैंने आर. ए. सी. के जवानों से पूछा है कि आप बेरहमी से लाठी क्यों मारते हो। वे कहते है 24 या 48 घंटे के बाद रोटी मिलती है, सोने के लिए जगह नहीं है, शौच जाने के लिए जगह नहीं है, यूनीफार्म्स ढंग की नहीं मिलती हैं। हमें मालूम नहीं पड़ता है कि लाठी किस पर पड़ती है। क्यों लाठी मारते हैं क्यों उनमें रहम नहीं है, क्यों लिमिट्स का ध्यान नहीं है ? एजीटेशन समाप्त होने के बाद जैसे कर्मचारी महासंघ के लोग अपनी स्ट्रेटेजी पर, गल्तियों पर सोच रहे हैं कि भविष्य में कैसे एजीटेशन्स हो, एजीटेशन का क्या रूप हो डेमोक्रेटिक स्टेट में, तो आप भी उसी तरह से सोचें—

(श्री केदारनाथ)

आपके मंत्रिमंडल के कौन सदस्य थे जिन्होंने गलत रास्ता बताया। 37 दिन में कितना नुकसान हुआ। अगर विधान सभा की दो दिन बैठक बुला लेते, तो मैं समझता हूं एवॉइड कर सकते थे। अगर कैबीनेट स्तर पर कोई मंत्री उन लोगों से बात करते, तो स्ट्राइक एवॉइड की जा सकती थी। मैं नहीं चाहता कि आप अपोजीशन पार्टीज को लेते। कांग्रेस चीफ को बीच में लेते और तरीका निकालते नेगोसिएशन्स का, मेरे ख्याल से 37 दिन की यह हड़ताल टल जाती। डेमोक्रेसी में आप सोचेंगे कि एजीटेशन्स नहीं होंगे, एजीटेशन्स होना लाजमी हैं, डाइलोग लाजमी होंगे, फैसले होंगे और उसके बाद पार्टनर्स रूप में काम भी करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी साहब आर. ए. सी. के लोगों की तारीफ कर रहे थे, यह गलत परम्परा है, आप गलत ट्रेडीशन्स पैदा कर रहे हैं। किन लोगों को सीख दे रहे हैं भविष्य के लिए? क्या मिसाल कायम करना चाहते हैं? उस समय मुख्य-मंत्री जनरल अपील निकालते, कोई बात नहीं लेकिन वास्तव में सर्विसेज को इस ढंग से गल्वनाइज करना, गीयर अप करना और निरंकुश होने की ट्रेनिंग देना और इस तरह तारीफ करना, यह डेमोक्रेसी नहीं। आपकी पुलिस और आर. ए. सी. ने इतनी एक्सेसिज की कि लोगों को बच्चों को नंगा करके पीटना, हथकड़ी पहनाना, परेड कराना, घरों में जाकर पीटना, यह अच्छी चीज नहीं है। जिन लोगों ने यह दृश्य देखा है, सारी पिक्चर उनके दिमाग में आती है तो मालूम पड़ता है कि राजस्थान में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ऐसा नहीं मालूम होता था कि इलेक्टेड आदमियों का कैबीनेट काम कर रहा है, चारों तरफ आर. ए. सी और बी. एस. एफ. व पुलिस के ट्रक्स चल रहे हैं, लाठियां उनके हाथों में टोप पहने हुए, अश्रु गैस के गोले चारों तरफ शहर व देहातों में घूम रहे थे, जीपें और ट्रकें चारों तरफ चक्कर लगा रही थीं, मानो सारे का सारा पुलिस स्टेट बन गया, सौंप दिया पुलिस को, पुलिस के रहम पर छोड़ दिया।

उसके बाद आज ट्रांसफर्स कर रहे हैं और पुलिस एक्सेसीज की जांच कौन करेगा? पुलिस ऑफीशियलस जिन्होंने लाठी चलाई हों, झूठे मुकदमे बनाए हों और वही आदमी जांच करेंगे, उनसे कभी न्याय नहीं मिल सकता। आप ज्यूडीशियल इन्क्वायरी करायें किसी सीनियर ऑफिसर के द्वारा कि कौनसी एक्सेसिज हुई हैं।

गंगानगर, करनपुर में जो लोग गेट के आगे नारे लगा रहे थे, उन पर जबर्दस्ती एसॉल्ट के केसेज बनाए गए। आपके अनुसार यह एसॉल्ट के डेफीनेशन में आ गए। कौन सा आसर्न है, कौनसी लूट हो सकती है, कुछ एलीमेंट्स ने किया हो। मगर आप देखें कि किन लोगों ने किया हैं, कर्मचारी कितने हैं पोलिटिकल पार्टीज के कौन लोग हैं, कौन दूसरे हैं। 4000 लेक्चरर्स, कम्पाऊंडर्स और टीचर्स के जो ट्रांसफर्स किए हैं, जो टीचर्स ट्रांसफर होकर घर से दूसरी जगह जाते हैं, उनके मन में रंजिश है, रंजिश का एटीट्यूड लेकर जाते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ायेंगे। सारे के सारे वातावरण को बिगाड़ कर आपकी इमेज को बिगाड़कर, टीचर को डेस्परेट फ्रस्ट्रेटेड बनाकर वह पढ़ाई का उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। आप समझते हैं

Page No. 135

(श्री केदारनाथ)

कि यूनियन की सोलीडिटी को खतम कर देंगे, यह आपकी गलतफहमी है। यह वही कह सकते हैं जिन्होंने आन्दोलन नहीं किया होगा। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा मन्त्री श्रोवररसाइडिंग रहे। कुछ नार्म्स हुआ करती हैं, कुछ लिमिटस हुआ करती है, रेटेलिएशन, रिवेन्ज की लिमिट्स होती हैं, वह सारी पार कर गए, न 5 साल देखा न 6 महीने देखे सब के सब एनमास ट्रांसफर्स किए गए जिसने भी रिपोर्ट दी कि यह हड़ताल में एक्टिव वर्कर था जिनके खिलाफ एजीटेशन होता है इन दी वेक ग्रॉफ एजीटेशन, स्लोगन्स भी लगेंगे, ग्रर्थी भी निकलेगी, एफिजी भी जलेगी, जो आपको माला पहनाते हैं, हजारों आदमियों की भीड़ आपका स्वागत करती है तो उसके साथ ग्रर्थी भी निकलेगी तो गुस्से में आकर आप मास ट्रांसफर्स करें, यह अच्छा तरीका नहीं। आप समझते हैं कि हम लोग भविष्य के लिए एजीटेशन्स को दबा देंगे। जितनी भी एक्सेसिज हुई हैं उनकी जांच करवायें। मैं और भाई रामानन्दजो स्वर्गीय मुख्यमन्त्री से मिले थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक्सेसिज को जांच करायेंगे, जितने एसॉल्ट के केसेज होंगे उनको जांच होगी पुलिस के मार्फत नहीं और किसी एजेन्सी के मार्फत और जितने ट्रांसफर्स हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स से या विक्टीमाइजेशन से, हम किसी भी शक्ल में विक्टीमाइजेशन नहीं होने देंगे। यह उनका बड़प्पन था। आप जितना अपने सिद्धांतों पर दृढ़ होंगे और जितने ट्रेडीशन्स अच्छे पैदा करेंगे उतना ही आपका बड़प्पन ज्यादा होगा, उसका ज्यादा असर होगा। इसलिए आप अपने एटीट्यूड को बदलें, चाहे छात्रों का एजीटेशन हो, चाहे टीचर्स का एजीटेशन हो, लेबरर्स का एजीटेशन हो उनको आप ट्रेडर्स के एजीटेशन के साथ मत मिलाइए। अगर ऐसा किया तो इसका मतलब आपका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं। आप नहीं चाहते कि आन्दोलन इस जमीन पर पैदा हो आपकी प्लान्स में पॉपुलर पार्टीसिपेशन हो। आप शक्ल बदलने जा रहे हैं, समाज के लोगों में नया करेक्टर मोरल पैदा करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि मुख्य मन्त्री जी आपको यह मौका मिला है। आप कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हैं और राजाओं के जमाने में आपने एजीटेशन्स में पार्टीसिपेट किया है और उसके बाद में एजीटेशन्स को फेस करते रहे हैं। इसलिए आप सारे के सारे तरीकों को बदल कर कुछ करके बतायेंगे, मुझे इस बात का विश्वास है।

सबसे बाद में मैं एक मिसाल बताता हूं कि सुखाड़ियाजी के वक्त में एजीटेशन हमने किया। कुछ कमियां हो सकती हैं लेकिन मैं उस शख्स की तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस फ्लोर पर यह कहा कि जनता के सामने आज सरकार हार मानती है तो डेमोक्रेसी में हम इसको हार नहीं मानते हैं। वह उनका बड़प्पन था कि उन्होंने सारे किसानों को छोड़ दिया, मुकद्दमें वापस ले लिये, उनकी मांगों को पूरा किया और मेज पर बैठकर उनके साथ में बात की। यहां एनाउन्समेंट किया और बाहर एनाउन्समेंट किया। यह उसकी शख्सियत को, उसकी पर्सनेलिटी को और सरकार की इमेज को बढ़ाती है। रिप्रेशन, सप्रेशन, रिटेलियेशन, इन्टीमिडेशन से कभी भी कोई भी आन्दोलन समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मैं

(श्री केदारनाथ)

यह निवेदन करूंगा कि इनके साथ में विक्टेमाइजेशन को समाप्त कर दें और उनको टेबल पर बुलायें। कमेटो चलेगी लेकिन चौधरी रामचन्द्र जी नहीं हैं तो दोनों कमेटियों को एक करके उनको अपने हाथ में लें और हाथ में लेकर 5-10 दिन में उनसे बात करके इस सारे फेज को, सारे कन्फ्यूजन को, भ्रम को मिटाया जाय। उनके सारे के सारे मसले, डो. ए., इन्टेरिम रिलिफ, एन्केशमेंट ऑफ लोव, हाउस रेन्ट यह ऐसे मसले हैं जो कि टेबल पर मिट सकते हैं और कर्मचारी आपको को-ऑपरेट करेंगे। यह आशा करके मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मन्त्री जी!

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : सभापति महोदय, वैसे डिबेट का रिप्लाई तो माननीय शिक्षा मन्त्री जी देंगे, मैं यहां पर इन्टरवीन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मेरे मन में कहीं कोई यह भ्रम नहीं है कि पुलिस के दमन से कोई आन्दोलन दब जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते है, बल्कि चाहे कितना ही थोथा आन्दोलन क्यों न हो यदि दमन उसके ऊपर किया जाता है तो निश्चित रूप से वह एक स्वरूप पा लेता है, और इसलिए मैं आन्दोलनों के दबाने के लिए पुलिस के उपयोग का कभी हामी नहीं रहा। राज्य कर्मचारियों की इस हड़ताल के दरम्यान में भी मैं किसी के प्रति अन्याय नहीं करता मगर स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं राज्य सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच में डायलाग का हामी था, और मैं किसी चीज को रिवील नहीं करता तो मैं यह कहता हूं कि जो भी टेन्शन डेवलप हुआ उस टेन्शन को ईज करने में ही मेरा सहयोग रहा है, और मेरा सहयोग डायलाग को डेवलप करने में भी रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है स्वर्गीय बरकत साहब ने, जब मैं अपने दौरे से यहां आया तो, मुझे इस सारे विचार विमर्श में एसोशियेट किया था एकाध दिन के बाद में, और उस दिन से ही निरन्तर मेरा यह प्रयत्न था कि राज्य सरकार के और कर्मचारियों के बीच बातचीत शुरू हो। सरकार ने एक कमेटी बनाई अधिकारियों की किन्तु कर्मचारियों ने घोषणा कर दी कि हम इससे बात नहीं करेंगे। उस दिन मैं यहां से बाहर दौरे में गया। बाली में मेरे सामने डिमान्स्ट्रेशन हुआ, पाली में मेरे सामने डिमान्स्ट्रेशन हुआ, फालना में मेरे सामने डिमान्स्ट्रेशन हुआ, सादड़ी में मेरे सामने डिमान्स्ट्रेशन हुआ। उन सभी जगहों पर मैं कर्मचारियों के सामने खड़ा हुआ और खड़े होकर मैंने यह कहा कि जब शिमला के अन्दर इन्दिरा गांधी और भुट्टो मिल सकते है और अपनी समस्याओं के ऊपर विचार कर सकते हैं तब मेरी समझ में यह नहीं आता है कि कर्मचारियों के नेता यह कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, यह कौनसी रीजनेबल बात है? और मेरे ऐसा कहने के बाद में पाली से टेलिग्राम आया इन लीडर्स के पास में कि हम यह उचित समझते हैं कि अगर कोई बात करना चाहते हैं तो हमें बात करना चाहिए। मैं 7 तारीख की रात को उदयपुर पहुंचा, 8 को डूंगरपुर पहुंचा

(श्री हरिदेव जोशी)

और 9 को बांसवाड़ा पहुंचा। वहां पर मुझे कर्मचारियों के प्रतिनिधि मिले। उन सबसे मैंने यही कहा कि आप लोगों को बात करना चाहिए। आपके नेताओं को आप मजबूर कीजिये कि वह बात करें, और उन्होंने मेरी इस सलाह को माना, और इन ब्रान्चेज ने यहां पर चिट्ठियां भी लिखीं। एकाध मौका, सभापति महोदय, ऐसा आया जबकि वातें टूट गईं। मैंने पहल की। लोगों से कहा कि तुम तो रूठ कर जा रहे हो लेकिन अगर तुम्हारे मन में यह आये कि फिर बात कर सकते हैं तो आ जाना संकोच मत करना।

सभापति महोदय, पहली बार किसी एक बात से प्रभावित होकर और वह बात यह थी कि कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष दुर्गाशंकर जी ने यह घोषणा की जब तक सरकार बदल नहीं जाती है हम कोई बात नहीं करेंगे। इसका शायद महासंघ के नेताओं के ऊपर और कर्मचारियों के नेताओं के ऊपर असर हुआ, और उन्होंने यह कहा कि हम मुख्य मन्त्री जी से मिलना चाहते हैं। हम लोग बैठे हुए थे। मुख्य मन्त्री जी ने राय ली कि क्या करना चाहिए। मैंने तत्काल उनसे कहा कि मिलना चाहते हैं तो आप स्वीकार कर लीजिये और उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया। उस दिन मैं नहीं था साथ में, मगर कर्मचारियों के नेता आये। उनका वह दिल नहीं खुला शायद झिझक थी। सरकार की ओर से भी झिझक रही हो और घुटी घुटी सी बात होकर बिखर गये। किसी ने कोई मुद्दे को बात नहीं की। बरकत साहब ने मुझे बुलाया। मैंने पूछा कुछ बात बढ़ी क्या आगे? उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कहा कि हमारी कोई पोलिटिकल डिमाण्ड नहीं है सरकार बदलने की और आपको हमारे बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि कोई बात छेड़ी मांगों के बारे में। उन्होंने कहा कि नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने जेलर को गवर्नमेंट की ओर से कहला भिजाया कि आप और भी बात करना चाहते हैं तो कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे दिन भी बात करने आये, मगर एकदम टाइट थे। केबिनेट ने तय किया था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी और मैं बात करूंगा। वह कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह की शुरूआत की कर्मचारियों का अगर मैं उनका नेता होता तो इस तरह से बात नहीं करता। उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया जिस पर सरकार सब से पहले न कह चुकी थी। मैं इस वक्त उसमें नहीं जाना चाहता, और उस पर सरकार ने ना कहा। और वह उठकर चलने लगे। जब बरकत साहब के कमरे से बाहर निकलने लगे तो उनमें से एक आध से मेरी व्यक्तिगत जान पहचान थी। मैंने उनको कहा, रुक जाओ। तुम बात किये बिना जा रहे हो। यह ठीक नहीं है। घण्टे भर बाद अगर बात करना ठीक लगे तो आने में झिझकना नहीं। और गवर्नमेंट की ओर से जेलर को भी यह कह दिया गया था कि जिस समय भी यह मिलना चाहें उनके लिए मिलने की व्यवस्था कर दी जाये।

(6.27 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी महोदय यहां आये। उनके मिलने का सवाल आया तो मैंने

Page No. 138

(श्री हरिदेव जोशी)

तत्काल कहा कि मिलने दीजिये। यह मिलकर आयेंगे तो हम से डायलाग शुरू होंगे। केन्द्रीय मन्त्री श्री रघुनाथ रेड्डी यहां आये। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया मुख्य मन्त्री से भी मिलने के लिए कहा। मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। कोई भी उनसे पूछ सकता है। मैंने उनसे कहा, एक डेडलॉक कायम हो गया है। इसको तोड़ने की जरूरत है। बातचीत शुरू है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माननीय रामानन्द अग्रवाल ने समय मांगा हमने उनको भी समय दे दिया। यह क्या बतलाता है? यह यह बतलाता है कि राजस्थान सरकार की ओर से कोई बाधा नहीं थी बातचीत करने में। शुरू में कुछ बात बिगड़ गई है, आप यह भी कह सकते हैं। मगर इन्टेन्शन कहीं गलत नहीं था। यह मैं कह सकता हूं। राजनैतिक दलों के कई माननीय नेताओं ने कई बातें नहीं कही हैं। मुझे इजाजत दीजिये, उन बातों को यहां पर कहूं। क्या हमें यह मालूम नहीं है कि पूरा कर्मचारी वर्ग कुछ हिस्सों में बंटा हुआ है। हम किसी को कोई दोष नहीं देना चाहते हैं। यह स्ट्राइक आर्थिक कारणों से रही हो इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो प्रायोरिटी इसके अन्दर मुख्य थी, उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता था। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाना चाहता था। यह तो एक स्टेबिलाइज्ड फैक्ट है। माननीय सदस्य ने कहा है, दो कमेटियां क्यों बनाई? हमने यह स्वीकार किया है। वह एक कमेटी में बैठना स्वीकार नहीं कर रहे थे। एक साथ बैठकर दोनों ने फैसला नहीं किया। यहां तक कि एक ग्रुप को एक बात कह दी जाय तो दूसरे ग्रुप को पासग्रॉन नहीं करते थे। कभी यह कहा जा कि अमुक से तो एक घण्टे भर तक बात की और मुझको पूछा भी नहीं। तो जं प्रपोजल आया वह रिजेक्ट कर दिया गया मैं 11 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक कन्टीन्यूअसली सारी चीजों के अन्दर एसोसियेटेड हूं।

इन सारी चीजों में मैं एक बात आप से कह सकता हूं कि कर्मचारी संघ का अगर मैं नेता होता अथवा महासंघ का नेता होता तो मैं 37 दिन की हड़ताल को 37 घण्टे भी नहीं चलने देता। मुझे क्षमा कीजियेगा— It was lack of leadreship.

मैं यह भी जानता हूं कि सरकार की ओर से कोई फीलिंग्स रही हों। किन्तु क्या यह सच नहीं है कि बाहर से हड़ताल को लम्बा करने की कोशिश की गई है। अब तो ये सारी बातें जो हैं, डेड कार्प्स को हैंगिंग करना है। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस चीज को यहीं खत्म करता हूं। मैं इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो एक प्रकार का वातावरण बना, उन दिनों में, यह कि मन्त्रिमण्डल में मतभेद है। और, यह कि तीन मन्त्री इधर हैं, और तीन मन्त्री उधर हैं। किसी ने किसी की बातों को इधर फैलाया और किसी ने किसी की बातों को उधर फैलाया। यह सब किया गया। मैं एक चीज कह सकता और वह यह है कि हमारे में गलती रही है, आप का जजमेण्ट यह हो, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता हूं। आप का यह भी जजमेण्ट रहा है कि महासंघ की कार्यकारणी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आन्दोलन नहीं चलता। एक फैक्ट तो यह

श्री हरिदेव जोशी)
कि महासंघ ने हड़ताल नहीं की । कर्मचारी संघ ने की है । महासंघ तो समर्थन में कूदा है। सरकार के पास कई चिट्ठीयां हैं, जो उन्होंने लिखी हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा: क्या वाटर गेट से आयी है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह तो प्रकाशित की हैं, उन्होंने अखबारों में ।

श्री हरिदेव जोशी: और भी फैक्ट हैं, बाद में जिसने हड़ताल को मोटीवेट किया और हड़ताल को लम्बा किया । यह मेरी ओपीनियन है। आपको अधिकार है कि मुझे आप डेफर करें । इन ऑल फेयरनेस मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक प्रकार की सरकमस्टांसेज पैदा हो जाते हैं और एक विशेष सर्किल हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए बड़ा साहस चाहिए। बहुत सम्भव है, मैं उस विशेष सर्किल को तोड़ने की कोशिश करता तो वह टूट जाता। अगर मुझे ऐसा लगता है कि राज्य कर्मचारियों में एक ऐसा एलीमेण्ट था जो समझौता नहीं होने देना चाहता था। यह मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं उनकी हर बैठक में सम्मिलित था। मैंने देखा कि पहले अगर एक ग्रुप हां भर लेता और जब दोनों ग्रुप आपस में आमने सामने बैठते तो दूसरा ग्रुप यह कह देता कि हमें यह मन्जूर नहीं है। उनमें नेताओं में आपसी मतभेद था। फिर थोड़े दिन बात बन्द रही। उसके कुछ दिन बाद कुछ लोग और बीच में पड़े। वह जाकर जेल में नेताओं से मिले फिर वापिस आकर हम से भी मिले। काफी अच्छा सोल्यूशन था। हमने सोचा अच्छा एक प्रकार का फैसला होगा। करीब 48 घंटे की बातचीत चलती चलती 72 घंटे तक चली हमने सोचा चलो कोई बात नहीं कुछ ड्रा आउट तो निकला। लेकिन जब ज्योंहि दूसरे पक्ष को बुलाया वह ना हो गया। इसके बाद में दूसरे पक्ष के कुछ लोग इनफॉर्मेली मेरे से मिल गये हमने कहा आप कोशिश करलो। राज्य सरकार तो हर तरह से प्रयत्नशील थी कि किसी न किसी प्रकार कोई अच्छा हल निकल जावे। लेकिन जब दोनों पक्ष को बुलाया तो वह भी नामन्जूर हो गया। इसमें जो हड़ताल का कोई फैसला नहीं हो सका उसमें मेन बात जो थी वह उनकी नेताओं की एक दूसरे को राईवलरी थी जो आड़े आ रही थी। फिर एक महाशय मुझे मिले....

श्री रामानन्द अग्रवाल: वह कौन थे, शायद महेशचन्द होगा ।

श्री हरिदेव जोशी: नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताना ही उचित है। अच्छा नहीं लगता नाम बताना। आप महेशचन्द का कहें मैं कहूंगा विशनसिंह शेखावत था।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप कहना चाहे तो कह सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी: आपने किसी का नाम क्यों लिया यह अच्छा नहीं लगता। उपाध्यक्ष महोदय, इनडिविजुअल का नाम लेना ठीक नहीं समझता। तो उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह से बात तय होने को थी। हमने सोचा कि चलो डिक्लेरेशन होने वाला पर ज्योंहि दूसरा पक्ष सामने आया,

(श्री हरिदेव जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, पहले वाला पक्ष जो हा भर के गया था कि समझौता कर लेंगे वह उन्हें देखते ही ढीला पड़ गया। और आखिर वह बात जहां की तहां रह गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बात बताना चाहता हूं कि उनमें आपस में इतना मतभेद था कि वह एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करना पसन्द नहीं करते। जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हमें अलग-अलग जेलों में भेजो। हम एक साथ रहना नहीं चाहते। इसलिये उनको अलग अलग जेलों में भेजना पड़ा। राज्य सरकार ने किसी दुर्भावना से उन्हें अलग अलग नहीं भेजा। उन्होंने उस समय स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम एक साथ समझौता नहीं करेंगे। हम एक कागज पर समझौता नहीं करेंगे। और न एक ही कागज पर समझौते के दस्तखत करेंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, अलग कागज पर दस्तखत कराये गये। समझौता एक ही था मेटर एक ही था पर कागज अलग अलग थे। और जब समझौता हुआ तो दोनों पक्ष के नेताओं में एक दूसरे को नीचा दिखाने की इतनी जिद थी कि पहले कोई भी जेल से निकलने को राजी नहीं था। तो अब आप बताइए कि इसमें राज्य सरकार ने क्या अन्याय किया। समझौता नहीं हुआ और स्ट्राइक इतने दिन चली उसका मेन कारण उनके नेताओं के आपस में इनडिविजुअल लीडरशिप की राइवलरी थी। इनडिविजुअल डिफरेन्सेज थे आपस में। राज्य सरकार का ही अकेला दोष हो, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं यहां पर कुछ सदस्यों ने कहा कि पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया वह बहुत ही निर्ममतापूर्ण की। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि जब लाठी धारी आदमी को जब हम लेट लूज कर देते हैं जब एक बार लाठी चार्ज शुरू हो जाता है तो उस समय उन लोगों में कुछ विवेक की कमी आ जाती है। यह आप लोग भी जानते हैं कि उस समय कितनी सिचुएशन टेन्स होती है। मैं पुलिस को डिफेन्ड करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। माननीय सदस्य आर. ए. सी. के जवानों की बात करते हैं अगर उस समय एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट ऑफिसर वह भी अगर उसमें शामिल होता है तो अपना विवेक खो देता है तो पुलिस का एक कॉन्सटेबल जो कि देश की सर्विसेज के अन्दर सबसे कम पढ़ा लिखा होता है वह जितना आप विवेक की उम्मीद करते हैं जितनी शालीनता की उम्मीद करते है वह उसमें लेक करता है। मैं उन लेप्सेज को अस्वीकार नहीं करता। परन्तु प्रश्न इसमें एक और भी है। प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने कर्मचारियों से समझौता के प्रयत्न नहीं किए क्या ?

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह भी स्पष्ट रूप से और गम्भीरतापूर्वक यह कहना चाहता हूं और मैं यह गम्भीरतापूर्वक इस बात को मानता भी हूं कि लाठी के बल से आन्दोलन नहीं कुचले जाते और अगर कोई यह सोचता है कि लाठी के बल से आन्दोलन कुचले जाते हैं तो गलत है। वह आन्दोलन दमन होने के बजाय दूसरा आन्दोलन खड़ा कर देगा। दूसरे आन्दोलन को जन्म देगा इसलिए मैंने जिस दिन मुख्य मन्त्री पद का चार्ज लिया उसके एक दिन बाद जब

(श्री हरिदेव जोशी)

मुझे सरकारी कर्मचारियों ने बुलाया तो मैंने वहां पर कहा कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को अपने ही परिवार का अंग मानती है। मैंने यह भी आदेश दे दिए कि ज्योंही यूनियन की तरफ से कोई डिमान्ड चार्ट आवे उसे फौरन ही अटेन्ड किया जाना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारियों की यूनियन एक महीने का नोटिस देती है तो आप इस इन्तजार में नहीं रहे कि 30 वें दिन ही उस पर विचार किया जाय। पहले ही दिन जो भी कॉम्पीटेन्ट अथोरिटी हो उसे उस डिमान्ड चार्ट को नोटिस में ले लेना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार या मान अपमान का सवाल नहीं होता। मैंने यह भी कहा कि अगर यूनियन के नेता लोग किसी भी मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं तो वह भी उनसे बात कर लें। और खुले दिमाग से बात करे। अगर वह मुख्य मन्त्री से बात करने को चाहते हैं तो वह मुख्य मन्त्री से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनका मुझमें विश्वास है अगर वो मुझमें विश्वास करके चलते हैं किसी भी समस्या को सुलझाने में तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। और मैं निश्चित रूप से हर प्रयत्न करूंगा कि संघर्ष नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि वहां पर हड़ताल हो। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसके लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जाए। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसका इफीजी जलायी जाय। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि लाठियां चलें, गोलियां चलें। लेकिन वह तो फोर्स ऑफ सरकमस्टान्सेज होता है कि एक्शन लेना पड़ता है। और जब लाठी चार्ज वगैरह होते हैं तो हमें भी बड़ा अटपटापन लगता है। हम भी पुलिस से घिरे घिरे इधर उधर निकलते हैं। हमें उस वक्त बहुत ही दुख होता है क्योंकि हमने खुद ने जुलूस निकाले हैं। भाषण दिए हैं और हजारों लोगों के सामने भाषण दिए। पर ऐसी सिचुएशन में हमें भी इधर उधर पुलिस के साथ निकलना पड़ता है। उस वक्त बहुत ही अटपटा लगता है लेकिन यह तो सरकमस्टान्सेज का फोर्स होता है वह काम करता है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब हड़ताल हुई तो मेरा जो बाहर के नेता लोग आये थे उनसे काफी साबका पड़ा। कुछ नेता लोग पंजाब से आए, कुछ नेता लोग हरियाणा से आए और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के नेता लोग आए। मेरा उन लोगों से साबका इसलिए अधिक पड़ा क्योंकि बातचीत करते करते कई बार बरकत साहब थक जाते थे तो उन सबका मेरे से साबका पड़ता था बातचीत चलती रहती। उनकी मेहमानदारी मेरे ही सर पड़ी। मैं आप लोगों को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि उन सभी नेताओं ने राजस्थान सरकार के व्यू को एप्रीसियेट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत ही उदार है। एक मध्य प्रदेश के नेता ने तो इतना तक कहा कि योर्स इज दी ऑनली स्टेट, जिसने कि यह डिक्लेयर किया कि जब भी केन्द्र अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ायेगी, राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों का डी. ए. केन्द्र के बराबर बढ़ा देगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जिसने इस प्रकार का डिसीजन लिया? क्या महाराष्ट्र ने लिया, क्या आपके वेस्ट बंगाल

(श्री हरिदेव जोशी)
ने लिया, क्या यू. पी. ने लिया, क्या बिहार ने ? उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी ही स्टेट है जिसने यह यूनिलेटरल घोषणा की जब भी सेन्टर का डी. ए. बढ़ेगा हमारे कर्मचारियों का डी. ए. भी बढ़ जायेगा। लेकिन हमने यह जो भी किया वह कम नहीं किया क्योंकि हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति कैसी है आप सभी जानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कई स्टेट्स है जिन्होंने किया है।

एक माननीय सदस्य : आपने अन्याय भी कम नहीं किया।

श्री हरिदेव जोशी : इसके बावजूद भी हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी हमने किया। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि इतने करने पर राज्य सरकार भी उनसे कुछ अपेक्षा करती है यह तो एक रेसीप्रोसिटी है जिस तरह से हीट जनरेट की जाती है उसी तरह से गुडविल भी जनरेट की जाती है।

ऐसी गुडविल दोनों तरफ से जनरेट की जानी चाहिये।

राजस्थान में कर्मचारियों की कितनी हड़तालें हुई हैं और दूसरी स्टेटों में जो हड़तालें हुई हैं उनको भी आप आंक लीजिये। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का डीलिंग स्वयं का भी इसमें रहा। एक बार ये कर्मचारी नेता जिस समय बातचीत करने को आये तो मैंने पूछा कि भाई ये दूसरी रियासतों में तो इतनी हड़तालें नहीं होती तो क्या वहां की लीडरशिप बोदी है और तुम ही ज्यादा रीजेन्ट हो या क्या बात है ? तो वे केवल हंस दिये। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार हर गुडविल को रेसपेक्ट करेगी। यह वादा है मेरा। बाकी तो बहुत छोटी चीजें हैं ये सब। मगर मैं सबसे बड़ा वादा यह देना चाहता हूं कि हमारे मन में कहीं कोई मेलिस नहीं है। कोई मेलिस नहीं है। आप को तो मालूम ही है। मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं है। परन्तु इस हड़ताल के दर्मियान मेरे अस्सी वर्ष के पिता का अपमान किया गया। मुझे स्वयं को यह बहुत बुरा लगा। मेरे पिताजी को भी बहुत बुरा लगा इसका रिएक्शन मेरे परिवार पर भी हुआ। मगर वह बहुत क्षणिक था। हम पब्लिक लाइफ में हैं तो हमको इस दौर में से गुजरना पड़ेगा। और हरेक जो पब्लिक लाइफ में आया है उसमें इतनी सहिष्णुता आनी चाहिये कि वह कड़वी चीज को दर गुजर करे।

मैं दूसरों के मुकद्दमों की बात नहीं कहता। मगर जिन लोगों ने मेरे बूढ़े पिता का अपमान किया उन पर मुकद्दमा चलाने के हक में मैं नहीं हूं। मगर मैं कर्मचारियों से भी एक अपेक्षा करके चलता हूं कि वे अगर मिल के मजदूरों की तरह से बिहेव करने लग जावेंगे तो स्थितियों में भिन्नता आवेगी।

आप राजनेताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि राज्य कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन का वह दौर, वह तरीका जिसमें लेबर एक मोनोपोलिस्ट मिल मालिक के साथ जिस ढंग से बर्ताव करता है उसमें और एक डेमोक्रेटिव सरकार के कर्मचारी अपनी सरकार के साथ किस तरह का बर्ताव

(श्री हरिदेव जोशी)
करें, इन दो के बीच में भेद करके चलना है। अगर वह भेद आप नहीं करते हैं और उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से मिल के मजदूर मिल मालिकों के साथ करते हैं तब फिर रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। हम रिलेशनशिप बिगाड़ना नहीं चाहते।

हड़ताल के साथ में एक तरीका जुड़ा हुआ है, और वह तरीका यह है सब स्वीकार करते हैं प्राइवेट टॉक में उसे कि डिमाण्ड्स एग्जाजरेटेड रखते ही हैं। और यह इसलिये करते हैं कि इनमें से पता नहीं सरकार कितनी मंजूर करेगी। इसके माने यह हैं कि डिमाण्ड अगर सौ गुना बढ़ा कर रख दी हैं तो सरकार एक को भी मान जाती है तो उसको पूरी मान ली जानी चाहिये। अब ऐसी स्थिति में तनाव निश्चित है। इधर कुआ है और उधर खाई। पर हम पेट्रोनाइज करते हैं ऑर्गेनाइज को लेकर सारी बातों को आगे पीछे सोच समझ कर। इसमें भी अगर कहीं गलतियां हो गई तो एग्रीगेट हो जाती हैं चीजें।

एक बात यह भी कही गई कि साहब जब आप डी. ए. मानने को ही थे तो पहले क्यों नहीं मान लिया ? एक बार हमने मान लिया था, आपको मालूम है 72 में स्वयं ने। और सरकार ने डिक्लेअर भी कर दिया था। इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। कहा गया कि हमको कान्फीडेन्स में लिये बगैर, लीडरशिप को कान्फीडेन्स में लिये बगैर डिक्लेअर कर दिया तो हम क्या करें। तो शासन में जो बैठते हैं उनको इन सारी चीजों का विचार करना पड़ता है। पिछली बार के मुकाबले में इस बार क्यों नहीं यूनिलेट्रली हमने डिक्लेअर नहीं किया इसलिये कि हमें महसूस हुआ कि इस बार स्ट्राइक की ग्रेट आवेगी अगर यूनिलेट्रली डिक्लेअर कर देंगे तब भी। तो सरकार को अपने विवेक को भी बाज वक्त काम में लाना होगा और विवेक को काम में लेकर कुछ फैसले करने होंगे। अब यह मार्जिन तो देना होगा उस विवेक में हमसे मामले सुलझ भी सकते हैं और उलझ भी सकते हैं।

मैं दो यूनियनें बनवाने और यह और वह, इसमें विश्वास करके नहीं चलता। मैं बेशक ट्रेण्ड में विश्वास करता हूं। इस बात में विश्वास करता हूं कि यूनियनें जो हों, वे मेरी बात मानें और मेरे विश्वास में रहें। रीजनेबल लोग हों उनमें। पर मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि उनमें तोड़ फोड़ की जावे। हमने जिन्दगी में यह नहीं किया। न लेबर में किया न स्टुडेण्ट्स में किया, और न कर्मचारियों में करना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय मन्त्री महोदय के जवाब तक बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि सदन का समय मन्त्री महोदय के जवाब तक के लिये बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मन्त्री महोदय के जवाब देने तक बढ़ा दिया गया।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को, आपको और राज

(श्री हरिदेव जोशी)

कर्मचारियों को जो उस समय भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूं कि जिन मिसक्रिएन्टस ने आगजनी, लूटपाट या इधर उधर की चीजें की हैं और जो अननेसेसरिली राज्य कर्मचारियों पर डाल दी गई हैं ऐसे कई मुकद्दमे हैं, मैं एक महीने के भीतर उन सबको स्क्रीन करके ऐसे सारे मुकद्दमों को वापिस लिवा लूंगा। इस एक महीने के भीतर इस प्रकार का कोई केस चालान नहीं किया जावेगा दूसरे प्रकार के केसेज, दूसरे प्रकार की चीजें और दूसरे प्रकार की बातें, आप मुझसे सहमत होंगे कि राज सरकार को राज्य कर्मचारियों के साथ बात करके तै करनी चाहिये, मैं वह अपोर्चुनिटी लूंगा कि मैं राज्य कर्मचारियों के नेताओं से सीधी बात करूं और सीधी बात करके एक नतीजे पर राज्य सरकार पहुंचे और निर्णय ले ॥ उसमें उनकी जो डिमान्डस हैं वे भी हैं, आपने यहां जो मुद्दे उठाये हैं वे भी हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपनी ओर से मैं आज फिर से एक गुडविल क्रियेट करने की कोशिश कर रहा हूं और उनसे भी यह अपेक्षा करके चलता हूं कि वे इसको रेस्टोर करें।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी !

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के भाषण के बाद मेरे लिये बोलना कोई जरूरी तो नहीं रहा लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे इस बहस के दौरान उठाये गये हैं, मैं समझता हूं मुझे उसके बारे में थोड़ा कहना चाहिये।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह फरमाया कि हिन्दुस्तान की बहुत सी स्टेट्स में हम उन 2-3 स्टेट्स में हैं जिन्होंने अपने डी. ए. को भारत सरकार के साथ लिन्क किया है और ज्यों ज्यों भारत सरकार का डी. ए. बढ़ता है, हम भी अपने यहां का डी. ए. बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब जिनके नॉन-प्लान बजट में गैप नहीं है और जो सरप्लस स्टेट्स हैं और हम जिनके नॉन-प्लान बजट में इस साल 33 करोड़ का घाटा है, उसके बावजूद भी इस निर्णय पर टिके रहे। यह आप जानते हैं और खासतौर से समाजवादी नेता जेल में मिलने के लिये कर्मचारी नेताओं के पास गये थे। क्या वे इस बात को मनाकर आ सके थे कि जो डी. ए. की वाजिब मांग है इस घाटे के बावजूद देना चाहते हैं, वे लेकर राजी हो जाते और अगर राजी हो जाते तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बात को बता देना चाहता हूं कि हड़ताल के एक दिन पहले मेरे दस्तखत से शायद मुख्य मन्त्री जी के पास कागज चला गया था कि जो डी. ए. भारत सरकार ने दिया है वह हमारा भी कमिटमेंट है, हमें उसको दे देना चाहिये लेकिन उस मन्त्रिमण्डल में मैं नहीं था लेकिन युनिलेट्रल निर्णय हुआ था और उस समय राज्य कर्मचारियों ने यह कहा था कि युनिलेट्रल अनाउन्समेंट किया है और इसमें हमारी साख कम हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और दोहराना चाहता हूं। यह मांग केवल मांगों की नहीं है लीडरशिप की भी है। उस लीडरशिप में क्या क्या है, उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहूंगा लेकिन हो सकता है उस लीडरशिप में पॉलिटिकल चीजें भी रही हों, लेकिन मैं इतना कहना चाहता

(श्री चन्दनमल बैद)

है राज्य कर्मचारियों के साथ हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होने के बावजूद सहयोग का रुख अपनाया। मैंने उस समय भी कहा था और आज भी विस्तार से नहीं कहूंगा। उनकी सारी मांगें मान ली जाती तो 26 करोड़ का रेकरिंग और साढ़े बारह करोड़ का नॉन-रेकरिंग खर्चा इस सरकार पर पड़ता है। 26 करोड़ का यह अधिक बोझा और 33 करोड़ का घाटा दोनों मिलाकर करीब 60 करोड़ होता है। उस 26 करोड़ की पूर्ति में से जो आप यह भी मान लें कि 33 करोड़ का तो मैं नहीं कहता लेकिन क्या 26 करोड़ का जो बोझा होगा उसको क्या राजस्थान सरकार सम्भाल सकती है ?

पहले जो डी. ए. हमने दिया है और दूसरा डी. ए. जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने डिक्लेयर करके दिया है वही भारी पड़ रहा है और जैसा 26 करोड़ आप चाहते हैं, आप भी पीछे पड़े, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी पीछे पड़े लेकिन अगर इतना सरल काम होता तो......

श्री रामानन्द अग्रवाल : 26 करोड़ का न तो उनकी तरफ से आग्रह था। छोटे मोटे मुद्दों को मान लेने से इतना भार नहीं पड़ता था।

श्री चन्दनमल बैद : दूसरी बात छोटी मोटी जो आप कहते हैं साढ़े दस करोड़ जो इन्टेरिम रीलिफ है जो सारा का सारा है और भारत सरकार ने दिया है और डी. ए. के साथ जो पे का भी एलीमेंट है वह सन् 70 से दिया जाय, उस दिन से दिया जाय तो साढ़े दस करोड़ होता था। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि सारी बातों का आग्रह नहीं था तो साढ़े दस करोड़ का इन्तजाम भी इस घाटे की सरकार को वहन करने की स्थिति में नहीं है, जो घाटे में चल रही है। और आज एक एक छोटे छोटे कामों के लिये हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मजबूरी की वजह से कोई नहीं चाहता। कर्मचारी लोग रोज हमारे साथ ही तो काम करते हैं। स्टेनों को हम रोज डिक्टेशन देते हैं, चपरासी रोज हमारी सेवायें करता है, क्लर्क जो हमारे सामने रात दिन खड़ा रहता है उन सबके साथ हमारी हमदर्दी है और वे ही लोग हमारे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगायें। लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां हैं।

जैसा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जो आते हैं वे चले जाते हैं लेकिन जो कर्त्तव्य की पालना करते हैं उनको लोग याद करते हैं लेकिन जो छिप जाते हैं और जनता का अहित करते हैं उनको लोग बुरी नजर से देखते हैं इसलिये हमारा कर्त्तव्य था कि हम राजस्थान की जनता को यह बतायें कि अगर ये मांगें मान लेते हैं तो 26 करोड़ का अधिक भार राज्य कोष पर पड़ता है और राजस्थान की जनता हमारा मार्ग-दर्शन करे और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आमतौर से राजस्थान की जनता ने कर्मचारियों का साथ नहीं दिया। मैं कहता हूं कि सरकार इतनी मजबूत नहीं थी और हर गांव में और हर तहसील में, हर शहर में, पुलिस नहीं भेज सकती थी। आर. ए. सी. का हर तहसील हैडक्वार्टर पर भी इन्तजाम नहीं हो सकता था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

(मंत्री महोदय और मा. सदस्य दोनों एक साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार का ऑफिसियल रुख कौनसा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अप्रोच जाहिर की वह है या अब जो वित्त मंत्री जी अप्रोच कर रहे हैं वह है, दोनों एन्टायरली डिफरेन्ट हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोई डिफरेन्ट नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण बहुत ही शान्तिपूर्वक सुना। मैंने उनके भाषण के समय बड़ा धैर्य रखा। उन्होंने मेरी इमेज के बारे में बहुत सी बातें कही और मैं एक मिनिट के लिये भी खड़ा नहीं हुआ। मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कही हैं वही कह रहा हूं। हमारा रुख कर्मचारियों के साथ है लेकिन हमारे हाथ पांव बन्धे हैं कि हम ढाई करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और हम केवल ढाई लाख की सुविधाओं का ही ख्याल नहीं रख सकते हैं। जिन ढाई करोड़ जनता ने हमें चुन कर भेजा है उनके लिये भी हमारी जिम्मेदारी है। उनकी बातों को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है मैं समझता हूं ऐसा करके हमने अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन किया है। उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हुये भी हमें ढाई करोड़ की जनता का ध्यान रखना होगा। मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा जब कर्मचारियों ने हड़ताल की तब हमारा फेमिन रीलीफ का काम चल रहा था। वर्षा हो गई जुलाई के फर्स्ट वीक में। बीज के वितरण का काम, खाद के वितरण का काम करना था। किसान और मजदूर पेमेन्ट के लिये परेशान हुये। उनके लिये आपने भूख हड़ताल नहीं की वे भी आपके प्रतिनिधि हैं लेकिन वे आपके ख्याल में नहीं आये। आपको याद है ढाई लाख आदमी या कुछ हजार आदमी जो आपके इर्द गिर्द घूमते थे। तो माननीय नेता महोदय जो अलवर से पधारते हैं और जो जनसंघ के नेता महोदय, जो कि जोधपुर से पधारते हैं उन्होंने कुछ पढ़ कर सुनाया कि विपक्षी पार्टियों ने क्या किया। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि वह कहां तक सही है और कहां तक गलत है, इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता और फिर मैं क्यों जाऊं? मुझे जरूरत क्या है? हमें जो हमारा आला कमान हमको क्या निर्देश देते हैं और उन निर्देशों का पालन हम राजस्थान में करते हैं या नहीं करते हैं, आपका काम यह देखना है। आपको सरकार हमारी मदद से चल रही है, आपकी सरकार हमारी मदद से केरल में चल रही है वह क्या कर रही है यह हमको देखना है। आपने मेरी इमेज की बात कही है कि आप मेरी इमेज देखना चाहते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इमेज तो हमें आपकी देखनी है। हम आपकी मर्जी से नहीं आए हैं, आप हमारी मर्जी से आए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो अब आए हैं, मैं तो अलवर से तीसरी बार आया हूं। सन् 62 से रहा हूं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज आपने बहुत बढ़िया बात कही है बैदजी।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने एक घण्टे तक आपका भाषण बड़े सन्तोष से सुना है। मैं चाहूंगा कि मैंने जो धैर्य का परिचय दिया है। आपने अभी कहा है कि मुझे ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मौजू सलाह देता हूं, आयन्दा भूल मत करना।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी और गिरधारीलाल जी की एक राय हो गई है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपसे इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि आपने जो मेरे लिए यह कहा कि मेरी गुस्सैली-वृत्ति है। मेरे पास जो आते हैं वे मुझसे नाराज होकर जाते हैं। कम से कम आपकी नसीहत को मानकर मैंने बड़े धैर्य और नम्रता के साथ जो आपने घण्टे भर तक वक्तव्य दिया मेरे विरुद्ध, वह मैंने सुना तो मुझे जो नसीहत आपने दी है मेहरबानी करके पन्द्रह बीस मिनिट के लिए अपने पर भी उसको लागू कर लें तो अच्छा रहेगा। मैं समझूंगा कि आप जो नसीहत देते हैं उसका खुद भी पालन करते हैं तो मुझे भी इस बात का उत्साह मिलेगा, मुझमें ताकत आएगी कि जो नसीहत आप दे रहे हैं उसका खुद भी पालन करते हैं, तो मैं भी आपकी नसीहत का पालन करूं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कुछ अध्यापकों के तबादलों को लेकर के काफी चर्चा हुई। एक पत्र भी पढ़कर सुनाया गया और काफी बातें कही गई। मैं तो एक ही बात अर्ज करना चाहूंगा कि सारे जिलों में विजिलेंस कमेटियां बनाई गई। उस विजिलेंस कमेटी में इस सदन के दो एम.एल.एज. हैं जिनको सरकार ने अपोइन्ट नहीं किया, हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया है। उस विजिलेंस कमेटी जोधपुर ने मई के महीने में जबकि आन्दोलन की शुरुआत ही नहीं हुई थी, यह प्रस्ताव पास किया कि दस साल से ज्यादा के अध्यापक जो जोधपुर में हैं उनका बाहर ट्रान्सफर कर दिया जावे। वह प्रस्ताव हमारे पास आया। मुख्य मन्त्री जी श्री बरकतुल्ला साहब के पास आया और उस पर उन्होंने यह लिखा कि यह रीजनेबल मालूम पड़ता है, इसका पालन करने में दिक्कत नहीं हो तो पालन किया जाय। उस प्रस्ताव का पालन करने की अनुमति हमने डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन, जोधपुर को दी। उसमें महिलाओं का अपवाद नहीं था। उस समय हमने यह सोचा, उसी समय चित्तौड़ में शिक्षक संघ की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन हुआ था उन्होंने भी इसी प्रकार का प्रस्ताव पास किया कि हम लोगों को भी शहरों में रहने का मौका मिले, जो दूर दराज गांवों में रहते हैं उनको भी शहर के पास आने का मौका मिले, वे भी अपनी दवा दारू करवा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज और इन्जिनियरिंग कॉलेज में पढ़ा लिखा

(श्री चन्दनमल बैद)

सकें, जो सुविधाएं दूसरे लोगों को मिल रही हैं वर्षों से वे उनको भी मिल सकें और इस दृष्टि से उन्होंने भी एक प्रस्ताव पास किया इस तरह का। हमने सोचा कि जो कानून जोधपुर में लागू किया जाय, जो नियम जोधपुर में लागू किए जाएं उनको बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में और कोटा में भी लागू करके देखा जाय। मैं तो यह सोचता था कि आप लोग इस बात की तारीफ करेंगे और तारीफ करते कि बिना किसी भेदभाव के कि कौन आदमी हड़ताल पर था और कौन नहीं था, इस नियम का सख्ती से पालन किया गया। मैं तो यह भी सोचता था कि आप मुझे आकर के यह कहेंगे कि छः शहरों में ही इस नियम का पालन क्यों करते हैं, मेहरबानी करके इसका पालन और शहरों में भी करा दें तो मुझे उत्साह मिलता। आखिर जो लोग एक एक जगह पर दस दस और पन्द्रह 2 साल से बैठे हुए हैं तो यह उनकी जागीर तो नहीं बन गई है। दूसरे लोग जो वर्षों से गांवों में बैठे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। आखिर एक जगह बैठने से तो पानी भी गन्दा हो जाता है....

श्री केसरी मल : फिर सभी सरकारी कर्मचारियों का कर दिया होता।

श्री चन्दनमल बैद : पन्द्रह सौ मिडिल स्कूल इस साल खुले थे। पन्द्रह सौ मिडिल स्कूल खोलने में इस विधान सभा के सारे माननीय सदस्यों का हाथ रहा है। एक भी मिडिल स्कूल शिक्षा मंत्री ने नहीं खोला। उन पन्द्रह सौ मिडिल स्कूलों में से तेरह सौ स्कूल गांवों में खोले गए। अच्छे अच्छे गांवों में तो पहले ही मिडिल स्कूल खुल चुके थे तो स्वाभाविक था कि वह बहुत दूर के गांवों में जहां सड़कें नहीं थीं और सुख सुविधाएं नहीं थीं वहां पर स्कूल खोले गए। जब मिडिल स्कूल नए खोले गये तो वहां पर हैड मास्टर भी भेजने ही थे। वह हैड मास्टर कोई नया व्यक्ति नहीं भेजा जा सकता था, जो सैकंड ग्रेड टीचर हैं, जिनका चार पांच साल का अनुभव होता, उनको ही भेजना था। जो नए स्कूल खोले गए उनमें, उन तेरह सौ स्कूलों में जो गांवों में खोले गए, उनमें आखिर हैड मास्टर तो भेजने ही थे। अगर हैड मास्टर नहीं पहुंचते कि भले ही स्कूल आपने खोले हों, ओलम्बा तो मुझे ही मिलता कि हैड मास्टर नहीं भेजा गया।

इसके बाद साठ हजार टीचर्स हैं उनमें से कइयों की पदोन्नति होती है कुछ रिटायर होते हैं तो इन साठ हजार में से अगर दस परसेंट भी इसमें ले लें तो भी हर साल छः हजार के ट्रांसफर तो यों ही होते हैं। आप कहते हैं कि ये ट्रांसफर जुलाई में होते। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हड़ताल जुलाई से शुरू हो गई और 15 अगस्त तक चली तो इस बीच में कैसे ट्रांसफर होते।

श्री लक्ष्मणसिंह : एक एक दुशाले में लपेट कर कह रहे हो।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इसको अपनी जिन्दगी का सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट समझूंगा क्योंकि जो हमारे बेस्ट पार्लियामेंट्रियन हैं उन्होंने यह कम्प्लीमेंट मुझे दिया है।

Page No. 149

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के कम्प्लीमेंट मिल गए हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे तबादलों में जो 15 अगस्त के बाद शुरू हुए उनमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी और न ही कोई विक्टीमाइजेशन किया गया। अगर विक्टीमाइजेशन के कारण से किया गया होता तो उन अध्यापकों के तबादले क्यों होते जो सरकार के प्रति लॉयल रहे हैं, जिन्होंने स्कूल चलाए, हाई स्कूल और हायर सैकेण्ड्री स्कूल में पढ़ाने का कार्य किया उनके तबादले क्यों हुए। अगर इन छः शहरों में एक भी ऐसा केस बता दें कि जो हड़ताल में गये या नहीं किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो तो मैं उनको रेक्टीफाई करने को तैयार हूं। जब शिक्षक संघ का डेपुटेशन मुझसे मिला और इन शहरों में जो नियम बनाए गए हैं उनके बारे में मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि इनका सख्ती से पालन किया जाएगा और इसमें जितने भी ट्रांसफर हुए हैं वह चाहे मेरी नीति और आदेश के कारण हुए हों लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने किए हैं, सैकिंड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन ने किए हैं और सीनियर टीचर्स और हैड मास्टर्स के ट्रांसफर डायरेक्टर साहब ने खुद ने किए हैं और वे ही करते हैं। अगर इन ट्रांसफर्स के बारे में आपको कोई भी शिकायत हो कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप मेरे पास केस लाइये मैं हर इण्डीजुअल और पर्टीक्यूलर केस पर ध्यान दूंगा। उस दिन का दिन है, आज तक कोई शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मेरे पास नहीं आया है और न ही कोई इस प्रकार का केस मेरे सामने लाया गया है सिवाय एक केस के जो सवाई माधोपुर के एक लेटर को छोड़ कर, आज तक मेरे पास कोई इण्डीजुअल और पर्टीक्यूलर केस नहीं आया। अगर शिक्षक संघ का डेपुटेशन शिक्षा मंत्री से मिले और शिक्षा मंत्री यह कहें कि मैं इण्डीजुअल केस देखने को तैयार हूं और आप मेरे पास केस भेजिए और फिर एक दिन भी आकर कोई मुझसे मिले नहीं, कोई मेरे पास केस लावे नहीं तो मैं फिर क्या कर सकता हूं।

अभी उस एक पत्र का जिक्र किया गया जो आपने बहुत खूबी के साथ दिखलाया, मुझे मालूम नहीं कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं कि मेरी आदत नहीं है कि इंस्पेक्टर्स से बात करूं और मैं बात करता भी नहीं हूं। एक बात और कह देना चाहता हूं आपसे कि छः जून के बाद में चूरू जिले में केवल चार अक्टूबर को गया हूं। 6 जून के बाद 4 अक्टूबर को चूरू गया हूं। इसके बीच में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स मुझसे मिले नहीं, मैंने उनको यहां बुलाया नहीं। मैंने उनको कोई पत्र लिखा नहीं और मेरा टेलीफोन का जो बिल है उसको आप एग्जामिन करवा लीजिए केवल जुलाई के पहले सप्ताह में एक फोन इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, चूरू को हुआ है क्योंकि एक भंगी जाति का क्लर्क जिसका ट्रांसफर वहां के लेवल से एक गांव में हो गया था और उसने मुझे आकर यह कहा कि मुझे चूरू जिले में किसी जगह पर भिजवा दीजिए जहां पर कि मेहतरों की बस्ती हो ताकि मुझे रहने को जगह मिल

Page No. 150

(श्री चन्दनमल वैद)

जाय तो मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेट्री को कहा था कि चूरू जिले में ग्यारह म्यूनिसिपैलिटिज हैं जिनमें मेहतर रहते हैं उनमें से किसी भी जगह इस मेहतर को भेज दें ताकि कम से कम रहने को जगह मिल जाय इसके अलावा कोई टेलीफोन से बात नहीं हुई है। अब लेटर किसका है, क्या लिखा गया है, इसके इतिहास को मैं नहीं बता सकता हूँ। लेटर आपके पास है मेरे पास नहीं है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार की यह नीति है कि हम एक परिवार के सदस्य की तरह कर्मचारियों के साथ रहें। कर्मचारी जो नीचे से फाइल चलाता है वह हमारी, सरकार की सारी स्थिति को जानता है, उनको भी हमारी स्थिति का ज्ञान है। केवल वित्त मन्त्री ही राज्य की आर्थिक स्थिति के लिये बावला होता रहे तो काम चलने वाला नहीं है। उसमें तो आप सब को हिस्सा बंटाना पड़ेगा, और राजस्थान के कर्मचारियों और जनता को भी हिस्सा बंटाना पड़ेगा तभी राज्य का काम चल सकता है। हमने सहयोग का हाथ बढ़ाया है। परिवार के सदस्य की तरह हम उनसे बात करेंगे और आप अपने पोलिटिकल मोटिव को पूरा करने के लिये इसमें कुछ न कुछ रंग देना चाहते हैं यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। इस वास्ते परिवार के सदस्य की तरह हमें रहना चाहिये। उनसे हमको बात करने दीजिये और मुख्य मन्त्री अपने लेविल पर—रामचन्द्र कमेटी के लेविल पर ही नहीं, बात चीत कर समस्या को सुलझाना चाहते हैं। इससे बढ़िया और सुन्दर और क्या बात हो सकती है। कर्मचारियों को सरकार के साथ सहयोग का हाथ बढ़ाना चाहिए और सरकार के सामने जो जनता की समस्याएं हैं उनको हल करने में सहयोग करना चाहिये। महासंघ के लोगों ने मेरे से बात की थी मैंने उनसे एक ही बात कही थी—चाहे मन्त्री हो चाहे एम. एल. ए. हो, राज्य के प्रति हम सब का एक ही कर्त्तव्य है और वह है राजस्थान की जनता की सेवा करना। अगर हम इसमें ठीक से अंजाम दे सकते हैं तो आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे लेकिन सेवा से विमुख होते ही लोग न आपको चाहेंगे और न हमको चाहेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहयोग के साथ, प्रेम के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। इस एक सूत्र को हम सबको ध्यान में रखना है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 7 नवम्बर, 1973 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 7 बज कर 23 मिनिट पर बुधवार, दिनांक 7 नवम्बर, 1973 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।)

———

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

सहायक रजिस्ट्रार पाली के विरुद्ध शिकायतें

156. श्री सुखलाल संणचा (जैतारण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

श्री मांगीलाल शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली को उनके द्वारा सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक में सचिव के पद पर कार्य करने के दौरान की गई अनियमितताओं, बैंक की राशि का दुरुपयोग करने के मामलों एवं रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा, उक्त बैंक के किये गये निरीक्षण के दौरान उठाये गये आक्षेपों के आधार पर कोई आरोप-पत्र भी दिया गया है? यदि हां, तो राज्य सरकार एवं सहकारी विभाग द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी नहीं, उनसे ऐसी अनियमितताओं के बारे में उत्तर मांगा गया है।

टोडुपुरा एवं ग्रामड़ा मीणा में बिजली

157. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रीठोली, ग्राम टोडुपुरा एवं ग्रामड़ा मीणा से केवल एक मील दूर के फासले पर है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम रीठोली में बिजली पहुंच चुकी है ? यदि हां तो ग्राम पंचायत टोडुपुरा एवं ग्राम पंचायत ग्रामड़ा मीणा को बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ? और अब इन गांवों में कब तक बिजली दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ग्राम रिठोली दिनांक 26-1-70 को विद्युतकृत हो चुका है। ग्राम टोडुपुरा एवं ग्राम ग्रामड़ा मीणा विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत नहीं हुए हैं। इन गांवों में बिजली कब तक पहुँचेगी इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

राज्य में प्रति व्यक्ति आय

158. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी): क्या मंत्री सांख्यिकी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी आंकी गई थी और कितनी उपलब्धि का अनुमान है ?

(2) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि जिन आधारों पर केन्द्रीय सरकार प्रति व्यक्ति, व्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाती है उन आधारों पर यदि राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

का हिसाब किया जाये तो यह बहुत कम आती है और केन्द्र और राज्य के बीच का अन्तर कम होता नहीं दिखाई देता ?

(3) इन्हीं आधारों पर भारत के अन्य राज्यों में जो आय का निर्धारण किया गया है उसमें राजस्थान का कौनसा स्थान है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति औसत आय का सर्वेक्षण कराया था ? यदि हां, तो जिलेवार प्रति व्यक्ति औसतन आय ग्रामीण क्षेत्रों की बताने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि कुछ जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई थी ? यदि हां, तो शेष जिलों की रिपोर्ट्स क्यों नहीं तैयार कराई गई ?

उत्तर

(1) राज्य में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति औसत आय का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। चतुर्थ योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय 600 रुपये होने का अनुमान है।

(2) राज्य सरकार ने ऐसा प्रयास नहीं किया है, क्योंकि राज्य सरकार एवं केन्दीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा इस कार्य हेतु उपयोग में लाये गये समंक भिन्न है तथा तुलनीय नहीं है।

(3) राज्यवार तुलनीय प्रति व्यक्ति आय के समंक उपलब्ध नहीं हैं, अतः भारत के राज्यों में राजस्थान का कौनसा स्थान है सही रूप में आंका जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत आय का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(5) मद 4 का उत्तर नकारात्मक है, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों की देख भाल के लिए कमेटियों का गठन

159. श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी अस्पतालों की देखभाल के लिये जो कमेटियां बनाई गई थीं उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ?

(2) क्या सरकार उन कमेटियों को अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो उन कमेटियों का क्या उपयोग है ? यदि हां, तो वे अधिकार किस प्रकार के होंगे ?

(3) क्या यह सत्य है कि इन कमेटियों की बहुत कम बैठकें हुई है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार किसी गैर सरकारी व्यक्ति को उन कमेटियों का कन्वीनर नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जो इन कमेटियों के दायित्व एवं अधिकार हैं, वह राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ. 11 (I) एम. पी. एव.

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री) 54/ग्रु-2, दिनांक 30-1-70 में अंकित है · जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) कमेटियों की मीटिंग जिलाधीश/प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जाती है।

(4) जी नहीं।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
JAIPUR

No. F. 11 (1) M.H./54/ Gr. II, Jaipur the 30th Jan., 1970

Sub:—Scheme for Constitution of Hospital Committees.

During the last three years there has been considerable increase in the number of Hospitals and Dispensaries opened in Rajasthan. Bed strength and Medical facilities have increased. As a result, the expenditure incurred by the State to run these Hospitals and Dispensaries has also increased proportionately. Despite attempts being made by the Government to provide funds to the Hospitals and Dispensaries to meet the requirements of Drugs, Medicines and equipments, it has been observed that due to constraint of resources, the entire needs of the Hospitals and Dispensaries could not be fulfilled.

2. It is now felt that efforts should be made to raise funds voluntarily from the Public so as to augment the resources for meeting the growing demand of the Public. The funds collected as a result of such voluntary efforts may be of great help in providing better facilities and patient care at the Hospitals.

3. It is also considered desirable that the Hospital Administration should receive co-operation and advice from the enlightened representatives of the Society. The

Government has, therefore, decided to constitute Hospital Committees for every Hospital which admits indoor patients.

4. The main object of the Hospital Committee would be to collect donations for the Hospital fund to be utilised for meeting the facilities, in that Hospital. The funds will be collected through donations, film shows, charity functions and other methods. The other objective of the Hospital Committee will be to advise the Hospital authorities in matters relating to treatment, patient-care, provision of better facilities and attention to the patients. Matters relating to improvement of the diet of patients and behaviour of the Hospital staff with the Public disposal of complaints alleging improper treatment given to the patients and such other affairs would be the concern of the Hospital Committee. However the Committee would have nothting to do with the day to day Hospital Administration.

5. The Hospital Committee will administer the Hospital fund. It would evolve its own procedure for collecting funds, operating the funds and ensuring maintenance of correct accounts of this fund. The Collector would be the Chairman and the Medical Officer Incharge of the Hospital would be its convener. In Jaipur separate Committees will be formed for S.M.S. Hospital, Zenana Hospital, T.B. Sanatorium and Mental Hospital. The Chairman of the Committee at Jaipur would be the Principal of S.M.S. Medical College and the Superintendent of the Hospital concerned would be its convener. Committees on the same pattern as in Jaipur would be formed at Jodhpur, Bikaner Udaipur and Ajmer.

6. Besides these two official-members, the Hospital Committee would consist of the following:—

(1) Two representatives of the people from that District, to be nominated by the Government out of

the M.L. As., Pramukh and Pradhans, Chairman of Municipalities of that area.

(2) Three representatives from the Industrial & Commercial interests of the District, such as, Industrialists, Jewellers, prominent business-men etc.

(The names of these representatives would be suggested by the Collector in consultation with the Medical Officer Incharge of the Hospital concerned except that for the Committees at Jaipur, Ajmer, Udaipur, Bikaner and Jodhpur the names would be suggested by the Principal of the Medical College in consultation with the Superintendent of the Hospital concerned).

(3) Two persons out of the social workers of preminence of that area.

The recommendations should be sent to the Government in the Medical and Public Health Department within one month of the issue of this Government order.

This Committee will be authorised to Co-opt some members as and when necessary for Collections to be made for some specific projects. The number of such Co-opted members for such specific projects would be decided by the Committee, and they will be co-opted to advise and assist the Committee in such matters.

7. The Committee will not utilise the funds for creating any post or any facilities in the Hospital which would impose an additional financial liability on the State Government except with the previous sanction of the Government.

8. The Committee should be permitted to keep the cash balance of the fund invested in Government securities, Small Savings, Units Trust of India and in Fixed Deposit,

savings accounts or current accounts of any of the Nationalised Banks or District Co-operative Banks and where such banks are not available in any non-nationalised scheduled Banks.

9. Accounts should be audited annually by the Examiner, Local Fund Audit and audit charges to meet the cost of audit should be borne by the Committee from the Hospital fund.

10. The funds of this Committee should not be utilised for any construction valued at more than Rs. 5,000/-except with the previous sanction of the Government. It should also not be utilised for creating any post except with the previous sanction of the Government or for giving any remunration to any Government servant or non-official member, except that where the work does not justify appointment of whole-time staff. Government servants may be permitted by appointing authorities to do part-time work as follows:—

(1) Office Superintendent, Stenographer, Accountant or Assistant: Rs. 25/-P.M.

(2) U.D.C./L.D.C. Rs 10/-P.M.

This will be considered as fee under R.S.R. separate orders regarding exemption from depositing 1/3rd of this fee with the Government are being issued.

11. This fund should also not be utilised for purchase of costly equipments, vehicles, installation of telephones etc. valued at over Rs. 5,000/-without prior sanction of the Government.

12. Action to permit Government servants for participating in measures to raise funds for these Committees is being taken up separately and necessary orders willbe issued by the Appointments Department.

13. The fund collected by the Hospital Committee is, mainly, to be used to help patients in matters of Drugs, Food, bedding and clothes etc.

14. The term of the non-official members of the Committee will be 3 years after which fresh nominations will be made by the Government. Government may also re-nominate any member if deemed necessary.

Sd/-
(J.S. Mehta)
Secretary to the Government.

Copies forwarded to:—

1. All Collectors.
2. All Principals of Medical Colleges, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Ajmer and Bikaner, with the request kindly to suggest the names of the representatives as specified at items (1), (2) & (3) of paragraph 6 above in consultation with the Medical Officers Incharge of the Hospitals *Urgently*. Your recommendations in this respect should be sent to this Department within one month of the issue of this order.
3. Director, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.
4. Superintendent:—
   - (a) S.M.S. Hospital, Jaipur.
   - (b) Zenana Hospital, Jaipur.
   - (c) T.B. Sanatorium, Jaipur.
   - (d) Mental Hospital, Jaipur.

5. Superintendent, Associated Group of Hospitals, Jodhpur, Udaipur, Ajmer & Bikaner.

6. All D M. & H. Os.

7. All P.M. Os/C.M. Os. I/C of Hospitals & P.H.Cs. for information and necessary action.

Assistant Secretary to Government.

बैराठ तहसील के गिरदावरों एवं पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें

160. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बैराठ तहसील में नियुक्त गिरदावर एवं पटवारियों के विरुद्ध अनेकों शिकायतें सरकार एवं विभाग के पास पेंडिंग हैं? यदि हां, तो किस किस कर्मचारी की ओर कब से?

(2) क्या सरकार द्वारा इन शिकायतों के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बैराठ तहसील के 11 गिरदावर व पटवारियान के विरुद्ध शिकायतें विचाराधीन हैं। सूची संलग्न है (अ)।

(2) बैराठ तहसील के गिरदावर व पटवारियों के विरुद्ध प्राप्त 12 शिकायतों में से 1 शिकायत पर निर्णय लिया जा चुका है जो संलग्न सूची (ब) में अंकित है।

सूची पेंन्डिग केसेज (अ)

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पेंन्डिग कब से हैं सन्
1.	श्री रामकरण पटवारी	1971
2.	श्री बाबूलाल शर्मा पटवारी	1971
3.	श्री सूरजमल शर्मा पटवारी	1971
4.	श्री भंवरलाल गिरदावर, तहसील बैराठ	1971
5.	श्री भंवरलाल शर्मा व श्री चिरन्जीलाल कानूनगोयान	1972
6.	पटवारी हल्का कस्बा बैराठ	1972
7.	चिरन्जीलाल गिरदावर, बैराठ	1973
8.	श्री गेंदालाल पटवारी, तहसील बैराठ	1973
9.	श्री मोहनलाल पटवारी	1971
10.	श्री राधेश्याम पटवारी	1971
11.	श्री शिवदयाल पटवारी	1970

Page No. 159

सूची निर्णीत केसेज (ब)

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	
1.	श्री कालूराम पटवारी	न्यायालय से बरी होने पर पटवारी को पुन: नियुक्त किया।

जालौर जिले में वर्षा व बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कें

161. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जालौर जिले में वर्षा एवं बाढ़ के कारण सड़कें, पुल व पुलियाएं सभी नष्ट हो गए हैं जिससे आवागमन बिल्कुल ही रुक गया है ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत कब तक करादी जायगी ?

उत्तर

कुछ पुल व सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे आवागमन में कठिनाई है। यातायात सुविधा हेतु कच्चे मार्ग बनाये गये हैं।

सहायता विभाग से धनराशि उपलब्ध होने पर मरम्मत कार्य आरम्भ हो सकेगा।

जयपुर शहर की गृह निर्माण सहकारी समितियों को कृषि भूमि

162. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोलज, यपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की संख्या कितनी है और इनके पास कुल कितनी वर्ग गज जमीन आवादी और कृषि भूमि है तथा उनके कितने-कितने शेयर होल्डर्स हैं ?

(2) क्या सरकार ने उक्त सोसाइटीज के पास जो कृषि भूमि है उसको आवादी में परिवर्तित करने के लिए कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो इन समितियों का पंजीकरण किस आधार पर हुआ और क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 159 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं ? इनमें से 78 समितियों के पास 55,44,940 वर्ग गज भूमि है, जिसमें 7,75,940 आवादी व 47,69,000 वर्ग गज कृषि भूमि है जिनको शेयर होल्डर्स को संख्या 19,256 है।

(2) कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के लिये नीति निर्धारित करने का विषय राजस्व विभाग से संबंधित है। 1970 से पूर्व ऐसी समितियां केवल भूमि उपलब्ध होने की संभावना के आधार पर ही पंजीकृत की गई। नियमों में आबादी भूमि का प्रावधान नहीं है।

कोटपूतली तहसील के ग्रामों में कस्टोडियन विभाग की भूमि

153. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) । क्या सहायता एवं पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील के ग्राम दादुका, पेजुका, अजोतपुरा, महरूमपुरा नवाब भालोजी की काश्त की जमीन कस्टोडियन विभाग की मानी जाकर काश्तकारान से मुआवजा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या कस्टोडियन विभाग को ऐसा अधिकार है ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों के काश्तकार आजादी के समय व उस से भी पूर्व से उपरोक्त ग्रामों की जमीन काश्त करते चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त काश्तकारान से नियम के अनुसार मुआवजा वसूल नहीं किया जाना चाहिये ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त काश्तकारान को कानूनी खातेदारी हक हासिल हो चुके हैं ? यदि नहीं तो सरकार कब तक खातेदारी हकूक के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, मुआवजा वसूल न करने का कोई नियम राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है ।

(3) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

ए. टी. आई. के पदों पर नियुक्तियां

164. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में ए. टी. आई. की लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि लिस्ट प्रकाशित होने के पूर्व ही ए. टी. आई. के पदों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि चयन किये गये व्यक्तियों को टेलीफोन के द्वारा ही जोइन एवं मुक्त करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को ए. टी. आई. के लिये चुना गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भी सही है कि ए. टी. आई. के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को भी चुना गया है जिनकी सी. आर. खराब थी तथा जिनका ग्रेड इन्क्रिमेन्ट भी रोक रखा था ?

(5) क्या ए. टी. आई. के पदों पर चुने हुए व्यक्तियों में अनुसूचित जाति या जन जाति के भी व्यक्ति चुने गये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां ।

(यातायात मंत्री)

(3) लिखित आदेश प्रसारित किये जाने के पश्चात ही टेलीफोन पर आदेश दिये गये थे। उस समय छुट्टियां होने के कारण आदेशों की पालना में विलम्ब न हो, अतः टेलीफोन पर भी आदेश देना आवश्यक था। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। क्योंकि कोई अनुसूचित जाति / जन जाति का कर्मचारी परीक्षा में सफल नहीं हुआ।

List of the selected employees for the post of Asstt. Traffic Inspector.

1. Shri H.S. Gandhi ASSI, Central Workshop.
2. Shri N. K. Maharishi, LDC, Alwar Depot.
3. Shri S. K. Sharma, LDC, CTS Depot, Jaipur.
4. Shri Subhkaran Aada, LDC, Jaipur Depot.
5. Shri K. K. Nagpal, LDC, Shriganganagar.
6. Shri K. K. Waswani, LDC, RM Office, Jaipur.
7. Shri A. C. Sharma, Booking Clerk, Alwar Depot.
8. Shri P. S. Rajawat, Booking Clerk, Jaipur Depot.
9. Shri T. C. Verma, A/c Clerk, Alwar Depot.
10. Shri S. N. Pareek, LDC, Alwar Depot.
11. Shri P. D. Sharma, LDC, Ajmer Depot.
12. Shri N. C. Sachedeva, LDC, Shriganganagar.
13. Shri Ramesh Singh Sishodia, LDC, Ganganagar Depot.

श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर के पदाधिकारी

165. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सहकारिता नियम, 1966 की धारा 36 (1) (ग) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य कर्मचारी है तो वह किसी ऐसी सहकारी समिति का जो सरकारी कर्मचारियों की न हो, पदाधिकारी नहीं बन सकता ?

(2) क्या श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, आमेर रोड, जयपुर केवल राज्य कर्मचारियों की ही सहकारी समिति है ? यदि नहीं, तो इस समिति के पंजीकरण के समय कौन पदाधिकारी थे ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें और अब इस समिति के पदाधिकारी कौन हैं ? सूची मय नाम, पिता का नाम, आयु, व्यवसाय तथा पूरे

(श्री केदारनाथ)
पता के साथ सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त समिति (श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, आमेर रोड, जयपुर) के सभी पदाधिकारी राज्य कर्मचारी नहीं हैं? यदि वे राज्य कर्मचारी हैं तो वे पदाधिकारी किस नियम के अन्तर्गत हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति केवल राज्य कर्मचारियों की समिति नहीं है समिति के पंजीकरण के समय के पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। वर्तमान पदाधिकारियों की सूची भी सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां। राज्य कर्मचारी, गृह निर्माण सहकारी समिति में पदाधिकारी राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के संशोधित नियम 36 (1) के अन्तर्गत हैं।

श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति के पंजीयन के समय के पदाधिकारियों की सूची

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1.	श्री विमलचन्द जैन	अध्यक्ष
2.	श्री शिवप्रसाद वर्मा	मंत्री
3.	श्री भगवानसहाय घीया	संयुक्त मंत्री
4.	श्री बन्सीधर तिवाड़ी	कोषाध्यक्ष
5.	श्री प्रेम प्रकाश जैन	सदस्य
6.	श्री बृजराजकुमार भार्गव	सदस्य
7.	श्री रामस्वरूप वर्मा	सदस्य

श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति, आमेर रोड, जयपुर के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम पदाधिकारी मय पिता का नाम	पद	आयु	व्यवसाय अथवा विभाग	पूरा पता
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विमलचन्द जैन पुत्र श्री मूलचंद चौधरी	अध्यक्ष	40	राज्य सेवा पशु पालन विभाग	डी-5, आनन्दपुरा मोतीडूंगरी रोड, जयपुर।
2.	श्री आत्माराम शर्मा पुत्र श्री रघुनन्द शर्मा	मंत्री	40	राज्य सेवा भाषा विभाग, जयपुर	मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, जयपुर।
3.	श्री गुलाम हुसैन पुत्र श्री मकबूल खां	कोषाध्यक्ष	32	राज्य सेवा, सहकारी विभाग, जयपुर।	कार्यालय स. र. स. स., जयपुर।
4.	श्री लल्लूलाल जैन पुत्र श्री कपूरचन्द जैन	सदस्य	36	राज्य सेवा आवासन मंडल, जयपुर।	आवासन मंडल, जयपुर।
5.	श्री रामेश्वर प्रसाद पारीक पुत्र श्री रामस्वरूप पारीक	"	40	कृषि कार्य	बांदरो का नासिक, जयपुर।
6.	श्री मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा	"	35	राज्य सेवा मुख्य-अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।	गोविन्दनगर प्लाट नं. 23, आमेर रोड, जयपुर।
7.	श्री चन्द्रभान पुत्र जैसनमल	"	24	व्यापार	वैकुन्ठ वाच कम्पनी।

Page No. 164

जिला जालौर में पासबुकों का वितरण

166. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालोर में अब तक तहसीलवार कितने कितने काश्तकारों को पासबुकें वितरित की जा चुकी हैं एवं कितनी कितनी वितरित करनी शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) सब तहसीलों में जिला जालौर में सब काश्तकारों को पासबुकें कब तक बांट दी जावेंगी? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

(3) काश्तकारों को शीघ्र पासबुकें वितरण कराने के बारे में सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

(1) जालोर जिले में तहसीलवार वितरित की गई पासबुकों का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) व (3) राज्य सरकार पासबुकें शीघ्र ही वितरण कराना चाहती है।

माह अगस्त तक खातेदारों को जालोर जिले में वितरण की गई पासबुकों का विवरण

क्रम संख्या	नाम तहसील	कुल वितरण की गई पासबुकें
1.	जालोर	19109
2.	आहोर	13159
3.	भीनमाल	26984
4.	सांचोर	17398
	योग....	76650

पंचायत समिति, बाड़ी द्वारा व्यय की गई धनराशि

167. श्री रामलाल (बाड़ी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति बाड़ी में 72-73 में अनुदान की धन राशि किन किन ग्राम पंचायतों को किस किन कार्य हेतु वितरित की गई? क्या अमुक धनराशि का उद्देश्य पूर्ति हेतु सदुपयोग हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

पंचायत समिति बाड़ी (भरतपुर) द्वारा वर्ष 1972-73 में दिये गये अनुदान का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	कार्य विवरण जिसके लिये अनुदान दिया गया	धनराशि	भुगतान का दिनांक	क्या उद्देश्य पूर्ति हेतु सदुपयोग हुआ है यदि नहीं तो क्यों
1	2	3	4	5	6
1.	रूधैरा	कूप निर्माण	4000)	11-4-72	हां
2.	नं. दुल्हेखां	कूप निर्माण नं. दुल्हेखां	750)	30-1-73	हां
3.	,,	कूप निर्माण जाटवान नं. दुल्हेखां	750)	30-1-73	हां
4.	,,	मरम्मत घाट कूप नं. दुल्हेखां	250)	30-1-73	हां
5.	,,	कूप निर्माण अब्दुलपुर	750)	30-1-73	हां
6.	,,	कूप निर्माण जाटवान, अब्दुलपुर	750)	30-1-73	हां
7.	अलीगढ़	बनवाने बांध	600)	31-3-73	नहीं-जन सहयोग का अभाव
8.	रूधैरा	मरम्मत तालाब	600)	31-3-73	हां
9.	लखेपुरा	रास्ता दुरुस्ती	600)	31-3-73	हां
10.	नं. दुल्हेखां	रास्ता दुरुस्ती	600)	31-3-73	हां
11.	नोरहा	तालाब मरम्मत मढ़ागुजर	600)	31-3-73	हां
12.	विरामपुर	रेवई पक्की सड़क मरम्मत	600)	31-3-73	हां
13.	सहेड़ी	सड़क दुरुस्ती कासोटी खेड़ा	600)	31-3-73	नहीं-जन सहयोग का अभाव
14.	घीमरी	रास्ता मरम्मत रसपुरा से घीमरो	600)	31-3-73	नहीं-जन सहयोग का अभाव
15.	दीघोरा	तालाब बदरेठा की पार बनवाने	600)	31-3-73	हां
		योग....	12650)		

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, झालावाड़ में सहायक वैद्य का रिक्त पद

168. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ नगर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सहायक वैद्य को वहां से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या इस चिकित्सालय में हजारों व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है, इसलिए वहां सहायक वैद्य का रखना अत्यन्त आवश्यक है ?

(3) अब वहां वैद्य की पुनः नियुक्ति कब तक करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) स्वीकृत पद अनुसार व्यक्ति कार्यरत है।

बीनागंज-चाचौड़ा सड़क पर पुल एवं पुलियाओं का निर्माण

169. श्री भैंरूलाल (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील अकलेरा (जिला झालावाड़) क्षेत्रान्तर्गत कस्बा मनोहरथाना में बीनागंज-चाचौड़ा एम. पी. सड़क पर राजस्थान सीमा में कितने नालों एवं नदी पर किस किस जगह पुलियाओं की आवश्यकता है ?

(2) क्या यह सच है कि इस सड़क पर नदी नालों पर पुलियाओं के न होने से बरसात में बस का चलना बन्द हो जाता है ?

(3) क्या यह भी सच है कि यह सड़क बम्बई-आगरा राजमार्ग को मिलाती है ?

(4) क्या यह भी सच है कि यह सड़क रुटई मकसी नवनिर्मित रेल मार्ग को भी मिलाती है ?

(5) क्या यह भी सच है कि इस सड़क पर पड़ने वाले नदी एवं नालों की पुलियाओं का निर्माण हेतु बजट 73-74 में प्रावधान है ? यदि हां, तो इस सड़क पर पड़ने वाले नदी नालों की पुलियाओं का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर कब तक सम्पन्न करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) 3 नालों व एक नदी पर मील 6/1, 8/2, 8/3 तथा 10 में पुलियों की आवश्यकता है।

(2) अधिक वर्षा का पानी आने पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) केवल मील 10 में काली खार नदी के पुल निर्माण हेतु प्रावधान किया है और कार्य प्रगति पर है शेष के लिए प्रावधान

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
नहीं है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पुल निर्माण की आशा है।

बड़ौद रूंध की भूमि

170. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (ःनपूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले की बड़ौद रूंध की कितनी जमीन वन विभाग से सिवाय चक में तबदील की गई थी ?

(2) उक्त जमीन में कितनी जमीन किस किस को अलॉट की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार अलॉट के अलावा बाकी जमीन को नियमानुसार हरिजनों व मीणों को अलॉट किये जाने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की बड़ौद रूंध की 1200 बीघा जमीन वन विभाग से सिवाय चक में तबदील की गई है।

(2) उक्त जमीन में मृत सैनिकों की आश्रित बेवाओं, विकलांग सैनिकों व शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों को भूमि आवंटन की गई है। पूर्ण ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(3) जी नहीं।

रूंध बड़ौद में मृतक के आश्रितों को एवं घायल सैनिकों व शौर्य पदक प्राप्तकर्त्ताओं को आवंटन की गई भूमि की सूची

क्रमांक	नाम आवंटी	आवंटित रकबा
1	2	3
1.	श्रीमती बसंती देवी बेवा दयानंद नं. 4131441/ ·3	25 बीघा
2.	श्रीमती मूर्तीदेवी बेवा हरीराम नं. 4147541	25 बीघा
3.	श्रीमती विद्यादेवी बेवा शिवराम नं. 1295294	25 बीघा
4.	श्रीमती टिण्डो देवी बेवा नरबीरसिंह नं. 243 सी. टी.	11 बीघा
5.	श्रीमती सूरज कंवर माता फूलसिंह नं. 4147540	16 बीघा
6.	श्रीमती बसंतकौर बेवा उमरावसिंह नं. 4138578	9 बीघा
7.	श्रीमती कृष्णादेवी बेवा रामवतार नं. 4149718	14 बीघा
8.	श्रीमती आशा देवी बेवा केप्टिन सुमेर सिंह नं. 52441	25 बीघा
9.	श्री रामचन्द्र विकलांग नं. 3144641	25 बीघा
10.	श्रीमती सुमेर देवी बेवा प्रेमसिंह नं. 287832	50 बीघा
11.	श्री गेंदा पिता उम्मेदखां नं. 2862993	25 बीघा
12.	श्रीमती प्रेम बेवा भगवानसिंह नं. 2850891	25 बीघा

1	2	3
13.	श्रीमती वीरबाई बेवा प्रभुदयाल नं. 1139931	25 बीघा
14.	श्रीमती छन्नोदेवी बेवा भंवरलाल नं. 1275293	25 बीघा
15.	श्रीमती चमेली बेवा मनोहरलाल नं. 13653864	25 बीघा
16.	श्रीमती शकुन्तला बेवा रामेश्वरदयाल नं. 4162411	25 बीघा
17.	श्रीमती श्यामवती देवी बेवा बजरंगसिंह नं. 1041518	25 बीघा
18.	श्रीमती रामरती देवी बेवा मेहरचंद नं 4149714	25 बीघा
19.	श्रीमती गेंदीदेवी बेवा गुलाबसिंह नं. 4151522	25 बीघा
20.	श्रीमती रतनमणी बेवा रमेश नं. 4145283	25 बीघा
21.	श्रीमती कमला देवी बेवा अमीलाल नं. 4148483	25 बीघा
22.	श्रीमती भगवानी देवी बेवा शेरसिंह नं. 4152601	25 बीघा
23.	श्रीमती भौंती माता रामकरण नं. 4152508	25 बीघा
24.	श्रीमती भूरी बेवा अभय सिंह नं. 4162868	25 बीघा
25.	श्रीमती मायादेवी बेवा अमरसिंह नं. 9505696	25 बीघा
26.	श्रीमती लहरीदेवी माता अमरसिंह नं. 3158483	25 बीघा
27.	श्रीमती सरली देवी माता मन्नाराम नं. 3160045	25 बीघा
28.	श्रीमती विद्यादेवी बेवा रामौतार नं. 1244392	25 बीघा
29.	श्रीमती सिंगारी देवी माता देशराज	25 बीघा
30.	श्रीमती सरती देवी बेवा उदमी राम नं. 2642684	25 बीघा
31.	श्रीमती मिसरो देवी बेवा रिछपाल नं. 2961791	25 बीघा
32	श्रीमती चन्द्रवती देवी बेवा हरनन्दन नं. 2951083	25 बीघा
33.	श्रीमती मूर्ती बेवा जलेसिंह नं. 3154049	25 बीघा
34.	श्रीमती श्योबाई बेवा भगवतसिंह नं. 2963712	25 बीघा
35.	श्रीमती विद्यादेवी बेवा श्रवण कुमार न. 4146012	25 बीघा
36.	श्रीमती सन्तरादेवी बेवा प्रेमचन्द नं. 53512	25 बीघा
37.	श्रीमती महादेवी बेवा हुकमचन्द नं 2955042	25 बीघा
38.	श्रीमती धापबाई बेवा रणजीतसिंह न. 2652330	25 बीघा
39.	श्री सुगनसिंह पिता हनुमानसिंह न. 2964435	25 बीघा
40.	श्री भाबरमल विकलांग न. 3141352	25 बीघा
41.	श्री हरिसिंह हैड कॉन्स्टेबिल न. 68176022	50 बीघा
42.	श्री बजरंगसिंह नं. 2940492	25 बीघा
43.	श्री भंवरसिंह पिता हरिसिंह नं. 59656	25 बीघा
44.	श्रीमती नाथी माता पूरनसिंह नं. 1230425	25 बीघा
45.	श्रीमती सरती बेवा जयदयाल न. 118	17 बीघा
	योग	1117 बीघा

थूनी का थाक गांव के पास रपट का निर्माण

171. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की ब्यावर तहसील में थूनी का थाक गांव के पास रपट बनाने से कोटड़ा-काबरा सड़क पर छः छः फीट पानी भर गया है जिससे इस सड़क पर चलने वाली बसें बन्द हो गई हैं?

(2) क्या भू-संरक्षण विभाग ने उक्त रपट बनाने से पूर्व सिंचाई विभाग राजस्थान से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेलिया था?

(3) क्या भू-संरक्षण विभाग ने यह रपट बनाये जाने से पूर्व राज्य सरकार एवं भवन एवं पथ निर्माण विभाग राजस्थान को यह सूचना दे दी थी कि रपट बनाने से कोटड़ा-काबरा रोड पर छः छः फीट पानी भरेगा? अतः सड़क पर 8 फीट ऊंची पुलिया का निर्माण करवाया जाय? यदि हां, तो भवन एवं पथ निर्माण विभाग ने पुलिया क्यों नहीं बनाई और यदि भू-संरक्षण विभाग ने बिना सूचना के रपट बना दी तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि रपट के साथ साथ इसी वर्ष 1973 में जहां पानी भरा हुआ है, भवन एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा एक पुलिया बनाई गई है? यदि हां, तो उसकी कुल लागत कितनी लगी और कितनी ऊंची बनाने के आदेश थे और मौके पर कितनी ऊंची बनाई गई व कुल कितनी रकम का भुगतान किया गया?

(5) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मोटर मालिकों व जनता द्वारा राज्य सरकार को मिली है? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई और आगे के लिए बस सर्विस चालू करने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

(4) इस विभाग द्वारा जहां पानी भरा हुआ है, पुलिया निर्माण नहीं कराया गया है।

(5) जी, हां। आवागमन की सुविधा हेतु कच्चा बाई पास बनाया गया है।

ट्यूब वैलों से सिंचित भूमि पर आबयाने की वसूली

172. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला श्री गंगानगर में किसानों द्वारा लगाए गए ट्यूब वैलों से जो भूमि सिंचित की जा रही है क्या नहर विभाग उस पर सिंचाई दर वसूल कर रहा है?

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ट्यूब. वैल द्वारा सिंचित भूमि पर से आबयाना लेना बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम, 1955 के नियम 29 व 30 के अनुसार आबयाना लगाया जाता है एवं बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केलादेवी-बयाना के बीच क्षतिग्रस्त विद्युत् लाइन

173. श्री नत्थीसिंह (नदबई) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सन् 72 की भयंकर बाढ़ से भरतपुर से बयाना जाने वाली बिजली की मेन लाइन केलादेवी से बयाना के बीच में क्षतिग्रस्त हो गई थी ? यदि हां, तो क्या इसकी मरम्मत कर दी गई है ? यदि हां, तो मरम्मत का क्या कार्य किया गया ? यदि मरम्मत नहीं की गई है तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। अभी तक लाइन की मरम्मत नहीं हो सकी है। भरतपुर से बयाना जाने वाली रोड़ का नया एलाइनमेंट सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह सड़क तैयार होने पर बिजली की लाइन भी इसी नयी सड़क के पास ही डाल दी जावेगी।

चरागाहों की भूमि का अलॉटमेंट

174. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार की ओर से चरागाहों की भूमि का अलॉटमेंट किये जाने के कोई आदेश हुए हैं ?

(2) क्या आदेश न होने के उपरान्त भी लोगों ने चरागाहों पर अतिक्रमण कर लिया है और सरकार द्वारा बेदखल न किया जाकर केवल पेनल्टी लगा दी जाती है ?

(3) क्या तहसील बस्सी के पटवार सर्किल ग्राम मोहनपुरा में चरागाहों पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस सर्किल के तमाम चरागाहों का सर्वे कर यह बतलाने का कष्ट करें कि किन किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है ?

(4) उक्त सर्किल में चरागाहों पर किये गये अतिक्रमणों को सरकार बेदखल करने की कार्यवाही कब तक पूरी कर देगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान टिनेन्सी (गवर्नमेन्ट) रूल्स, 1955 के नियम 7 के अन्तर्गत जिलाधीश चरागाह भूमि में से भूमि काश्त हेतु देने के लिए अधिकृत है। तदोपरान्त आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत किया जाता है।

(2) जी नहीं। चरागाह पर अतिक्रमण होने पर राजस्थान भू-राजस्व

(राजस्व मन्त्री)
अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी को बेदखल करने तथा उस पर पेनल्टी लगाने की कार्यवाही की जाती है। परन्तु राज्य सरकार ने ऐसे अतिक्रमण के मामले कि जिनमें भूमिहीन अतिक्रमणकारी सन् 1966 के पूर्व काश्त कर रहा हो एवं भू-राजस्व या शास्ती की अदायगी हो रही हो, का नियमन करने के आदेश जारी किये हैं।

(3) जी हां। पटवार सर्किल ग्राम मोहनपुरा के चरागाह पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) उक्त सर्किल में एक अतिक्रमी श्री महादेव पुत्र जीवन रेगर के अलावा समस्त अतिक्रमियों को बेदखल किया जा चुका है। श्री महादेव रेगर के मामले में तहसील द्वारा जांच की जा रही है।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम आसामी	खा. नं.	रकबा	जोत	जिन्स
						बाजरा
1.	मोहन पुरा	श्री महादेव पुत्र जीवन रेगर	148	3)	2।)	।।।)
2.	,,	गोपी पुत्र नानगा रेगर	158	।।)	।।)	—
3.	,,	किसना पूरया पि. ग्यारसा माली	158	3)	3)	—
4.	,,	चन्दा पुत्र सोन्या ब्रा.	158	1)	1)	—
5.	,,	नाथू पुत्र मूलचन्द माली	158	।।)	।।)	बाजरा
6.	श्यामपुरा	काना पुत्र छोटू मीना	80	2)	—	2)
7.	,,	रुगनाथ पुत्र भूंथा मीना	80	1)	—	1)
8.	,,	रामनाथ पुत्र नहनु मीना	80	2)	—	2)
9.	भोनावाला	कल्याण, गोपी, लादू पिता छोटू चमार	31	5)	—	5)

जोधपुर-बाड़मेर सड़क पर पुलों का निर्माण

175. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार जोधपुर से बाड़मेर सड़क पर बालोतरा नगर एवं सिणधरी ग्राम में पुल बनाना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने गत पच्चीस सालों में इसके निर्माण में क्या प्रावधान रखे और क्या व्यय किया ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने इस वर्ष उक्त पुलों के निर्माण के लिए क्या प्रावधान किया है और क्या प्रावधान करने जा रही है ?

(3) राज्य सरकार कब तक उक्त पुलों के निर्माण की स्वीकृति देकर कार्य शुरू करा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। बालोतरा के पास (Causeway) बना हुआ है वर्तमान अर्थाभाव को देखते हुये और पुल नहीं बन पाये।

(2) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(3) अर्थाभाव के कारण संभव नहीं है।

कृषि कार्यों के लिए बिजली और सिक्योरिटी की राशि

176. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नये निर्णय के अनुसार कृषि कार्यों के लिए नये विद्युत् कनेक्शन लेने वाले कृषकों को सिक्योरिटी के रूप में भारी राशि अग्रिम जमा करानी पड़ेगी ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस निर्णय का सभी वर्गों ने भारी विरोध किया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार अधिक कृषि उत्पादन की आवश्यकता को देखते हुये उक्त निर्णय को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी हां। बिजली के मासिक बिलों के अग्रिम भुगतान के रूप में एक मुश्त रकम लेने के लिए एक पद्धति आरम्भ की गई थी जिसमें पूरे राज्य स्तर पर कनेक्शन देने पर जो औसतन खर्च आता है, उतनी राशि अग्रिम लेने की व्यवस्था थी। इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां, यह पद्धति मण्डल के 26 सितम्बर, 1973 के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई है।

APPENDIX 'A'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. RSEB/S.9/F.4/B.22/Part II/D. 1671

Jaipur, Dated the 17th July, 1973

ORDER

The question of accepting advance deposits against consumption charges from the prospective consumers for well connections in an electrified locality (sanctioned under competent authority) was considered again by the Board in its 185th meeting held on 29th june, 1973. It has been decided that the intending consumers who deposit the following amounts as advance against the consumption charges may be given over-riding priority over the other applicants in any electrified villages (sanctioned under competent authority).

upto 5 H.P.	Rs. 3,500
above 5 H.P. to 10 H P.	Rs. 5,000
above 10 H.P.	Rs. 12,500

This amount will be adjusted against the monthly energy charges bills of the consumers.

2. Separate priority register for such consumers who deposit the above mentioned amounts as advance against consumption charges will be maintained for each village.

3. Officers of the rank of Executive Engineer and above (incharge of the area) will be the sanctioning authority for the release of connections to such consumers who deposit the above mentioned amount as advance against the consumption charges.

4. In addition to the amount mentioned in para 1 above, the consumers will be required to pay the service connection charges as prescribed under Board's order No. RSEB/Sec.9/F. 4(G. 62)/Pt.II/D. 1573, dated the 28th June, 1971 (Reproduced below). The service connection charges are not refundable.

(i)	For connection (s) upto 5 H.P.	Rs. 350.00
(ii)	For connection (s) above 5 H.P. and upto 10 H.P.	Rs. 500.00
(iii)	For connection (s) above 10 H.P. and upto 25 H.P.	Rs. 900.00
(iv)	For connections above 25 H.P.	Rs. 1200.00

5. All efforts need be made to release the connection to such consumers within a maximum period of 45 days from the date the consumer deposit the above mentioned amounts.

6. This order issues in partial modification to the orders of the Board issued vide No. RSEB/S.1/F.4/B.22/67/D. 7287-7386, dated the 30th October, 1967 and RSEB/S.1/F. 4/B 22 D. 1050, dated 11-12-67.

7. The procedure for maintaining accounts will be as intimated under Controller of Accounts, RSEB., Jaipur circular No. RSEB/Control/F(6) Instruction/ 67-68/3920, dated 7-11-67 or as amended from time to time by the Financial Advisor & Controller of Accounts, RSEB, Jaipur.

Sd/-
P.K. Saxena
Director, Rural Electrification.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:—

1. The Chief Engineer (Const.), RSEB, Jaipur (2 copies).
2. The Chief Engineer (O&M), RSEB, Jaipur (2 copies).
3. The Superintending Engineer ( ), RSEB,............ with two spare copies.
4. The Financial Advisor & Controller of Accounts, RSEB, Jaipur with 5 spare copies.
5. The Executive Engineer ( ), RSEB, ... (Copies)
6. The Chief Internal Auditor, RSEB, Jaipur (30 copies)
7. The Deputy Secretary (Tech.) RSEB, Jaipur.
8. The Deputy Secretary (Statistics), RSEB, Jaipur.
9. The Deputy Director (Personnel), RSEB, Jaipur.
10. The Accounts Officer ( ), RSEB,.................. (copies)
11. The Resident Audit Officer, RSEB, Jaipur.
12. All Sections of Board's office (Sec.).
13. The P.S. to Chairman, RSEB, Jaipur.
14. The P As. to Tech. Member/ Accounts Member/ Secretary.

Sd/-
Director, Rural Electrification.

Copy also forwarded to:—

(1) The Collector,..................
(2) The Zila Pramukh,.......................

Sd/-
Director, Rural Electrification.

सवाई माधोपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत

177. श्री चेतराम (टोड़ाभीम) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अगस्त, 1972 में आई बाढ़ के कार्यों की मरम्मत हेतु सिंचाई विभाग को कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी ? तथा इसमें से सवाई माधोपुर जिले को कितनी मिली थी ?

(2) सवाई माधोपुर जिले को मिली धनराशि में से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और कितने प्रतिशत कार्य हुआ है ? शेष कार्यों में किस किस तहसील में कितना कार्य कहां कहां (तहसीलवार एवं कार्य का नाम) शेष है ?

(3) इस कार्य में कितने 2 खाली बोरे किस 2 कार्य बांध नहर आदि पर लगाये गये हैं और उनकी क्रय कीमत क्या है तथा किस सोर्स से खरीदे गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्य न कराना, धन का दुरुपयोग, झूंठे बिल आदि की शिकायतें राज्य सरकार को समय समय पर भेजी गई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग को 205 लाख रुपये का ऋण भारत सरकार से मिला था इसमें से 35.00 लाख रुपये की धनराशि सवाई माधोपुर जिले को अगस्त, 1972 में आई बाढ़ के कार्यों की मरम्मत हेतु दी गई थी।

(2) माह सितम्बर, 1973 तक 32,01,593/- रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है व 91 प्रतिशत कार्य हो चुका है। बाकी कार्यों की तहसीलवार सूची 'क' संलग्न है।

(3) इन कार्यों के लिए एक भी खाली बोरी नहीं खरीदी गई इसलिये क्रय कीमत व सोर्स का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

अधूरे कार्यों की सूची

सूची 'क'

क्रम सं.	तहसील का नाम	बांध का नाम
1.	सपोटरा	कालिसिल एवं खिरखिरी
2.	हिण्डौन	जग्गर
3.	नादोती	होदा होली, फतह सागर, नया तालाब महेशरा एवं पुराना तालाब महेशरा

पाली तहसील के कमाण्ड एरिया के काश्तकारों से तावान की वसूली

178. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील के बांध हेमावास, खारड़ा और सरदार समन्द कमाण्ड एरिया

Page No. 177

(श्री शंकरलाल)

के काश्तकारों से संवत् 2018 से 2027 तक की तावान वसूली के कितने नोटिस कितनी धनराशि के अभी तक विचाराधीन व अनिर्णीत हैं ?

(2) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर क्या क्या आज्ञाएं व परिपत्र जारी किये गये और उनका कहां तक पालन हुआ ? आज्ञाओं व परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) ऐसे मामलों में अब अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) बांधवार व सालवार सूची सलग्न है।

(2) तावान के विषय में सरकार कोई पृथक् आज्ञा जारी नहीं करती है। राजस्थान सिंचाई नियम के अनुसार तावान की कार्यवाही की जाती है।

(3) 3117 तावानों में से 129 रजिस्टर्ड पंजिकृत नोटिसेज वितरण किये जा चुके हैं। 12 उजरदारियां प्राप्त हुई हैं और 117 के केवल स्वीकृत पत्र प्राप्त हुए हैं। शेष के लिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजने की कार्यवाही जारी है व इन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

बांध हेमावास, खारड़ा व सरदार समन्द के संवत् 2018 से 2027 तक कुल नोटिस मय धनराशि के विचाराधीन है उनकी सालवार, बांधवार सूची

नाम बांध	संवत्	कुल नोटिस सालवार विचाराधीन	कुल धनराशि सालवार
1. हेमावास	2020	11	1,251.16
	2021	48	2,898.30
	2022	150	16,362.80
	2023	64	24,072.00
	2025	257	15,280.52
	2027	422	46,468.31
	योग....	952	1,06,333.09
2. खारड़ा	2027	2	699.24
3. सरदार समन्द	2024	504	34,737.11
	2027	1659	99,268.78
	योग....	2163	1,34,005.89
	कुल योग....	3117	2,41 038.22

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूची)

बाड़मेर जिले के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची

क्र. सं.	औषधालय का नाम	श्रेणी
1	2	3
1.	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बाड़मेर	'अ'
2.	,, मोकलसर	'ब'
3.	,, समदड़ी	'ब'
4.	,, सिणधरी	'ब'
5.	,, जसोल	'ब'
6.	,, अरणियाली	'स'
7.	,, अखाड़ा	'स'
8.	,, आसोतरा	'स'
9.	,, करमावास	'स'
10.	,, कवास	'स'
11.	,, कलेवा	'स'
12.	,, कोटड़ा	'स'
13.	,, खण्डपं	'स'
14.	,, गड़रारोड	'स'
15.	,, गिराव	'स'
16.	,, गुढ़ामालानी	'स'
17.	,, गंगाला	'स'
18.	,, चोहटन	'स'
19.	,, जयसिंहदार	'स'
20.	,, जेठन्तरी	'स'
21.	,, टापरा	'स'
22.	,, दांता	'स'
23.	,, दूदू	'स'
24.	,, धोरिमन्ना	'स'
25.	,, नीमला	'स'
26.	,, नोखड़ा	'स'
27.	,, पचपदरा	'स'

1	2		3
28.	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय,	पांदरू	'स'
29.	"	पारलू	'स'
30.	"	बाछराऊ	'स'
31.	"	बामडला	'स'
32.	"	बायतू	'स'
33.	"	बालोतरा	'स'
34.	"	बावड़ी कलां	'स'
35.	"	बीसासर	'स'
36.	"	बीजराड़	'स'
37.	"	भूणिया	'स'
38.	"	मेहलू	'स'
39.	"	राखी	'स'
40.	"	रावतसर	'स'
41.	"	विशाला	'स'
42.	"	सज्जन का पार	'स'
43.	"	सवाई पदमसिंह	'स'
44.	"	साजियाली	'स'
45.	"	सिवाना	'स'
46.	"	स्वरूप का तला	'स'
47.	"	सेतराऊ	'स'
48.	"	हरसाणी	'स'

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची)

सूची "क"

अकाल राहत एवं ग्रामीण रोजगार योजना में जो कार्य पूर्ण हुए, प्रगति पर हैं, उनकी सूची

(1) काकलीजी का बांध (मामोद)

(2) छीड़ का बांध

(3) सकतपुरा बांध

(4) नीमली बांध — इसका कार्य ग्रामीण रोजगार योजना में चल रहा है एवं वर्षा के समय मजदूरों की कमी के कारण इसकी प्रगति कम रही है इस वर्ष इसका कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

सूची "ख"

योजनाओं के बारे में जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये उनकी सूची

नाम ग्राम	विवरण
1. पणदो	इस कार्य का तखमीना 5.66 लाख रुपये का बनाया गया है एवं इससे केवल 300 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है जो कि लागत के अनुपात से बहुत कम है। इसलिए इसका कार्य शुरू करना सम्भव नहीं है।
2. राडावास	इस नाम का कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
3. दांतोड़ी का बांध व सूरपरा बांध	इन बांधों का निरीक्षण किया गया लेकिन अकाल राहत के अन्तर्गत सामग्री व्यय की लागत अधिक होने के कारण नहीं लिया जा सका।
4. छापड़ा	इसके विषय में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
5. देवीपुरा व बहदोड़ा	इनका सर्वे शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

सूची "ग"

विभाग में बान्धों के निर्माण के प्रस्ताव पड़े हैं, उनकी सूची

नाम ग्राम	विवरण
1. राड़ावास	इस विषय में कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
2. अमरसर	इस कार्य का तखमीना ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत रु. 57,200 का स्वीकृत हुआ था एवं इस पर 30,370 रु. का कार्य भी कराया गया है लेकिन सामग्री का भुगतान जिलाधीश कार्यालय द्वारा समय पर नहीं होने के कारण कार्य फरवरी, 1973 से अधूरा बन्द करना पड़ा कार्य को वापस तभी शुरू किया जा सकता है जब कि जिलाधीश कार्यालय भुगतान की व्यवस्था करे।
3. नयाना (पीरजी) एवं कानोता	इनका प्रस्ताव अकाल राहत सलाहकार समिति में प्राप्त हुआ था एवं प्रथम कार्य पर सामग्री व्यय अधिक होने के कारण नहीं लिया जा सका। दूसरे कार्य को भू-संरक्षण विभाग अथवा पंचायत समिति द्वारा लेने की सिफारिश की गई है।
4. लुहाकना के गाड़ड़ बांध	इस कार्य पर ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 15,676 रुपये खर्च हो चुके हैं। ग्रामवासी चाहते हैं कि पत्थर की पीचिंग को आगे बढ़ाया जावे लेकिन यह ग्रामीण रोजगार योजना के सामग्री व्यय को 40 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के कारण सम्भव नहीं है। जिलाधीश, जयपुर व विकास अधिकारी, बैराठ से अनुरोध किया गया था कि यदि ग्रामवासी सामग्री व्यय का कुछ भाग देने को तैयार हों तो इस ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत लिया जा सकता है लेकिन इस बारे में अभी कोई प्रगति नहीं है।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 6 नवम्बर, 1973)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
6	ऊपर से 12	जो	तो
9	ऊपर से 6	इन्फारम	इनफार्मल
21	नीचे से 6	वंद	वैद
30	ऊपर से 6	निमय	नियम
35	ऊपर से 4	जनर्दिनसिंह	जनार्दनसिंह
50	नीचे से 8	यए	गए
60	नीचे से 1	प्रामीण	ग्रामीण
63	नीचे से 16	तोसवाड़ा	तोसावड़ा
64	नीचे से 12	बांघों	बांधों
140	ऊपर से 15	बाडं	बोर्ड
166	नीचे से 16	म्यूनिपैलिटीज	म्यूनिसिपैलिटीज
175	नीचे से 12	चहये	चाहिये
258	ऊपर से 12	लिया	लिखा
263	नीचे से 8	साभंजस्य	सामंजस्य
268	नीचे से 11	हें	हैं
[illegible]7	ऊपर से 14	मुझे	मुझसे